लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES



[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—8, गुरुवार, 19 नवम्बर, 1970/28 कार्तिक, 1892 (शक)
No.—8, Thursday, November 19, 1970/Kartika 28, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
211. वन्य जीवन के शिक्षण, संरक्षण और परिरक्षण में चिड़ियाघरों का योगदान	Role of Zoos in Educational, Conservational and Preservative aspects of Wild Life	1—5
213. खाद्यान्नों के परिरक्षण हेतु डी०डी०टी० के उपयोग के फलस्वरूप मानव शरीर में डी०डी०टी० की मात्रा	Level of DDT in Human Body due to its use in Food Preservation	5—9
214. टेलीफोन काटने की अपर्याप्त पूर्व सूचना के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों द्वारा शिकायत	Complaint by Members of Parliament regarding Inadequate Notice for disconnection of Telephones	9—13
215. विज्ञापनों में नग्नता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति	Growing Tendency to Nudity in Advertisements	13—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
212. डाक तथा तार विभाग में श्रेणी दो के अधिकारियों के लिये प्रबन्ध तथा प्रशासन पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना	Introduction of Course of Management and Administration for Class II Officers in Posts and Telegraphs Department	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
216. नाविकों द्वारा हड़ताल	Strikes by Sea Farers	19—20
217. साम्प्रदायिक दंगों के समय आकाशवाणी की भूमिका	Role of AIR during Communal Disturbances	20—21
218. वर्ष 1970-71 में खाद्यान्न का आयात	Foodgrains to be Imported during 1970-71	21—22
219. तमिलनाडु में कृषि के विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank aid to Tamil Nadu for Agricultural Development	22—23
220. उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण में रुकावट डालने वाले लोगों के विरुद्ध जांच	Inquiries against persons for Withholding Nationalisation of Sugar Industry in U. P.	23
221. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने हेतु चीनी मिलों को ऋण सुविधायें और मिलों में जमा चीनी का स्टाक	Credit Facilities to Sugar Factories for Payment to Sugarcane Growers and Stock of Sugar held by Sugar Mills	2 —24
222. बम्बई फिल्म उद्योग में आर्थिक संकट	Financial Crisis in Bombay Film Industry	24
223. समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना	Setting of Newspaper Finance Corporation	25
224. श्रमिकों के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Gajendragadkar Commission on Labour	25—26
225. खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Foodgrains	26—27
226. तिलहनों का अधिक उत्पादन	Production of more Oil Seeds	27
227. आकाशवाणी के दिल्ली "सी" केन्द्र से होने वाले प्रसारणों का राजस्थान में सुनाई न देना	Broadcasts on AIR 'C' Station Delhi not Audible in Rajasthan	27—28
228. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करना	Solution of Rural Unemployment	28

ता० प्र० सख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
229. आकाशवाणी के मंगलौर केन्द्र के निर्माण में प्रगति	Progress of Erection of All India Radio Station Mangalore	28
230. आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र द्वारा 'सम्वाद समीक्षा' प्रसारणों में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप	Pakistan's Interference in 'Sambad Samiksha' Broadcasts by AIR Calcutta	29
231. पन्तनगर में आयोजित तीसवां कृषि आर्थिक सम्मेलन तथा नकदी फसलों का उत्पादन	30th Agricultural Economics Conference held at Pantnagar and Production of Cash Crops	29
232. उग्र भाषा में कथित चीनी प्रसारण	Alleged Chinese Broadcasts in Aggressive Language	29—30
233. खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाना	Removal of Restrictions on Movement of Foodgrains	30
234. पी०एल० 480 के अन्तर्गत आयात करने के लिये नई बातचीत	Fresh Negotiations for Imports under PL-480	30—31
235. सहकारिता ऋणों की वसूली की प्रक्रिया	Procedure of recover Cooperative Loans	31
236. बिजली मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की क्रियान्विति	Implementation of Report of Electricity Wage Board	31
237. खाद्यान्न के निर्यात के लिये विदेशी मन्डियों की खोज	Survey of Foreign Markets to Export Foodgrains	32
238. थोक उपभोक्ता सरकारी भंडार, दिल्ली में अनियमितताएं	Irregularities in Wholesale Consumers Cooperative Store, Delhi	32
239. मध्य भारत में रेडियो स्टेशन	Radio Stations in Madhya Pradesh	33
240. डाक तार विभाग के कर्मचारियों को अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिये मुकदमे दायर करने हेतु अनुमति देना	Permission for Filing of Suits by Employees of Posts and Telegraphs Department for Redressal of their Grievances	33—34

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1401. पूर्व जर्मनी से आयात किये गये आर०एस० 09 ट्रैक्टर	R. S. 09 Tractors from East Germany	34—35
1402. आकाशवाणी से व्यापारिक विज्ञापनों का प्रसारण	All India Radio Commercial Broadcasts	35—36
1403. बर्मा तथा श्रीलंका से आप्रवासी	Repatriates from Burma and Ceylon	36—37
1404. दिल्ली के रोजगार कार्यालय में पंजाबी भाषा के अध्यापकों का पंजीकरण	Registration of Punjabi Language Teachers in Employment Exchange in Delhi	37—38
1405. पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों द्वारा फलों का उत्पादन	Production of Fruit by Cultivators having Land Less than Five Acres	38
1406. शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये विधेयक	Bill for Rehabilitation of Refugees	38
1407. संचार लाइनों के खराब हो जाने से हुई हानि	Loss due to Failure of Communication Lines	38—39
1408. प्रसारण तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा	Audit Education through Broadcasts and T. V.	39
1409. दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों के पास टेलीफोन कनेक्शनों के लिये निर्णयाधीन आवेदन पत्र	Applications Pending for Telephone Connections with Telephone Exchanges at Delhi	39—41
1410. दिल्ली में विस्थापित बस्तियों के अप्रयुक्त प्लाटों का निपटान	Disposal of Unutilised Plots in Rehabilitation Colonies in Delhi	41—42
1411. दिल्ली के गांवों में भूमिहीनों में भूमि का वितरण	Distribution of Land among Landless in Villages of Delhi	42—43
1412. अर्वी, पूना में उपग्रह केन्द्र के बारे में प्रगति	Progress in Statellite Station at Arvi Poona	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
14 3. तटवर्ती राज्यों के मछुओं के लिये मकानों का निर्माण	Construction of House for Fishermen of Coastal States including Kerala	43—44
1414. दुर्गापुर स्थित ए०वी०बी० कारखाने के विवादों का निपटारा	Settlement of Disputes in AVB Factory Durgapur	44
1415. दिल्ली मांस नियंत्रण विधेयक, 1970 के उपबन्ध	Provisions of Delhi Meat Control Bill, 1970	44—45
1416. भूमिहीनों को भूमि वितरण की समस्या	Problem of Distribution of Land to Landless	45
1417. सरकार द्वारा नक्सलवादी श्री चारू मजूमदार की भूमि को अधिकार में लिया जाना	Land Acquired by Government from Naxalite, Charu Mazumdar	45—46
1418 आकाशवाणी की प्रचार माध्यम के रूप में सीमा	Scope of AIR Publicity Media	46
1419. औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों का गठन	Setting up of Industrial Relations Commissions	46—47
1420. चीनी का उत्पादन, खपत तथा निर्यात	Production, Consumption and Export of Sugar	47
1421. कृषि उपकरणों का आयात तथा किसानों द्वारा उनका प्रयोग	Import of Agricultural Implements and their use by Farmers	47—48
1422. देहु रोड़, पूना (महाराष्ट्र) में एक टेलीफोन एक्सचेंज का खोला जाना	Opening of a Telephone Exchange at Dehu Road, Poona (Maharashtra)	48
1423. पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Engineering Workers of West Bengal	48—49
1424. दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भूमि सुधार विधेयक	Land Reforms Bill for Delhi and other Union Territories	49—50
1425. बिहार के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में नलकूपों के लिये केन्द्रीय योजना	Central Scheme for Tube Wells in Famine Affected Areas of Bihar	50

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1426. दिल्ली के सुपर बाजारों में काम करने वाले कर्मचारी	Staff Working in Super Bazars, Delhi	50—51
1427. सेनापति बापत की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamp on Senapati Badpat	51—52
1428. जम्मू और कश्मीर से आने वाले फलों के ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबन्ध का प्रभाव	Effect of Ban on Entry of Private Trucks of Fruit from J. K. into Delhi	52—53
1429. फोल्लिडोल का प्रयोग और शेरों की आबादी पर इसका हानिकारक प्रभाव	Use of Follidol and its Harmful Effect on Tiger Population	53
1430. राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान की स्थापना की योजना	Proposal to set up a National Institute of Labour Research	53
1431. चौथी योजना के दौरान डाक तथा तार विभाग के विस्तार पर व्यय	Expenditure on Expansion of Posts and Telegraphs Department durigg Fourth Plan	54—55
1432. बम्बई की औद्योगिक इकाईयों में श्रमिक अशान्ति	Labour Unrest in Industrial Units in Bombay	55 - 56
1433. दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनुसूचित जातियों के लोगों का कब्जा	Scheduled Castes in Occupation of Government Land in Delhi	56
1434. डाक तथा तार विभाग में दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी तथा टेलीफोन की सुविधाओं का विस्तार	Daily rated Staff in P and T Department and Expansion of Telephone Facilities	56—57
1435. दिल्ली की सहकारी समितियों के विरुद्ध जांच	Enquiries against Co-operative Societies of Delhi	57—59
1436. फसल बीमा योजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of the Export Committee on Crop Insurance Scheme	59
1437. कम्प्रेसरों की कमी	Shortage of Compressors	59
1438. 1970-71 में खाद्यान्नों के वसूली मूल्य	Procurement Price of Foodgrains during 1970-71	60

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1439. आकाशवाणी के बंगलौर केन्द्र से होने वाले प्रसारणों का मैसूर में स्पष्ट न सुनाई देना	Reception of AIR Bangalore not Clear In Mysore	60
1440. संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन द्वारा परियोजना की मंजूरी	Approval of Project by United Nation World Food Organisation	60—61
1441. खरीफ की फसल के खाद्यान्नों के मूल्यों का निर्धारण	Fixation of prices of Foodgrains Kharif Crop	61—62
1442. प्रेस सवाददाताओं को नई दिल्ली नगर पालिका की बैठकों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोका जाना	Press Correspondents Barred from Reporting Proceedings of Sittings of New Delhi Municipal Committee	62
1443. ट्रैक्टरों की मांग का बने रहना	Backlog of Demand for Tractors	62—63
1444. चीनी का उत्पादन तथा चीनी के निर्यात पर इसका प्रभाव	Sugar Production and its Effect on Export of Sugar	63
1445. बम्बई, मद्रास, और कलकत्ता और हैदराबाद में गोवध की संख्या	Number of Cows Slaughtered in Bombay Madras, Calcutta and Hyderabad	63—64
1446. गोवध पर प्रतिबन्ध के बारे में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का ज्ञापन	Memorandum from Sarvedeshek Arya Pratinidhi Sabha on Ban on Cow Slaughter	64
1447. चौथी योजना में दिल्ली की टेलीफोन और ट्रंक काल पद्धति में सुधार पर व्यय	Expenditure an Improvement of Telephone and Trunk Call system in Delhi during Fourth Plan	64—65
1448. सब्जियों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of Vegetables	65—66
1449. कुछ साप्ताहिक पत्रिकाओं में कामुक तथा अश्लील फोटो का छापा जाना	Printing of Erotic and Obscene Photographs in Certain Weeklies	66
1450. चन्दा समिति की विचाराधीन सिफारिशें	Chanda Committee Recommendations Pending Decisions	67—69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1451. पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in West Bengal	69
1452. त्रिपुरा में प्लाईवुड के कारखाने की स्थापना के बारे में करार	Agreement on Setting up of a Plywood Factory in Tripura	69—70
1453. 1970-71 में राजस्थान में डाकखानों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Rajasthan during 1970-71	70
1454. पिछड़े वर्ग के लो॰ लिये रोजगार हेतु आयोग	Commission for Employment of Backward Classes	70
1455. राजस्थान के सूखाग्रस्त जिले	Drough Affected Districts in Rajasthan	70—71
1456. भारतीय खाद्य निगम द्वारा बांस की चटाइयों के लिये टेंडरों का मांगा जाना	Tenders Invited by Food Corporation of India for Supply of Bamboo Mats	71—72
1457. खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains	72—73
1458. साउथ एवेन्यू में टेलीविजन के लिये नई व्यवस्था	New Management for South Avenue Television	
1459. आकाशवाणी केन्द्र, डिब्रूगढ़ का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of AIR Centre Dibrugarh	73
1460. आकाशवाणी गोहाटी में खाली पड़े हुए महत्वपूर्ण पद	Key Posts Lying Vacant in AIR Gauhati	73—74
1461. आन्ध्र प्रदेश में वर्मा के शरणार्थियों को सहायता देना	Assistance to Burma refugees in Andhra Pradesh	74—77
1462. जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टरों की खरीद के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश के किसानों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum from Farmers of Andhra Pradesh regarding Purchase of GDR Tractors	77
1463. आकाशवाणी के 16 वें रेडियो संगीत सम्मेलन पर हुआ खर्च	Expenditure on 16th Radio Sangeet Sammelan of All India Radio	77—78

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1464.	डाक तथा तार विभाग पर आने वाले अतिरिक्त खर्च में कमी करने के लिये किये गये उपाय — Measures Adopted to Reduce the Excess Expenditure of Post and Telegraphs Department	78
1465.	भूमि समस्या और उसका हल — Land Problem and its Solution	78
1466.	भूमि सुधारों में प्रगति — Progress in Land Reforms	79
1467.	राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिये आकाशवाणी के कलाकारों को पारिश्रमिक — Remuneration to AIR Artistes for National Programmes	79
1468.	पंजाब में लुधियाना और भटिंडा में डेरी संयंत्र लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता — Central Aid for Dairy Plants at Ludhiana and Bhatinda (Punjab)	79—80
1469.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल पोल्ट्री फार्म योजना में रोजगार देना — Employment for Refugees from East Pakistan in Poultry Farm Scheme in West Bengal	80—81
1470.	केन्द्रीय सूचना सेवा में सीधी भर्ती — Direct Recruitment to Central Information Service	81
1471.	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गावों में टेलीफोन की सुविधायें दिलाना — Telephone Facilities in Villages of Banda District (U. P.)	81—82
1472.	जनवरी से अक्तूबर, 1970 के बीच खाद्यान्नों के आयात और निर्यात का ब्यौरा — Details of Import and Export of Grains during January to October, 1970	82
1473.	दण्डकारण्य परियोजना में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और अन्य विभागों के संगठन में छंटनी — Retrenchement in Medical and Health Organisation and other Departments of Dandakaranya Project	82
1474.	भूमि सुधार तथा भूमिहीनों को फालतू भूमि का वितरण — Land Reforms and Distribution of Surplus Land to Landless	83
1475.	चावल वसूली का लक्ष्य — Target for Procurement of Rice	83—84

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1476. चण्डीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये निलम्बित आवेदन पत्र	Applications for Telephone Connections Pending at Chandigarh	84
1477. दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य नगरों के बीच सीधी टेलीफोन लाईन	Direct Telephone Line between Delhi and other Cities of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	84—85
1478. राज्यों में नियोजकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा की राशि जमा करना	Employees State Insurance Deposits by Employees in States	85—86
1479. पश्चिम बंगाल में छूट प्राप्त संस्थानों के मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि के सम्बन्ध में अनियमिततायें	Irregularities in Employees Provident Fund dues of Exempted Establishments by Employees in West Bengal	86
1480. राज्यों में कृषि फार्म संचार केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Farm Communication Centres in States	86—87
1481. लम्बे समय से बकाया सहकारिता ऋण की अदायगी पर सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन	Cooperation Ministers Conference regarding Overdue Cooperative Credit Repayments	87—88
1482. स्वर्गीय श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती के जीवन चरित का प्रकाशन	Publication of Biography of Late Shri Trailokyanath Chakraverty	88
1483. पुस्तकाकार रूप में स्वर्गीय श्री त्रैलोक्य नाथ चक्रवर्ती का संसद् सदस्यों के समक्ष दिया गया भाषण	Late Shri Trailokyanath Chakravarty's Speech to M. Ps. in a Booklet	88
1484. बिड़ला बन्धुओं तथा अन्य एकाधिकार गृहों के अधिकार में भूमि	Land Owned by Birlas and other Monopoly Houses	89
1485. मनीपुर में दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम को कार्यान्वित करना	Implementation of Shops and Establishment Act in Manipur	89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1486. मनीपुर में सुपर बजार की स्थापना	Setting up of Supper Bazar for Manipur	89
1487. मनीपुर में कार्मिक संघों को मान्यता देना	Recognition of Trade Unions in Manipur	90
1488. मनीपुर में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को मजूरी का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Wages to Contract Labour in Manipur	90
1489. अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लागत लाभ अनुपात का अध्ययन	Study of Cost Benefit Ratio of Deep Sea Fishing by USAID	90—91
1490. सरकारी फार्मों में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतन्त्र द्वारा दिये गये ट्रैक्टरों का परीक्षण	Trial of GDR Tractors on Government Farms	91
1491. पंचायतों को अधिक अधिकार देना और सामुदायिक विकास आयोग की नियुक्ति	More Powers to Panchayats and Appointment of Commission on Community Development	91—92
1492. अनाज के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of Grains	92
1493. उड़ीसा में सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त डाक्टरों द्वारा पद का नहीं संभाला जाना	Failure of Doctors to take up their Assignment in Border Security Force in Orissa	92
1494. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र, सिरोही जिले के लिये धन-राशि का नियतन	Allocation for District Sirohi as drought Affected Area of Rajasthan	92—93
1495. सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों और उत्पादिता में सुधार सम्बन्धी योजनायें	Schemes to Improve Industrial Relations and Productivity in Public Undertakings	93
1496. अधिक उपज देने वाले बीजों से गेहूँ की वृद्धि दर में हो रही कमी को रोकने के लिये उपाय	Steps to Check Decline in Growth Rate of Wheat through High Yielding Variety of Seeds	93—94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1497. पत्तन और गोदी में संविद श्रमिक उत्पादन अधिनियम का प्रचालन स्थगित रखना	Postponement of Operation of Contract Labour (Abolition) Act in Ports and Docks	94
1498. पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के पुनर्विलोकन के बारे में समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Review of Rehabilitation work in West Bengal	94—95
1499. पंजाब और हरियाणा में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये स्टेट बैंक आफ पटियाला का वित्त पोषण कार्यक्रम	State Bank of Patiala Financing Programmee for East Pakistan refugees in Punjab and Haryana	95
1500. बीड़ी उद्योग में समान मजूरी के लिये कानून बनाना	Legislation for Uniform Wages in Beedi Industry	95--96
1501. डाक तार सर्किल, बिहार में अतिरिक्त पदों के निर्माण के लिये धन	Funds for Creatoin of Additional Posts in P and S Circle, Bihar	96—97
1502. वैज्ञानिक तथा तकनीकी रिक्त पदों के सम्बन्ध में रोजगार केन्द्रों को सूचित करना तथा निवास की शर्त का ढीला किया जाना	Notification of Scientific and Technical Vacancies to Employment Exchanges and Relaxation of Rule of Residence	97—98
1503. उर्वरक की खपत में कमी	Fall in Consumption of Fertilizer	99—100
1504. उच्च जल तल चिन्ह से सौ गज के अन्दर मछुओं द्वारा मकान बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on Construction of Houses by Fishermen within 100 yards of High Water Mark	100—101
1505. शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों का अभ्यावेदन	Representation of Members of Parliament on Review Committee on Refugees Rehabilitation	101—102
1506. पश्चिम बंगाल में पत्रों एवं तारों का वितरण	Delivery of Telegrams and Letters in West Bengal	102
1507. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास में भेदभाव का बरता जाना	Discrimination in Rehabilitation of East Pakistan Refugees	102 -103

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1508. अन्तर्राष्ट्रीय समाचार अधिकरण (न्यूज ऐजेन्सी)	International News Agency	103
1509. राज्यों में चकबन्दी में प्रगति	Progress in Consolidation of Holdings in States	103—105
1510. राज्यों में उठाऊ सिंचाई की दरें	Change of Lift Irrigation in States	105—106
1511. कांगड़ा घाटी के पोंग बांध में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों की परियोजना	Project Allowance to P and T Employees Working in Pong Dam area of Kangra Valley	106
1512. हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में पोस्टमास्टर जनरल के अलग सर्किल की स्थापना	Creation of Separate Postal Circle of Post Master General in Haryana and Himachal Pradesh	106—107
1513. भण्डार में से खाद्यान्नों की चोरी के कारण खाद्य निगम को हुई हानि	Loss Suffered by Food Corporation on due to Pilferage of Foodgrains in Stock	107
1514. बाढ़ के पश्चात् कृषि के लिये भूमि का उपयोग करने हेतु बाढ़ से प्रभावित किसानों को केंद्रीय सहायता	Central Aid of Flood affected Farmers to Utilise land for Agricultural purposes after Floods	107—108
1515. चित्तूर सहकारी चीनी कारखाने में चीनी का स्टाक जमा होना	Accumulation of Sugar Stocks in Chittoor Cooperative Sugar Factory	109
1516. छोटे समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements to Small Newspapers	109—110
1517. मध्य प्रदेश द्वारा दुग्ध चूर्ण के लिये अनुरोध	Request from Madhya Pradesh for Milk Powder	110—111
1518. मध्य प्रदेश के शहरों में कार्य कर रही दुग्ध योजना को केंद्रीय सहायता	Central Aid to Milk Schemes working in Cities of Madhya Pradesh	111
1519. चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के 2.5 एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों और कृषि श्रमिकों को सहायता	Assistance to Farmers and Agricultural Labourer of Madhya Pradesh having Land Less than 2.5 acres during Fourth Plan	111—112

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1520. मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अभिकरण	Small Farmers Development Agency in Madhya Pradesh	112—114
1521. एन्टीबायटिक प्रोडक्शन इन्सीट्यूट महु में पशुओं के पैर और मुंह की बिमारियों के लिये टीकों का निर्माण	Manufacture of Vaccine for Foot and Mouth Diseases of Cattle at Antibiotic Production Institute, Mhow	114
1522. अस्पताल और क्लब के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि में लाने के लिये उक्त अधिनियम का संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act to bring Hospital and Club Employees under its Purview	114—115
1523. चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में महान्यायवादी का परामर्श	Advice of Attorney General on Nationalisation of Sugar Industry	115
1524. अमरीका और रूस से कृषि अनुसंधान के लिये अनुदान पाने वाली संस्थाएं	Institution of Receiving Grants from USA and USSR for Agricultural Research	115—117
1525. स्थानीय रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों से दिल्ली के संसद् सदस्यों को वंचित रखना	Delhi M. Ps. Exclude from Local Radio and T. V. Programmes	117
1526. दूध के टोकन देने के लिये दिल्ली दूग्ध योजना के पास पड़े प्रार्थना पत्र	Application Pending with Delhi Milk Scheme for Issue of Milk Tokens	117—118
1527. चीनी के मूल्य में कमी	Fall in Price of Sugar	118
1528. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के रख रखाव पर किया जाने वाला व्यय	Expenditure on Maintenance of Community Development Projects	118—119
1529. कांगड़ा उना अरबन कोआपरेटिव सोसायटी आर०के०पुरम नई दिल्ली	Kangra Una Urban Co-operative Society, R. K. Puram, New Delhi	119
1530. संघ राज्य क्षेत्रों की अलाभप्रद जोत से लगान की समाप्ति	Abolition of Land Revenue on Uneconomic Holdings in Union Territories	119—120

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1531. उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में शुष्क तथा रेतीली भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना	Scheme for Convesion of Dry and Desert Land in Uttar aradesh, Bihar and Rajasthan into Fertile Land	120–121
1532. खाद्यान्नों का बफर स्टाक	Buffer Stock of Foodgrains	121
1533. भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की चोरी तथा बरबादी की जांच	Enquiry into Theft and Destruction of Foodgrains of Food Corporation of India	121
1534. पेट्रियट तथा लिन्क के प्रेस कर्मचारियों की मांगें	Demands of Press Workers Employed in Patriot and Link	121–122
1535. चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिल्ली के लिये नये टेलीफोन कनेक्शन लगाने का लक्ष्य	Target of New Telephone Connections for Delhi under Fourth Plan	122–123
1537. पश्चिम बंगाल में भूमि की नई सीमा बन्दी पर योजना आयोग से परामर्श	Consultations with Planning Commission for a New Ceiling on Land in West Bengal	123–124
1538. बम्बई तथा कलकत्ता में राशन व्यवस्था समाप्त करना	Withdrawal of Rationing in Bombay and Calcutta	124
1539. खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Oilcakes	124–125
1540. उत्तर प्रदेश के किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई किये जाने में अनियमितता	Irregularity in Supply of Tractors by Agro-Industries Corporation U. P. to Farmers of Uttar Pradesh	125
1541. चरखी दादरी (हरियाणा) में टेलीफोन एक्सचेंज बनाना	Building of Telephone Exchange at Charahi Dadri (Haryana)	125–126
1542. वाणिज्यिक प्रसारणों हेतु आकाशवाणी केन्द्रों का चुनाव	Selection of AIR Stations for Commercial Broadcasts	126
1543. सितम्बर, 1970 में दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद तथा बंगलौर के मध्य ट्रंक लाइनों में खराबी	Disruption of Trunk Lines between Delhi, Bombay, Hyderabad and Bangalore in September, 1970	126–127

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1544. राज्यों द्वारा अपने स्थानीय निर्माताओं से पम्पों की खरीद	Purchase of Pumps by States from their Local Manufacturers	127
1545. पोस्ट कार्डों की हवाई जहाजों द्वारा ले जाना स्थगित करने के परिणाम-स्वरूप जनता को असुविधा	Public Inconvenience due to Suspension of AIR Lifting of Post Cards	127—128
1546. आकाशवाणी का 10 अक्तूबर, 1970 को 7-15 म०पू० पर प्रसारित हुआ समाचार बुलेटिन	A. I. R.'s 7.15 A. M. News Bulletin of 10th October, 1970	128
1547. चीनी के निर्यात के लिये नई मंडियों की खोज	Search for New Markets for Export of Sugar	128
1548. बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल में पटसन की खड़ी फसल को नुकसान	Loss to Standing Jute Crop in West Bengal due to Floods	129
1549. खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली में समानान्तर कर्मचारी संघ	Parallel Staff Unions in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	129
1550. कृषि में सिंचाई सुविधाओं के उपयोग में अन्तर के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस द्वारा प्रकाश डाला जाना	Gaps in Agriculture in use of Irrigation Facilities Highlighten by National Food Congress	129—130
1551. केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान) की फसलों को नील के परिणामस्वरूप हानि	Loss to Crops of Central Mechanised Farm, Suratgarh (Rajasthan) due to Neels (Rozes)	130
1552. राज्यों द्वारा रोजगार में स्थानीय लोगों को वरीयता दिया जाना	Preference to Local People for Employment by States	130—131
1553. चौथी योजना के दौरान दिल्ली और राजस्थान के शहरों के बीच सीधी टेलीफोन लाइन	Direct Telephone Line between Delhi and Cities of Rajasthan during Fourth Plan	131

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1554. मध्य प्रदेश के पूर्व नीमाड जिले के बरहामपुर के तहसील इच्छापुर ग्राम में टेलीफोन लगाना	Installation of Telephone Connections in Ichapur, Burhampur East Nimad (M. P.)	131
1555. इटारसी मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी देने में विलम्ब	Delay in Sanction of Telephone Connections in Itarsi, Madhya Pradesh	131 – 132
1556. मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of Sugar Mills in Madhya Pradesh	132
1557. पूर्वी नीमाड़ (म०प्र०) के जिले में पंचायत केन्द्रों में टेलीफोन की सुविधायें	Telephone Facilities to Panchayats Centres in District of East Nimad District	132
1558. तमिलनाडु में धान के लिये नियत मूल्य में कमी	Fall in Pady Price Fixed for Tamilnadu	1 3
1559. बम्बई की सूती कपड़ा मिलों में हड़तालें	Strikes in Cotton Textile Mills in Bombay	133
1560. अधिक मात्रा में मछली पकड़ने के लिये कार्यवाही	Steps to Increase Fish Catch	133—135
1561. बेरोजगार शिक्षित महिलायें	Educated Unemployed Women	135 – 37
1562. हैदराबाद तथा विजयवाड़ा के आकाशवाणी केन्द्रों का रेंज	Ranges of Hyderabad and Vijaywada Air Stations	138
1563. आकाशवाणी केन्द्र, कडप्पा	All India Radio Station. Cuddapah	138
1564. राजकोट स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रगति	Progress of AIR Rajkot	139
1565. इस्पात कर्मचारियों के वेतन	Wages of Steel Workers	139
1566. चीनी के संबंध में द्वितीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Second Wage Board on Sugar	139—140
1567. मदुरै के लिये प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Station for Madurai	140
1568. चीनी का निर्यात मूल्य	Export Price of Sugar	140—141
1569. हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये कानून	Legislation to Improve Living Standard of Handloom Weavers	141

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1570. आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के युववाणी कार्यक्रम के समान कार्यक्रम	Programme for AIR Nagpur on Pattern of Yuv Vani of AIR Delhi	141
1572. गन्ने के मूल्य नियत करते समय संसद् सदस्यों के साथ परामर्श	Consulation with Members of Parliament while Fixing Sugarcane Price	142
1573. उत्तरी बिहार की टेलीफोन प्रणाली में दोष	Defects in Telephone system in North Bihar	142
1574. मालिकों द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का जमा न करना	Non Deposit of Employees Provident Fund dues by Employees	142—144
1575. मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा अनधिकृत टेलीफोन लगाना और टेलीफोन की राशि का भुगतान न करना	Unauthorised Installation of Telephones and Non Payment of Telephone dues by Ministers and Officers	14
1576. अपना टेलीफोन लगवाओ योजना और किराये के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिये नागपुर में पड़े लम्बित आवेदन पत्र	Applications pending for Telephone Connections at Nagpur under 'Own Your Telephone Scheme on Rental Basis	144—145
1577. मैसूर राज्य के रायचुर जिले में कोप्पल में टेलीफोन के लिये लम्बित आवेदन पत्र	Applications pending for Telephone Connections at Koppal District Raichur, Mysore, State	45
1578. एक्सपो 70 ओसाका में गए बाघ दिलीप के वजन में वृद्धि	Gain in Weight by Tiger Dilip at EXPO 70, Osaka	146
1579. फार्म परियोजनाओं के लिये जम्मू कश्मीर तथा अन्य राज्यों को अनुदान	Grant to Jammu and Kashmir and other States for Farm Projects	146
1580. मैसूर में कृषि योजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank Assistance for Agricultural Schemes in Mysore	146—147

अता० प्र० संख्या। U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1581. आर०एस० 09 ट्रैक्टर बनाने के लिये मैसर्स इण्डिया एग्रो मशीन्स, हैदराबाद को दिया गया लाइसेंस रद्द करना	Cancellation of Licence of M/s Indian Agro Machines for Manufacture of R.S. 09 Tractors in Hyderabad	147
1582. चीनी का स्टाक तथा चीनी उद्योग को दी जाने वाली ऋण सुविधायें	Sugar Stock and Credit Facilities to Sugar Industry	147—148
1583. भारतीय खान प्रबन्धकों के संघ (इण्डियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन) द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Indian Mine Managers' Association	148—150
1584. औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में सुझाव	Suggestion Regarding Industrial Relations	150—151
1585. मध्य प्रदेश में सीधी डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialing System in Madhya Pradesh	151
1586. भारतीय पत्रकारिता में विदेशी धन की भूमिका	Foreign Money in Indian Journalism	151
1587. वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिये सूखी खेती की योजना	Scheme for Dry Farming in Rain fed Areas	152
1588. सोयाबीन के मूल्य निश्चित करने के आधार	Basis for Fixing Soyabeans Price	152—153
1589. मेरठ टेलीफोन एक्सचेंज के पास लम्बित पड़े टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections Pending with Meerut Telephone Exchange	153
1590. उर्वरक की खपत और जमा स्टाक का निपटान	Consumption of Fertilizer and Steps to Dispose of Accumulated Stock	153—154
1591. 1970-71 में ट्रैक्टरों का आयात और उनका निर्माण	Import of Tractors during 1970-71 and their Manufacture	154—156
1592. कपास, तिलहन और गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम	High Yielding Varieties Programme for Cotton Oilseeds and Sugarcane	156—157

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1593. प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समितियों को कार्यवाहियों का वितरण	Distribution of proceeding of Consultative Committee Attached to different Ministries by PIB	157—158
1594. प्रेस परिषद् में पत्रकारों का प्रतिनिधित्व	Representation of Journalists in Press Council	158—159
1595. बिहार में मधुबनी दरभंगा में डाकखानों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Madhubani Darbhanga, Bihar	159—160
1596. कोयला खान उद्योग के लिये उपदान योजना	Gratuity Scheme for Coal Mining Industry	160
1597. संसद् सदस्यों को सुधरे किस्म के बीजों की सप्लाई	Supply of Seeds of Improved Variety to Members of Parliament	160—161
1598. महाराष्ट्र में कोलाबा जिले में चोकगांव में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलना	Opening of a New Telephone Exchange at Chowkgaon, Kolaba, Maharashtra	161
1599. छोटे किसानों को भूमि के विकास के लिये सहायता देने सम्बन्धी योजना	Scheme to Help small Farmers for Development of Land	161 - 162
1600. नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers for Cooperation held at New Delhi	162—163
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re, Question of Privilege	163
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	163
हिन्द महासागर में विदेशी अड्डे	Foreign Bases in the Indian Ocean	163
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	163—164
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	164—170
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	170—171
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	171
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion	171—172
हाल ही में उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट को निपटाने में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के व्यवहार के बारे प्रस्ताव	Motion Re. Conduct of Governor of U. P. in Recent Constitutional Crisis	172—207

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	174—176
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	177—178
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	178—180
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	180—181
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	181—183
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R. K. Sinha	183—184
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	184—186
श्री सन्त बख्श सिंह	Shri Sant Bux Singh	186—187
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	187—189
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	189—190
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	190—191
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	191—192
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtagi	192—194
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	194—195
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	195—198
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	199—200
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	200
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	200—207
पूर्वी पाकिस्तान में आये तूफान में पीड़ित लोगों को सरकार की सहायता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Government Contribution for Relief of East Pakistan Cyclone Victims	208

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 19 नवम्बर, 1970/ 28 कार्तिक, 1892 (शक)
Thursday, November 19, 1970/Kartika 28, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वन्य जीवन के शिक्षण, संरक्षण और परिरक्षण में चिड़ियाघरों का योगदान

211. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य जीवन के शिक्षण, संरक्षण और परिरक्षण में चिड़ियाघरों के योगदान के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार का अध्ययन किसी अन्य देश में किया गया है ; और यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है तथा उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार चिड़ियाघरों और प्राणी उद्यानों के महत्वपूर्ण शिक्षण मनोरंजन-विषयक तथा अन्य बातों को भली भांति समझती है किन्तु ऐसी बातों का कोई औपचारिक अध्ययन अथवा मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री क० प्र० सिंह देव : बढ़ती हुई जनसंख्या औद्योगिकरण तथा महामारियों के कारण, कई दुर्लभ वन्य पशु पृथ्वी से समाप्त होते जा रहे हैं, और बहुत सारे समाप्त हो गये हैं। इसी

पृष्ट भूमि में पिछले वर्ष यहीं दिल्ली में प्रकृति तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। सम्मेलन-पूर्व अध्ययन के रूप में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में एक सप्ताह तक चिड़ियाघरों के कार्य पर चर्चा की गई। जिसमें भारतीय विशेषज्ञों ने भी भाग लिया था। किन्तु खेद है कि यद्यपि सरकार ने अनुभव किया...

अध्यक्ष महोदय। भाषण कोई नहीं, कृप्यः अपना प्रश्न पूछें।

श्री क० प्र० सिंह देव : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ।

यद्यपि सरकार ने शैक्षणिक तथा अन्य पहलुओं के लिए चिड़ियाघरों के महत्व को अनुभव किया है और यद्यपि आ०सी०यु० का अधिवेशन यहां हुआ था, फिर भी सरकार ने चिड़ियाघरों तथा इनके लिए प्रजनन केन्द्रों संबंधी कोई भी योजना अभी तक नहीं बनाई है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कहना ठीक नहीं कि सरकार इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा रही। लेकिन यह सच है कि बढ़ती हुई आबादी तथा घटते जंगलों के कारण कुछ दुर्लभ जानवर तथा परिन्दे कम होते जा रहे हैं। यह यहीं की नहीं बल्कि सारे विश्व की बात है। हमारे देश में कई अच्छे अच्छे पशु आश्रय स्थल हैं। हम कई पशु जातियों के संरक्षण का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये कुछ सुझावों पर हमेशा विचार किया जा सकता है।

श्री क० प्र० सिंह देव : भारतीय वन्य पशु बोर्ड की राष्ट्रीय आश्रय स्थलों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने अगस्त के महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मंत्री महोदय ने भी पिछले साल भारतीय वन्य पशु बोर्ड की बैठक में भाग लिया होगा। विशेषज्ञ समिति ने धन की कमी संबंधी कठिनाई का वर्णन किया है और चाहा है कि चिड़ियाघरों के योगदान पर क्यों नहीं विचार किया जाता। दूसरी बात यह है कि भारत में चिड़ियाघरों का आयोजन इस प्रकार किया गया है कि इनके बीच न तो कोई तालमेल है और न ही कोई पत्र व्यवहार होता है। उदाहरण के लिए मद्रास का चिड़ियाघर रेलवे स्टेशन के नजदीक है जिसके फलस्वरूप धूयें के कारण पशुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि इन बातों, तथा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार भारत में चिड़ियाघरों के विकास हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था कर रही है या नहीं क्योंकि चौथी योजना में...

अध्यक्ष महोदय : कृप्यः इसे प्रश्न के रूप में रखें। लम्बा भाषण न दें।

श्री क० प्र० सिंह देव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। चौथी योजना में इसका कोई भी उल्लेख नहीं। सरकार कहती है कि इसका उसे पूरा ध्यान है। अतः मैं इस बात पर मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के साथ आप लम्बा भाषण न दें।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : वन्य पशु सम्बन्धी बोर्ड की स्थापना मेरे ही मंत्रालय ने की थी और हम उसकी सिफारिशों को बड़ा महत्व देते हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं जो

भारतीय वन्य जंतु बोर्ड के सदस्य हैं। हम यथासंभव साधन उपलब्ध करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। रेलवे लाइन के नजदीक मद्रास के तथा अन्य चिड़ियाघरों का कारण ऐतिहासिक है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि चिड़ियाघर किसी एक प्रबंध के अधीन नहीं। ये राज्य सरकारों के प्रबन्ध के अधीन हैं और कुछ उनके शिक्षा विभागों के अधीन भी है। हम इनके बीच तालमेल लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रंगा : क्या सरकार को कलकत्ता चिड़ियाघर की कुछ समय से बिगड़ती स्थिति की जानकारी है ? जो भी वहां देखने जाते हैं, उन्हें चिड़ियाघर रुचिकर नहीं लगता।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : कलकत्ता चिड़ियाघर की कुछ कठिनाईयां हैं। लेकिन माननीय सदस्य को समझना चाहिये कि यह भारत सरकार के सीधे प्रबंध में नहीं। हम इस ओर पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान दिलायेंगे।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या मैं जान सकता हूँ कि पर्यटन दृष्टिकोण से देश के चिड़ियाघरों के विकास तथा वन्य जंतुओं के संरक्षण के विभाग को पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने संबंधी सुझाव विचाराधीन है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जी नहीं।

श्री स० कुण्डू : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय योजना के आधार पर क्या मंत्रालय ने हर छोटे तथा बड़े शहर में बच्चों के मनोरंजन के लिये चिड़ियाघर खोलने का कार्यक्रम बनाया है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह काफी मंहगा सुझाव है। बच्चों के मनोरंजन के लिए यह काफी अच्छा होगा यदि हम इन्हें कुछ थोड़े से स्थानों में खोलें। लेकिन यह काफी मंहगा पड़ेगा। राज्य सरकारों को इसमें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the zoo at Delhi is under the Central Government and it is perhaps covering the largest area and is perhaps the biggest in Asia. I would like to know from the Hon'ble Minister whether there is any scheme to make it more attractive by making playing arrangements etc. etc. for the children ? What amount of money is being given by the Central Government to this zoo for effecting improvements.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हम दिल्ली के चिड़ियाघर को विकसित करने के लिए यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं और माननीय सदस्य जानकर संतुष्ट होंगे कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया है कि यह विश्व का एक उत्तम चिड़ियाघर है। मैं नहीं समझता कि धन की कमी के कारण इसका विकास रुकेगा। हम आवश्यक साधन प्रदान करते...

श्री कंवर लाल गुप्त : ये आजकल क्या कर रहे हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जमीन एकत्र करने तथा सुधारने, आश्रय स्थल बनाने, पर्यटकों तथा बच्चों के लिये सुविधायें प्रदान करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं, चिड़ियाघर के विकास हेतु वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनायें हैं।

श्री पीलु मोडी : मेरे विचार में कुछ देर पहले चिड़ियाघर के जानवरों के प्रजनन संबंधी प्रश्न पूछा गया था और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि इसे बारे कुछ किया जा रहा है। हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि इन जंतुओं के प्रजनन की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चीते तथा काले हिरण भारत में बिल्कुल समाप्त हो गये हैं लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका में आज हैं। अतः मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या कार्य-वाही की गई है और क्या मंत्री महोदय देश के विभिन्न चिड़ियाघरों के लिए अपेक्षित धन देने को तैयार हैं।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक कम संख्या में पाये जाने वाले जानवरों का सम्बन्ध है, यदि उनके जोड़े हों तो हम उनके बच्चे पैदा करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक धन का संबंध है, उसकी व्यवस्था तो राज्य सरकार को ही करनी पड़ेगी। जहां तक दिल्ली के चिड़ियाघर का संबंध है, इसके विकास के लिए हम अपेक्षित धन जुटा रहे हैं।

श्री पीलु मोडी : दिल्ली ने यह शिकायत की है कि जब पहले ही इस कार्य के लिए धनराशि का आवंटन किया जा चुका है, फिर भी भला वित्त मंत्रालय इसकी मंजूरी क्यों नहीं दे रहा।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस प्रकार की शिकायतें तो हमें भी प्राप्त हुई हैं।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir I got the opportunity to visit Gir forest. There I saw elephants of the size of Shri Piloo Mody...I also saw rare species of lions and tigers and of other wild life which is now on the verge of extinction. I would like to know from the hon. Minister whether Government has under consideration a National Park Scheme to save the wild life from extinction.

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध केवल चिड़ियाघरों से है न कि नेशनल पार्कों से।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir, the zoos of Delhi and Madras are nothing in comparison to that forest that forest has the rare species of wild life. I want to know from the hon. Minister whether Government is drawing any scheme of converting Gir forest into a zoo or national park to protect its wild life.

श्री अन्नासाहेब शिंदे : कम संख्या में पाई जाने वाली नस्लों की चिड़ियाघरों में तथा आखेट निषिद्ध क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए योजनायें बनाई गई हैं और हम गीर के शेरों की समस्या के प्रति भी जागरूक हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब और बहुत सी नई नसलें पैदा हो रही हैं।

Shri Maharaj Singh Bharti : Mr. Speaker, Sir, in these zoos of the country, there is no breeding of the animals or any research. If these zoos are meant only for the entertainment of the urban populace, will Government consider to maintain there zoos by the municipal bodies or the Tourist Department. Not a single penny should be spent from the funds of the Agriculture Department, earmarked for the agriculturists.

श्री अन्नासाहेब शिंदे : इसके लिए धनराशि आम राजस्व में से खर्च की जाती है।

श्री पीलु मोडी : हमारे सभी चिड़ियाघरों में 19 सफेद बाघ है और उनमें से 13 तो अकेले दिल्ली के चिड़ियाघर में ही है। इस प्रकार इन सभी को एक ही जगह पर एकत्रित कर देखा ठीक नहीं है क्योंकि यदि महामारी फैलती है या कोई अन्य इसी प्रकार का रोग फैलता है। तो इसमें सम्पूर्ण नस्ल को भारी खतरा हो सकता है। अतः उन्हें अलग-अलग स्थानों पर रखने के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पंजाब और बम्बई में भेज दीजिए।

खाद्यान्नों के परिरक्षण हेतु डी० डी० टी० के उपयोग के फलस्वरूप मानव शरीर में डी० डी० टी० की मात्रा

213. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के एक भारतीय कीट-वैज्ञानिक श्री ओ० एस० बिन्द्रा के इन विचारों से अवगत है कि खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिए रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग से खाद्यान्नों के दूषित हो जाने के कारण उत्तर भारत के कुछ भागों में अन्य देशों की अपेक्षा मानव-शरीर में डी० डी० टी० की मात्रा कहीं अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो मानव शरीर में डी० डी० टी० की मात्रा का प्रतिकार करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) डाक्टर ओ० एस० बिन्द्रा ने मानव शरीर में डी० डी० टी० के स्तर के बारे में कोई विशेष बिचार सरकार को प्रस्तुत नहीं किये हैं परन्तु, मुख्यतः दिल्ली क्षेत्र में 1965 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वह कई वर्षों से पता है कि मानव शरीर की बसा में डी० डी० टी० के स्तर का पर्याप्त एकत्रण है और इन बातों को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की कीट-नाशियों से कुप्रभावों की विशेष समिति की रिपोर्ट में, जो 1967 में प्रकाशित की गई थी, शामिल किया गया है।

(ख) (1) मानव वसा में डी० डी० टी० के एकत्रण का पता लगने से पूर्व भी सरकारी वैज्ञानिकों को इस खतरे का ज्ञान था। अतः खाद्यान्नों के अनुरक्षण के लिए निरन्तर कीटनाशी रसायनों को मिश्रित करने की कभी सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही निरन्तर प्रयत्न भी किये गये ताकि एक ऐसा भण्डारण तकनीक बनाया जाये जिससे खतरनाक रसायनों का प्रयोग न

किया जाये और इन खोजों के परिणामस्वरूप पूसा विन्स और पूसा क्यूविकलस निकले हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इन भंडारण ढांचों को लोकप्रिय बनाने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने डा० एम० एस० थैकर की अध्यक्षता में कीटनाशी औषधियों के कुप्रभावों का अध्ययन करने और समुचित सिफारिश देने के लिए नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की जो 1967 में प्रकाशित की गई। समिति ने एक सिफारिश की कि देश के विभिन्न केन्द्रों में कीटनाशी अवशिष्ट अंशों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशालायें स्थापित की जायें। तदनुसार ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित की गई और वे केन्द्रीय खाद्य तकनौलोजीकल अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर, केन्द्रीय वनस्पति रक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला कलकत्ता में चल रही हैं। कीटनाशी औषधियों के अवशिष्ट अंशों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अनुसन्धान कर रही है और केवल इस कार्य के लिए एक पूर्ण प्रयोग-शाला भी स्थापित की है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी टौक्सीकौलौजी अनुसंधान एकक भी स्थापित किया गया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय भी कीटनाशी औषधियों के अवशिष्ट अंशों पर स्वमेव अनुसंधान कर रहा है। इन प्रयोगशालाओं में किये गये अनुसंधानों के परिणाम कीटनाशी औषधियों के कुप्रभाव को रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने में मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल ही में स्थापित की गई संयुक्त समिति कीटनाशियों के कुप्रभाव को रोकने के लिए अनुसंधान को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता पर भी विचार कर रही है।

(3) खाद्य पदार्थ मिलावट-निरोध अधिनियम 1954 के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सह्य सीमा निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय द्वारा खाद्य, मानकों के लिए बनाई गई केन्द्रीय समिति भी है। इन सीमाओं को लागू करने के लिए प्रस्तावित नये कीटनाशी औषधि अधिनियम में कड़े से कड़े नियन्त्रण उपाय किये जा रहे हैं। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

श्री बाबू राव पटेल : मैंने विवरण पढ़ लिया है। इसमें अनुसंधान की बात कही गई है परन्तु कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अमरीका, जहां से कि आरम्भ में डी० डी० टी० आई थी, वहां अनुसंधान के बाद अब यह मालूम हुआ है कि यह एक घातक संचयी विष होता है और वहां 28 राज्यों में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसके साथ-साथ फसलों पर डी० डी० टी० की हवाई फुहार करना बिलकुल समाप्त कर दी गई और अब फसलों पर फुहार नहीं की जाती। दूसरी ओर हमारे देश में फसलों पर डी० डी० टी० की हवाई फुहार करने का एक बहुत बड़ा कार्य आरम्भ किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य कीटों आदि का नाश करना है या बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए मनुष्यों का नाश करना है ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : कीटनाशकों का अंधाधुन्ध प्रयोग करने के प्रति माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, हम उसकी सराहना करते हैं। सरकार ने पहले इस मामले पर काबू पा लिया है। कुछ समय पूर्व, इसी मामले पर एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भी विचार किया गया था।

माननीय सभा ने कीटनाशकों से सम्बद्ध एक कानून पास किया था और हमने इसी कार्य की देख-रेख के लिए एक-विशेष-कार्य अधिकारी नियुक्त कर दिया है। मैसूर खाद्य तथा तकनीकी अनुसंधान संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय की भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद आदि विभिन्न संगठनों में अनुसंधान कार्य हो रहा है। हम इस समस्या के प्रति पूर्णतया जागरूक है और जहां तक सम्भव हो सके, हमारा उद्देश्य कीटनाशकों का अंधाधुन्ध प्रयोग करना नहीं है जिसके फल-स्वरूप मनुष्य जीवन को किसी प्रकार का खतरा हो।

श्री बाबूराव पटेल : मेरे पास मक्खियों आदि कीटाणुओं को मारने के लिए प्रयोग किये जाने स्वाम्य उत्पादन "पिलट" का एक डब्बा है 'पिलट" के ऐसे डिब्बे प्रतिदिन लाखों घरों में प्रयोग के लिए लाये जाते हैं। इस डिब्बे पर दो एक दूसरे को काटने वाली हड्डियों के साथ एक खोपड़ी की छाप कट, मृत्यु चिन्ह का संकेत बनाया गया है और इसके ऊपर लिखा है "खतरनाक" इसे बच्चों से दूर रखिये। इसे त्वचा को मत लगाइये। यह खतरनाक विष है। इसमें डी०डी०टी० है। जिस देश में केवल एक प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं, वहां यह चेतावनी अंग्रेजी में छपी हुई है। मेरा यह अनुरोध है कि अगर इस डिब्बे कों बांटना ही है तो इसके ऊपर यह चेतावनी कम से कम 14 भाषाओं में लिखी जानी चाहिए ताकि लोगों को यह मालूम हो जाये कि इस डिब्बे में केवल मौत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या सरकार ऐसा करेगी।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हम फसलों पर फहार के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। अतः हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं। क्योंकि हमने फसलों की सुरक्षा के लिए कभी "पिलट" का प्रयोग नहीं किया अतः यह प्रश्न आपको स्वास्थ्य मन्त्रालय से करना चाहिये।

श्री बाबूराव पटेल : माननीय जीवन की रक्षा के बारे में आपने क्या कहा है ?

श्री पीलु मोडी : उससे इस सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Balraj Madhok : The Hon'ble Minister has given the names of the places where research is going on, in his statement. May I know the reasons for this duplicate research when detailed researches in this behalf have already been done in U. S. A. and other countries which have proved that this thing is dangerous. Why don't you benefit from that research ? Everything discarded abroad is taken up here. D. D. T. industry is being closed there but the same is being run here. Are Government taking steps to stop licensing new factories and to diversify the production of existing factories in view of its deleterious effects ? Are Government also taking steps to popularise the insecticides developed by Research Laboratory Jammu which have no minerals and which have less harmone effect so that this country is saved from possible catastrophe ?

श्री रंगा : आप कोई अच्छी चीज क्यों नहीं बनाते ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : पौधों के संरक्षण के लिए हम डी०डी०टी० का उपयोग करने की सलाह नहीं देते। यह प्रश्न सचमुच अनाज के परिक्षण से सम्बन्धित है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारी अन्वेषण संस्थाएं, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों के सम्पर्क में हैं, हम खोजों का उपयोग जन हित में अन्य जगहों पर भी कर रहे हैं। डी०डी०टी० कारखानों के बंद किये जाने सम्बन्धी प्रश्न को स्वास्थ्य मन्त्रालय को भेजा जावे।

श्री कमलनयन बजाज : क्या आप इसे उन्हें नहीं बता सकते ?

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, it has been stated in the Report that DDT is adversely affecting the human body. DDT is entering human body through the grains of the DDT sprayed plants. I want to know whether the Government will ban the spraying of DDT on plants and provide alternative pesticides so that its ill effects could be checked ?

Mr. Speaker : The question does not arise.

Shri Sarjoo Pandey : It is stated herein. This is the only question.....

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Speaker, research in America has proved that the grains, which are sprayed with DDT, effect the bodies of the persons consuming them.

अध्यक्ष महोदय : यह दूषित अनाज के बारे है, पौधों के नहीं प्रश्न प्रसांगिक होना चाहिए ।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : यह प्रश्न सचमुच अनाज के परिरक्षण तथा डी०डी०टी खरीखी कीटनाशक बिमारियों से सम्बन्धित है । मैं स्पष्ट राय से कहना चाहता हूं कि हमारा विभाग अनाज के परिरक्षण के लिये डी०डी०टी० के उपयोग की सलाह नहीं देता ।

डा० सुशीला नैयर : इस बात को दुनिया में सभी जानते हैं कि यदि डी०डी०टी० का उपयोग जरूरत से ज्यादा किया जाये तो इसका मानव शरीर पर उलटा प्रभाव पड़ता है । इन परिस्थितियों में अन्य देशों ने पौधे के संरक्षण हेतु डी०डी०टी० का उपयोग छोड़ दिया है । यह महत्वपूर्ण बात है और मन्त्री महोदय इसे मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय को नहीं भेज सकते । अच्छा होता यदि इस मामले को स्वास्थ्य मन्त्रालय, खाद्य मंत्रालय के साथ उठाता लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो खाद्य मंत्री का डी०डी०टी० के अनाज पर पड़ने वाले उलटे प्रभावों की ओर ध्यान दिलाने का कर्त्तव्य इस संसद का है । अर्ध पोषित लोगों को इन विषाक्त प्रभावों से बचाने का यही उचित अवसर है । सरकार जो कुछ भी करने का विचार कर रही है वह हमारे लिये रुचि का विषय है लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी योजनायें है और ये कब तक लागू होंगी, जिसके द्वारा पौधों के लिए डी०डी०टी० का उपयोग बन्द किया जावेगा ।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : माननीय सदस्य द्वारा उठायी गई मुख्य मुख्य बातों का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं । जैसा कि मैंने पहले कहा हम पौधों के लिए डी०डी०टी० के उपयोग की सलाह नहीं देते और इस बारे में अनेक अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं। माननीय सदस्य को निष्कर्ष की ओर नहीं दौड़ना चाहिये...। मेरे विचार में वे भी कभी स्वास्थ्य...की इन्चार्ज थी लेकिन डी०डी०टी० के उपयोग पर अब झगड़ा किया जा रहा है ।

डा० सुशीला नैयर : यह निष्कर्ष की ओर जाना नहीं है ।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : जैसे कि मैंने पहले कहा हम इस बारे में सावधान होने का प्रयत्न कर रहे हैं और सदन द्वारा पारित कीटनाशक अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री प० गोपालन : चिकित्सा विशेषज्ञों की इस सलाह पर कि कीटनाशक औषधियां कैंसर मारियों का मुख्य कारण है, कई देशों ने डी०डी०टी० के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया कुछ दिन पहले प्रेस में यह समाचार छपा था कि भारत सरकार इस बात पर विचार कर कि डी०डी०टी० के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाये या नहीं। डी०डी०टी० द्वारा अन्य वृद्धि की दिशा में दिये गए योग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस पर तथ्य न लगाने का निर्णय किया क्योंकि उनके विचारों में भूख से मरने वालों की संख्या कैंसर मरने वालों की अपेक्षा अधिक है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि डी०डी०टी० पर निबंध न लगाने का क्या यही कारण था ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : मैं इसके बारे में पहले ही कह चुका हूं। अब इस मामले को फिर उंगा और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से फिर इस पर विचार करूंगा।

टेलीफोन काटने की अपर्याप्त पूर्व सूचना के संबंध में संसद सदस्यों द्वारा शिकायत

*214. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री प्र० के० देव** :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई संसद् सदस्यों ने हाल ही में उनके मंत्रालय से शिकायत की है कि टेलीफोन के बिलों का भुगतान न किये जाने पर टेलीफोन काटने के पूर्व देश भर में कहीं भी टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा ग्राहकों को पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। फिर भी सलाहकार समिति की हाल की बैठक में कुछ संसद सदस्यों ने अचानक कनेक्शन काटे जाने के कारण अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया था और उनसे कहा गया था कि यदि कोई खास मामले हों तो लिखें। अभी तक उनसे इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : I understand Hindi and the Hon'ble Minister also speaks Hindi. He should give reply in Hindi. If I committed a mistake and put the question in English, the Minister is not supposed to commit the same mistake.

Mr. Speaker : Both the arrangements are there. You just fire up an mike in ears d you will hear Hindi also. It is also coming in Hindi...(*Interruptions*).

Shri Sher Singh : I replied in English because the question was also in English. I m also giving the reply in Hindi :

(a) Yes, Sir. However, at a recent meeting of the consultative committee. Some

Members of Parliament spoke of difficulties experienced due to sudden disconnecting, and they were asked to quote specific cases, if any. Nothing has been heard from them so far.

(b) Does not arise.

Shri Yashpal Singh : Instead of disconnection, they should be fixed. The loss should be recovered from them. What is the use of blocking the work and progress of the State ?

Shri Sher Singh : Mr. Speaker, bills worth crores are already pending for recovery. In case they don't pay on 15 days notice and on one week's more notice, then the arrears amounting to crores of rupees for previous years will only increase if the connections are not cut.

Shri Yashpal Singh : We have been repeatedly for asking to deduct the amount of pending bills in respect of water, electricity and telephones, if any, from our salary bills but that has not been done. They have not done so despite our saying so in writing. But on our return after 20 days we found the water, electricity and telephone connections cut. Why do the Government not frame some rules in this regard ? Therecoveries should be made by way of deductions from the salary. Government should frame rules to this effect.

Shri Sher Singh : We are considering a proposal of making recoveries from the banks in case of subscribers having bank accounts give directions to this effect. We are considering it.

श्री अंबाजागन : मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि 5.6 करोड़ के टेलीफोन बिल केवल संसद सदस्यों द्वारा ही देय है और क्या मन्त्री महोदय ने उचित कदम उठाये हैं...(व्यवधान) प्रश्न संसद सदस्यों से सम्बन्ध रखता है ।

अध्यक्ष महोदय : 5 करोड़ रुपये के बिल संसद सदस्यों के नहीं औरों द्वारा देय है । इन्होंने कहा है कि संसद सदस्यों के कनेक्शन नहीं काटे गये । उनके पास कोई एरियर नहीं ।

श्री अंबाजागन : फिर भी मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या विभाग इन बिलों को वसूल करने के लिए कोई कदम उठाता है और क्या इस एरियर की राशि को कुछ समय के बाद बट्टे-खाते में डाला जाता है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या टेलीफोन विभाग एरियर को वसूल करने के लिए उचित कदम उठाता है क्योंकि ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए हमें विभाग का विकास करना है ।

श्री शेर सिंह : हम हर एरियर को वसूल करने के लिए यथासम्भव कदम उठा रहे हैं । हम उन्हें पत्र लिखते हैं स्मरण पत्र लिखते हैं और फिर आवश्यक हो तो, उनके टेलीफोन को काटते हैं । हम वसूली के लिये अदालत तक भी पहुँचते हैं ।

Shri Madhu Limaye : Has it came to the notice of the Hon'ble Minister that the arrears in respect of telephone bills of influencial persons and the persons in the seat of power run in thousands of rupees and yet their connections are not cut ? I have received a case and that was sent to you. A bill only of **Rs.** 3.50 P. was to be paid and the telephone connection of the subcriber belonging to South was cut. Will the Hon'ble Minister give an assurance to the house that this type of attitude will not prevail and that struct

action against the persons in power and influencial persons against whom thousands of rupees are due.

The Minister of Information and Broadcasting and Communication (Shri Satya Narain Sinha) : I want to inform the hon. Member that I have received his letter and am conducting necessary enquiries into it. We have increased the present limit of Rs. 5/- to Rs. 25/- which means that telephone connection will not be cut in case the bills upto Rs. 25/- is not paid within the prescribed period.

This limit was never Rs. 3.50 P, it was Rs. 5/- which has now been increased to Rs. 25/-.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the hon. Minister is not giving reply to my question. When there was arrear of Rs. 3.50P only, why was his telephone disconnected ?

Shri Satya Narain Sinha : The reasons of disconnection in that particular case will be known later on and this limit has been fixed at Rs. 25/- instead of at Rs. 5/-. The limit of Rs. 25/- is high enough and we cannot change it.

Shri Madhu Limaye : I had not asked for maximum and minimum limit. My question was quite different and it related to the non-disconnection of telephones of the persons in power and influencial persons against whom telephone of rupees are due as arrears.

Shri Satya Narain Sinha : Telephone connections of all defaulters including Government Departments were dis-connected. Their was no discrimination. The old rules have proved very effective in recovering the arrears.

Shri Gulam Mohammad Bakshi : The Hon'ble Minister stated that it will not happen in future. Not to speak of others, my own telephone was disconnected due to an arrear of Rs. three only and which has not yet be re-connected. I have no grievances against it. Telephone disconnections is justified when the payments are not made but the Hon'ble Minister has stated that telephone bills worth 5 crores are in arrears. Recoveries of the bills should be made through effective measures.

Other bills received from the Department are also incorrect. When we approach them for reconciliation, they stick to their old bills. In many cases although payments have been made and receipts shown, yet the same are not adjusted with the result that bills become influted. I, therefore, urge that some way out should be found to bring the arrears to a vanishing point.

Shri Sher Singh : Whenever we receive such complaints about the bills we make immediate enquiries. We compare the relevant bills with the previous bills in order to see whether any excess payment has been made. We also test the equipment and give rebate in case of defect in the equipment. We do it in all such cases. I will certainly see to any specific case if the Hon'ble Member bring the same to any notice.

Shri Gulam Mohammad Bakshi : Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Minister has not answerd my question. Perhaps he has not understood my question correctly. I said that I received telephone bills for 61-62-63 and 64 each nfter a month for which I have been writing to the Department to adjust the same. What has the Hon'ble Minister done in case of pre 1961 bills which had been paid and the receipt whereof have been mis-placed ?

Shri Sher Singh : We are also checking the bills pertaining to the pre 1964 period and the same will rectified very shortly after necessary checking. No such bills will came hereafter. As already stated we want to decide the same very shortly and probably within two or three months.

श्री प्र० के० देव : इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान टेलीफोनों की निरन्तर टेपिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत परेशान करने वाली बात है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इससे किसको लाभ पहुँचता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न टेलीफोन के बिलों के बारे में है।

श्री प्र० के० देव : यह टेलीफोन के बारे है। यदि टेलीफोन को टेप किया जाये तो आप सुन नहीं सकते और वार्तालाप नहीं कर सकते। तो फिर बिल देने का लाभ क्या है ? अतः इस टेपिंग को समाप्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी इस दुनिया में किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ा जा सकता है।

श्री प्र० के० देव : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर क्या दिया जा सकता है ? ये टेलीफोन के एरियर के बारे उत्तर दे रहे हैं।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि साधारणतः बिलों का हिसाब किताब गलत किया जाता है और यदि इस गलती को उनकी सूचना में भी लाया जावे तो भी वे ठीक नहीं करते ? क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि पैसा जमा करने के लिए भी उचित सुविधायें नहीं हैं और लोगों को कई घण्टे लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। खड़े रहते रहते दफ्तर बन्द हो जाता है और फिर दूसरी बार जाना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या वे विभाग को अधिक काउंटर खोलने सम्बन्धी निर्देश देंगे ?

श्री शेर सिंह : शिकायतें आने पर बिल ठीक किये जाते हैं कुछ मामलों में रिबेट भी हो जाती है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष मामला है तो वे मेरी सूचना में ला सकते हैं जिसकी मैं जांच करवाऊंगा। अधिक काउंटर खोलने के सुझाव पर विचार किया जायेगा।

Shri Shiv Kumar Shastri : The arrear of telephone bills is not due only from the individuals but from the State Government also. After all what are the difficulties in making the recoveries from the State Governments and what are the reasons for such arrears ?

Shri Sher Singh : It is correct that huge arrear is due from State Governments. It is also due from many Central Government Offices. We are repeatedly asking and writing to them to make the payments. We have also been disconnecting the telephones for non-payment of the bills and hope to do so in some cases.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, through you I want to know from the Hon'ble Minister whether the persons, whose telephones were disconnected for non-payment of the bills have not so far paid the outstanding bills ? Has the Hon'ble Minister received such complaints ? What steps are being taken to recover outstanding bills ?

Is it a fact that people have to face great difficulties in getting the telephone lines and in have the trunk calls booked and no steps have been taken to remove these difficulties ?

Shri Sher Singh : I have already stated that we adopt all possible measures to recover the old arrears before we cut the connections. In addition we also sue them in the court of law.

Shri Ram Charan : May I know from the Hon'ble Minister whether the arrear of Rs. Five crores is due mostly from Government Departments. Are the amounting attributable to arrears defective accounting procedures. Bills upto Rs. 5/- can be deposited in cash but the amount exceeding Rs. 50/- is adjusted in the books which are transferred to the Telephone Department by the concerned Department but these enteries are not actually transferred because the procedure of A. G. Accounts office is not proper. Will the Hon'ble Minister State the amount for which complaints regarding duplicate bills have been received ?

Shri Sher Singh : It requires notice. We are trying to remove the present difficulties.

Shri Ram Charan : I was also in the Accounts Section. The duplicate bills received these could not be adjusted for 2, 3 years.

Shri Bhola Nath Master : I am also among those from whom Rs. 285/- out of the salary of Rs. 500/- was deducted and was deducated for the period from four to nine months. It was not done when 3690 calls were permitted and now it is being done when 5400 calls are permitted. We must receive the bills every month so that we could be alert in the next month. Sending the bills for four-six monthly together is not good. I had received trunk call bill for Hyderabad and the same was refunded on complaint. Here also deducted amount of Rs, 285/- should be refunded.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न लोक महत्व का है न कि मास्टर भोला नाथ के बिलों का। कृपया अपनी शिकायत मंत्री महोदय को भेजें। उन्हें यहां उत्तर देने की जरूरत नहीं।

Shri Ramavatar Shastri : Telephones are mostly disconnected because bills are not sent in time. Their telephones are disconnected by the telephone authorities. May I know whether you are arranging to send the bills to the subcribers in time. Do not cut the connection till you are satisfied that bill has been sent to the subcsriber. It generally so heppens. I am a Member of Patna Telephone Advisory Committee. Many such cases have figures in that committee. May I know as to what guarantee you give for delivering bills ? Their telephones should not be disconnected untill after the receipt of the bills by the subscribers. Generally telephones are disconnected even when the bills have not delivered.

An Hon'ble Member : Then should he sent by registered post.

Shri Sher Singh : We have proceeded that each subscriber should know the date of the receipt of bill and also the date of its payment. We have written in the directories that the bills from particular number to the particular number are being delivered up to this date of the month. We have given this notice in advance. Even so payment is to be made within 15 days on receipt of the bill. We also ring them up on the expiry of fifteen days. Thereafter also we give one weeks chance. It is not, therefore, generally so. But due to some other reasons the bills are not received. There is enough time even if that is so. 22 days time is there. A subscriber who has not received the bill can come and enquire because everybody knows the date of the payment of a particular bill.

Growing Tendency to Nudity in Advertisements

*215. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the increasing tendency of taking recourse to nudity and sex-appeal in the advertisements ; and

(b) if so, the action Government propose to take to check this tendency with a view to saving the youths from its bad effects ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार विज्ञापनों में सैक्स अपील का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के उपयुक्त उपाय ढूंढने की दृष्टि से प्रश्न के सभी पहलुओं पर सम्बन्धित हितों के परामर्श से विचार कर रही है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The extent of obscenity which has come in the newspapers can be seen in two photographs of a Bombay Weekly, which are with me. There are in 'Blitz' wherein photographs of naked man and women were published. Advertisement of 'Rim Jhim' drink is also unlist which reads as under :—

"पुरुषों को लड़कों से पृथक करो लेकिन लड़कियों से नहीं"

It means that Rimjhim is a drink which separates man from the boys but not from the girls. They are sitting in the same pose. There is also photograph concerning 'Dhariwal' wherein a woman and a man are sitting with blanket on. Heading of the advertisement is :—

"गर्मी से घनिष्टता बढ़ती है"

Both are sitting in warmth at one place and intimacy has developed. Both these advertisements are from 'Hindustan Times' New Delhi. You will also see an interesting letter published in the 'illustrated weekly', which is as under :—

"कुछ समय से आप पुरुषों के लाभ के लिए नंगी औरतों के चित्र प्रकाशित करते आ रहे हैं । लेकिन हम औरतों के बारे क्या ? हमारी उपेक्षा क्यों की जा रही है ? हमारी क्या 'इच्छाएं' नहीं ? आप हर सप्ताह नंगे पुरुषों के चित्र प्रकाशित क्यों नहीं करते ? लम्बे हृष्टपुष्ट अच्छे शरीर के पुरुष, चौड़ी छाती वाले, हृष्टपुष्ट तथा पुरुषोचित..."

It has been mentioned in that letter that why the photographs of girls are published for the benefit of boys, this letter is signed by three girls. What is banned on the screen has been allowed in the newspapers. May I know the immediate measures you are taking so that our society could be saved from these evils ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): कुछ समय से सरकार का ध्यान इस ओर गया है । यह राज्यों का विषय भी है । हमने मुख्य मंत्रियों को इस ओर ध्यान देने के लिए भी लिखा है । साथ-साथ हमने अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक परिषद को भी कहा है और उन्होंने भी अपने सदस्यों तथा विज्ञापन एजेन्सियों को लिखा है । आपको भी स्मरण होगा कि ऐसे विज्ञापनों के लिए अदालत में केस दर्ज किये गये हैं । हम विज्ञापन देने वालों का ध्यान भी इधर दिला रहे हैं...

श्री रंगा : दिल्ली के अंग्रेजी अखबार भी ऐसे चित्रों को प्रकाशित कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री इ० कु० गुजराल : भारतीय दंड संहिता में काफी शक्तियां हैं जिनके अधीन राज्य सरकारें कार्यवाही कर सकती हैं । इसी कारण हमने इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : As far as I think the subject of newspaper advertisement is the main concern of the Government of India. Whenever, Ministers want to avoid any thing they entrust it to the State Governments. But who is responsible for the newspapers being published from Delhi ? The Hon'ble Minister incharge of the Department Shri Satya Narayan Sinha inaugurated the 7th Asian Advertisers conference, Yesterday. I thank him for condemning all these things and saying that he is worried about it. But how can we know the worries of the Government ? They are never tired of saying that attention is being given to it. But wherefrom will that attention come ? Will they perfrom some yogic exercise to attract the attention ? How can we know that the attention of the Government is rivetted on this matter ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस मामले के दो पहलु हैं जिन पर मेरे विचार में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये । मुख्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि भारत सरकार का रवैया इस ओर बिलकुल साफ है और इस स्थिति से हम सचमुच चिंतित हैं । अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक परिषद के द्वारा हमने समाचार पत्रों के मालिकों तथा विज्ञापन एजेन्सियों का ध्यान भी इस ओर दिलाया है । साथ-साथ हमने स्वस्थ विज्ञापनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन भी किया है । हम विज्ञापक परिषद को पुनः स्थापित करने पर भी विचार कर रहे हैं ताकि उनके द्वारा कोई कार्यवाही की जा सके । फिल्मों तथा टेलीविजन के प्रति कार्यवाही करने की शक्तियाँ भारत सरकार के पास हैं । आप वहाँ कोई ऐसी बात नहीं पायेंगे जिससे आप चिंतित हो जावें । समाचार पत्र पृथक श्रेणी में आते हैं । दुर्भाग्यवश यह प्रवृत्ति समाचार पत्रों में अधिक आ गयी हैं । इसी कारण इस दिशा में हर प्रकार की कार्यवाही चाहे उल्टी हो या सीधी की जा रही है ।

Shri Kamalnayan Bajaj : I have no objection to the action being taken against obscene, dirty, distasteful and sexy advertisements. Certainly that should be taken. No advertisements should be given to the papers publishing such advertisements at least by the Government of India. Will you take this step ? Will you carry on struggling with law and continue to give money for advertisements ?

एक माननीय सदस्य : इन्हें कुछ विज्ञापन दीजिये ।

श्री इ० कु० गुजराल : हम उन समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं देते जो अश्लिलता का प्रचलन करते हैं । लेकिन किसी जिम्मेवार समाचार पत्र में कभी ऐसा विज्ञापन आ भी जावे तो हम उस सीमा तक सीधी कार्यवाही नहीं कर सकते । हम उन्हें कहते हैं, हम उन्हें चेतावनी देते हैं.....

श्री कमलनयन बजाज : क्या आप उन्हें चेतावनी नहीं दे सके ?

श्री इ० कु० गुजराल : अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक परिषद के द्वारा वह चेतावनी जारी की जा चुकी है, जैसा कि मैंने अभी कहा भी है । प्रेस के जिम्मेदार वर्ग में यदि ऐसे विज्ञापन छपें तो हम उनका ध्यान इस ओर दिलाते हैं । मुझे आशा है कि सदन मुझ से यह नहीं चाहेगा कि जमे हुए अखबारों, जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योग दे रहे हैं, के बारे मैं सीधी कार्यवाही करके उनकी गर्दन पर ही चढ़ जाएं । सबसे पहले तो मुझे इस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहिए और मुझे तसल्ली है कि जिम्मेवार अखबारों की प्रवृति इस प्रकार के विज्ञापनों से दूर है।

श्री **कमलनयन बजाज** : क्या जिम्मेवार अखबारों के विरुद्ध आपने कोई कार्यवाही की है ? उनके लिए विज्ञापन बन्द करने के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ?

श्री इ० कु० गुजराल : यदि कोई जिम्मेवार अखबार अश्लीलता का प्रचलन करे तो उसे सरकार की ओर से कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा ।

श्री लोबो प्रभु : अतः हमें सावधान होना चाहिये । हमें यह समझना चाहिए कि लोगों के लिए हानिकारक क्या है और ऐसा निर्णय करने के लिए क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या वे...

श्री मधु लिमये : क्या आप नैतिकताओं के निरीक्षण चाहते हैं ।

श्री लोबो प्रभु : कृपया ध्यान से सुनें । मैं दूसरे तरीके से आपकी ही बात पर आ रहा हूं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम जानते हैं कि आप पियुरिटन नहीं है ।

श्री लोबो प्रभु : मैं समझता हूँ कि यह निर्णय उनको करना चाहिये जो इस योग्य हों । इस निर्णय को सरकार नहीं कर सकती । फिल्मों की तरह बोर्ड आफ सेंसर ही ऐसा कर सकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के बोर्ड बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य की चिन्ता की मैं सराहना करता हूँ । यह एक कठिन निर्णय है क्योंकि 'अश्लीलता' तथा 'भद्देपन' की परिभाषा में उस सीमा तक अंतर पड़ जाता है । इसीलिए कोई निर्णय करते हुए हम काफी सावधान रहते हैं ।

दूसरे बात हम यह भी देखते हैं कि अपराध स्वभावगत होना चाहिये न कि आकस्मिक तथा गलती द्वारा और फिर हम सीधी कार्यवाही कर लेते हैं । सबसे पहले हम उनकी गलती को उनके ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं ।

हम न केवल अखबारों से बात कर रहे हैं बल्कि विज्ञापन एजेन्सियों से भी कर रहे हैं । जैसे कि मैंने कहा है हम स्वस्थ विज्ञापनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का आयोजन कर रहे हैं ।

अतः मैं समझता हूं कि अभी वह स्थिति नहीं आयी जिसकी हमें इतनी चिन्ता करनी चाहिए । यह स्थिति हमारे ध्यान में है और हम इस पर उचित कार्यवाही कर रहे हैं ।

Shri Janeshwar Misra : The question was whether the Government is serious to save the youth from the disastrous effect of such obscene and nude pictures. As far as I think such type of pictures are seen mostly by the people over 50 . Here also those who participated in this debate were mostly members above fifty in age. Will the Government take some steps to save not-only youth but also elders from such bad effects ?

श्री इ० कु० गुजराल : आपको मालूम होगा कि अभी हाल में डेनमार्क में एक सर्वेक्षण छपा था जिसमें पेरनोग्रेफी को वैध करार दिया गया और सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह भी था कि पेरनोग्रोफिकल सामग्री अधिकांश प्रौढ़ तथा पक्की उम्र के लोगों ने खरीदी थी...(व्यवधान)

Shri Ramji Ram : Even photographs of Devi, Devtas and God are being published in an objectivable manner these days. Do Government propose to ban them ? According to

the Indian tradition many men have begun having menses of the Goverment proposing to ban it also ?

Shri I. K. Gujral : The Government is not thinking in terms of any ban.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : एक कमेटी में मुझे श्री लोबो प्रभु के साथ यात्रा करने का अवसर मिला और मैंने श्री लोबो प्रभु को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखा। इस पुस्तक में 35 चित्र थे जो काफी दिलचस्प थे। मन्त्री महोदय ने एक सर्वेक्षण की बात की मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि एक कंबल यदि सारे शरीर को ढ़क ले तो क्या उसे नग्नता कहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ऐसी परिभाषा बना ली है जिसके द्वारा यह जाना जा सके कि शरीर का कौन सा भाग, यदि बिना ढका हो, नग्न कहा जावेगा।

अध्यक्ष महोदय : अनिवार्य भाग।

श्री इ० कु० गुजराल : प्रश्न दो भागों में बांटा गया है। जहां तक मेरे माननीय मित्र द्वारा श्री लोबो प्रभु के हाथ में पुस्तक देखने का सम्बन्ध है तो श्री लोबो प्रभु पर धारा 291(1) के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

श्री कमलनयन बजाज : आपने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री इ० कु० गुजराल : क्योंकि इन्होंने उसे केवल पढ़ा ही है और वे इसके बारे में चुप रहे। दूसरा प्रश्न नग्नता से शुरू होने तथा समाप्त होने का है। मैं इसका कोई निर्णायक नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri : Sometimes ago Acharya Vinoba Bhave launched a movement against sex appeal pictures of the screen which are displaced in the form of advertisements on the cross roads. They are an offence on the modesty of our mathers and sisters that is why Acharya Vinoba Bhave had to launch this movement. Government should ban such advertisements as a token of respect to Acharyaji.

श्री इ० कु० गुजराल : आपको याद होगा कि खोसला कमेटी की सिफारिशों में भी इस पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। चूंकि यह राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए खोसला कमेटी रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाते हुए हमने उन्हें लिख दिया है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं कि एशियन विज्ञापन कांग्रेस के सातवे अधिवेशन में भाषण देते हुए मन्त्री महोदय ने विज्ञापनों में नग्नता की निन्दा की है क्योंकि इससे कामोत्तेजना को प्रश्रय मिलता है। नंगा शरीर, चाहे औरत का हो या मर्द का, एक घृणास्पद वस्तु है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने क्या नग्नता के उस पहलु पर विचार किया है जिससे कामोत्तेजना बढ़ती है। यदि ऐसा है तो सरकार इस बारे क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक नग्न शरीर के घृणास्पद होने का सम्बन्ध है, श्री हेम बरुआ इस निष्कर्ष पर काफी देर से पहुँचे हैं। जहां तक मन्त्री महोदय के भाषण का सम्बन्ध है, मेरे पास समाचार पत्र में प्रकाशित मन्त्री महोदय के भाषण की प्रति है जो इस प्रकार है :

> "हम भारतवासी अनुभव करते हैं कि विज्ञापन के सामाजिक लक्ष्य के लिए ऐसी तकनीक का लागू किया जाना जरूरी नहीं जो समाज के नैतिक मूल्यों से मेल न खाये"

श्री फ० गो० सेन : अमरीका के महिला संघ के नेता ने अपने विचार इस तरह रखे हैं :

"विज्ञापनों में महिला की तस्वीर अपराध पूर्ण, अपमानजनक तथा अपयशजनक होती है ।"

महिला मुक्ति आन्दोलन अमरीका की नेता बैटी चर्चिल ने ऐसा कहा है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इससे सहमत है, यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हुआ । आपका परामर्श भी मिल गया । श्री ओम प्रकाश त्यागी ।

Shri Om Prakash Tyagi : Government has framed rules that the films with obscene scenes may be passed for adults only. This work is done by the Censor Board. But the very abscene, scenes of the films are advertised by the film companies in the newspapers and cross roads. These advertisements are seen by all including minors. Will the Government ban such advertisements in future so that minors may not see these advertisements ?

श्री इ० कु० गुजराल : हमारी सूचना में कोई ऐसी बात नहीं आयी कि फिल्मों के विज्ञापन अश्लील होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

श्री स० कुण्डू : कभी-कभी आप इसे दो मिनट बढ़ाने की कृपा भी करते हैं । मैं एक बहुत जरूरी प्रश्न पूछना चाहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न में इनकी जो रुचि है, उसे जानता हूं । लेकिन प्रश्न काल समाप्त हो चुका है ।

श्री स० कुण्डू : आप इसे दो मिनट बढ़ा सकते हैं । कभी-कभी आप बढ़ाने की कृपा कर लेते हैं । अतः मैं आपसे आज्ञा देने की प्रार्थना करता हूँ ताकि मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकें ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : मैं अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा । हम देख रहे हैं कि यौन सम्बन्धी प्रश्न हर दिन पूछे जा रहे हैं । क्या आप इन्हें सप्ताह में एक दिन के लिए नहीं निश्चित कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : इस सप्ताह में बार-बार पूछे जा रहे हैं । मैं यह सोच रहा हूँ कि क्या हमें माननीय सदस्य के लिए कोई विशेष समय निश्चित करना चाहिए ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : मेरे लिए नहीं । हमारे पास प्रति दिन ऐसी सेक्स अपीलें नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक माननीय सदस्य से एक दिलचस्प पत्र प्राप्त किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यौन सम्बन्धी सभी पुस्तकों को हमारे पुस्तकालय में अच्छी तरह से प्रदर्शित करना चाहिये तथा सबको आसानी से मिलनी चाहिए । लेकिन ये एक बहुत वृद्ध सदस्य हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

डाक तथा तार विभाग में श्रेणी दो के अधिकारियों के लिए प्रबन्ध तथा प्रशासन पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना

*212. **श्री मयावन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग अपने श्रेणी दो के अधिकारियों के लिए प्रबन्ध तथा प्रशासन पाठ्यक्रम आरम्भ करने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नाविकों द्वारा हड़ताल

*216. **श्री स० कुन्दू : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नाविकों ने अक्तूबर, 1970 में हड़ताल की थी ; यदि हां, तो इसका क्या कारण था तथा यह हड़ताल कितने दिन तक रही ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समुद्री सम्मेलन के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत श्री ओ० सी० मैंडेस किसी नाविक-संघ का प्रतिनिधित्व नहीं करते ;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधि को मनोनीत करते समय भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ से परामर्श किया गया था ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के उक्त समुद्री सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में श्री ओ० सी मेन्डेस को मनोनीत किये जाने के बारे में भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ का क्या विचार है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि श्री ओ० सी० मैन्डेस के मनोनीत के विरोध में पोत-स्वामियों का प्रतिनिधि मंडल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के उक्त सम्मेलन से पहले तो अनुपस्थित रहा और बाद में उसने उक्त सम्मेलन में भाग न लेने का निर्णय किया ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां। नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्स आफ इण्डिया, बम्बई नेशनल यूनियन आफ सीमैन आफ इण्डिया, कलकत्ता तथा जहाजी मजदूर यूनियन, बम्बई ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 55वें समुद्री अधिवेशन के लिए भारत द्वारा भेजे गये श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल के गठन के विरोध में जहाजों का वहिष्कार कर दिया।

हड़ताल की अवधि बम्बई में 6 अक्तूबर से 15 अक्तूबर, 1970 तथा कलकत्ता में 12 अक्तूबर, से 15 अक्तूबर तक रही :

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विधान के अनुसार, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों/सलाहकारों का चयन देश के श्रमिकों का अधिकतम प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन की सलाह से किया जाना अपेक्षित है । नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्स आफ इण्डिया, बम्बई, जो कि भारत के श्रमिकों को अधिकतम प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन इंटक से सम्बद्ध है, के० सचिव, श्री ओ० सी० मैन्डेस को इंटक की सिफारिश पर प्रतिनिधि नियुक्त किया गया । नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्स आफ इण्डिया, बम्बई, जो एक स्वतन्त्र संगठन है और किसी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन से सम्बद्ध नहीं है तथा हिन्द मजदूर सभा की सिफारिश पर एक-एक प्रतिनिधि प्रतिनिधि मंडल में सलाहकार रूप में नियुक्त किया गया । तथापि, यह गठन नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्स आफ इन्डिया, बम्बई, (स्वतंत्र) को स्वीकार्य नहीं था तथा उसके प्रतिनिधि श्री लियो वोर्नेर्स ने विरोध स्वरूप सम्मेलन में भाग नहीं लिया ।

(ङ) पोत-स्वामियों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन तथा समितियों की बैठक में भाग लिया, यद्यपि उनमें से कुछ ने अन्त में पूर्ण अधिवेशन में भाग नहीं लिया ।

साम्प्रदायिक दंगों के समय आकाशवाणी की भूमिका

*217. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री दण्डपाणि :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1970 में राज्यों के मुख्य सचिवों ने इस बात पर चर्चा की थी कि देश में साम्प्रदायिक दंगों के समय आकाशवाणी को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं । किन्तु "तनाव तथा दंगों के दौरान रेडियो तथा फिल्मों की निष्पक्षता तथा उन की जिम्मेदारी" पर भारतीय जनसम्पर्क संस्थान द्वारा 9 नवम्बर, 1970 को एक गोल मेज चर्चा आयोजित की गई थी । इसमें भाग लेने वालों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रचार विभागों के प्रतिनिधि और कुछ राज्य सरकारों के सचिव भी शामिल थे । राज्य सरकारों से भाग लेने वालों की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) गोल मेज की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

विवरण

राज्य सरकारें :

गुजरात : 1. श्री एम०डी० राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

2. श्री के०एस० पातरी, इन्सपैक्टर जनरल आफ पुलिस ।

3. श्री एम०एन० शाह, सूचना निदेशक ।

जम्मू तथा काश्मीर : 4. श्री सुरेन्द्र नाथ, इन्सपैक्टर जनरल आफ पुलिस ।

5. श्री पी०एन० बधवा, सूचना निदेशक ।

मध्य प्रदेश : 6. श्री आर०एन० नायूज, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ।

महाराष्ट्र : 7. श्री डी०आर० सामन्त, निदेशक जन सम्पर्क ।

8. श्री एम०एम० वागले, निदेशक, देहाती कार्यक्रम ।

उड़ीसा : 9. श्री बी० बी० रथ, गृह सचिव ।

पश्चिम बंगाल : 10. श्री डी०जी० भट्टाचार्य, अतिरिक्त इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस।

वर्ष 1970-71 में खाद्यान्न का आयात

*218. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों के साथ अब तक हुए करारों के अंतर्गत वर्ष 1970-71 में कितना अनाज आयात किया जायेगा ; और विशेषत: उन करारों के अन्तर्गत कितना चावल आयात किया जाएगा ;

(ख) इसमें से कितनी मात्रा में खाद्यान्न पी० एल० 480 अथवा रुपया भुगतान पद्धति के अंतर्गत आयात किया जायेगा ; और

(ग) इन आयातों का सुरक्षित भंडार बनाने के लिये कहां तक उपयोग किया गया है अथवा किया जायेगा ; विभिन्न खाद्यान्नों का कितनी मात्रा का सुरक्षित भंडार बनाने का विचार है और इसमें अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). 1970-71 के दौरान निम्नलिखित मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करने का अनुमान है । प्रत्येक मामले में सम्बन्धित करार/प्रबन्ध का संकेत किया गया है :

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

	देश का नाम	आयात/प्रबन्ध का स्वरूप		
गेहूं	संयुक्त राज्य अमरीका	पी० एल० 480		23.7 ?
		वाणिज्यिक		1.0
	कनाडा	अं०अन०प्र० सहायता		6.6
		वाणिज्यिक		0.5
	आस्ट्रेलिया	वाणिज्यिक		1.0 ? ?
		अं०अन०प्र० सहायता		0.6
	अर्जन्टीना	अं०अन०प्र० के अधीन यू० के० द्वारा सहायता		0.8
				34.2
चावल				
	बर्मा		1.3	
	संयुक्त अरब गणराज्य		0.9	
	थाईलैंड		1.0	
				3.2
		सकल जोड़		37.4

? थोडे ही समय में नये पी०एल० 480 करार पर हस्ताक्षर होने की शर्त पर ।

?? 1969-70 में आस्ट्रेलिया से 50,000 मीटरी टन वाणिज्यिक आधार पर खरीदा गया गेहूं वास्तव में 1970-71 में प्राप्त हुआ था । आशा है 1970-71 में 50,000 मीटरी टन और गेहूं खरीदा जायेगा । (अं०अन०प्र० "अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्ध के लिये है")

(ग) ये आयात मौजूदा खपत तथा वफर स्टाक तैयार करने के लिये हैं ।

उद्देश्य तो 50 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का वफर स्टाक तैयार करने का है जिसमें 10 से 15 लाख मीटरी टन चावल भी हो सकता है । फिलहाल फिर स्टाक (कार्यचालन स्टाक से अलग) 30 लाख मीटरी टन हैं ।

तमिलनाडु में कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

*219. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने राज्य में कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त सहायता के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 71.42 करोड़ रुपये ।

(ग) जी हां ।

Inquiries against Persons for Withholding Nationalisation of Sugar Industries in U. P.

*220. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether according to the news item published in the daily 'AJ' dated the 21st September, 1970, the Central Government have already ordered an enquiry by the Central Intelligence Bureau for finding out the persons involved in withholding nationalisation of Sugar Mills in Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether Government have received an interim or final report of the Inquiry; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने हेतु चीनी मिलों को ऋण सुविधायें और मिलों में जमा चीनी का स्टाक

*221. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ की केन्द्रीय समिति ने बैंक से पर्याप्त ऋण सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को कठिनाई से बचाने के लिए चीनी मिलें उन्हें नियमित रूप से गन्ने के मूल्य का भुगतान कर सकें ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) चीनी मिलों द्वारा गत वर्ष का कितना स्टाक चालू वर्ष में लाया गया ;

(ग) आगामी मई मास में मिलों के पास चीनी का कितना स्टाक होने का अनुमान है और उसकी कीमत कितनी होगी ;

(घ) चालू पिराई वर्ष में मिलों द्वारा कितनी धनराशि का ऋण लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या उक्त ऋणों के लिये सरकार को प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए हैं ; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। दी इण्डियन शुगर मिल्स एसोसियेशन ने वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिऐ अनुरोध किया है।

(ख) 1969-70 मौसम के अन्त में पहली अक्तूबर, 1970 को चीनी का पिछला बचा स्टाक 20.83 लाख मीटरी टन था।

(ग) आगामी मई में कारखानों के पास चीनी का स्टाक उत्पादन, खपत तथा चीनी के निर्यात पर निर्भर करेगा। फिलहाल, कोई पक्के अनुमान बताना कठिन है।

(घ) यह अनुमान है कि 1970-71 के दौरान चीनी उद्योग की ऋण की अधिकतम आवश्यकता 300 करोड़ रुपये की होगी।

(ङ) इस संबंध में कारखानों को अपने बैंकरों के पास जाना होगा।

बम्बई फिल्म उद्योग में आर्थिक संकट

*222. **श्री अजमल खां** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई फिल्म उद्योग को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग ने आर्थिक सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ; तथा उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि बम्बई फिल्म उद्योग को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) तथा (ग). फिल्म प्रोड्यूसर्ज गिल्ड आफ इण्डिया, बम्बई और इन्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्ज एसोसिएशन, बम्बई ने जुलाई, 1970 में वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में, और बातों के साथ-साथ, फिल्मों के निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन के लिए बैंक ऋण और नए सिनेमाघर बनाने के लिए सुविधाएं देने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया था।

सरकार ने हाल ही में एक अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिए तथा उनके वितरण और और प्रदर्शन के प्रबन्ध के लिए फिल्म वित्त निगम को 50 लाख रुपए का ऋण देने का निर्णय किया है। फिल्मों को उत्पादन कर से कुछ राहत भी दी गई थी।

समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना

*223. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को सहायता देने के लिए एक स्वायत्त समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों को ऋण देने के लिए समाचारपत्र वित्त निगम स्थापित करने के लिए संसद के चालू अधिवेशन में उसके द्वार विचार तथा पास किए जाने के लिए समाचार-पत्र वित्त निगम विधेयक, 1970 रखने का प्रस्ताव है।

श्रमिकों के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशें

*224. **श्री रविराय** :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें क्या हैं तथा उन्हें किस प्रकार लागू किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

1. **वे सिफारिशें जो मार्गदर्शन के लिए नोट कर ली गई या जिन पर किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।**

1 से 11, 12(क), 12(ख), 22(क), 41, 88, 90 से 92, 94 से 100, 109, 124(क), (ख) और (ग), 133, 148 से 150, 157, 163 से 165, 167, 168, 197, 239, 246, 269, 271, 280, 298, 300।

2. राज्य सरकारों/प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए कार्यवाही करने हेतु सराही गई सिफारिशें।

12(ग), 21, 22(ग), 25, 26, 39, 42, 55, 93, 103, 124(ग), 125, 127, 151, 207, 208, 213 214 से 238, 248, 255, 256, 267, 268, 269, 270, 271, 272क, 273, 275 से 279, 281 और 290।

3. राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्, स्वचालन समिति, सरकारी उद्यमों के ब्यूरो, आदि जैसे अन्य निकायों के लिए कार्यवाही करने हेतु सराही गई सिफारिशें।

25, 26, 42, 110, 112 से 117, 141, *201 से 203, 205, 206, 21 से 218।

4. नियोजकों और श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों कार्यवाही करने हेतु सराही गई सिफारिशें।

22(ग), 23, 24, 25, 26, 93, 128, 131, 134, 143 से 147, 151।

5. ऐसी सिफारिशें जिनपर श्रम और रोजगार विभाग में कार्यवाही की जा रही हैं।

13, 16, 18, 22(ख), 23, 24, 29, 31(ख), 33, 42, 52, 89, 124(ग), 126, 127, 239, 267, 270, 271क, 272(ख), 274, *276, 277, 280, 281 से 283, *285, *286, *287, 288 से 291, *293, 294 से 296, 297, 299।

खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

*225. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष में फसल की कटाई के दौरान, उसके तुरन्त बाद और उसके चार महीने बाद अनाज के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई और उसके क्या कारण थे ;

(ख) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इस मूल्य वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है और यह प्रभाव किस रूप में पड़ा है ; और

(ग) किसानों को दिये जाने वाले मूल्य और बाद के महीनों में उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले मूल्य में उचित संतुलन बनाए रखने के लिए पिछले चार महीनों से क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4316/70]। मूल्यों में घट-बढ़ मौसमी प्रकार की रही है। फसलों की अगेती/पछेती कटाई/क्रय-विक्रय पर निर्भर करते हुए प्रत्येक मौसम में मूल्यों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न रही है। लगातार दो वर्ष सूखा पड़ने, जबकि मूल्य बहुत अधिक चढ़ गए थे, के बाद नवम्बर-दिसम्बर और मार्च अप्रैल अर्थात 1967-68 में कम आमद की अवधि में खरीफ के मोटे अनाजों के मूल्यों में गिरावट उस वर्ष इन फसलों की रिकार्ड पैदावार होने के कारण आयी थी।

*संशोधनों सहित स्वीकृत।

(ख) मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव बैंक ऋण के विस्तार सहित कुछेक तत्वों से पड़ता है। मूल्यों में घट-बढ़ कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के स्तर में परिवर्तन, बैंक ऋण और परिचलन में धन की सप्लाई के फैलाव जैसे कई तत्वों के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम है। बैंक ऋण में फैलाव के प्रभाव को अन्य तत्वों से जोकि अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ कार्य करते हैं, पृथक नहीं किया जा सकता।

(ग) उत्पादक को दिए जाने वाले और उपभोक्ता से लिए जाने वाले मूल्य में संतुलन उत्पादक से अधिप्राप्ति मूल्यों पर अनाज खरीद कर और उपभोक्ताओं का सरकारी निर्गम मूल्य पर सप्लाई कर स्थापित किया जाता है।

तिलहनों का अधिक उत्पादन

*226. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री मुहम्मद शरीफ।

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से कम होता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप देश में खाद्य तेलों की अत्यधिक कमी हो गई है;

(ख) क्या अमेरिका, कनाडा और रूस से खाद्य तेलों का भारी मात्रा में आयात करने पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपया व्यय करना पड़ता है ; और

(ग) क्या यह कमी ही मिलावट आदि की प्रवृत्ति का मूल कारण है और देश में खाद्य तेलों का अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) गत कुछ वर्षों से तिलहनों के उत्पादन में अस्थिरता देखने में आई है। इस कारण से तथा मांग में वृद्धि होने से देश में खाद्य तेलों का अभाव रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सघन कृषि उपाय, पैकेज पद्धतियों के प्रदर्शन, मूंगफली की दोहरी फसल तथा सोयाबीन की खेती को शुरू किया जा रहा है।

आकाशवाणी के दिल्ली 'सी' केन्द्र से होने वाले प्रसारणों का राजस्थान में सुनाई न देना

*227. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली 'सी' केन्द्र से दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए पाठों का प्रसारण किया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली 'सी' से प्रसारित कार्यक्रम राजस्थान के कई भागों में सुनाई नहीं देता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी

प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के अन्य मीटरों से प्रसारित किए जायें और राजस्थान के सभी छात्र उन्हें स्पष्ट रूप से सुनकर लाभान्वित हो सकें ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ये कार्यक्रम दिल्ली के उन छात्रों के लिए प्रसारित किए जाते हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के सदस्य हैं । इनको निकटवर्ती राज्यों के छात्र श्रोताओं के लिए प्रसारित नहीं किया जाता ।

Solution of Rural Unemployment

*228. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the National Agricultural Commission has formulated a scheme to solve unemployment problem in the rural areas ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government have examined the said scheme ; and

(d) if so, the time by which Government propose to implement it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No Sir. However, "Pilot Projects for creation of employment potential in different types of areas" is one of the six priority areas selected by the Commission for immediate study.

(b) to (d). **Do not arise at this stage.**

आकाशवाणी के मंगलौर केन्द्र के निर्माण में प्रगति

*229. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने में, जिसे 1970-71 के लिए प्राथमिकता दी गई थी, कितनी प्रगति हुई है तथा इस केन्द्र से कब तक प्रसारण होना आरम्भ हो जायेगा ; और

(ख) क्या उस केन्द्र को आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किया गया है जिससे कम से कम एक केन्द्र तो 'सीलोन रेडियो' का, जो देश में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है, मुकाबला कर सके ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु०गुजराल) (क) स्थानों का चयन कर लिया गया है तथा उनको अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है । केन्द्र के 1974 के दौरान चालू हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) जी, हां ।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र द्वारा 'सम्वाद समीक्षा' प्रसारणों में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप

*230. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, कलकत्ता से 'सम्वाद समीक्षा' के नाम से प्रसारित होने वाले बंगाली समाचारों में, जिनमें सामान्यतः पूर्व पाकिस्तान के बारे में और भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में समाचार दिए जाते हैं, पाकिस्तानी रेडियो द्वारा आम तौर पर व्यवधान पैदा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तानी रेडियो के इस प्रकार के प्रयासों का विरोध किया है ;

(ग) क्या भारतीय रेडियो प्रसारण में ऐसा व्यवधान डालना रेडियो प्रसारण की स्वतन्त्रता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होने का एक उदाहरण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले को उचित अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। (तात्पर्य संभवतः "सम्वाद परिक्रम" नामक समीक्षात्मक कार्यक्रम से है)

(क) से (घ). सवाल नहीं उठते।

पन्तनगर में आयोजित तीसवां कृषि आर्थिक सम्मेलन तथा नकदी फसलों का उत्पादन

*231. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 में पन्तनगर में आयोजित 30वें कृषि आर्थिक सम्मेलन में सुझाव दिए गए हैं कि नकदी-सफलों का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

उग्र भाषा में कथित चीनी प्रसारण

*232. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सितम्बर, 1970 में चीन द्वारा अपने प्रसारणों और प्रेस टिप्पणियों में उग्र भाषा प्रयोग करने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जहां भी आवश्यक होता है, चीनी प्रचार का खंडन कमेन्ट्रियों, प्रेस वक्तव्यों तथा समाचार प्रसारणों के माध्यम से किया जाता है ।

खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाना

*233. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की खाद्य स्थिति में हुए पर्याप्त सुधार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो खाद्य जोनों को बनाये रखने की क्या आवश्यकता है और क्या उन्हें हटाने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्यान्नों के संचलन पर अब मुख्यत: केवल चावल और धान के बारे में ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है । अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करने के प्रयोजन से चावल तथा धान पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को जारी रखा जा रहा है । इन संचलन-प्रतिबन्धों को जारी रखने संबन्धी सरकारी नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है लेकिन फिलहाल, इन प्रतिबन्धों को हटाने की कोई तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

पी० एल०-480 के अन्तर्गत आयात करने के लिए नई बातचीत

*234. **श्री सामिनाथन** :

श्री राम किशन गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीकी पी० एल०-480 के अन्तर्गत गेहूँ तथा अन्य वस्तुओं का कम मात्रा में आयात करने का निर्णय किया है जबकि मूलत: 40 लाख टन का आयात करने का अनुमान था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने नये प्राधिकरण करारों के लिये बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या गत वर्ष के 51,000 टन के प्राधिकरण में से अभी तक सामान आना बन्द नहीं हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) यह आशा थी कि अन्तिम पी० एल० 480 करार जिस पर 13-10-1969 को हस्ताक्षर हुये थे, के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि से 1970 में लगभग 30 लाख मीटरी टन गेहूं आयात किया जायेगा । तथापि, इस धनराशि का कुछ भाग कपास के आयात पर लगाने के

कारण अब 1970 में इस करार के अधीन लगभग 25.2 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात किये जाने की आशा है ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरीका सरकार से नया पी० एल० 480 करार करने के लिए कहा गया है ।

(ग) 13-10-1969 के करार के अधीन मिलने वाली मात्रा में से लगभग 2.27 लाख मीटरी टन मात्रा का 31-10-1970 तक लदान नहीं हुआ था ।

Procedure to Recover Cooperative Loans

*235. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of cooperative loans advanced to each State during each of the last three years ; and

(b) the present procedure to recover these cooperative loans and whether Government have under consideration any scheme to streamline it and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagannath Pahadia) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* No. LT—4317/70].

बिजली मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की क्रियान्विति

*236. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली बोर्ड के प्रतिवेदन को कई राज्यों में अभी तक भी क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त प्रतिवेदन को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) मध्य प्रदेश की सरकार और उड़ीसा के राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के निर्णय लिये जाने की सूचना मिली है । तामिलनाडु में, तामिलनाडु बिजली बोर्ड और कर्मचारियों की प्रतिनिधि यूनियनों के दरमियान वेतन भत्तों में संशोधन सम्बन्धी अलग समझौते हुए हैं । हरयाणा में, इस मामले पर, प्रबन्धकों और हरयाणा राज्य बिजली बोर्ड की यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है । गुजरात में 81 प्रतिष्ठानों में 75 द्वारा सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं । शेष राज्यों (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि वह बिजली उपक्रमों के सम्बन्ध में राज्य श्रम त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और उपर्युक्त

सम्मेलन होने के बाद मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश जारी किए जायेंगे।

खाद्यान्न के निर्यात के लिए विदेशी मंडियों की खोज

*237. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्न के अधिक उत्पादन को देखते हुए खाद्यान्नों के निर्यात करने हेतु विदेशी मण्डियों की खोज की है ;

(ख) यदि हां तो किन-किन देशों में ऐसा सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप विदेशों को अन्न का निर्यात करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). क्योंकि भारत फिलहाल पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात करने की स्थिति में नहीं है इसलिए मंडियों का कोई सामान्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, बासमती चावल तथा दालों के सीमित मात्रा में निर्यात करने के बारे में मुख्य निर्यातक एजेन्सियां अर्थात् राज्य व्यापार निगम तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मंडियां खोज रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में बढ़िया चावल तथा दालों का निर्यात किया गया है।

थोक उपभोक्ता सहकारी भन्डार, दिल्ली में अनियमिताएं

*238. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार के लेखे में भारी बकाया राशियों का सामाधान कर दिया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सदस्य समितियों को वस्तुओं की सप्लाई नियमित रूप से न करने के कारण उत्पन्न भारी बकाया राशियों का सामाधान कर दिया गया है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार का हिसाब रखने के लिए बहुत से सुधार किये गये हैं, जिनका ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4318/70]**

(ख) प्राथमिक समितियों से बकाया देयों से सम्बन्धित हिसाब पूरा कर दिया गया है और धनराशियों की वसूली के लिए अनुबन्ध (2) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4318/70]**

Radio Stations in Madhya Bharat

*239. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Radio Stations at present in the Madhya Bharat region of Madhya Pradesh ;

(b) the names of the Radio Stations from which news in Hindi and English are broadcast ;

(c) whether Government propose to open a Radio Station in Ujjain District of Madhya Pradesh for broadcasting of news ; and

(d) if so, the time by which it would be opened and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Five.

(b) Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur and Raipur.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise. Ujjain District is adequately served by the Radio Station at Indore.

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए मुकदमें दायर करने हेतु अनुमति देना

*240. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के कितने कर्मचारियों को अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए सरकार के विरुद्ध मुकदमे दायर करने की अनुमति दी गई है और उनके क्या नाम हैं तथा इस प्रकार की अनुमति मांगने के उनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा क्या कारण बताये गये हैं ;

(ख) क्या उनकी शिकायतों का समाधान विभागीय तौर पर नहीं किया जा सकता था ;

(ग) कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या है और इस समय उनके मामले की स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या सरकार उनके सही मामलों पर पुनर्विचार करेगी ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके और दूसरी ओर सरकार भी अनावश्यक परेशानी और व्यय से बच सके ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए सरकार के विरुद्ध मुकदमे दायर करने हेतु सरकारी कर्मचारियों का कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती । लेकिन कर्मचारियों को पहले सरकार को मुकदमे का नोटिस देना पड़ता है ।

हाल ही में केवल एक कर्मचारी श्री एस० एल० हूरिया, उच्च श्रेणी क्लर्क ने सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) वह निम्न श्रेणी के क्लर्क के पदक्रम में अपनी वरिष्ठता में संशोधन और सहायकों के पदक्रम में पदोन्नति चाहता था। इस कर्मचारी द्वारा अदालत में दायर किया गया मुकदमा 20-10-1970 को खर्च के साथ खारिज कर दिया गया है।

(घ) कर्मचारी की मांग औचित्यपूर्ण नहीं थी और इस मामले में अन्याय जैसी कोई बात नहीं थी।

पूर्वी जर्मनी से आयात किये गये आर० एस०-09 ट्रैक्टर

1401. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी जर्मनी से अब तक कितनी संख्या में तथा कितने मूल्य के आर०एस०-09 ट्रैक्टरों का आयात किया गया है तथा प्रति ट्रैक्टर औसत मूल्य क्या है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को राज्यवार इस प्रकार के कितनी संख्या में तथा कितने मूल्य के ट्रैक्टर दिये गये ;

(ग) क्या क्रयादेश देने से पूर्व उक्त ट्रैक्टर की बुदनी जांच केन्द्र में जांच नहीं की गई थी ; यदि हां, तो क्या उक्त ट्रैक्टर के लिए सिफारिश, जांच दल की लापरवाही के कारण की गई थी, और

(घ) क्या यह सच है कि एक वर्ष पूर्व उक्त ट्रैक्टरों की पहली ही खेप के समय इस बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें मिलने लगी थीं और, यदि हां, तो फिर और आगे क्रयादेश क्यों दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). पूर्वी जर्मनी से लगभग 212 लाख रुपये के मूल्य (लागत भाड़ा सहित के 1998 आर०एस०-09 ट्रैक्टरों का आयात किया गया था। ये राज्यों को 10,600 रुपये (लागत भाड़ा सहित) प्रति ट्रैक्टर की दर से सप्लाई किये गये थे।

उपरोक्त 1998 ट्रैक्टरों का विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों को निम्न प्रकार आवंटन किया गया था :

राज्य का नाम	आवंटित ट्रैक्टर
आंध्र प्रदेश	364
गुजरात	478
पंजाब	600
राजस्थान	400
मैसूर	56
तमिलनाडु	100
जोड़	1998

(ग) बुदनी में जिस आर०एस०-09 ट्रैक्टर का परीअण किया गया था उसमें 2 सिलिंडर तथा 18.4 अश्वशक्ति का इंजन लगा था। इसके विषय में बुदनी केन्द्र ने इस बात को नोट किया कि पुडलिंग कार्य के लिए इंजन की शक्ति अपर्याप्त थी तथा विनिर्माताओं ने एक 25 अश्वशक्ति वाला "आप्शनल प्राइम-मूवर" जोकि उसी ढांचे पर लगाया जा सकेगा, प्रस्तुत किया है। बुदनी केन्द्र ने यह सिफारिश की थी कि इंजन के साथ फिट होने पर उपस्कर वाहक को पुडलिंग कार्य के लिए पर्याप्त शक्ति मिलेगी। अतः चार सिलिंडर वाले तथा उतनी अश्वशक्ति को उत्पाद करने वाले आर०एस०-09 ट्रैक्टरों को आयात की अनुमति दे दी गई थी। इंजन में परिवर्तनों के अतिरिक्त निर्माताओं ने कुछ अन्य परिवर्तनों की भी सूचना दी है। जिन्हें पुराने मॉडल में सुधार माना गया है। 1965 में बुदनी केन्द में आर० एस०-09 ट्रैक्टरों पर किये गये प्रशिक्षणों से संबंधित रिकार्डों तथा अन्य मामलों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) सर्वप्रथम दिसम्बर, 1969 में भारत सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के आयात को निलम्बित कर दिया गया था। परन्तु इसके बाद आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के कार्य के बारे में अन्य बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

आकाशवाणी से व्यापारिक विज्ञापनों का प्रसारण

1402. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से व्यापारिक विज्ञापनों का प्रसारण किस तारीख से किया जा रहा है ;

(ख) व्यापारिक विज्ञापनों के प्रसारण से अब तक कुल कितनी आय हुई है ;

(ग) उक्त अनुभाग के लिए कितना विशेष वार्षिक व्यय आवश्यक है ; और

(घ) आकाशवाणी से किन-किन केन्द्रों से व्यापारिक प्रसारित किये जा रहे हैं तथा प्रतिदिन कितनी अवधि तक प्रसारित किये जाते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक नवम्बर, 1967 से।

(ख) व्यापारिक विज्ञापन सेवा से इसके चालू होने से लेकर मार्च, 1970 तक हुई कुल आय 3,31,74,141 रुपये थी।

(ग) सात व्यापारिक विज्ञापन केन्द्रों और केन्द्रीय बिक्री एकक पर प्रतिवर्ष लगभग 27,71,000 रुपये।

(घ) बम्बई-पूना-नागपुर, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास-तिरुची, चण्डीगढ़-जालन्धर तथा बंगलौर-धारवाड़।

प्रत्येक केन्द्र में व्यापारिक विज्ञापनों की अवधि विविध भारती की प्रेषण अवधि के 10 प्रतिशत तक सीमित है। वास्तविक अवधि प्रतिदिन 75 मिनट से लेकर 84 मिनट तक भिन्न-भिन्न है।

बर्मा तथा श्रीलंका से आप्रवासी

1403. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत में बर्मा तथा श्रीलंका से आये आप्रवासियों की देश-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन आप्रवासियों ने बर्मा तथा श्रीलंका में कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति छोड़ी ;

(ग) भारत में इन आप्रवासियों को किन-किन स्थानों पर बसाया गया है तथा किस रूप में उन्हें पुनर्वास दिया गया है ;

(घ) बर्मा तथा श्रीलंका से आने वाले भारतीयों को देशवार प्रति व्यक्ति ठीक-ठीक कितने मूल्य की सम्पत्ति लाने की अनुमति दी गई थी ; और

(ङ) उक्त दोनों देशों द्वारा इन आप्रवासियों को कितना मुआवजा अदा किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) :

	1968	1969
बर्मा से भारत आए प्रत्यावासी	8567	10,139
श्रीलंका से भारत आए प्रत्यावासी	3028	5,764

(ख) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्तियों के कुल मूल्य का संक्षिप्त अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। इस प्रश्न पर अभी विचार-विमर्श हो रहा है और इसका निर्णय दोनों सरकारों द्वारा किया जाना है।

भाग (घ) के उत्तर के संबंध में श्रीलंका से भारत आए व्यक्तियों द्वारा वहां छोड़ी गई किसी सम्पत्ति का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बर्मा से लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास वैसे तो सारे देश में किया गया है परन्तु उन्हें यथासंभव उनके मूल निवास के राज्यों में बसाया गया है, उन्हें छोटे व्यापार तथा व्यवसाय के लिए ऋण देकर, खेती की भूमि एलाट करके और रोजगार देकर बसाया जा रहा है, कुछ मामलों में उन्हें उचित दर पर दुकानें भी एलाट की गई हैं तथा अन्य प्रकार के लाइसेंस आदि मंजूर किए गए हैं।

श्रीलंका से लौटे अधिकांश भारतीय बागान मजदूर और कर्मचारी हैं। थोड़े से कृषक भी हैं। उन्हें अधिकतर तमिलनाडु, केरल, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश में बागान और भूमि कालोनाइजेशन योजनाओं के अन्तर्गत बसाया जा रहा है।

(घ) और (ङ). भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत विनियम नियंत्रण विनियम की धाराओं की पूर्ति करने पर भारतीय मूल के लोग अपनी बचत राशि को अपने साथ लगा सकते हैं। करार में यह व्यवस्था है कि लाई जाने वाली परिसम्पत्तियों की रकम को 4,000 रुपये से कम नहीं किया जाएगा हालांकि वर्तमान सीमा अधिक है। भारत लौटने वाले कुछ अन्य भारतीय नागरिकों की कुछ परिसम्पत्तियां श्रीलंका में ही फंसी पड़ी हैं। हमारा हाई कमीशन इन मामलों की अलग-अलग जांच कर रहा है।

बर्मा से लौटने वाले भारतीयों को केवल अपनी तत्काल आवश्यकता की चीजों को लाने दिया जाता है। शेष परिसम्पत्तियों को सर्व कार्य व्यवस्थापन के अन्तर्गत जोकि दोनों सरकारों के विचाराधीन है, बर्मा सरकार द्वारा ले लिया जाता है।

दिल्ली के रोजगार कार्यालय में पंजाबी भाषा के अध्यापकों का पंजीकरण

1404. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में अरब की सराय रोजगार कार्यालय में कितने अध्यापकों ने अपने नाम पंजाबी भाषा के अध्यापकों के रूप में पंजीकृत करवाए ;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन से पंजाबी भाषा के अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ था ;

(ग) निदेशालय द्वारा निर्धारित अर्हताएं क्या थीं ; और

(घ) कितने अध्यापकों के नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए और उनमें से कितने अध्यापक चुने गए ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस अवधि में पंजाबी भाषा के अध्यापक के पद के लिए अपना नाम दर्ज कराने वालों के सम्बन्ध में तथा तथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी 30 सितम्बर, 1970 को इन पदों पर नियुक्ति के योग्य उम्मीदवारों की संख्या 76 थी।

(ख) जी हां।

(ग) **पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक (पंजाबी)** :

(एक) विषय में मास्टर की डिग्री तथा

(दो) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापन की डिग्री/डिप्लोमा या कालेज में 3 वर्ष और स्कूल में 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव।

प्रशिक्षित ग्रेजुएट अध्यापक (पंजाबी) :

(एक) पंजाबी या संबंधित आधुनिक भारतीय भाषा के साथ बी० ए० या इसके समकक्ष संबंधित आधुनिक भारतीय भाषा में ओरियेंटल डिग्री।

(दो) अध्यापन की डिग्री या डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5 वर्ष तक पंजाबी पढ़ाने का अनुभव।

(घ) 30 सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले पिछले दो वर्षों में नियोजन कार्यालयों ने 114 उम्मीदवारों के नाम शिक्षा निदेशालय दिल्ली को भेजे गये थे जिनमें से 35 उम्मीदवार चुने गए।

पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों द्वारा फलों का उत्पादन

1405. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस आशय का विधेयक पारित कर रही है कि केवल पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को ही फलों का उत्पादन करने और देश में तथा विदेश में फल उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु ये किसान उद्योगपति या बड़े व्यापारी नहीं होने चाहिये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए विधेयक

1406. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से आये हुए तथा देश के ही शरणार्थियों का 31 मार्च, 1972 तक पुनर्वास करने हेतु सरकार विधेयक प्रस्तुत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संचार लाइनों के खराब हो जाने से हुई हानि

1407. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर दूसरे दिन संचार लाइनों के खराब हो जाने के फलस्वरूप देश की अर्थ व्यवस्था को काफी क्षति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन उक्त लाइनों के खराब हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) लाइनों के खराब हो जाने से वर्ष 1968, 1969 तथा 1970 में अनुमानतः कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या इन खराबियों के पीछे विभाग के अधिकारियों अथवा सम्बन्धित कर्मचारियों का हाथ है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). कुछ प्रमुख मार्गों को छोड़कर जिन पर उच्च ग्रेड सहधुरीय और सूक्ष्मतरंग प्रणालियों की व्यवस्था है, देश में दूर संचार ट्रंक लाइनों की व्यवस्था अभी अधिकांशतः खुले तारों की लाइनों पर है। खुले तारों वाले सर्किट वर्षा, बाढ़ तूफान आदि जैसे प्राकृतिक संकटों के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। इनसे तांबे के तारों की चोरी वारदातें भी होती रहती हैं। इन कारणों से इनमें समय-समय पर गड़बड़ी होती रहती है और इसके परिणामस्वरूप ट्रंक दूर संचार में विलम्ब होता है। गम्भीर प्राकृतिक विपत्तियां कभी-कभी सहधुरीय/सूक्ष्मतरंग प्रणालियों पर भी असर डालती हैं। फिर भी मोटे तौर पर अनिवार्य संचार व्यवस्था यथाशीघ्र पुनः चालू कर दी जाती है और वैकल्पिक मार्गों से उसे बनाये रखा जाता है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस प्रकार कभी-कभार लाइनों के खराब हो जाने से देश की अर्थ-व्यवस्था को काफी क्षति पहुंच रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस प्रकार का कोई मामला विभाग के देखने में नहीं आया।

प्रसारण तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौढ़-शिक्षा

1408. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रसारणों तथा टेलीविजन कार्यक्रम द्वारा वयस्कों को शिक्षित करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों के पास-टेलीफोन कनेक्शनों के लिए निर्णयाधीन आवेदन पत्र

1409. **श्री शशि भूषण** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है जिन्होंने निर्धारित पंजीकरण शुल्क सहित टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पुनः आवेदन किया है ;

(ख) क्या सभी व्यक्तियों की अन्तिम सूची तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो टेलीफोन कनेक्शनों का आवंटन कब से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंजों से सम्बन्धित छूट प्राप्त श्रेणियों के व्यक्तियों तथा संस्थाओं के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) चालू वर्ष के अन्त तक सरकार का विचार कितनी संख्या में तथा किस वर्ष तक के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शनों आवंटित करने का है तथा प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). प्रतीक्षा सूची के अलग-अलग आवेदकों को नोटिस जारी करने का काम अभी बिलकुल हाल ही में पूरा किया गया है। चूंकि निर्धारित आवेदन फार्म में मांग के नवीकरण के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है, इसीलिए यह उम्मीद की जाती है कि नये फार्म में आवेदन फरवरी 1970 के मध्य तक प्राप्त हो जायेंगे। जब फरवरी 1970 में इन आवेदनों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख बीत जायेगी, तो नई प्रतीक्षा-सूचियां तैयार की जायेगी और उनके बाद ही इस सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़े सामने आ सकेंगे। फिर भी इस कारण से टेलीफोन कनेक्शनों का आवंटन रोका नहीं जाता।

(ग) दिल्ली में विभिन्न एक्सचेंजों में विशेष (छूट प्राप्त) श्रेणी के अन्तर्गत जिन तारीखों तक की मांगों का निपटान किया जा चुका है, उनका विवरण इस प्रकार है :—

एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची में जिस तारीख तक का निपटान किया गया
शाहदरा	28-12-1964
तीसहजारी	27-10-1958
दिल्ली गेट	30-4-1964
सेक्रेटरिएट	कोई लंबित नहीं है।
राजपथ	कोई लंबित नहीं है।
दिल्ली कैंट	27-6-1963
कनाट प्लेस	12-6-1667
करोल बाग	31-3-1969
जोर बाग	14-2-1964
ओखला	16-2-1966
फरीदाबाद	17-6-1969
बदरपुर	31-10-1966

बहादुरगढ़	29-5-1970
गाजियाबाद	13-6-1969
नजफगढ़	10-4-1969
बल्लभगढ़	14-10-1970
नरेला	14-4-1970
बादली	30-6-1969

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में विस्तार-कार्यक्रम के आधार पर ऐसा अनुमान है कि चार एक्सचेंजों में नीचे लिखे अनुसार टेलीफोन दे दिये जायेंगे :—

एक्सचेंज	अपना टेलीफोन योजना	सामान्य	विशेष
कनाट प्लेस	कोई लम्बित नहीं	डब्लू एल/एन डी/4743 डब्लू-एल/एन डी/6505 (28-1-1956) से (20-7-1970) तक	12-6-1967 तक
नांगलोई	कोई लम्बित नहीं	एन-जी-73 (13-9-68) एन-जी-116 से (12-1-1970) तक	कोई लंबित नहीं रहेगा।
गाजियाबाद	कोई लम्बित नहीं	डब्लू०एल/जी-बीडी/1755-ए (27-7-1965) डब्लू० एल/जी-बी डी/1785 से (28-8-1965) तक	20-8-1970 तक
शाहदरा	एस-एच/0/323 (17-12-1969) से एस-ए/0/165-ए (1-8-1970) तक	डब्लू एल/एस-एच-डी/1892-ए (12-5-1964) डब्लू०एल/एस एच 1906 से (20-5-1964) तक	डी/8-3-1965 तक

अन्य एक्सचेंजों के मामलों में टेलीफोन कनेक्शन देने में अधिक प्रगति की आशा नहीं है।

दिल्ली में विस्थापित बस्तियों के अप्रयुक्त प्लाटों का निपटान

1410. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 20 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3414 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विभिन्न विस्थापित बस्तियों कब्जा में प्लाटों पर अनधिकृत करने वालों की संख्या, उनके नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार का विचार उनका कब तक निपटान करने का है क्योंकि इससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है ;

(ग) अनधिकृत कब्जा किये हुए प्लाटों को खाली कराने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है तथा अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा ऐसी कार्यवाही कब तक की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, तथा इस कार्य में क्या रुकावटे आ रही हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित पुनर्वास कालोनियों पर अनधिकृत कब्जों की कुल संख्या लगभग 831 हैं। प्लाटों की संख्या और अनधिकृत कब्जा करने वालों नामों के सम्बन्ध में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ख) तथा (ग). अनधिकृत कब्जे को खाली करने के लिए अनधिकृत कब्जा करने वालों को नोटिस दे दिये गये हैं। औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद इन प्लाटों को नीलाम कर दिया जायेगा। इन प्लाटों की बिक्री में होने वाली देरी से सरकार को कोई हानि नहीं है क्योंकि देरी से नीलाम करने पर ऐसे प्लाटों की कीमत कई गुना अधिक मिलती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के गांवों में भूमिहीनों में भूमि का वितरण

1411. **श्री देवेन्दर सिंह गार्चा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन की भूमि वितरण योजना के अधीन अब तक लाभान्वित हुए परिवारों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) अब तक कितने बीघे जमीन का वितरण किया जा चुका है तथा उसका मूल्य कितना है ;

(ग) भूमि का वितरण करने के लिए क्या मान दण्ड अपनाये जाते हैं ;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के गांवों के भूमिहीन परिवारों का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त परिवारों को भूमि वितरित करने की कोई योजना बनाई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार दिल्ली के विभिन्न गांवों में वितरण हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 520 परिवार।

(ख) 2500 बीघे। भूमि का मूल्य लगभग 5,30,000 रुपये है।

(ग) भूमिहीन परिवारों को भूमि पर्चिया निकाल कर 5 वर्ष के लिए पट्टेदारी के आधार पर आवंटित की जाती है और भूमि प्राप्तकर्ता को आसानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया है और पता लगा है कि 307 गांवों में ऐसे 15,000 परिवार है।

(ङ) उपलब्ध पड़ती भूमि के वितरण के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा एक योजना तैयार की गई है और इसके कार्यान्वियन के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, प्रत्येक परिवार को लगभग 1 एकड़ भूमि आवांटित की जाती है। भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार 307 गांवों में लगभग 19,000 एकड़ ऐसी भूमि है।

आर्वी पूना में उपग्रह केन्द्र के बारे में प्रगति

1412. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना के निकट आर्वी के स्थान पर एक भू-उपग्रह केंद्र स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त केंद्र संभवत: कब तक अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) आर्वी का भूमि-स्थित उपग्रह संचार केंद्र पूरा होने वाला है। तकनीकी भवन में अधिकांश उपस्कर अधिष्ठापित कर दिये गए हैं। एण्टीना भवन में कुछ उप-व्यवस्थाएं अधिष्ठापित की जा रही हैं। पेराबोलिक एण्टीना, जिसका निर्माण देश में ही हुआ है, के सतह की विशुद्धता के माप का कार्य चल रहा है।

(ख) इस केन्द्र के फरवरी, 1971 में चालू होने की संभावना है। मूल भूमि-स्थिति केंद्र में चौड़ी पट्टी की क्षमता होगी और उपग्रह के जरिये चालू सरणियां, मांग बढ़ने के अनुसार, समय-समय पर बढ़ाई जायेंगी।

तटवर्ती राज्यों के मछुओं के लिए मकानों का निर्माण

1413. **श्री मंगलाथुमाइम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जैसे तटवर्ती राज्यों के मछुओं के लिए निम्न आय वर्ग (निम्नतम आय वर्ग) के मकान बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र लिखा है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) चौथी योजना में केरल सहित कई तटवर्ती राज्य सरकारों के मछुओं के लिए आवास योजना के प्रस्ताव हैं।

(ख) केरल सरकार की चौथी योजना की अवधि के दौरान मछुवों के लिए 500 मकानों के निर्माण की योजना है, जिसके लिए योजना में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

संचार-व्यवस्था, आवास, पानी की सप्लाई तथा उन डिस्पेन्सरियों (जोकि मीन उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार की मास्टर प्लान के अंतर्गत हैं) से सम्बन्धित कुछ योजनाओं के लिए केरल सरकार ने 25 करोड़ रुपये के अनुदान की अतिरिक्त मांग की है।

(ग) प्रस्तावों की जांच की गई है। केरल सरकार के चौथी योजना के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये है। मास्टर प्लान की अवधि 20 वर्ष की होती है और अनुवर्ती योजना अवधियों में योजनायें तैयार की जायेंगी तथा इनकी सम्भव सीमा तक योजनाओं के अंतर्गत व्यवस्था की जायेगी। मास्टर प्लान पर भारत सरकार के विचार तथा आवासीय कार्यक्रमों सहित मास्टर प्लान में तैयार की गई योजनायें उचित कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू करने के लिये आवश्यक समझे गये उपाय राज्य सरकार को भेजे गये हैं और यह बताया गया है कि सरकारी, गैर सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों के संसाधनों तथा इन संसाधनों का योजना के निरूपण से परस्पर संबध का अध्ययन करना आवश्यक होगा। आवास राज्य का विषय है। मीन-उद्योगों की राज्य की चौथी योजना में मछुवों के आवास के लिए विशेष रूप से की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा राज्य आवास योजना के लिए एक मुश्त सहायता दी गई है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए उचित आवंटन किया जा सकता है।

दुर्गापुर स्थित ए० बी० बी० कारखाने के विवादों का निपटारा

1414. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर स्थित एकक विकर्स वेवकाक कारखाने में 22 सितम्बर, 1970 से व्याप्त विवादों का निपटारा करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

दिल्ली मांस नियन्त्रण विधेयक, 1970 के उपबन्ध

1415. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मांस नियंत्रण विधेयक, 1970 के महत्वपूर्ण उपबन्ध क्या है ;

(ख) विधेयक को स्वीकार करने सम्बन्धी मूलभूत समस्याओं के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इन विधेयक पर राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हो गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) दिनांक 13 सितम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली महानगर परिषद ने दिल्ली मांस नियन्त्रण विधेयक, 1970 बनाने की सिफारिश की थी। इस पर अभी कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार किया जाना है। दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार विधेयक के महत्वपूर्ण उपबन्ध इन बातों के निषेध से सम्बन्धित हैं (1) किसी निषिद्ध दिवस (अर्थात् शुक्रवार, सप्ताह का ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई दिन जिसके लिए प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करता है) की मांस बेचने, सप्लाई करने या प्रयोग में लाने के लिए या मानव खपत के लिए किसी प्रकार का मांस किसी बाजार में या किसी अन्य स्थान पर बेचने या सप्लाई करने के लिए किसी पशु का बध करना (2) समस्त केटरिंग संस्थाओं में किसी निषिद्ध दिवस को मानव खपत के लिए किसी प्रकार का मांस या मांसयुक्त कोई भोजन बेचना, परोसना या सप्लाई करना (.) किसी निषिद्ध दिवस को किसी प्रकार का मांस बाहर से दिल्ली में आयात करना।

(ख) विधेयक अभी दिल्ली प्रशासन से प्राप्त होना है।

(ग) उपरोक्त (ख) को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न ही नहीं होता।

Problem of Distribution of Land to Landless

1416. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an editorial published in the "Sewagram" (weekly) of the 7th September, 1970 under the Caption "Sach Baat" regarding distribution of land to landless etc. ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government are taking measures for effective and expeditious implementation of land reforms. The Government is opposed to people taking law in their own hands.

Land Acquired by Government from Naxalite, Charu Mazumdar

1417. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Naxalite leader, Shri Charu Mazumdar, had much more land than the prescribed ceiling in the Champasari area which he transferred in the name of his near relations ; and

(b) whether Government had acqiured 63 acres of land from Shri Mazumdar and in lieu of which Rs. 30,000 are being given to him ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. Shri Charu Mazumdar inherited 105 acres of agricultural land in his khas possession, out of which on 31st July, 1953 he transferred 37.5 acres to his two nieces and 0.6 acres in the name of Shri Chandra Mohan Roy.

(b) The land recorded in the name of Shri Charu Mazumdar has been declared surplus and 63.4 acres have been taken possession of by Dy. Commissioner, Darjeeling. A compensation roll has been published in favour of Shri Mazumdar for a sum of Rs. 29,640.

आकाशवाणी को प्रचार माध्यम के रूप में सीमा

1418. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी को रेडियो मास्को की तरह जो कि आमतौर पर भारत के आंतरिक मामलों की आलोचना करता रहा है, रूस के क्रिया-कलाप की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने अपने प्रचार माध्यम से कितनी बार रूस के आंतरिक राजनीतिक मामलों की आलोचना की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी पर विदेशों की नीतियों का उल्लेख करने या उनपर निरपेक्ष रूप से चर्चा करने की कोई रोक नहीं है ।

(ख) भारतीय प्रचार माध्यम सोवियत संघ के मामलों पर प्राय: चर्चा करते हैं ।

औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों का गठन

1419. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य-स्तर पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों का गठन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मुख्य कार्य क्या होंगे तथा ऐसे आयोगों की स्थापना का क्या उद्देश्य है ;

(ग) क्या यह सच है कि कार्मिक संघों ने इस प्रस्ताव को ले लेने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो कार्मिक संघों ने उक्त प्रस्ताव को वापिस ले लेने के लिए क्या मुख्य कारण बताये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित कार्य इस प्रकार है :—

विवादों का न्याय-निर्णयन, प्रतिनिधि यूनियनों का सामूहिक सौदाकारी एजेन्टों के रूप में सत्यापन, और यूनियनों की आंतरिक प्रतिद्वन्द्वता और अनुचित व्यवहारों संबंधी मामलों का निपटारा ।

औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों को स्थापित करने का मुख्य प्रयोजन यह है कि विवाद निपटारे का कार्य किसी स्वतन्त्र प्राधिकारी को सौंपा जाये जो पार्टियों में अधिक विश्वास उत्पन्न करेगा और जिसे पार्टियां सीधे मिल सकती हैं।

(ग) और (घ). श्रमिकों के चार केन्द्रीय संगठनों में से, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और हिंदू मजदूर सभा इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं और अन्य दो संगठनों अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, इस प्रस्ताव की वापसी की विशेष रूप से मांग करने के सम्बन्ध में, कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

चीनी का उत्पादन, खपत तथा निर्यात

1420. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1969-70 के चालू मौसम में कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ;

(ख) उसी अवधि में देश में चीनी की वास्तविक तथा अनुमानित कुल खपत कितनी हुई है ;

(ग) इस वर्ष में कितनी चीनी का निर्यात किया गया अथवा इस वर्ष के उत्पादन में से अनुमानत: कितनी चीनी निर्यात की जायेगी ; और

(घ) निर्यात के उपरांत कितनी अतिरिक्त चीनी बची है तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 1969-70 के मौसम में (पहली अक्तूबर, 1969 से 30 सितम्बर, 1970 तक) 42.6 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(ख) उसी अवधि में देश में खपत के लिये 32.61 लाख मीटरी टन चीनी की कारखानों से निकासी हुई थी।

(ग) आशा है कि पंचांग वर्ष, 1970 में 3.25 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात की जाएगी।

(घ) पहली अक्तूबर, 1970 को चीनी का पिछला बचा हुआ स्टाक 20.33 लाख मीटरी टन था। इस स्टाक को आगामी महीनों में बिक्री हेतु अथवा निर्यात के लिए निर्मुक्त किया जाएगा।

Import of Agricultural Implements and their use by Farmers

1421. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount incurred on the import of tractors and other agricultural implements each year during the last three years and the names of the countries from which these implements have been imported ; and

(b) the steps being taken by Government to acquaint the farmers with the new machines ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement giving the required information is appended.

(b) The sale of imported agricultural tractors and implements is being arranged through the various State Agro-Industries Corporation etc. The Corporations are inviting applicants for the allotment of these machines and acquaint the farmers with their operation.

(A) Tractors

(Figures in lakhs of Rs.)

Name of Country	1967-68	1968-69	1969-70
U. S. S. R.	290.44 (CIF)	107.64 (CIF)	255.55 (CIF)
Czechoslovakia	104.04 (C&F)	189.94 (C&F)/ (FOB)	282.79 (FOB)
Rumania	—	77.50 (C&F)	193.69 (C&F)
G. D. R.	—	—	212.00 (C&F)
(B) Implements			
G. D. R.	—	—	30.19 (C&F)

Opening of a Telephone Exchange at Dehu Road, Poona (Maharashtra)

1422. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether sanction has ever been accorded to open 4 Telephone Exchange at Dehu Road in Maharashtra (Poona Division) ;

(b) if so, the reasons for not opening the said exchange so far ; and

(c) the time by which the exchange is likely to be opened ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. A proposal for installation of a 100 lines small automatic exchange has been approved.

(b) Due to shortage of various types of stores and equipment it usually takes about 18-24 months to commission an exchange of this type after approval.

(c) Dehu Road exchange is likely to be commissioned during 1971.

पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1423. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के इन्जीनियरिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 3 सितम्बर को सांकेतिक हड़ताल की ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांगों पर विचार किया है ;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Land Reforms Bill for Delhi and other Union Territories

1424. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring a Land Reform Bill for Delhi and other Union Territories ;

(b) if so, when ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The tenurial conditions and the legislative provisions relating to land reforms in the various Union Territories vary considerably and it is not feasible for the Government to introduce a new uniform Land Reform Bill for Delhi and other Union Territories.

In Delhi, a comprehensive Land Reforms Act was enacted in 1954 which has largely been implemented. Proposals are under consideration for amendment of some of the provisions with a view to facilitating implementation. Legislation has also been enacted for imposition of ceiling on land holdings.

The Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, which also includes a provision for imposition on the maximum extent of land which a person may hold under personal cultivation is in force in Chandigarh in respect of agricultural land in the territory.

With regard to Andaman and Nicobar Islands, comprehensive Land Revenue and Land Reforms Act governs grant and issue of licence for occupancy and for regulation of tenancy. Proposals are under consideration for futrther regulating allotment of land in the island.

With regard to Goa, Daman and Diu, a comprehensive legislation was enacted in respect of Daman District which is in the process of implementation. A similar provision has been undertaken for Diu District.

In Goa, and interim legislation has been enacted for protection of tenants. Comprehensive proposals including proposal for abolition of 'Communidades' are under consideration. A draft regulation has been finalised for protection of Mundkars and agricultural labourers in respect of house site and dwelling houses.

With regard to Pondicherry, Karaikal, Yanam and Mahe, a comprehensive legislation has been enacted in respect of Mahe on the lines of Kerala Land Reforms Act, 1964. Enactment of tenants has been stayed in Karaikal. Legislation has been undertaken recently for protection of tenants and regulation of rent in Pondicherry, Yanam and Karaikal.

With regard to Dadra and Nagar Haveli, a comprehensive draft legislation for land reform and land revenue administration has been finalised, which is likely to be enacted shortly.

In Manipur, a comprehensive legislation has been enacted and is in the process of implementation. It is proposed to amend the provisions further for safeguarding the interests of tenants and agricultural labourers.

In Tripura, a comprehensive legislation was enacted which is in the process of

implementation. A proposal is under consideration for further strengthening the provisions with regard to tenants.

In respect of Laccadive, Minicoy and Amindive Islands a comprehensive land revenue and tenancy legislation has been enacted and is in the process of implementation.

In regard to Himachal Pradesh, the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953, the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 and the PEPSU Tenancy and Agricultural Land Act, 1955, provide for certain measures of land reforms in different parts of the State. The State Government has drafted a Bill for introducing a uniform legislation in the entire reorganised State of Himachal Pradesh, which they propose to introduce shortly in the State Legislature.

Central Scheme for Tubewells in Famine Affected Areas of Bihar

1425. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government are aware of near famine-conditions prevailing in Bihar due to lack of irrigational facilities in the State ;

(b) if so, whether Government are contemplating on a scheme of sinking Tubewells with its aid in all those areas where canal water cannot be made available after having survey of such areas ; and

(c) if so, the details of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A note was received from Bihar Government giving details of the difficulties and damages caused to the State by the prevailing droughts and floods. A request was also made by Bihar Government for Central assistance towards expenditure on account of these calamities. Taking note of these, Government of India appointed a Central Team to make an on the spot assessment and to make necessary recommendations for fixing ceilings of expenditure for the purpose of Central assistance.

(b) and (c). The Central Team visited in Bihar in October, 1970 and recommended assistance for an amount of Rs. 629 lakhs for extending relief and executing works in drought and flood affected areas. This includes an amount of Rs. 117.30 lakhs for State tubewells, private tubewells and large diameter wells. An amount of Rs. 2 crores has been sanctioned to the State Government to keep them in funds for the execution of relief measures and the question of sanctioning further assistance would be considered in the light of progress of expenditure against the approved ceiling of Rs. 629 lakhs. This is in addition to normal programme to be executed in these areas from Plan funds.

Staff Working in Super Bazars, Delhi

1426. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of employees, officers and the purchase agents working in the Super Bazars in Delhi ;

(b) the proportion between their respective pay scales ;

(c) the number of higher officers and the maximum salary paid to them ; and

(d) the pay scales of the employees and other salesmen ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagannath Pahadia) : (a) The total strength of the employees of the Cooperative Store Limited (Super Bazar), New Delhi, as on 31st October, 1970, was

875, of which 14 were officers. No purchase agents are employed ; the Department Managers attend to purchases as well as sales.

(b) and (c). The lowest pay scale in Rs. 92-3-50-134-EB-4-150 and the highest, that of the General Manager, Rs. 2000-2500. The present General Manager is, however, drawing a pay of Rs. 1,800 per month, excluding allowances. The number of higher officers is 14.

(d) A statement is enclosed.

Statement showing the scales of pay of employees in Super Bazar, New Delhi

S. No.	Scale of pay (Rs.)	Category
1.	2000-2500	General Manager.
2.	1200-75-1500-100-1600	Branch Manager, INA Branch.
3.	650-50-1100	Branch Manager, Patel Nagar Branch, Advertisement Manager, Store Manager, Department Manager.
4.	500-50-1100	Department Manager.
5.	340-29-572-EB-29-630	Department Manager, Sr. Accountant, Assistant Personnel Officer, Assistant Administration Officer, Chief Cashier.
6.	240-21-408-EB-21-450	Supervisor, Stenographer, Re. Assistant Accountant Technical Assistant, Pharmacist Store Supervisor, Dispenser.
7.	195-13-299-EB-15.25-360	Jr. Supervisor, Cashier Assistant Accountant, Jr. Store Supervisor.
8.	150-11-229-EB-13-290	Sales Assistant, Accounts Assistant, Typist, Clerk, Receptionist. Display Assistant, Computist, Telephone Operator, Store Assistant, Carpenter, Fitter, Painter, Palledar.
9.	116-7.50-176-EB-8.50-210	Driver, Liftman, Havaldar, Jamadar, Packer.
10.	92-3.50-134-EB-4-150	Helper, Chowkidar, Mali, Mashki, Cleaner, Sweeper.

सेनापती बापत की स्मृति में डाक टिकट

1421. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें संसद सदस्यों की ओर से सेनापती बापत की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन सदस्यों का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है ;

(ग) अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). इस सम्बन्ध में अपनाई गई नीति के अनुसार विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है, जब ये जन्म या निधन की शताब्दी या पहली अथवा दसवीं बरसी के अवसर पर निकालने के लिए प्रस्ताव रखे जायें ।

सेनापती बापत के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर डाक टिकट सलाहकार समिति ने विचार किया था, लेकिन उन्होंने इसकी सिफारिश नहीं की ।

(घ) डाक टिकट सलाहकार समिति जिन प्रस्तावों पर एक बार विचार कर चुकती है, उन पर सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के बाद ही पुनः विचार किया जाता है । किन्तु इस समिति की अगली बैठक में पुनः विचारार्थ रखा जाएगा ।

जम्मू और काश्मीर से आने वाले फलों के ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबन्ध का प्रभाव

1428. **श्री एस० जेवियर** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर से आने वाले फल के प्राइवेट ट्रकों के प्रवेश पर अभी हाल में दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण कश्मीर के फल उद्योग के समक्ष गम्भीर संकट उपस्थित हो गया था ;

(ख) क्या इस बारे में काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई शिकायत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). जून 1970 के आरम्भ में जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया कि राज्य का फल उद्योग श्रीनगर से दिल्ली को फल परिवहन करने में कठिनाई का सामना कर रहा है । बताया गया है कि हरियाणा पंजाब और दिल्ली सरकार आपसी आदान प्रदान विषयक व्यवस्था होने तक जम्मू और कश्मीर के ट्रकों को अपने क्षेत्रों में से गुजरने की अनुमति नहीं देती । शिकायत प्राप्त होने पर भारत सरकार ने हरियाणा और पंजाब सरकार से कहा कि उस समय तक मौजूदा व्यवस्था चालू रहने दी जाए और जम्मू तथा कश्मीर के ट्रकों को अपने क्षेत्र से गुजरने दिया जाए जब तक कि सब पक्षों की बैठक में कोई समझौता नहीं हो जाता । पंजाब और हरियाणा दोनों इस सुझाव पर सहमत हो गए । साथ ही दिल्ली प्रशासन और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों में आपसी समझौतों के (जो 30 जून, 1970 को समाप्त होता था) विस्तार के लिए बात-चीत हुई । दुर्भाग्यवश उनका आपस में कोई समझौता नहीं हो सका जिसके कारण पुराना समझौता 30 जून, 1970 को समाप्त हो गया ।

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय प्रयत्न कर रहा है कि राज्य सरकारे एक सर्वमान्य संशोधित समझौते के लिए सहमत हो जायें। हाल में ही जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि राज्य सरकार ने सरकारी परिवहन और प्राइवेट ट्रकों द्वारा फलों के पठानकोट तक परिवहन का वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिया है। पठानकोट से आगे पंजाब और दिल्ली के प्राइवेट परिवहन कर्ता फलों को दिल्ली लाते है। इसी प्रकार दिल्ली का फल ठानकोट से जम्मू और कश्मीर तक निजी परिवहन कर्त्ताओं द्वारा ले जाया जाता है। जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि वे इस व्यवस्था के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

'फोल्लिडोल' का प्रयोग और शेरों की आबादी पर इसका हानिकारक प्रभाव

1429. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगलों की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए जिन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, वे शेरों की आबादी के लिए हानिकारक सिद्ध हुई हैं और चोटी से शिकार करने वालों की अपेक्षा "फोल्लिडोल" के द्वारा अधिक संख्या में शेरों को मारा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कीटनाशकों के प्रयोग और शेरों की आबादी पर उसके प्रभाव के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं, खेती के लिए बन भूमि को साफ करने के लिए कीटनाशी औषधियों का प्रयोग नहीं किया जाता।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान की स्थापना की योजना

1430. **श्री क० प्र० देव : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा सिद्धांततः, चौथी योजना की एक परियोजना के रूप में, राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थापित करने का विचार स्वीकार कर लिया गया है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

चौथी योजना के दौरान डाक तथा तार विभाग के विस्तार पर व्यय

1431. **श्री मयावन :**

श्री दण्डपाणि :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक तार विभाग को विस्तार हेतु 450 करोड़ रु० व्यय करने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक तथा दूरसंचार सेवाओं के विकास पर 492.25 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ख) 492.25 करोड़ रुपये के कुल खर्च में से 26 करोड़ रुपये डाक सेवा के विकास के लिए और 466.25 करोड़ रुपये दूरसंचार सेवा के विकास के लिए है। डाक और दूरसंचार सेवाओं के मुख्य स्वरूप इस प्रकार हैं :

(क) **डाक सेवायें :**

योजना के ब्यौरे	प्रत्यक्ष लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
(क) नये डाक घर खोलना	30,700	1.65) प्रत्यक्ष
(ख) मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाना	3,660	0.24) लक्ष्य पूर्ण रूप से अस्थायी है
(ग) डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण	5,001 (मशीनें)	0.61
(घ) इमारतें	—	17.32
(ङ) डाक मोहरों और सोली के निर्माण का मशीनीकरण	1 (एकक)	0.08
(च) डाक-तार फार्मों के लिए प्रेस	2 (एकक)	2.00
(छ) डाक प्रशिक्षण केन्द्र (उपकरण)	—	0.16
(ज) रेल डाक सेवा के डिब्बे	58 (संख्या)	1.28
(झ) डाक मोटर सेवायें	690 डिब्बे	1.50
(ञ) चलते-फिरते डाकघर	15	0.15
(ट) रात्रि डाकघर	80	0.04
(ठ) डाक-तार कर्मचारियों की कल्याण योजनायें	—	0.85
(ड) विविध	—	0.12
(किसी नई मद आदि के लिए)		—
कुल जोड़		26.00

(ख) **दूरसंचार सेवाएं :**

योजनाओं के ब्यौरे	प्रत्यक्ष लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
(क) टेलीफोन सैट	7.6 लाख	253.40
(ख) ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज	17.300 लाइनें	8.59
(ग) करचल ट्रकों की पोजीशन	2.600	4.00
(घ) काएक्सल प्रणालियां	7.000	48.00
(ङ) सूक्ष्मतरंग प्रणालियां और उच्च स्वर आवृत्ति	12.000 मार्ग किलोमीटर	43.22
(च) केबिल वाहक प्रणालियां	172 प्रणालियां	4.50
(छ) खुली तार प्रणालियां	54,000 जोड़े किलोमीटर	11.00
(ज) खुली तार वाहक प्रणालियाँ	5,000 सरणियां	11.00
(झ) टेलेक्स	12,000 लाइनें	15.25
(ञ) स्वर आवृत्ति तार प्रणालियां	2,000 सरणियां	0.75
(ट) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन पर	2,000 संख्यायें	6.00
(ठ) संयुक्त डाक-तार पर	2,400 संख्यायें	4.00
(ड) अन्य, जिनमें भूमि और इमारत, बेतार, अनुसंधान और प्रशिक्षण, सामान और कर्मशाला और रेलवे विद्युतन और अन्य विभागों से सम्बन्धित निर्माण-कार्य शामिल हैं।	—	56.54
जोड़ (करोड़ रुपयों में) :	—	466.25

बम्बई की औद्योगिक इकाईयों में श्रमिक अशांति

1432. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बम्बई की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में गम्भीर श्रमिक अशांति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और औद्योगिक इकाईयों को संरक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). बम्बई के अधिकांश औद्योगिक एकक राज्य क्षेत्र में आते हैं। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का सम्बन्ध है कुछ एककों जैसे जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया, बैंकों, बन्दरगाहों और पत्तनों में श्रमिकों द्वारा कुछ संघर्ष हुए हैं। तथापि यह कहना ठीक नहीं होगा कि इन क्षेत्रों में गम्भीर श्रम असंतोष व्याप्त रहा है। विवाद के मामलों की जांच की गई और जहां कहीं आवश्यक था, उचित कार्यवाही की गई।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनुसूचित जातियों के लोगों का कब्जा

1433. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पुनर्वास मंत्रालय की भूमि पर अनुसूचित जातियों के लोग रह रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार वहां रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को वह भूमि अलाट कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). दिल्ली में पुनर्वास मंत्रालय की भूमि पर रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। आवासीय कार्यों के लिए भूमि आदि की एलाटमेंट करने के मामले में, अनुसूचित जाति के लोगों को वही सुविधाएं दी गई हैं जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दी गई है, किन्तु एलाटमेंट काफी समय पूर्व से बन्द कर दिया गया और अब आवासीय कार्यों के लिए उपलब्ध भूमि के प्लाटों को बाजार मूल्य पर, अर्थात नीलाम, निविदा आदि के द्वारा, बेचा जा रहा है।

डाक तथा तार विभाग में दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी तथा टेलीफोन की सुविधाओं का विस्तार

1434. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ है ;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान काम कर रहे दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या दिहाड़ी मजदूरों को नियमित कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में टेलीफोन संबंधी सुविधाओं का विस्तार इस प्रकार है :

टेलीफोन सुविधा का नाम	जिसकी 1967—1970 के दौरान व्यवस्था की गई
1. टेलीफोन सेट (संख्या)	2,89,000
2. सीधी एक्सचेंज लाइनें	2,10,000
3. करचल ट्रंक पोजीशन (संख्या)	936
4. सहधुरीय प्रणाली मार्ग किलोमीटरों में	1274
5. सूक्ष्मतरंग प्रणाली मार्ग किलोमीटरों में	200
6. केबिल वाहक प्रणालियां (सरणियों की संख्या)	720
7. खुली तार वाहक प्रणाली (सरणियों की संख्या)	2204
8. टेलेक्स (लाइनें)	3920
9. वी०एफ०टी० प्रणालियां (सरणियों की संख्या)	2669
10. लम्बी दूरी के सार्वजनिक (टेलीफोन घर संख्या)	868
11. संयुक्त डाक व तारघर (संख्या)	1072

(ख) चूंकि दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों (अनियत मजदूरों) की संख्या में समय-समय पर घटा बढ़ी होती रहती है, इसलिए आवश्यक सूचना देना संभव नहीं है ।

(ग) दिहाड़ी वाले जिन कर्मचारियों की ड्यूटियां नियमित और लगातार रहने वाली किस्म की है, उन्हें नियमित कर्मचारियों के तौर पर नियुक्त करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली की सहकारी समितियों के विरुद्ध जांच

1435. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय तथा अन्य अनियमितताओं के कारण दिल्ली की किन सहकारी समितियों के विरुद्ध जांच की जा रही है ; और

(ख) उन समितियों के पदाधिकारियों के क्या नाम हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) एक सूची जिसमें दिल्ली की उन सहकारी समितियों के नाम दिये गये हैं जिनके

विरुद्ध दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में लागू बम्बई कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट 1925, की धारा 43 के अन्तर्गत जांच चल रही है, संलग्न है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

बम्बई कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1925 की धारा 43 के अन्तर्गत जिन सहकारी समितियों के विरुद्ध जांच आरम्भ की गई है उनकी सूची ।

क्रम सं०	समिति का नाम
1.	इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड ।
2.	भारत सेवक समाज पत्थर तोड़ कोआपरेटिव इन्ड० सोसाइटी लि० ।
3.	हमदर्द कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लि० ।
4.	बोक्स वैल कोआपरेटिव इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि० ।
5.	श्रमजीवी कोआपरेटिव इंडस्ट्रीयल सोसाइटी लि० ।
6.	दि घोघा सहकारी बहुधंधीय समिति लि० ।
7.	दि शाहपुर जाट सहकारी बहुधंधीय समिति लि० ।
8.	दि देहली सहकारी बैजिटेबिल एण्ड फ्रूट ग्रोवरर्ज फैडरेशन ।
9.	दि न्यू जीवन सहकारी बहुधंधीय समिति लि० ।
10.	दि गोला खुर्द सहकारी बहुधंधीय समिति लि० ।
11.	हरियाणा कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लि० ।
12.	वर्धमान कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लि० ।
13.	ई० पी० रेलवे रिफ्यूजी कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लि० ।
14.	स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ कोआपरेटिव टी/सी सोसाइटी लि० ।
15.	नार्दन जोन रेलवे इंपलाईज कोआपरेटिव टी/सी सोसाइटी लि० ।
16.	इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च इम्पलाईज कोआप० टी० सी० सोसाइटी लि० ।
17.	यूनाईटिड टैक्सी आपरेटिर्स कोआपरेटिव टी० सी० सोसाइटी लि० ।
18.	बाल्मीकी कोआपरेटिव अर्बन टी० सी० सोसाइटी लि० ।
19.	न्यू दिल्ली कोआपरेटिव बैंक लि० ।
20.	सी० पी० डब्ल्यू० डी० कोआपरेटिव कैन्टीन लि० ।
21.	पहाड़गंज कोआपरेटिव स्टोर लि० ।

22. डी०टी०यू० इम्पलाईज कोरोनेशन डिपो कोग्रापरेटिव कैन्टीन लि० ।

23. जन सेवक कन्ज्यूमर्स कोग्रापरेटिव स्टोर लि० ।

24. सी०बी०डी० कंज्यूमर्स कोग्रापरेटिव स्टोर लि० ।

25. शादी खामपुर बी०एस०एस० कंज्यूमर्स कोग्रापरेटिव स्टोर लि० ।

26. पापुलर कंज्यूमर्स कोग्रापरेटिव स्टोर लि० ।

27. क्लाथ मार्केट कोग्रापरेटिव स्टोर लि० ।

28. न्यू राजौरी जनता कंज्यूमर्स कोग्रापरेटिव स्टोर लि० ।

29. न्यू सुपर कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि० ।

30. त्री नगर कंज्यूमर्स कोग्रापरेटिव स्टोर लि० ।

फसल बीमा योजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

1436. **श्री देवराव पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री बीमा योजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के निर्देशपदों के बारे में 30 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 728 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फसल बीमा योजना संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

कम्प्रेसरों की कमी

1437. **श्री देवराव पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूपों को खोदने के पश्चात छिद्र बनाने के कार्य में सहायता करने के लिए राज्यों में कम्प्रेसरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो नलकूपों के सुचारु संचालन के लिए इतनी अधिक जरूरी मशीन को उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

Procurement Price of Foodgrains during 1970-71

1438. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether farmers have demanded an increase in the present procurement price of foodgrains which are to be procured in adequate quantum during 1970-71 ;

(b) whether a suggestion was given in the Chief Ministers Conference to increase the procurement price of coarse grains ;

(c) whether Government have taken a decision to increase the procurement price of coarse grains ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Some representations were received from the farmers for increase in the procurement price.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). The procurement price of kharif coarse grains for Central Pool purchases has been fixed at Rs. 55/- for 1970-71 season against the price of Rs. 52/- per quintal fixed for the last season. The State Governments have also been allowed to fix a price upto Rs. 57/- for procurement for internal consumption in their States.

आकाशवाणी के बंगलौर केन्द्र से होने वाले प्रसारणों का मैसूर में स्पष्ट न सुनाई देना

1439. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के बंगलौर केन्द्र से होने वाले प्रसारणों के मैसूर क्षेत्र में स्पष्ट न सुनाई देने के संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन द्वारा परियोजना की मंजूरी

1440. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन ने हाल ही में हमारे देश के लिए किसी परियोजना को मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) (1) विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक ने 6 जुलाई 1970 को एक भारतीय परियोजना को स्वीकार कर लिया।

(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तर्गत सरकारी समिति की 18वीं बैठक नवम्बर 1970 के पहले सप्ताह में हुई थी परन्तु उसमें समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ कोई भारतीय परियोजना नहीं थी।

(ख) सिंचाई कुओं के कार्यक्रम के लिए परियोजना सं० 626 के अन्तर्गत बिहार के लिए चार जिलों गया, हजारीबाग, पालामाऊ तथा रांची में 3500 कुओं के निर्माण कार्य में लगे हुये मजदूरों को परियोजना की 2 वर्ष की अवधि के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम पूरक राशन उपलब्ध कराने के लिए 67880 लाख टन गेहूं देगा।

Fixation of Prices of Foodgrains in Kharif Crop

1441. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the details of prices which have been fixed for different kinds of foodgrains of kharif crop ;

(b) the details of prices demanded to be fixed by the various State Governments ; and

(c) the reasons for fixing low prices ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A statement is attached.

(b) and (c). The prices have been fixed in consultation with the State Governments.

I. Statement showing Staff-wise Procurement Price of Kharif Cereals fixed during 1970-71

(Rupees per quintal)

Sl. No.	Name of State	Variety	Paddy	Rice	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	Akkulu	51.00	—	
2.	Assam	(Winter Sali) Coarse	56.25	—	
3.	Bihar	Coarse	56.25	95.25	
4.	Gujarat	Sathi	55.00	85.34	
5.	Haryana	Begmi	53.00	85.50	
6.	J and K	Coarse	46.00	—	
7.	Kerala	Palghat Matta	56.25 + 8.75*	85.88 +13.12*	*Delivery bonus paid by the State Government to the producers.
8.	Madhya Pradesh	Gurmatia	56.00	83.00	
9.	Maharashtra	Coarse	56.00	78.50	

1	2	3	4	5	6
10.	Mysore	Coarse (Raw)	50.00	†74.30	†Inclusive of cost of bag.
11.	Orissa	Common	48.00	—	
12.	Punjab	Begmi	53.00	85.50	
13.	Tamil Nadu	Kattai Samba	48.00	—	
14.	U. P.	Grade III	54.00	89.00	
15.	West Bengal	Common	56.00	91.20	

(Rs. per quintal)

II.	Jowar, Bajra, Maize and Ragi.	55.00 for Central pool purchases. For internal purchases State Governments are allowed to fix the price upto Rs. 57/- per quital.

Press Correspondents Barred from Reporting Proceedings of Sittings of New Delhi Municipal Committee

1442. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the Lt. Governor of Delhi has issued directives to the effect that Press Correspondents be barred from reporting the proceedings of the sittings of the New Delhi Municipal Committee ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ट्रैक्टरों की मांग का बने रहना

1443. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय तक कितने ट्रैक्टरों की मांग पूरी नहीं हुई है ; और

(ख) ट्रैक्टरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) विभिन्न देशीय विनिर्माताओं और राज्य कृषि उद्योग निगमों के पास ट्रैक्टरों के लिए 1.60 लाख से अधिक ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं जिन्हें अभी ट्रैक्टर सप्लाई होने हैं ।

(ख) ट्रैक्टरों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए देशीय उत्पादन में वृद्धि करने के अति-

रिक्त काफी ट्रैक्टरों का आयात करने का भी निर्णय किया गया है। सप्लाई स्थिति को सुधारने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय संबंधियों से उपहार रूप में ट्रेक्टर के आयात की भी अनुमति दे दी गई है। विश्व बैंक की विभिन्न परियोजनाओं के अधीन भी ट्रैक्टर आयात करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

चीनी का उत्पादन तथा चीनी के निर्यात पर इसका प्रभाव

1444. **श्री वी० ना० देव :**

श्री न० कु० सांधी।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में चीनी के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में ये कम हैं अथवा अधिक ;

(ग) चालू उत्पादन से चीनी के निर्यात पर कहां तक प्रभाव पड़ता है ; और

(घ) निर्यात बढ़ाने के फलस्वरूप यदि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). 1967-68,1968-69 तथा 1969-70 के मौसमों में (आधार अक्तूबर-सितम्बर) चीनी के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

मौसम	चीनी उत्पादन
1967-68	22.48 लाख मीटरी टन
1968-69	35.59 ,, ,, ,,
1969-70	42.6 ,, ,, ,,

इस वर्ष अक्तूबर के दौरान 58,000 मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है।

(ग) चीनी के अधिक उत्पादन तथा उसकी उपलब्धता में वृद्धि होने से हम अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के अन्तर्गत लगभग 3.25 लाख मीटरी टन की सारी अनुमेय मात्रा का निर्यात कर रहे हैं।

(घ) आशा है कि 1970 में चीनी के निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप लगभग 25.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होगी जबकि 1969 में 9.84 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी।

Number of Cows Slaughtered in Bombay, Madras, Calcutta and Hyderabad

1445. **Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :**

(a) the number of cows and their progeny slaughtered daily in the Slaughter-houses in Bombay, Madras, Calcutta and Hyderabad at present ;

(b) the annual details thereof for the last three years ; and

(c) the earnings of Government therefrom during these years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The information is being collected from the State Governments concerned and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

Memorandum from Sarvedeshek Arya Pratinidhi Sabha on Ban on Cow Slaughter

1446. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether he has received a memorandum from Sarvedeshek Arya Pratinidhi Sabha demanding a ban on slaughter of cow progeny in the country ;

(b) whether he has given a reply to the said memorandum ; and

(c) if so, the details of the demand made in the memorandum of Sarvedeshek Sabha and also of the reply given by him ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes. A copy of resolution adopted by the Sabha on 4th of October, 1970 has been received, stating that a convention may be called in Delhi on 25th, 26th and 27th of December, 1970 to take a final decision and that in the meanwhile, the agitation against cow slaughter may be continued.

(b) No.

(c) No specific demand has been made in the resolution of the Sabha adopted on 4th of October, 1970. However, in his letter dated 10th of July, 1970 received earlier from the Secretary of the Sabha, a demand had been made for banning cow slaughter in India. A reply was given on 5th of August, 1970 informing the Sabha that Government of India were committed to the implementation of the Directive Principle embodied in Article 48 of the Constitution, as interpreted by the Supreme Court and had been making earnest efforts in this direction. The representatives of the Sarvadalya Goraksha Mahabhiyan Samiti were also requested to resume their work in the Committee on Cow Protection set up by the Government so that the Committee may consider the problem from all its aspects and submits its report to the Government.

चौथी योजना में दिल्ली की टेलीफोन और ट्रंक काल पद्धति में सुधार पर व्यय

1447. श्री नि० रं० लास्कर : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की टेलीफोन और ट्रंक काल पद्धति में कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्विति के लिये कतिपय प्रस्तावों पर विचार कर रहा है और क्या इस प्रयोजनार्थ 450 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कौन सी मुख्य योजनाएं हाथ में ली जायेंगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। दिल्ली के स्थानीय और ट्रंक काल टेलीफोन सेवा का विकास और सुधार लगातार होता रहा है।

चौथी योजना के शुरू से अब तक यहां मुख्य टेलीफ़ोन कंनक्शनों की संख्या में लगभग 13,600 की और कुल टेलीफोनों की संख्या में 17,450 की वृद्धि हुई है।

दिल्ली से देश के सभी भागों के लिये विश्वसनीय ट्रंक टेलीफोन परिपथ बढ़ाये गये हैं। दिल्ली से आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, हापुड़, जयपुर, जम्मू, जालंधर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, पटना, शिमला, और श्रीनगर इन स्थानों के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग चालू की गई है।

(ख) जी हां, चौथी योजना के दौरान पूरे देश में दूर संचार सेवा का विकास और सुधार के लिए 467.75 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(ग) चौथी योजना की मुख्य प्रायोजनाओं के लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

(i) देश में लगभग 7 लाख अतिरिक्त टेलीफोनों की व्यवस्था।

(ii) प्रमुख ट्रंक केन्द्रों के बीच उपयुक्त सहघुराय और सूक्षमतरंग ट्रंक सरणियों की व्यवस्था।

(iii) कई स्थानों के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की वृद्धि।

दिल्ली में ईदगाह, जनपथ, चाणक्यपुरी, हौजखास, शक्ति नगर में नये एक्सचेंज लगाने की योजना है। कुछ मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार करने की योजना है। दिल्ली के एक्सचेंजों की संस्थापित क्षमता में लगभग 35,000 लाइनों की वास्तविक वृद्धि करने की संभावना है।

पुनः चौथी योजना और पांचवीं योजना के शुरू में दिल्ली से बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, सोनीपत, मोदीनगर, गुड़गांव, पानीपत, करनाल और रोहतक, इन 9 स्थानों के लिये उत्तरोत्तर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि

1448. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से दिल्ली तथा सामान्यरूप से देश के अन्य महानगरों में सब्जियों के बढ़ते हुये मूल्यों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) राजधानी तथा अन्य नगरों में इस वर्ष सितम्बर-अक्तूबर के महीनों में सब्जियों के मूल्य में गत दो वर्षों के मूल्यों के मुकाबले में कैसे हैं ;

(ग) सब्जियों के मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या सब्जियों के मूल्यों को कम करने में राजधानी में स्थित सुपर बाजार असफल रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राजधानी तथा अन्य महानगरों में सब्जियों के मूल्यों के रुख के बारे में सरकार को जानकारी प्राप्त है ।

(ख) चालू वर्ष में सितम्बर अक्तूबर तथा 1968 एवं 1969 के गत 2 वर्षों के दौरान राजधानी तथा कुछ अन्य महानगरों में आलू, प्याज तथा कुछ अन्य सब्जियों के फुटकर मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4319/70]

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सामान्यत: खेती के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को लाकर तथा विशेषकर बड़े महानगरों तथा औद्योगिक शहरों के आस-पास सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है । बड़े शहरों में कीचनगार्डन तथा जेल बागवानी के विकास पर भी बल दिया जा रहा है ।

(घ) सुपर बाजारों में सब्जियों के मूल्य प्रायः अन्य बाजारों के मूल्य की तुलना में कम है । सुपर बाजारों में उचित मूल्यों पर सब्जियों की उपलब्धि कुछ सीमा तक बाजार में बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने में सहायक सिद्ध होती है ।

कुछ साप्ताहिक पत्रिकाओं में कामुक तथा अश्लील फोटो का छापा जाना

1449. **श्री हिम्मतसिंहका:**
श्री केदार नाथ सिंह :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं, विशेषकर "ब्लिट्ज," की विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कामुक तथा अश्लील फोटो छापने की नवीनतम प्रवृत्ति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार की यह नीति है कि ऐसी प्रचार सामग्री को रोका जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रकाशनों के रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सचित्र सामग्री की प्रवृत्ति से परिचित है ।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित प्रशासनों से कहा है कि वे अश्लील प्रकाशनों के प्रकाशन तथा उनकी बिक्री एवं सर्कुलेशन को रोकने के लिये कानून के अन्तर्गत कार्रवाही करें । राज्य सरकारों ने ऐसी कई पत्रिकाओं के विरुद्ध कई मुकदमे चलाये हैं जिनमें अश्लील साहित्य था ।

चन्दा समिति की विचाराधीन सिफारिशें

1450. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्दा समिति की कितनी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्रम स०	चन्दा समिति की रिपोर्ट का नाम	रिपोर्ट में की गई कुल सिफारिशों की संख्या	उन सिफारिशों की कुल संख्या जिन पर निर्णय लेना अभी बाकी है ।	अनिर्णित सिफारिशों का ब्यौरा	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	रेडियो और टेलीविजन	219	—	—	—
2.	वृत चित्र और सामाचार चित्र	101	1	सिफारिश संख्या 55 फिल्म बनाने के लिए अपेक्षित कला और निपुणता केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं की जा सकती । इनका मीडिया यूनिटों में काम करते रहना सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाता है । केन्द्रीय सूचना सेवा का पुनर्गठन होने तक कुछ व्यक्तियों को दृश्य ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों में से चुन कर फिल्म प्रभाग में तैनात कर दिया जाये ।	इस प्रयोजन के लिए स्थापित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है। अन्तरिम उत्तर सदन की मेज पर रखा जा चुका है ।

1	2	3	4	5	6
3.	पत्र सूचना और प्रचार	155	—	—	—
4.	विज्ञापन और प्रचार	53	2	सिफारिश संख्या 34 क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के पुनर्गठन और संयुक्त समंजन से उसके लिये प्रदर्शनी शाखा कर विलय करना संभव हो सकेगा। इससे क्षेत्रीय कार्यों के लिये एक से अधिक संगठनों के होने से होने वाले दोहरे कार्य नहीं होंगे। (पैरा 76)	इस सुझाव के सभी पहलुओं की जांच चन्दा समिति की 'जन-सम्पर्क के माध्यमों का समन्वय' पर रिपोर्ट की शेष सिफारिशों पर विचार करते समय की जायेगी।
				सिफारिश संख्या 35 क्षेत्रीय प्रचार का कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिये जाने पर भी केन्द्रीय समन्वय एजेंसी, जहां कहीं भी हों, की फोटो-टाइप तैयार करने समेत प्रदर्शनियों के डिजाइन तथा योजना बनाने की जिम्मेदारी रहनी चाहिये।	
5.	जन सम्पर्क के माध्यमों का समन्वय	117	58	सिफारिश सं० 36, 39, 40, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 63-71, 79, 81, से 117 तक : ये सिफारिशें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पुनर्गठन के बारे में है।	प्रशासनिक सुधार आयोग के कहने पर इन सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था क्यों-

1	2	3	4	5	6
					कि उनका अध्ययन दल भी सरकार की मशीनरी की जांच कर रहा था। इन सिफारिशों की अब प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना

1451. **श्री अदिचन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की कुछ कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं और यदि हां, तो कितनी मिलें बन्द हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनमें से किसी मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार है और यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उनके बन्द होने का कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है और उन मिलों को दुबारा खोलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में प्लाईवुड के कारखाने की स्थापना के बारे में करार

1452. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 27 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4147 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य में प्लाईवुड का कारखाना लगाने के मैसर्स जयश्री टी एन्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में उक्त कम्पनी को त्रिपुरा के बनों से टिम्बर निकालने के अधिकार के पट्टे के बारे में उसके साथ किये गये करार के प्रारूप की क्या इस बीच जांच कर ली गई है और वित्त मंत्रालय ने उसे स्वीकृति दे दी है और सरकार ने अन्तिम रूप से उसका अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पड़ौसी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से कुछ और जानकारी एकत्रित की जानी थी ।

(ग) करार के प्रारूप पर कानूनी पहलुओं से विचार किया गया है और अब उस पर वित्तीय दृष्टि से विचार किया जा रहा है ।

Opening of Post Offices in Rajasthan during 1970-71

1453. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state the number out of the Post Offices proposed to be opened during 1970-71 where the facility of sending telegrams both in Hindi and English will be available in Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : It is proposed to provide the facility of sending telegrams both in Hindi and English in 435 Post Offices in Rajasthan State during the year 1970-71.

Commission for Employment of Backward Classes

1454. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have constituted a Commission to suggest ways and means for Employment of the Backward Classes ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Drought Affected Districts in Rajasthan

1455. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of drought affected districts in country and also the number of such districts in Rajasthan ;

(b) whether the number of drought affected districts is the maximum in Rajasthan ;

(c) whether Government propose to launch special schemes in Rajasthan in proportion to the population of the State and the number of drought affected districts ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Government of India have formulated Rural Works Programme to assist the chronically drought affected areas of the country by organising works of long productive nature. For implementing the Programme, 53 chronically drought affected districts have been identified in various States ; of these 10 are in Rajasthan.

(b) The No. of chronically drought affected districts to be covered under the Programme is the highest in Rajasthan State.

(c) and (d). There is no proposal to launch special schemes in Rajasthan State in proportion to the population of the State. Drought prone areas to be covered under the Rural Works Programme have been selected on the basis of certain objective criteria like extent and pattern of rainfall, occurrence of drought and its frequency and intensity proportion of irrigated area to the total cultivated area and other relevant factors. Of the total provision of Rs. 100 crores for the four-year period from 1970-71 to 1973-74, each selected district would have an allocation of about Rs. 2 crores for the four-year period. On this basis, Rajasthan State will be entitled to an assistance upto Rs. 20 crores for their 10 districts identified as drought-prone.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बांस की चटाइयों के लिए टेंडरों का मांगा जाना

1456. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, बम्बई जोन ने बांस की चटाइयों की सप्लाई के लिए अप्रैल, 1970 में एक टेंडर संख्या इ(1) 16(1) मैट्स/170 जारी किया था ;

(ख) यदि हां तो टेंडरों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक द्वारा क्या भाव दिये गये हैं ;

(ग) अन्ततः क्रयादेश किसे दिया गया और किन परिस्थितियों में ; और

(घ) क्या यह नियमित प्रक्रिया है कि टेंडर खोलने से पहले टेंडर देने वालों के साथ बातचीत की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). चार टेंडर प्राप्त हुये थे जिन्हें 16-5-70 को टेंडर देने वालों की उपस्थिति में खोला गया था । उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

पार्टी का नाम	दर/100 घनफुट
1. मै० अली मोहम्मद हाजी कासम एण्ड क०	बम्बई में रेल तक निष्प्रभार 6.25 रुपये अन्य डिपों में रेल तक निष्प्रभार 6.50 रुपये
2. मै० गोबिन्दजी पदमसी, बम्बई ।	बम्बई में रेल तक निष्प्रभार 6.20 रुपये अन्य डिपों में रेल तक निष्प्रभार 6.50 रुपये
3. मै० जे० एब्राहीम एंड क०	6.25 रुपये
4. मै० सिम्पलैक्स मार्ट	6.74 रुपये

टेंडरों के खुलने के बाद, एक पार्टी ने कम दरें बतायी थीं जिससे यह मालूम हुआ कि बाजार का रुख कमी की तरफ था न कि ऊपर की तरफ जैसा कि टेंडरों में दर्शाया गया था ।

इस संदर्भ में टेंडर देने वालों को बातचीत को बुलाया गया जोकि 22-5-70 को सम्पन्न हुई थी। उपर्युक्त पार्टियों में से मैं० अली मोहम्मद हाजी कासम एण्ड कं० बातचीत में शामिल नहीं हुई थी। बातचीत के समय शेष तीन पार्टियों द्वारा पेश की गई अन्तिम संशोधित दरें निम्न प्रकार थीं :—

पार्टी का नाम	बातचीत के समय कम किए गये	पहले टेंडर दिये गये
1. मैं० सिम्प्लैक्स टिम्बर मार्ट	100 घनफुट के लिए 6.04 रु०	100 घन फुट के लिये 6.74 रु०
2. मैं० जे० एब्राहीम एण्ड कं०	100 घन फुट के लिए 6.06 रु०	100 घन फुट के लिए 6.25 रु०
3. मैं० गोबिन्द जी पदमसी, बम्बई।	कम करने के लिए राजी नहीं हुए।	बम्बई में रेल तक निष्प्रभार 6.20 रु० बम्बई के अलावा अन्य गोदामों में रेल तक निष्प्रभार 6.50 रु०

बातचीत के परिणामस्वरूप, मैं० सिम्प्लैक्स टिम्बर मार्ट का करों के अलावा 6.04 रु० प्रति घन फुट बांस की चटाइयों की मन्जूर शुदा दर का टेंडर मन्जूर कर लिया गया था। कुल मात्रा 37,06,848 घन फुट की थी जिसे महाराष्ट्र तथा गुजरात में स्थित विभिन्न गन्तव्य स्थानों को भेजना था।

(घ) जी नहीं।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1457. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष भारत में कुल कितने अनाज का उत्पादन हुआ ;

(ख) पहले वर्षों की उत्पादन की तुलना में उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ;

(ग) अगामी वर्ष में अनुमानित उत्पादन कितना होगा ; और

(घ) क्या अगले वर्ष के लिए अनाज आयात करने की कोई योजना बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सन् 1969-70 के लिए अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों के अनुसार भारत में उस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 990-5 लाख मीटरी टन था।

(ख) 5.8 प्रतिशत

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार कुल मिला कर देखा जाये तो खरीफ की अच्छी फसल होने की सम्भावना है। देश के विभिन्न भागों में रवी फसल की बुआई अभी जारी है तथा उसका उत्पादन बहुत कुछ आने वाले महीनों के मौसम पर निर्भर करता है। सन् 1970-71 के दौरान देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन के आंकड़े देना अभी सम्भव नहीं है।

(घ) जी हां।

साउथ एवेन्यू में टेलीविजन के लिए व्यवस्था

1458. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में टेलीविजन के लिए नयी व्यवस्था की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके विरुद्ध शिकायतों की दृष्टि में रखते हुए इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). साउथ एवेन्यू में टेली-क्लब के प्रबन्ध की जिम्मेदारी एम० पी० क्लब के संयोजकों की है, सरकार की नहीं। अतएव, सरकार द्वारा प्रबन्धकों को बदलने का प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्र, डिब्रूगढ़ का दर्जा बढ़ाना

1459. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ स्थित आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर उसे आकाशवाणी का पूर्ण केन्द्र बनाने का कोई विचार है और केन्द्र के निदेशक की पहले से ही नियुक्ति कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डिब्रूगढ़ एक केन्द्र निदेशक के अधीन पहले ही एक स्वतन्त्र पूर्णरूपेण रेडियो स्टेशन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी गोहाटी में खाली पड़े हुए महत्वपूर्ण पद

1460. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के गोहाटी केंद्र में अब भी कुछ महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, हां । कार्य-भारी इंजीनियर तथा समाचार सम्पादक का एक एक पद क्रमश: 17-8-70 और 12-4-70 से खाली है ।

(ख) (1) जिस कार्य-भारी इंजीनियर को इस पद का कार्य-भार संभालना है, वह छुट्टी पर है। उनको छुट्टी समाप्त होने के बाद कार्य-भार ग्रहण करने के लिये कहा गया है ।

(2) समाचार सम्पादक का पद केंद्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-1 के असमिया जानने वाले अधिकारी के उपलब्ध न होने के कारण भरा नहीं जा सका । आसाम सरकार से प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

आंध्र प्रदेश में बर्मा के शरणार्थियों को सहायता देना

1451. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब आन्ध्र प्रदेश में बसे बर्मा के शरणार्थियों ने रोजगार दिलाने तथा बच्चों को शिक्षा दिलाने तथा परिवारों के आवास के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, उन शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) उनकी शिकायतों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). बर्मा से लौटने वाले भारतीयों को सहायता सीधी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है । बर्मा से लौटने वाले भारतीय जिस राहत तथा पुनर्वास सहायता देने के पात्र है उसे संलग्न विवरण में दिया गया है । बर्मा से आने वाले 26,360 भारतीयों के 1-8-1970 तक आन्ध्र प्रदेश चले जाने की सूचना है । इनमें से, 14,150 किसी न किसी रूप में पुनर्वास सहायता प्राप्त कर चुके हैं ।

बर्मा भारतीय एसोसिएशन, बिशाखापटनम, से दिनांक 28-8-1970 का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि बर्मा से लौटे भारतीयों को विशाखापटनम बन्दरगाह विकास योजना और इस्पात के कारखाने में रोजगार दिलाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी जाय और रोजगार सम्पर्क अधिकारी को क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी के नियंत्रण में रखने की बजाय उसे संयुक्त कलेक्टर तथा जिला राजस्व अधिकारी, विशाखापटनम को उत्तरदाई होना चाहिये । एसोसिएशन को उचित उत्तर दे दिया गया है ।

विवरण

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को राहत तथा पुनर्वास की निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :—

(क) **राहत सुविधायें**

(I) सीमा शुल्क में उदार रियायतें तथा जहाज से उतरने के स्थान से उनके जन्म स्थान या आवाजाही शिविरों तक निःशुल्क/रियायती रेल टिकट दिये जाते हैं। प्रासंगिक व्यय के लिए यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(II) आवाजाही शिविर स्थापित कर दिये गये हैं।

(III) शिविरों में प्रवेश पाने वालों को निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं।

(क) **नकद अनुदान :**

परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर 7 मास की अवधि तक 30 रुपये से लेकर 75 रुपये तक प्रति मास अनुदान दिया जाता है।

अनाश्रमिक स्त्रियों और रोगी और वृद्ध व्यक्तियों को, जिनकी सहायता करने वाला कोई बालिग पुरुष न हो, शिविर में रहने की आज्ञा दे दी जाती है और 7 मास के बाद भी उन्हें नकद अनुदान दिया जाता है। उन्हें वर्ष में एक बार कपड़े भी दिये जाते हैं।

(ख) **विवाह अनुदान** : 200 रुपये

(ग) **अन्त्येष्टि और श्राद्ध अनुदान :**

एक बालिग की मृत्यु पर 30 रुपये और 12 साल तक की आयु के अवयस्क के लिये 20 रुपये।

(घ) **गर्म कपड़े :**

असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में बच्चों को जाड़े के मौसम में गर्म कपड़े दिये जाते हैं।

(ङ) **अनाज के लिए रियायत :**

चावल/गेहूं 0.75 पैसे प्रति किलो ग्राम की रियायती दर पर दिये जाते हैं।

(च) **चिकित्सा सुविधायें :**

शिविरों में चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए समुचित प्रबन्ध किये गये हैं।

(ख) **पुनर्वास उपाय :**

(I) **व्यवसाय ऋण :**

अधिक से अधिक 5,000 रुपये प्रति परिवार।

(II) आवास ऋण :

प्लाट खरीदने तथा घर बनाने के लिए निम्नलिखित दर पर ऋण दिये जाते हैं :—

	शहरी क्षेत्र (ऋण)	ग्रामीण क्षेत्र (ऋण)
	रु०	रु०
(क) प्लाट की लागत	600 (ऋण)	200 (ऋण)
(ख) मकान के निर्माण पर लागत	2,000 (ऋण)	1,250 (ऋण)
(ग) भूमि सुधार	1,500 (ऋण)	600 (अनुदान)
(घ) कारोबार के स्थान का निर्माण	500 (ऋण)	200 (ऋण)

(III) कृषि में पुनर्वास

(क) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय की भूमि उपनिवेशन योजना के अंतर्गत परिवारों का कृषि में पुनर्वास किया जाता है। इस योजना के अनुसार 5,000 रुपये प्रति परिवार सहायता दी जाती है।

(ख) अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जिन परिवारों को भूमि आवंटित की जाती है उन्हें बैलों आदि के खरीदने के लिए यह ऋण दिये जाते हैं :

	रु०
बैलों की जोड़ी	550
बीज तथा उर्वरक	125
कृषि औजार	175
योग	850

टिप्पणी : जहां तक अलाट की गई भूमि नाइट्रोजन/फास्फेट्स इत्यादि की कमी हो, उर्वरक के लिए 165 रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया जाता है।

(ग) कृषक परिवारों को पुनर्वास विभाग द्वारा संस्वीकृत कृषि परियोजनाओं जैसे कि मैसूर कि रायचूर जिला की सिंधानूर परियोजना और मध्य प्रदेश के बेतूल जिला की बेतूल परियोजना, में भी बसाया जा रहा है।

(IV) शिक्षा सम्बन्धी रियायतें :

(क) दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पुस्तक अनुदान दिया जाता है।

(ख) यदि विद्यार्थी अपने परिवार से दूर छात्रावास में रहता हो और उसके माता-पिता की आय 250 रुपये प्रति मास से अधिक न हो तो अंकों की कुछ शर्तों के साथ उसे 40 रुपये से 60 रुपये तक प्रति मास वजीफा दिया जाता है।

(V) **रोजगार :**

(क) रोजगार कार्यालय के जरिये केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के मामले में अग्रता दी जाती है।

(ख) रोजगार कार्यालयों के जरिये भरती होने पर आयु-सीमा में 45 वर्ष तक छूट दी जाती है (अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जन-जातियों के लिए 50 वर्ष)।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों, में, आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। संघ को उचित मामलों में परीक्षा शुल्क माफ कर देने का अधिकार दिया गया है।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टरों की खरीद के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश के किसानों द्वारा दिया गया ज्ञापन

1462. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के किसानों ने हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टरों पर असन्तोष व्यक्त किया है जिन्हें उन्होंने इस विश्वास पर खरीदा था कि वे अच्छे होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में उठाये गये कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में राज्य कृषि उद्योग निगमों के जानने के लिए कदम उठाये गये हैं। इस विषय में निगम के विचारों का पता लगने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

आकाशवाणी के 16वें रेडियो संगीत सम्मेलन पर हुआ खर्च

1463. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के 16वें रेडियो संगीत सम्मेलन, 1970 पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ;

(ख) प्रत्येक कलाकार को कितना धन दिया गया ; और

(ग) वर्ष 1969 में हुए संगीत सम्मेलन में कितनी राशि खर्च की गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 74,942 रुपये 82 पैसे। इस राशि में बाहर से आने वाले आर्टिस्टों को दिया गया यात्रा भत्ता तथा दौरों पर भेजे गये स्टाफ आर्टिस्टों को दिया गया यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता भी शामिल है।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4320/70]।

(ग) 58,913 रुपये 45 पैसे।

Measures Adopted to Reduce the Exeess Expenditure of Post and Telegraph Department

1464. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether any action has been taken to reduce the total amount of excess expenditure and to make further improvements as pointed out in the Appropriation Accounts (Civil) and (Posts and Telegraphs) 1968-69 ; and

(b) If so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) (i) Financial limits in respect of works chargeable to Revenue have been revised.

(ii) Subordinate units have been instructed to ensure correct assessment of the requirements as well as to restrict the expenditure within the allotments placed with them.

(iii) Close liaison with the supplies of stores is being maintained.

Land Problem and its Solution

1465. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article published in the newspaper 'Aj' dated the 21st September, 1970 under the caption "Bhoomi Samasya aur uska hal" (land problem and its solution) ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Emphasis has been laid in the Fourth Five Year Plan and the Chief Ministers' Conference on Land Reforms held in September 1970 on the active participation of beneficiaries and other agriculturists in the implementation of land reform measures with a view to ensuring effective and expeditious implementation. While cooperative organisation for ownership and management of land should be supported, it appears that in the present context peasant farming will have to be continued to a large extent.

Progress in Land Reforms

1466. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the editorial appearing in the daily "Hindustan" of 30th September, 1970 under the caption "Bhumi Sudhar Jhan Ka Tahan" (Land Reforms—where they were) ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Various aspects of measures of land reforms and the difficulties faced in implementation were discussed at the Conference. All the main issues were discussed and the Conference was useful.

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के कलाकारों को पारिश्रमिक

1467. **श्री मंगलाथुमाडम:** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा आकाशवाणी के अन्य कार्यक्रमों के लिए आने वाले दोनों पद्धतियों उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय पद्धति के सर्वोत्तम कलाकारों को दिये गये पारिश्रमिक की वर्तमान दर क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही के संगीत सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह सर्वोत्तम कलाकारों के पारिश्रमिक के मामले में अधिक ध्यान दे ; और

(ग) इसकी जांच करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी द्वारा किसी भी कलाकार को दी जाने वाली अधिकतम फीस 200 रुपये है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कलाकार को सामान्य फीस से दुगनी दी जाती है ;

(ख) जी, हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है ;

पंजाब में लुधियाना और भटिंडा में डेरी संयन्त्र के लिए केन्द्रीय सहायता

1468. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने लुधियाना और भटिंडा में दो करोड़ रुपये की लागत से दो डेरी संयंत्र लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त डेरी-संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; यदि हां, तो किस प्रकार की और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यूनेस्को लुधियाना और भटिन्डा के डेरी संयंत्रों के लिए यन्त्र मुफ्त देने को सहमत हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ये संयंत्र कब तक चालू हो जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। पंजाब सरकार ने उन उपकरणों की सप्लाई के लिये सहायता माँगी है जिनका देश में निर्माण नही हो रहा है। इस उपकरण के आयात के लिये यूनीसेफ और योगोसालाविया सरकार के माध्यम से आवश्यक सहायता के लिये प्रबन्ध किये गये हैं।

(ग) यूनीसेफ (न कि यूनैस्को) लुधियाना दुग्ध संरक्षण परियोजना के लिये कुछ ऐसे उपकरण सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है जिसका निर्माण देश में नहीं होता। यह उपकरण निशुल्क दिया जायेगा, वशर्तेकि योजना इस उपकरण के मूल्य के $1\frac{1}{2}$ गुणा मूल्य का दूध रियायती दामों पर 7 से 10 वर्ष की अवधि में समाज के निर्धन वर्ग को सप्लाई करे। योगोसलाविया सरकार भी लुधियाना और भटिन्डा की परियोजनाओं के लिये ऋण-कार्यक्रम के अधीन दूध संरक्षण के लिये उपकरण सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है।

(घ) आशा है कि ये संयंत्र 1972 के मध्य से कार्य करने लग जायेंगे।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल पोल्ट्री फार्म योजना में रोजगार देना

1469. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री शंकर राव माने :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार को पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए रोजगार देने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या उक्त बात को दृष्टि में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिकतम शरणार्थियों का पुनर्वास करने के लिए पोलट्री फार्म की स्थापना करने हेतु 72 लाख रुपये की एक योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस योजना से कितने परिवारों को लाभ होगा ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि मुर्गी प्रजनन के लिए अत्यधिक विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुर्गी पालन के प्रत्येक पहलू विशेषकर उनके रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने पर शरणार्थियों को सलाह देने हेतु विशेषज्ञों के एक दल की नियुक्ति करने का है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में पोल्ट्री फार्म योजनाओं के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के संबन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसपर कुल 73.65 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ग) योजना के अन्तर्गत (i) लगभग 14 लाख रुपये की लागत पर 24 परगना जिले के गोबरदंगा में एक पोल्ट्री फार्म और (ii) लगभग 59 लाख रुपये की लागत पर नादिया जिले के गयेशपेर में एक पोल्ट्री फार्म समूह की स्थापना की जाने वाली है । इन योजनाओं में कुल लगभग 1200 परिवारों को लाभ होगा ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) इस सम्बन्ध में समीक्षा समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिसे राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार विचार कर रही है ।

केन्द्रीय सूचना सेवा में सीधी भर्ती

1470. **श्री अजमल खां** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी स्तरों पर केन्द्रीय सूचना सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती करने के पक्ष में निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव का 'केन्द्रीय सूचना सेवा कर्मचारी संघ' द्वारा विरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली में जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल) तथा सेवा के ग्रेड-1, 2 तथा 4 के लिये सीधी भर्ती निर्धारित है । यह निर्णय लिया गया है कि जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल) तथा ग्रेड-1 के लिये सीधी भर्ती, जो पिछले कुछ समय से नहीं की जा रही थी, फिर से शुरू कर दी जाए ।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय सूचना सेवा संघ सीधी भर्ती पर तब तक रोक लगाने की मांग कर रहा है जब तक वर्तमान सभी पदधारी केन्द्रीय सूचना सेवा के पुनर्गठन के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत/नियुक्त नहीं हो जाते । तथापि, सरकार ने सेवा के हित में इसे नहीं माना है ।

Telephone Facilities in Villages of Banda District (U. P.)

1471. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of villages in Banda District of Bundelkhand (U. P.) where telephone facilities have been provided during the year 1970-71 ; and

(b) the names of the villages in the said District in which such facilities are proposed to be provided during the year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) During the year 1969-70, telephone facility was provided in one village in Banda District of Bundelkhand, U. P. ;

(b) There is no proposal to provide telephone facility at any village in Banda District during the year 1970-71.

Details Import and Export of Foodgrains during January to October, 1970

1472. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantum of foodgrains imported from foreign countries during the period from January to October, 1970 and the names and quantity each of the foodgrains imported from each country and the terms and conditions thereof ; and

(b) whether India has also exported any foodgrains to foreign countries during the aforesaid period and if so, the names and quantity of each of the foodgrains exported to each country and the terms and conditions thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The information is given in Annexure I. [*Placed in Library. See* No. LT—4321/70].

(b) Only limited quantities of Basmati rice and pulses are exported. Details are given in Annexures II and III.

दण्डकारण्य परियोजना में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और अन्य विभागों के संगठन में छंटनी

1473. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संगठन और अन्य विभागों के कुछ पदों, जिनकी संख्या लगभग 150 है, की छंटनी का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या दण्डकारण्य कर्मचारी संघ (एक मान्यता प्राप्त संस्था) ने प्रस्तावित छंटनी के विरुद्ध विरोध पत्र दिया है और सम्पूर्ण मामले पर बातचीत का प्रस्ताव रखा है, अन्यथा संघ का विचार भूख हड़ताल करने का है ;

(ग) यदि हां, पूरे मामले का ब्योरा क्या है ; और

(घ) मामले को सौहार्द पूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

भूमि सुधार तथा भूमिहीनों को फालतू भूमि का वितरण

1474. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों तथा उनकी क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) भूमिहीनों में फालतू भूमि को वितरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भूमि सुधारों की प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण नत्थी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4322/70]

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में भूमिहीनों में अधिशेष भूमि के लिए शीघ्र वितरण हेतु उपायों की सिफारिशें की गई हैं ।

प्रधानमन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों को लिखे अपने 20 फरवरी, 1970 तथा 1 जून, 1970 के पत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा के उपबन्धों को सख्ती से लागू करने और भूमिहीनों में भूमि वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया है । दिनांक 26-27 सितम्बर, 1970 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी भूमिहीनों में शीघ्र ही भूमि वितरण करने पर जोर दिया गया था ।

चावल-वसूली का लक्ष्य

1475. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में चावल-वसूली लक्ष्यों के पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) चालू वर्ष में देश को अनुमानत: कितने चावल की आवश्यकता होगी ;

(ग) चालू वर्ष में देश में चावल का अनुमानत: कितना उत्पादन होगा ; और

(घ) देश की आवश्यकता और पूर्ति में यदि कोई अंतर है तो उसे पूरा करने की योजना क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) मौसम अभी शुरू ही हुआ है । अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अधिप्राप्ति लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे अथवा नहीं लेकिन चालू वर्ष के लिए निर्धारित अधिप्राप्ति लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है ।

(ख) खपत संबंधी किसी व्यापक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि विभिन्न खाद्यानों और अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, उनके

तुलनात्मक मूल्य, आय-स्तर, जन संख्या में वृद्धि, शहरीकरण आदि की रफ्तार पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों (चावल सहित) की आवश्यकतायें कुछ हद तक लचीली होती हैं, देश में किसी अवधि विशेष में चावल की आवश्यकताओं का कोई ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) 1970-71 के चावल के संभावी उत्पादन का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। मौसम और फसल की स्थिति के संबंध में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कुल मिलाकर चावल की फसल की संभावनाएं काफी अच्छी प्रतीत होती हैं।

(घ) चावल सहित खाद्यान्नों की कमी केवल उत्पादन बढ़ाकर ही दूर की जा सकती है। काफी बहुत बड़े क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई करना, बहु-फसली कार्यक्रमों को शुरू करना, कृषि के उन्नत साधनों और उर्वरकों की सप्लाई में वृद्धि, बेहतर बीज और ऋण आदि कुछ ऐसे ठोस पग हैं जो कृषि की नई नीति के अंतर्गत चावल और अन्य खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए जा रहे हैं।

चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए निलम्बित आवेदन पत्र

1476. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चण्डीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने प्रार्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : 1-10-1970 को चण्डीगढ़ में टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची में प्रार्थियों की संख्या 671 थी। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) अपना टेलीफोन योजना—कोई नहीं।

(ख) सामान्य—641।

(ग) विशेष—30।

दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य नगरों के बीच सीधी टेलीफोन लाइन

1477. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के अधिक नगरों के बीच स्वचालित टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : जी हां, दिल्ली से पंजाब और हरियाणा के निम्नलिखित अतिरिक्त नगरों के लिए सीधी ट्रंक डायलिंग शुरू करने के प्रस्ताव हैं :

1. गुड़गाव

2. सोनीपत

3. रोहतक

4. करनाल

5. पानीपत

6. अम्बाला

7. लुधियाना

इनके लिए विभिन्न चरणों में योजनाएं बनाने या उन्हें क्रियान्वित करने का काम चल रहा है।

हिमाचल प्रदेश में शिमला को सीधी ट्रंक डायलिंग के जरिये पहले ही सम्बन्ध स्थापित हैं। फिलहाल दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में किसी अन्य स्थान के लिए सीधी डायलिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों में नियोजकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा की राशि जमा करना

1478. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** 20 अगस्त, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उन नियोजकों के क्या नाम हैं और उनका ब्यौरा क्या हैं ; जिनके विरुद्ध (नियोजक के अंशदानों का भुगतान न करने (दुर्विनियोग के कारण भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वर्ष 1968-69 से 1969-70 के दौरान कार्यवाही की गई थी, और प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में उन नियोजकों के नाम और पते क्या हैं जिनके विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अंतर्गत 30 सितम्बर, 1970 तक कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है और प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या 30 जून तथा 30 मई तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए नियोजकों के विशेष अंशदान तथा नियोजकों के अंशदान की राशि का भुगतान करने की अन्तिम तिथियां क्रमश: 30 जुलाई, 1970 और 11 जुलाई, 1970 थीं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने नियोजकों ने 30 जून, 1970 तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम को देय राशि जमा करा दी है और कितने नियोजकों ने यह राशि जमा नहीं कराई है ?

श्रम तथा पुर्नावास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रशासन का सम्बन्ध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी बीमा निगम से है और भारत सरकार से इसका सीधा संबंध नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि प्रश्न के भाग (ग) में, निर्दिष्ट समयावधियों के सम्बन्ध में नियोजकों के विशेष अंशदान तथा कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी की नियत तिथियां वही हैं जो उसमें

वर्णित है और यह प्रश्न के अन्य भागों में पूछी गई सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों से एकत्र की जा रही है। इसे यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में छूट प्राप्त संस्थानों के मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि के सम्बन्ध में अनियमिततायें

1479. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 20 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3491 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बद्ध संगठनों के मुख्य कार्यालय में छूट प्राप्त संस्थानों की सूची न रखने के क्या कारण हैं ;

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में छूट प्राप्त संस्थाओं के मामले में पता लगाई गई अनियमितताओं का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) पश्चिम बंगाल के उन छूट प्राप्त संस्थानों के नाम क्या हैं जिन पर यह आरोप लगाये गये हैं ; (एक) कर्मचारियों और श्रमिकों के भविष्य निधि के मासिक मांग को न्यासधारी मण्डल में जमा न कराना ; और (दो) भविष्य निधि की राशि को व्यापार में लगाना ; और

(घ) छूट प्राप्त संस्थानों के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का संबंध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कि एक स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार से इसका सीधा संबध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मुख्य कार्यालय में छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की सूची रखना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि इन प्रतिष्ठानों में कर्मचारी भविष्य निधि के वास्तविक प्रवर्तन का संबंध मुख्यतः प्रादेशिक कार्यालयों से है।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना, भविष्य निधि प्राधिकारियों के पास इस समय उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

राज्यों में कृषि फार्म-संचार केन्द्रों की स्थापना

1480. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषकों से प्रभावपूर्ण संपर्क स्थापित करने में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या फोर्ड फाउंडेशन तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से उत्तर प्रदेश में एक कृषि-फार्म संचार केन्द्र की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में ऐसा केन्द्र खोले जाने जाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। हाल ही में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर में एक कृषि सूचना सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है। केन्द्र के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सहायतार्थ संचार तकनीकों में सेवांतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना तथा स्नातक-पूर्व छात्रों के लिए कृषि संचार सहायता में तीन अथवा चार मुख्य पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना है।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से "कृषि संचार" के क्षेत्र में अनुसंधान तथा शिक्षा को सशक्त बनाने के हक में है। फिर भी, संचार केन्द्र की स्थापना के प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुणों के आधार पर विचार किया जाता है। यू०एस० एड की सहायता से आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में एक कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र स्थापित किया गया है।

लम्बे समय से बकाया सहकारिता ऋण की अदायगी पर सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन

1481. **श्री रवि राय : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य ऐसे हैं जिनकी सहकारी ऋणों की अदायगी का समय राष्ट्रीय औसत से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले पर 24 अक्तूबर, 1970 को राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में बातचीत हुई थी ; और

(घ) सम्मेलन में उस पर क्या निर्णय किए गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). जी हां। 30 जून, 1969 को अतिदेयों का स्तर आन्ध्र प्रदेश (37 प्रतिशत), असम (75 प्रतिशत), बिहार (46 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (37 प्रतिशत), महाराष्ट्र (39 प्रतिशत), उड़ीसा (47 प्रतिशत), मैसूर (41 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल (57 प्रतिशत) में 35 प्रतिशत के अखिल भारत औसत से अधिक है।

(ग) जी हां।

(घ) सम्मेलन ने निर्णय लिया कि :

(1) सहकारी समितियों के पंजीयकों द्वारा अनुशंसित प्रणाली के अनुसार अतिदेयों को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(2) बकायादारों को सहकारी संस्थाओं अथवा अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं के चुनाव के लिए खड़े होना आयोग्य ठहराया जाना चाहिए, जबकि बकायादार समिति के

नामितों को उच्चस्तर के संगठनों के प्रबन्ध मंडलों में पद ग्रहण करने से वंचित किया जाना चाहिए ।

(3) बहु सस्योत्पादन जैसी नई बातों के सन्दर्भ में इस समय ऋण देने तथा वापसी-अदायगी की अवधियाँ निश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले मानकों का पुनर्विलोकन किया जाए, ताकि अतिदेयों के सही स्तर का निश्चय करने के लिए एक उचित मानदण्ड अपनाया जा सके । इस मामले पर सहकारी समितियों के पंजीयकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया जाए, ताकि वास्तविक अतिदेयों का यथार्थ चित्र तैयार किया जा सके ।

स्वर्गीय श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती के जीवन-चरित का प्रकाशन

1482. **श्री रवि राय :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग ने देश के एक अग्रगण्य क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महाराज त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती के जीवन-चरित्र को प्रकाशित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). प्रकाशन प्रभाग के 1970-71 के प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय क्रांतिकारियों पर निकाले जाने वाले एक हिन्दी प्रकाशन में महाराज त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती की संक्षिप्त जीवनी शामिल करने का निर्णय किया गया है ।

पुस्तकाकार रूप में स्वर्गीय श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती का संसद सदस्यों के समक्ष दिया गया भाषण

1483. **श्री रवि राय :** सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 अगस्त को महाराज त्रैलोक्य नाथ चक्रवर्ती द्वारा संसद् सदस्यों के समक्ष दिये गये भाषण को टेपरिकार्ड कराया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके भाषण को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित कराने का भी निर्णय किया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). मामले पर वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है ।

बन्धुओं तथा अन्य एकाधिकार गृहों के अधिकार में भूमि

1484. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में बिड़ला बन्धुओं तथा अन्य एकाधिकार गृहों और उनके परिवार के सदस्यों अथवा कंपनियों या न्यासों इत्यादि के नाम पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुल कितनी भूमि है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम को कार्यान्वित करना

1485. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा इसको लागू करने का काम किस अधिकारी को सौंपा है ;

(ख) मनीपुर में दुकानों तथा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की मजदूरियों का क्या अनुपात है और उन्हें मनीपुर कर्मचारियों को दी जाने वाली कितनी छुट्टियां मिलती हैं ;

(ग) क्या मनीपुर में दुकानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए मनीपुर सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में सुपर बाजार की स्थापना

1486. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर में सुपर बाजार खोलने का है ताकि उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं को निश्चित कीमत पर खरीद सकें ; और

(ख) क्या मणिपुर सरकार ने ऐसा बाजार खोलने तथा आवश्यक सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सुपर बाजार बहु-विभागी भण्डार उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा खोले जाते हैं, न कि सरकार द्वारा ।

(ख) जी नहीं ।

मनीपुर में कार्मिक संघों को मान्यता देना

1487. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मनीपुर सरकार को मनीपुर में कार्मिक संघों को मान्यता देने संबंधी कुछ निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे निदेश क्या हैं ; और

(ग) मनीपुर सरकार ने उन निदेशों पर क्या कार्यवाही की है और इन निदेशों के आधार पर अब तक कितने संघों को मान्यता दी गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). इस मामले में इस प्रकार के कोई निदेश नहीं दिये गए हैं । फिर भी, संबंधित कानून, नियमों और स्वैच्छिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत स्थिति, मणीपुर प्रशासन के ध्यान में लाई गई है ।

मनीपुर में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को मजूरी का भुगतान न किया जाना

1488. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के श्रम आयुक्त को ठेकेदारों द्वारा ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को मजूरी का भुगतान न करने के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कर ली गई है तथा मजूरी का भुगतान कर दिया गया है ;

(ग) वर्ष 1970 में ऐसी कितनी शिकायतें की गई हैं ;

(घ) कितने मामलों में श्रमकों को राहत और उनकी मजूरी दी गई है ; और

(ङ) क्या मनीपुर सरकार ने संविद् श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम लागू किया था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ङ). मणिपुर प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर दी जाएगी ।

अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लागत लाभ अनुपात का अध्ययन

1489. **श्री जनार्दनन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लागत-लाभ अनुपात का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

विदेशी व्यापार विषयक भारतीय संस्थान ने यू० एस० एड के निर्यात प्रभाग के तत्वावधान में समुद्रीय उत्पादों के सम्बन्ध में भारतीय निर्यात की सम्भाव्यता का सर्वेक्षण किया है । इस संस्थान का एक कार्य समुद्री मछली पकड़ने के उद्योग में धन नियोजन की लागत/लाभ अनुपात से संबंध रखता है । किए गए निर्धारण से पता चलता है कि अध्ययन किए गए अधिकांश क्षेत्रों में अनुपात अनुकूल रहा है । ज्ञात तथा अनुमानित सम्भाव्यता के आधार पर और उपलब्ध नस्लों तथा वर्तमान और आयोजित अवस्थापनात्मक व्यय सम्बन्धी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण में 26 मात्स्यकी परियोजना के विषय में प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन परियोजनाओं में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के यानों तथा यंत्रीकृत तटीय पोतों का प्रयोग सम्मिलित है । विभिन्न मत्स्यकी परियोजनाओं के लिए अनुमानित वाणिज्यिक लाभदायिकता में पूर्वी तथा पश्चिम तटों के लिए 15 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक का अन्तर सम्मिलित है ।

सरकारी फर्मों में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतन्त्र द्वारा दिये गये ट्रैक्टरों का परीक्षण

1490. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा दिए गए ट्रैक्टरों का किसी सरकारी फर्म पर प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंचायतों को अधिक अधिकार देना और सामुदायिक विकास आयोग की नियुक्ति

1491. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायतों को अधिक अधिकार देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इससे प्राप्त होने वाले उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) क्या बहुत समय पहले से घोषित सामुदायिक विकास आयोग नियुक्त किया जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख). इस प्रयोजन से कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के उपकरण और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के एक अभिकरण के रूप में कार्य कर सकें, उन्हें पर्याप्त अधिकार सौंपे जाने चाहियें। चूंकि पंचायतीराज विभिन्न राज्य विधानों द्वारा विनियमित होता है, अतः इस बारे में आवश्यक कदम राज्य सरकारों को उठाने हैं।

(ग) जी हां।

अनाज के मूल्य में वृद्धि

1492. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अच्छी फसल होने और पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात के बावजूद पिछले एक वर्ष में अनाज का मूल्य बढ़ा है ; और

(ख) क्या उनके पास फसल खराब होने जैसी स्थिति के लिए पर्याप्त आरक्षित भंडार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) वर्ष के शुरू में कुछ मौसमी वृद्धि को छोड़कर, थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक और खाद्यान्नों के चल रहे बाजार मूल्यों के अनुसार खाद्यान्नों के मूल्य में, विशेषकर जुलाई, 1970 से नरमी का रुख देखा गया है। सभी आवश्यक (चावल को छोड़ कर) के अद्यतन सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में कम हैं।

(ख) सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित स्तर तक बफर स्टाक तैयार करने के लिये अभी भी प्रयास कर रही है।

उड़ीसा में सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त डाक्टरों द्वारा पद का नहीं संभाला जाना

1493. **श्री दिनकर देसाई** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के रोजगार कार्यालय द्वारा सीमा सुरक्षा दल के लिये चुने गये 20 डाक्टरों ने अपने पद नहीं संभाले ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र, सिरोही जिले के लिये धनराशि का नियतन

1494. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान का सिरोही जिला देश के मुख्यतः अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में से एक है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित 25 करोड़ रुपये की राशि में से इस क्षेत्र में सहायता कार्य करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जिले को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रायः सूखे से प्रभावित रहने वाले जिलों का चयन वर्षा की मात्रा, सूखे की आवृति तथा उसके क्षेत्र, सूखी खेती की गहनता और अन्य सम्बद्ध बातों की वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर किया गया है । राजस्थान राज्य में इस आधार पर 10 जिलों का चयन किया गया है । वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर सिरोही जिला ठीक नहीं बैठता ।

सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों और उत्पादिता में सुधार सम्बन्धी योजनायें

1495. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धी और उत्पादिता में सुधार लाने के लिए दो योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं के कब तक लागू की जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). संभवतः यह प्रश्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक-बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल करने और ऐसे उपक्रमों में श्रमिकों के भागीदार होने से संबंधित योजनाओं के बारे में है । इन योजनाओं के ब्यौरे संबंधित मंत्रालयों का परामर्श लेकर तैयार किये जा रहे हैं ।

अधिक उपज देने वाले बीजों से गेहूँ की वृद्धि दर में हो रही कमी को रोकने के लिये उपाय

1496. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाले बीजों से गेहूँ के उत्पादन की वृद्धि दर में चरम सीमा आ गयी है ;

(ख) क्या यह भी सुनिश्चित है कि कुछ समय बाद इसमें कोई ठोस कमी आयेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्या की पूरी तरह जांच कर ली है ; और

(घ) इस कमी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। चतुर्थ योजना में 240 लाख मीटरी टन गेहूँ के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 1969-70 की अवधि में गेहूं का वास्तविक उत्पादन 20 लाख मीटरी टन था। इसके अतिरिक्त गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों के फलस्वरूप 1.7 मीटरी टन के अतिरिक्त उत्पादन का मानदंड अभी तक पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ है। अतः गेहूं का उत्पादन अभी तक अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंचा है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं होता।

पत्तन और गोदी में संविद श्रमिक उत्पादन अधिनियम का प्रचालन स्थगित रखना

1497. **श्री ज० अहमद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पत्तन और गोदी क्षेत्र में संविद श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम का प्रचालन स्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या रेलवे जैसे कुछ और प्रतिष्ठानों में भी उक्त अधिनियम का प्रचालन स्थगित रखा जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं अधिनियम अभी लागू नहीं किया गया है, किन्तु जब वह लागू किया जायेगा तब गोदी और पत्तन के ठेका श्रमिकों पर उसकी प्रयोज्यता को स्थगित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के पुनर्विलोकन के बारे में समिति की सिफारिशें

1498. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के पुनर्विलोकन के बारे में समिति ने बागजोला में आठ शिवरों में रह रहे पूर्व पाकिस्तान से आये लोगों के पुनर्वास के लिये सहायता की विभिन्न प्रणालियों और ढांचों की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) तथा (ख). बागजोला के विभिन्न भूतपूर्व शिविर स्थलों पर रह रहे पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों के पुनर्वास के लिए समीक्षा समिति ने सहायता की अलग-अलग दरों तथा प्रतिरूपों की कोई सिफारिश नहीं की है, फिर भी पश्चिम बंगाल में अन्य भूत पूर्व शिविर स्थलों के बारे में पहले की गई सिफारिशों की तुलना में, समिति ने बागजोला के वर्तमान स्थलों पर पुनर्वास के लिए कुछ अधिक खर्च की सिफारिश की

है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कलकत्ता के बहुत समीप होने के कारण, उस क्षेत्र में भूमि की कीमत अधिक है।

2. इस क्षेत्र में नीची सतह की स्थितियां बनने की सम्भावनाओं को रोकने के लिए, समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि आवास गृहों का नियोजित तरीके से तथा कलकत्ता में मेट्रोपोलिटन योजना संगठन के परामर्श से निर्माण किया जाय। उसने आगे यह भी सुझाव दिया है कि उस क्षेत्र के विकास का बृहद कलकत्ता क्षेत्र के विकास की समेकित योजना के साथ परस्परानुबन्धन होना चाहिए।

3. समिति के साथ ही वैकल्पिक योजना के रूप में इन परिवारों के पुनर्वास के लिए साल्ट लेक क्षेत्र का प्रस्ताव भी किया है जहां कि पुनर्वास का खर्च अन्य भूत पूर्व शिवरों के परिवारों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत उच्चतम सीमा के अन्दर ही रहेगा।

4. रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से निरीक्षणाधीन है।

पंजाब और हरियाणा में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये स्टेट बैंक आफ पटियाला का वित्तपोषण कार्यक्रम

1499. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ पटियाला ने पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए पंजाब और हरियाणा में एक वित्तपोषण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये सरकार को पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है : और

(ग) क्या सरकार ने स्टेट बैंक आफ पटियाला के इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना में कृषि संबंधी सामानों के लिए, जैसे कि बीज, उर्वरक, ट्रैक्टर, कृषि के औजार, नलकूप लगाने आदि के लिये, उत्पादन ऋणों की व्यवस्था की गई है। कृषि के विकास को देखते हुए बैंक ने लघु स्तर के उद्योगों और व्यवसायिक उद्यमों के विकास पर भी विचार प्रकट किया है, और उनके लिए भी वह धन दे सकता है।

(ग) चूंकि इस समय पंजाब और हरियाणा में पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के पुनर्वास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, अत: स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से लाभ उठाना संभव नहीं हो पाया है।

Legislation for Uniform Wages in Beedi Industry

1500. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to enact a legislation for the labour

working in the Beedi industry in order to bring about uniformity in their wages and other facilities : and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) No.

(b) Does not arise.

डाक-तार सर्किल, बिहार में अतिरिक्त पदों के निर्माण के लिए धन

1501. **श्री राम अवतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में 31 मार्च, 1970 के आंकड़ों के आधार पर एल० एस० जी० मोनिटरस एल०एस०जी० लिपिक, एस०जी०आर०एस०ए०, एस०जी०पी एल्स०, एस०एस०जी० मैकेनिक, मैकेनिक एस०जी० वायरमैन, वायरमैन, एस०जी०, केबल ज्वायन्टर, केबल ज्वायन्टर, टेलीफोन आपरेटर, वाटरमैन, सब-इन्सपेक्टर, लाइनमैन, लाइन-इन्सपेक्टर, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, इन्जीनियरिंग सुपरवाइजर, एस०जी० इन्जीनियरिंग सुपरवाइजर, संवर्गों के सम्बन्ध में उचित ठहराये गये पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या बिहार सर्किल के सभी डिवीजनल इन्जीनियरों के अतिरिक्त पदों के निर्माण को जून, 1970 में पी०एम०जी० सर्किल के विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर उचित ठहराया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पी०एम०जी० द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या अतिरिक्त पदों के निर्माण के अभाव में वर्तमान कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ है और न्यायोचित पदों के अभाव में विभाग भी कार्य पूरा कराने हेतु समयोपरि भत्ते पर बहुत खर्च कर रहा है ; और

(घ) सरकार द्वारा बिहार सर्किल में जनहित के लिए पर्याप्त धन जुटाने तथा सभी न्यायोचित पदों के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) संवर्ग का नाम	पदों की संख्या
एल०एस०जी० मानीटर्स	4
एल०एस०जी० क्लर्क	7
एस०जी०आर०एस० ए०	4
एस०जी० फोन निरीक्षक	3
एस०जी० मैकेनिक	18
मैकेनिक	50
एस०जी० वायरमैन	3
वायरमैन	13

एस०जी० केबिल संयोजक	1
केबिल संयोजक	6
टेलीफोन आपरेटर	58
वाटरमैन	कोई नहीं
उप निरीक्षक	18
लाइन मैन	114
लाइन इन्स्पेक्टर	6
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6
इंजीनियरी सुपरवाइजर	15
एस०जी० इन्जीनियरी सुपरवाइजर	6

(ख) बिहार सर्किल में डिवीजन इंजीनियरों ने बिहार सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल को निर्धारित मानकों के आधार पर अतिरिक्त पदों के निर्माण के लिए जून और जुलाई 1970 में औचित्य भेजे थे। जो अतिरिक्त पद औचित्यपूर्ण पाये गये, पोस्टमास्टर जनरल ने उनका निर्माण कर दिया है और भी कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) पोस्टमास्टर जनरल, पटना को पर्याप्त रकम दे दी गई है और जिन पदों का औचित्य पाया गया है उनकी मंजूरी दे दी गई है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी रिक्त पदों के सम्बन्ध में रोजगार केन्द्रों को सूचित करना तथा निवास की शर्त का ढीला किया जाना

1502. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष 210 रुपये अथवा उससे अधिक मूल वेतन के कितने वैज्ञानिक तथा तकनीकी ढंग के रिक्त पद नियोक्ताओं द्वारा केन्द्रीय रोजगार केन्द्रों को सूचित किये गये थे ;

(ख) नियोक्ताओं को विकल्प क्यों दिया जाता है जबकि सम्पूर्ण देश के उम्मीदवारों के साथ निष्पक्षता बरतने के लिये सभी रिक्त स्थानों की अधिसूचना दी जानी चाहिये ;

(ग) 210 रुपये से अधिक के रिक्त पदों की अधिसूचना केवल वैज्ञानिक और तकनीकी ढंग के पदों तक ही क्यों सीमित है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों और कार्य के स्थानों से दूर के उम्मीदवारों में विद्यमान रोष को ध्यान में रखते हुए रोजगार केन्द्रों के सीमा क्षेत्र में निवास की शर्त को ढीला किया जायेगा जिससे कि बाहर के उम्मीदवारों को सूचना प्राप्त करने तथा साक्षात्कार के लिये उपस्थित हो सकने की सुविधा मिल सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 4.915

(ख) और (घ). राष्ट्रीय एकता परिषद् ने जून, 1968 में श्रीनगर में हुई अपनी पहली बैठक में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध नियुक्ति अवसरों में स्थानीय लोगों के भाग की समस्या पर विचार किया। देश की एकता के लिए सम्मिलित नागरिकता के महत्व को स्वीकार करते हुए, इस ने सिफारिश की "स्थानीय लोगों को पर्याप्त नियुक्ति अवसर सुलभ करने के लिये यह बात सुनिश्चित करने के लिये कि उन्हें अन्याय की भावना दुख न दे, जहां योग्यता प्राप्त राज्य विशेष के स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध हों उन्हें नियुक्ति अवसरों का एक बड़ा भाग दिया जाना चाहिये।"

वर्तमान आदेशों के अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी योग्यता चाहने वाली ऐसी रिक्तियां जिनका मूल वेतन रु० 210/- प्रति माह (कुल परिलब्धियां रु० 400/-) अथवा इससे अधिक है, केंद्रीय नियोजन कार्यालय को अधिसूचित की जाती हैं, जो इन रिक्त स्थानों की सूचना देश के सभी नियोजन कार्यालयों को भेजता है। सन् 1968 में, यद्यपि इस प्रकार अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या नियोजन कार्यालयों को अधिसूचित कुल रिक्त स्थानों के 1 प्रतिशत से भी कम थी। औसतन् इस तरह अधिसूचित की गई रिक्तियों का 79 प्रतिशत ऐसे प्रार्थियों द्वारा भरा गया था जो उन्हीं राज्यों के थे जहां ये रिक्तियां उपलब्ध हुई थी।

ऊपर बताये तथ्य को ध्यान में रखते हुये, कहा जा सकता है कि कार्यपद्धति में कोई परिवर्तन करने से नियोजकों के पास प्रार्थियों के नाम भेजने में विलम्ब होगा और इसके परिणाम-स्वरूप नियोजकों को असुविधा होगी।

ऊंचे अथवा उन पदों पर चुनाव के लिये जहां कुशलता की आवश्यकता है, और विस्तृत क्षेत्र से प्रत्याशियों को चुनना पड़ता है, देश के सभी नियोजन कार्यालयों को रिक्त स्थानों की सूचना दी जाती है। इस प्रकार बड़े नगरों सहित देश के विभिन्न नियोजन कार्यालयों के अधीन आने वाले रिक्त स्थानों पर चुने जाने का समान अवसर सभी प्रार्थियों को मिलता है।

(ग) नियोजन कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960 में मुख्यतः यह व्यवस्था थी कि रु० 200/- प्रति माह अथवा इससे अधिक की प्रलब्धियों वाली केंद्रीय सरकार की सभी नौकरियों की अधिसूचना केंद्रीय नियोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। केन्द्रीय सरकार के अधीन मिलने वाले वेतनमानों में वृद्धि होने के फलस्वरूप और बाद में मंहगाई भत्ते को वेतन में मिला देने के कारण कई छोटी श्रेणी के पदों पर मिलने वाली कुल परिलब्धियां रु० 200/- प्रति माह की सीमा से बढ़ गई और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि स्थानीय नियोजन कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वाले स्थानीय उम्मीद-वारों को केन्द्रीय सरकार के अधीन खाली होने वाली निम्न श्रेणी की नौकरियां उपलब्ध हो सकें। राज्य सरकारों की इस इच्छा की पूर्ति के लिये वेतन की सीमा को बढ़ा दिया गया था ताकि इसके अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी योग्यता रखने वालों को उपलब्ध ऐसे रिक्त स्थान सम्मिलित किये जायें जिनका मूल वेतन रु० 210/- प्रतिमाह अथवा अधिक हो, और मार्च, 1968 में नियोजन कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960 में आवश्यक संशोधन किया गया।

उर्वरक की खपत में कमी

1503. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बजट में शुल्क में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप सामान्यत: देश में और विशेषत: दक्षिण कनारा जिले में उर्वरकों की खपत में कितनी कमी हुई ;

(ख) उर्वरकों का आयात मूल्य तथा विक्रय मूल्य भारत में पाकिस्तान की तुलना में कितना है ;

(ग) क्या उन कृषकों को कम दर में कम से कम एक खेप उर्वरक सप्लाई कराने का विचार है, जिन के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, ताकि वे भी हरित क्रांति में योगदान दे सकें ; और

(घ) सरकार केवल छोटे कृषकों के लिये जो हरित क्रांति के उपायों को अपना लें, फसल बीमा की एक सीमित योजना बनाने पर विचार क्यों नहीं करती ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) गत बजट में शुल्क वृद्धि के फलस्वरूप देश में समग्र रूप से उर्वरकों की खपत में कोई कमी नहीं आई है । इसके विपरीत 1969-70 की अवधि में उर्वरकों की खपत में 1968-69 की तुलना में 14 प्रतिशत वृद्धि तथा खरीफ 1970-71 में खरीफ 1969-70 की तुलना में अनुमानत: 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है । राज्य सरकार से दक्षिण कनारा में उर्वरकों की खपत के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) कुछ उर्वरकों की लैन्डेड लागत की तुलना में कृषकों के लिए हमारे उर्वरकों की लागत निम्न प्रकार है :—

(रुपये प्रति मीटरी टन)

	एमोनियम सल्फेट	यूरिया (46 प्रतिशत एन)	सीएएन (26 प्रतिशत एन) (एन)	एम ओ पी
लैन्डेड लागत*	429.52	626.91	471.95	434.46
कृषकों के लिये मूल्य	529.00	943.00	575.00	523.00

*सीमा शुल्क सहित

लैन्डेड लागत तथा कृषकों के लिये विक्रय मूल्य में जो अन्तर है वह रेल परिवहन, भंडारण तथा वित्तीय प्रभार और वितरण लागत के फलस्वरूप है ।

पाकिस्तान के विक्रय मूल्यों की तुलना में हमारे उर्वरकों का विक्रय मूल्य निम्न प्रकार है :—

(पादप पोषकों के प्रति मीटरी टन-रुपये)

	एमोनियम सल्फेट	यूरिया	एम ओ पी
भारत (विद्यमान)	2567	2050	872
भारत (1966-67)	2032	1565	556
पाकिस्तान (पूर्वी)* (1966-67)	1282	1035 (40 प्रतिशत एन)	—
पाकिस्तान (पश्चिमी)† (1966-67)	1627	1642	—

*1961 में स्थापित स्तर को बनाये रखने के लिये मूल्य 53 प्रतिशत उपदान घटा कर प्रदर्शित किया गया है । पाकिस्तान चाय संघ, पाकिस्तान तम्बाकू कम्पनी तथा चीनी ऐस्टेटों के लिये कोई उपदान स्वीकृत नहीं किया जाता ।

†गोदाम पर

स्रोत :—खाद्य कृषि संगठन इयरबुक, पाकिस्तान के सम्बन्ध में बाद के वर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) कृषि आदानों को सहायता न देने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय को दृष्टि में रखते हुये तथा उर्वरकों के उपयोग से किसानों को संतोषजनक लाभ होने से, इस समय सरकार का सहाय्य मूल्यों पर उर्वरकों की सप्लाई करने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) फसल-बीमे का प्रश्न विस्तृत जांच के लिये विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया है ।

उच्च जल-तल चिन्ह से सौ गज के अन्दर मछुओं द्वारा मकान बनाने पर प्रतिबन्ध

1504. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च जल-तल चिन्ह से सौ गज के अन्दर स्थाई मकान बनाने के लिये भूमि देने पर प्रतिबन्ध है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) यदि यह प्रतिबन्ध मछुओं के मकानों की सुरक्षार्थ लगाया गया है तो क्या पट्टे पर अस्थाई रूप में भूमि देने के बजाय मकान बनाने के लिए स्थाई तौर पर जमीन देना अच्छा नहीं होगा ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मकानों के निर्माण पर रुपया न लगा सकने के कारण मछुए यन्त्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने से हुई अपनी आय दुर्व्यसनों में खराब करते हैं ; और

(घ) अपने मकानों के लिए पट्टे पर भूमि मिलने के बजाय स्थाई रूप में भूमि दिये जाने के लिये बार-बार प्रयत्न करने पर असफल होने के कारण क्या दक्षिण कनारा जिले के मछुओं में बड़ा आक्रोश है ; यदि हां, तो इस आक्रोश को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) मैसूर राज्य में सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए उच्च चिन्ह के एक फर्लांग के अन्दर सरकारी भूमि के वितरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(ख) किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से भवन निर्माण करना स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और उनके विषय में निर्णय उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) मैसूर सरकार से पता चला है कि मछियारों ने गृह-निर्माण के लिये जगह की मांग की है। समस्या, यह है कि मछियारों में वितरण के लिए समुद्र तट पर बहुत थोड़ी सरकारी भूमि उपलब्ध है। जब दक्षिण कनारा जिले के कुछ भागों में ऐसी भूमि उपलब्ध थी उसके प्लाट काट कर गृह बनाने के लिए मछियारों को दे दिए गये थे।

शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति के सम्बन्ध में संसद सदस्यों का अभ्यावेदन

1505. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति में वर्तमान संसद के केवल तीन सदस्य हैं ;

(ख) क्या इनमें दो सदस्य राज्य सभा के साम्यवादी मार्क्सवादी दल के सदस्य हैं तथा इसका लोक सभा का एक मात्र सदस्य भी उसी दल के समर्थन से चुना गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त समिति में वर्तमान संसद का एक दलीय प्रतिनिधित्व सरकारी समितियों में संसद सदस्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के विरुद्ध है ;

(घ) क्या पुनर्विलोकन समिति में वर्तमान संसद के इस प्रकार के एक दलीय प्रतिनिधित्व के कारण अन्य दल शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी नीति पर अपने विचार व्यक्त करने के वैध अधिकार से वंचित रह गये ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान संसद के अन्य दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए पुनर्विलोकन समिति की सदस्यता को बढ़ायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति में वर्तमान संसद में से केवल दो ही सदस्य है—एक राज्य सभा के श्री निरेन घोष (साम्यवादी मार्क्सवादी) और दूसरे लोक सभा के श्री एन० सी० चटर्जी (निर्दलीय)।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि समिति में एक दल का प्रतिनिधित्व है क्योंकि इस समय समिति के 12 सदस्यों में से तीन सरकारी और नौ गैर सरकारी हैं। इन गैर-सरकारी सदस्यों में से चार कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व संसद सदस्य हैं, एक निर्दलीय संसद सदस्य हैं, एक साम्यवादी मार्क्सवादी संसद सदस्य है, एक दक्षिण पंथी साम्यवादी पार्टी के भूतपूर्व संसद सदस्य हैं, एक विधान सभा (मध्य प्रदेश) के सदस्य हैं एक विस्थापित व्यक्ति एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता है।

(घ) और (ङ). समीक्षा समिति स्थायी य संसदीय समिति नहीं है बल्कि केवल एक तदर्थ समिति है जिसके सदस्य अपनी राजनीतिक सम्बद्धता के कारण नहीं चुने गए हैं बल्कि उनका चुनाव उनके ज्ञान और अनुभव तथा शरणार्थियों के पुनर्वास के मामलों में रुचि लेने के कारण किया गया है। समिति का वर्तमान गठन किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने विचार व्यक्त करने से वंचित नहीं करता क्योंकि कोई भी सदस्य शरणार्थियों के पुनर्वास से सम्बन्धित किसी भी मामले को संबन्धित मंत्री जी के साथ उठा सकता है, इसके अलावा पुनर्वास विभाग से सम्बद्ध सलाहकार समिति की बैठकों में ऐसा करने के लिए पर्याप्त सुअवसर उपलब्ध है। इस तथ्य के कारण तथा इस बात का ध्यान करके कि अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया है, अब इस अवस्था में वर्तमान संसद के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करके समिति का पुनर्गठन या विस्तार करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल में पत्रों एवं तारों का वितरण

1506. **श्री समर गुह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पत्रों तथा तारों का वितरण बहुत अनियमित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अनियमितिताओं का क्या कारण है ; और

(ग) राज्यों में पत्रों एवं तारों के वितरण को नियमित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं, अथवा करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। प्राकृतिक विपत्तियां, रेलवे में हड़ताल, स्थानीय बंद और नक्सलवादी गतिविधियों जैसे गड़बड़ी पैदा करने वाले विभिन्न कारणों के बावजूद डाक-तार सेवाएं आम तौर पर नियमित रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास में भेदभाव का बरता जाना

1507. **श्री सीता राम केसरी :**
श्री वे० कृ० दासचौधरी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रो० एस० के० गंगोली द्वारा की गई आलोचना

से अवगत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के संबंध में केन्द्र ने भेदभाव बरता है ; और

(ख) क्या सरकार इन मामले पर पुन: विचार करेगी और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के पुनर्वास में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया है, उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार अभिकरण (न्यूज एजेन्सी)

1508. **श्री सीता राम केसरी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना अन्तर्राष्ट्रीय समाचार अभिकरण स्थापित करने की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). सरकार भारत से विदेशों में तथा विदेशों से भारत में समाचार अधिक प्रभावशाली ढंग से भेजे जाने की आवश्यकता के प्रति सजग है । सरकार की राय में यह तभी हो सकता है जब अच्छे उपकरण और पर्याप्त स्टाफ युक्त एक भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी हो । सरकार यह विचार कर रही है कि इस प्रकार की एजेन्सी के गठन में वह किस प्रकार सहायता कर सकती है ।

राज्यों में चकबन्दी में प्रगति

1509. **श्री हेम राज** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री राज्यों में चकबन्दी के बारे में 13 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 418 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1970 तक चकबन्दी की गई भूमि, इसके बटवारे, उत्तराधिकार, बिक्री अथवा उपहार से यह टुकड़ों-टुकड़ों में बांटे जाने और इस प्रकार बेकार हो रहे व्यय को रोकने के लिये की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कृषि को भली प्रकार संगठित करने के लिए भूमि की चकबन्दी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना गया है । देखने में आया है कि पंजाब हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में अपने पानी का बन्दोबस्त करने तथा खेती में बढ़ोतरी करने में जो सफलता मिली है उसका मुख्य कारण

इन राज्यों में पिछले दिनों किया गया चकबन्दी कार्य है। भूमि सुधार कार्यों पर होने वाले व्यय को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता।

विभिन्न राज्यों में भूमि के हस्तान्तरण, विभाजन तथा पट्टेदारी आदि, जिनके कारण भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, को नियमित करने के लिए अनेक संविधिक व्यवस्थाएं की हैं।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

जून, 1970 तक विभिन्न राज्यों संघ-राज्य क्षेत्रों में चकबन्दी हुये क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण :

राज्य	लाख एकड़
आंध्र प्रदेश	8.38
बिहार	2.11
गुजरात	24.98
हरियाणा	101.29
जम्मू और काश्मीर	0.61
मध्य प्रदेश	72.02
महाराष्ट्र	132.14
मैसूर	19.93
पंजाब	117.30
राजस्थान	43.30
उत्तर प्रदेश	231.66
दिल्ली	1.68
हिमाचल प्रदेश	3.82

असम में चकबन्दी के कार्य मार्गदर्शी आधार पर किया गया है। भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में खण्डित होने से रोकने के लिए निम्नलिखित राज्यों में कानून बनाए गये हैं :

आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र)
असम
बिहार
गुजरात
मैसूर
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल

मध्य प्रदेश	दिल्ली
महाराष्ट्र	मणिपुर
पंजाब	त्रिपुरा

आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणीपुर तथा त्रिपुरा में इन कानूनों को लागू नहीं किया गया है।

प्राय: ये कानून हस्तान्तरण विभाजन पट्टेदारी आदि, जिनके परिणामस्वरूप भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, को नियमित करने के लिये हैं। यह भी व्यवस्था की गई है कि भू-खण्डों को संलग्न खेत के स्वामी अथवा उसपर खेती करने वाले के नाम हस्तान्तरित कर दिया जाएगा ताकि उन भू-खण्डों को संलग्न भूमि में मिलाया जा सके। कानूनों के विरुद्ध होने वाले सभी हस्तान्तरण अवैध होंगे। कुछ राज्यों में जुर्माना करने की भी व्यवस्था है।

गुजरात तथा महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकारों ने भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन को रोकने के लिये किये गये उपायों के विषय में अभी तक कोई जानकारी भेजी हैं। भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन को रोकने की कानूनी व्यवस्था के विरुद्ध किये गये अनौपचारिक हस्तान्तरणों के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

राज्यों में उठाऊ सिंचाई की दरें

1510. **श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उठाऊ सिंचाई की दर क्या है तथा हिमाचल प्रदेश की उन दरों में कितना अन्तर है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से दरों को बढ़ाने के लिये कहा है और यदि हां, तो किस आधार पर तथा कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अलग-अलग राज्यों में और एक राज्य की अलग-अलग फसलों के लिए उठाव सिंचाई की दरें भिन्न-भिन्न हैं। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उठाव सिंचाई योजनाओं के लिये मुख्य फसलों की दरें निम्न प्रकार से अलग-अलग हैं :—

चावल	लगभग 16 रुपये से लगभग 50 रुपये प्रति फसल एकड़								
गेहूं	,,	8	,,	,,	50	,,	,,	,,	,,
ज्वार-बाजरा	,,	6	,,	,,	15	,,	,,	,,	,,
गन्ना	,,	28	,,	,,	180	,,	,,	,,	,,

हिमाचल प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए इन फसलों की तद्नुरूपी दरें निम्न प्रकार हैं :—

चावल	19.64 रुपये प्रति फसल एकड़			
गेहूं	11.80 ,,	,,	,,	,,
मक्का	11.30 ,,	,,	,,	,,
गन्ना	33.26 ,,	,,	,,	,,

(ख) इस समय हिमाचल प्रदेश सहित प्रातः समस्त राज्यों में सिंचाई की दरें आर्थिक दर से कहीं कम है और इससे योजनाओं को 'न लाभ, न हानि' के आधार पर चलाया जा सकेगा। उठाव सिंचाई योजनाओं पर (6 प्रतिशत व्याज दर लगा कर) औसत आर्थिक दर (समस्त फसलों के लिये) आमतौर पर 50 रुपये और 100 रुपये के बीच होगी। इस लिये केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित समस्त राज्यों की दरों को बढ़ाने के विषय में सक्रिय रूप से विचार करने के लिये लिखा है जिससे कि वे कम से कम रख रखाव, प्रचालन, और मूल्य ह्रास को पूरा करके मूलधन पर भी कुछ व्याज प्राप्त कर सकें। इस प्रकार मूल्यों में वृद्धि करने से न केवल राज्यों को अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे किसानों को सिंचाई जल के प्रयोग को कम करने हेतु और पर्याप्त कदम उठाने के लिये प्रोत्साहन भी मिलेगा।

कांगड़ा घाटी के पोंग बांध में काम कर रहे डाक तार कर्मचारियों की परियोजना

1511. **श्री हेम राज** : क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्री कांगड़ा घाटी में रेलवे लाइन के डाइवरजन प्वाइंट पर काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का भुगतान करने के बारे में 30 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में काम कर रहे डाक तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है तथा कांगड़ा घाटी रेलवे का पोंग बांध के कारण ही नया मान निश्चत किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह भत्ता कितने कर्मचारियों को मिल रहा है तथा वे किन-किन डाक-तार घरों में काम कर रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। ब्यौरेवार प्रस्ताव 2-11-70 को प्राप्त हो चुके हैं और विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मास्टर जनरल के अलग सर्किल की स्थापना

1512. **श्री हेम राज** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री 13 सितम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मास्टर जनरल के अलग डाक-सर्किल की स्थापना के प्रस्ताव में और आगे की प्रगति क्या हुई ; और

(ख) प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रशासन सुधार आयोग ने वर्तमान डाक तार सर्कलों के क्षेत्रों/अधिकार-क्षेत्रों के पुनर्गठन

और उन्हें तर्कसंगत बनाने के सम्बन्ध में कतिपय सिफारिशें की हैं. जिनकी अलग से जांच की जा रही है। डाक-तार बोर्ड द्वारा प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों की जांच करने और उनपर निर्णय लेने के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए डाक तार सर्कलों के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

(ख) यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि इस प्रस्ताव को कब अन्तिम रूप दिया जाएगा।

भंडार में से खाद्यान्नों की चोरी के कारण खाद्य निगम को हुई हानि

1513. **श्री रा० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्नों के खराब हो जाने तथा चोरी किये जाने से खाद्य निगम को कितनी हानि हुई है ; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार की हानियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से रखने तथा कीटाणुओं के आक्रमण के कारण खाद्यान्नों की हानि बहुत ही कम करने के लिये निगम योग्य तकनीकी स्टाफ रखता है। चोरी के कारण हानि को कम करने के लिए निगम सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा करने और चलते-फिरते सक्वैडो द्वारा अचानक छापा मारने की प्रणाली को भी लागू करने के लिये पग उठा रहा है।

बाढ़ के पश्चात् कृषि के लिए भूमि का उपयोग करने हेतु बाढ़ से प्रभावित किसानों को केन्द्रीय सहायता

1514. **श्री रा० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कृषि योग्य भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र हाल ही की बाढ़ से अत्याधिक प्रभावित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार का क्या अनुमान है ;

(ग) उन क्षेत्रों में कृषि के लिये भूमि का फिर से उपयोग करने हेतु किसानों को राहत देने के लिये केंद्र द्वारा कोई विशेष सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे किसानों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे हाल ही में बाढ़ से फसलों को हुई हानि का मूल्यांकन करें।

2. मौजूदा प्रणाली के अनुसार केंद्रीय सरकार बाढ़ ग्रस्त राज्यों में हुई हानि का निर्धारण करने तथा वित्तीय सहायता देने के बारे में सिफारिश करने के लिये एक केंद्रीय दल को भेजती है। केंद्रीय दल पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुका है तथा राज्य के लिये निम्नलिखित केंद्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है :—

	(करोड़ रु०)
1. सहायता कार्य	3.29
2. ऋण की मदें	1.85
3. मरम्मत की मदें	6.00
जोड़	11.14
4. कुछ शर्तों के अनुसार लघु सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण	3.71
5. बीज तथा उर्वरकों की खरीद के लिए कृषि विभाग द्वारा छोटी अवधि के लिये दिये जाने वाले ऋण	5.00

3. बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में बाढ़ की स्थिति के बारे में दल की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय में प्राप्त हो चुकी हैं। दल ने गुजरात एवं आन्ध्र प्रदेश का भी दौरा किया है तथा उस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। केंद्रीय दल असम व केरल राज्यों में बाढ़ सहायता कार्यों के लिये धन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिये उन राज्यों का भी दौरा करेगा। इस बीच राज्यों को सहायता तथा पुनर्वास कार्य के लिये राज्य सरकारों को निम्न धनराशियां संस्वीकृत की गई हैं :—

	(करोड़ रुपये)
1. असम	2.00
2. बिहार	2.00
3. गुजरात	2.00
4. केरल	0.50
5. उत्तर प्रदेश	3.00
6. पश्चिम बंगाल	3.00

अतिरिक्त सहायता की स्वीकृति के प्रश्न पर स्वीकृत सीमा के आधार पर हुए व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाएगा। किसानों को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों की अपनी अपनी प्रणालियां तथा नियम हैं।

चित्तूर सहकारी चीनी कारखाने में चीनी का स्टाक जमा होना

1515. **श्री ई० के० नायनार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चित्तूर सहकारी चीनी फैक्ट्री केरल राज्य में 1-112 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी जमा हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जमा हुई इस चीनी का निपटान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) केरल राज्य के चितूर कारखाने के पास 31 अक्तूबर, 1970 को चीनी का इतिशेष स्टाक 7134.4 मीटरी टन था जिसमें चालू चीनी वर्ष अक्तूबर, 1970 सितम्बर, 1971 में उत्पादित 1806.2 मीटरी टन चीनी शामिल है। उक्त स्टाक का अनुमानित मूल्य उत्पादन शुल्क के बिना लगभग 90 लाख रुपये है ।

(ख) आशा की जाती है कि आगामी महीनों में यह स्टाक बिक्री हेतु निर्मुक्त किया जाएगा ।

Government Advertisements to Small Newspapers

1516. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the effective steps taken by the Central Government to implement their declaration to the effect that they want to adopt a liberal attitutde towards small newspapers and also ensure that freedom of the press is not affected by their decision to give or not to give advertisements to them ; and

(b) the details of the success achieved in the matter as a result of the above steps ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broacasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Every effort is being made to make increasing use of medium and small newspapers consistent with publicity requirements and availability of funds. Steps taken towards this end include :

(i) Confining as far as possible mass compaigns like Family Planning Small Savings, National Integration, etc to regional language newspapers.

(ii) Releasing advertisement in bigger size to language newspapers which by and large belong to small category and in smaller size to English newspapers.

(iii) Regular I. C. A. R., U. P. S. C., D. G. E. T. and other recruitment advertisements which largely go to English presses now inserted in smaller space without imparing the visual impact. Savings thus effected have been/are being utilised for release of more advertisements to small newspapers, mostly in regional languages.

(iv) The list of newspapers to which regular weekly insertions of U. P. S. C. advertisements are released, has been enlarged, including more small and medium language newspapers.

(v) Mounted stereos are now being supplied to small newspapers. This arrangement results in a saving of Rs. 4 to 5 per insertion. Newspapers published in Urdu are now being supplied "Charbas" instead of Stereos.

(vi) Public undertakings have been advised to give due consideration to medium and small newspapers in the selection of *media* for their advertisements. They have also been requested to set apart a suitable proportion of their advertising budget for diversion to medium and small newspapers published in regional languages.

(vii) The advertising agencies seeking accredition to DAVP are now required to adhere to the general policy laid down by the Government regarding encouragement to medium and small categories of newspapers and periodicals to the extent possible.

Government advertisements are not released as a measure of financial assistance but are intended to meet the varying publicity requirements of Government. The political affiliation of the newspapers is not taken to consideration while releasing advertisements. Publications of different political parties and those which are supporting different shades of public opinion are being used for Government advertisements. The freedom of the press is not in any way sought to be impaired.

The newsprint allocation policy is framed with due regard to the need for fostering the growth of small and medium newspapers.

50% of the available foreign exchange for the import of printing machinery is earmarked for small newspapers.

It is proposed to set up a Corporation to give financial assistance to newspapers.

A slow speed news bulletin in the English is broadcast from the Delhi Station of All India Radio every day and is relayed by 14 other Stations.

Besides news-releases, articles, illustrated features and ebonoid blocks are supplied by the Press Information Bureau to small newspapers.

(b) The share of small newspapers, in terms of cost, in regard to advertisements released by the D. A. V. P. during the last four years is given below :—

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
Small	14.85%	23.70%	25.08%	24.83%

It is hoped that the above steps will assist small newspapers to develop on healthy lines.

Request from Madhya Pradesh for Milk Powder

1517. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the demand for milk is increasing alongwith the increase in population but the *per capita* per day availability of milk is only 4 ounce whereas Food Nuitrition Advisory Committee has recommended the necessity of 10 ounces milk *per capita* per day.

(b) whether the Government of Madya Pradesh has requested the Centre to make available to Madhya Pradesh 145 to 220 tons of powdered milk every year after the aid from International Food Programme is stopped ; and

(c) if not, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes. According to the recommen-

dation of the Nutrition Advisory Committee of the Indian Council of Medical Research, the optimum requirement is 283 gms. (10 ozs.) *per capita* per day in the form of milk and milk products, against the *per capita* availability in the country of 119 gms. (4.20 ozs.).

(b) Yes.

(c) Assistance will be given to the Public Sector Milk Schemes in Madhya Pradesh in the procurement of skim milk powder from imported, indigenous or pooled stocks.

Central Aid to Milk Schemes Working in Cities of Madhya Pradesh

1518. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Food and Agricultural** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that milk Schemes are operating at present in cities of Bhopal, Indore, Jabalpur and Gwalior in Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether Government will give more powdered milk and Central aid to the above milk schemes as is being given to the Milk Schemes in Calcutta, Madras, Bombay and Delhi ; and

(c) If so, the form thereof, and if not, the reason theretor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, except at Gwalior where the Milk Supply Scheme is expected to be commissioned in December, 1970.

(b) and (c). The Milk Supply Schemes at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras are covered by Project WFP-618 and are being supplied imported skim milk powder and butter-oil by World Food Programme for recombining into liquid milk and for generation of funds for milk marketing and dairy development. The public sector milk supply schemes in Madhya Pradesh are not covered by this Project, but assistance will be given to these Schemes in the procurement of skim milk powder from imported or indigenous or pooled stocks.

Assistance to Farmers and Agricultural Labour of Madhya Pradesh having Land Less then 2.5 Acres during Fourth Plan

1519. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 37 per cent of farmers in Madhya Pradesh are in possession of less than 2.5 acres of land ;

(b) if so, whether Government have under consideration any scheme under which some sort of assistance should be provided to the said farmers and the agricultural labourers; and

(c) if so, the details, thereof and the nature of assistance proposed to be provided to them during the Fourth Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) According to the 17th round of the National Sample Survey about 39 per cent of the rural households had in possession less than 2.50 acres in the State of Madhya Pradesh.

(b) Yes. Sir. The Central Sector Schems for the Marginal Farmers and Landless Agriculturists will serve this category of farmers.

(c) Statement attached.

STATEMENT

A Central Sector Scheme to assist Marginal Farmers having less than 2.5 acres of land and Agricultural Labourers has been launched during Fourth Five Year Plan. Under the scheme 40 projects would be located in selected districts all over the country. The areas selected will market based and projects will be oriented to help such small farmers and agricultural labourers to improve their income through Animal Husbandry, Poultry and Fisheries etc. and also through additional employment opportunities. An outlay of Rs. 1 crore has been made in each such project to help about 20,000 familities. This would be utilised to generator larger funds as loans etc. from financing institutions to assist such selected participants.

In Madhya Pradesh as in other States two projects would be implemented in selected areas. The State Government has selected Durg and Raisen-Sehore for implementation of the Scheme. They have prepared projects reports, which are expected to be considered by the Committee of Secretaries, soon. The broad features of the proposed scheme in respect of each project are as under :—

(i) *Durg* : 15,000 marginal farmer and about 5,000 agricultural labourers would be assisted. 2,500 new wells would be constructed in the fields of small farmers. 3.000 pump-sets are also proposed to be distributed. Irrigation Cooperatives would be set up to construct and run common irrigation facilities. 10,000 acres of land of small farmers would be developed. 6,000 families would be assisted under Horticultural programme. 1,000 families would be assisted for dairy development and 1,000 families for Poultry. Development. It is expected that a sum of Rs. 208 lakhs would flow as short term credit ; Rs. 106 lakhs as medium term credit ; and 156 lakhs as Long Term loans to selected small farmers in the project area during the Fourth Plan.

(ii) *Raisen-Sehore* : In this case the following programmes are envisaged : -

2,000 new wells would be constructed and 2,000 pumpsets would be distributed in the area. 6,000 families would be assisted for Horticulture, 1,500 for Dairy Development and 1,000 for Poultry Development. 500 families would be assisted for Ship and Goat-rearing. 100 units would be set up for development of fisheries. A sum of Rs. 188 lakhs is expected to flow as short term loans, Rs. 118 lakhs as is medium term loans and Rs. 104 lakhs as long term loans to the selected families in the project area.

Small Farmers Development Agency in Madhya Pradesh

1520. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 74.4 per cent farmers of Madhya Pradesh hold even less than 10 acres of land ;

(b) if so, whether Government have under consideration a scheme to set up a Small Farms Development Agency so as to make the economic position of the small farmers sound ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the areas of Madhya Pradesh proposed to be covered under the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). A statement is attached.

STATEMENT

A. Small Farmers Development Agency :

Madhya Pradesh has been assigned 3 S. F. D. A. projects. The State Government have submitted all the three schemes for the districts of Ratlam-Ujjain, Bilaspur and Chhindwara. These have been approved for implementation during the year 1970-71 and will be continued during the remaining years of the Fourth Plan. A sum of Rs. 1.50 crores provided in the Central Sector would be spent on each project during the Fourth Plan period. The Agencies have been registered and work has started in these areas. The salient features of these schemes are given below :—

(i) *Ratlam-Ujjain* : 50,000 small Farmers, having holdings between 2.5 to 7.5 acres, would be covered under the scheme during the Fourth Plan period. It is proposed to construct 18,000 New Well in the fields of small farmers and 2,000 pumpsets would be provided on subsidised rates. The small farmers would be encouraged to keep milch animals and poultry birds. Cooperatives would be assisted with Risk Fund Contribution and assistance for managerial staff. A sum of Rs. 53.29 lakhs as short and Medium term loans and Rs. 36 86 lakhs as long term loans are expected to be advanced to the selected small farmers during the remaining period of the Fourth Plan. The Commissioner of Indore Division is the Chairman of the Agency with district level officers, representatives of cooperatives, and two non-officials, as members.

(ii) *Bilaspur* : The project envisages a coverage of 50,000 potential viable small farmers, with holdings between 2 5 and 7.5 acres. 9,000 dug wells would be constructed and an equal number of pumpsets would be provided to the small farmers covered under the project areas. Assistance would be provided for keeping milch animals and poultry birds. Cooperative institutions would be assisted with Risk Fund Contribution and managerial subsidy. A sum of Rs. 22.79 lakhs as short and medium loans and Rs. 19.50 lakhs as long term loans are expected to be advanced to the selected small farmers during the remaining period of the Fourth Plan. The Collector of Bilaspur is the Chairman of the Agency with District level officers, representatives of Co-operatives and two non-officials, as members.

(iii) *Chhindwara* : 50,000 small farmers, having holdings between 2.5 to 7.5 acres would be covered under the Scheme. Due to non availability of irrigation water and unfertile land the maximum limit of holdings could go in this project beyond 7.5 acres but would be limited to 10 acres. It is proposed to construct 10,000 dugwells on the fields of small farmers and an equal number of pumpsets would be provided to them. Assistance would be provided to small farmers to keep milch animals and poultry birds. Cooperation institutions would be assisted with Risk Fund Contribution and managerial subsidy. A sum of Rs. 55.53 lakhs as short and medium term loans and Rs. 21.20 lakhs as long term loans are expected to be advanced to the selected small farmers during the remaining Fourth Plan period.

B. Marginal Farmers and Agricultural Labourers Scheme :—

To assist very small farmers having holding below 2 5 acres, for improving their income either from production or through employment a similar scheme for marginal farmers and agricultural labourers will be implemented in two more districts of the State. The districts selected are Durg and Schore-Raisen. The project reports, prepared by the State Government in this regard, is expected to be considered by the Secretaries Committee soon. It is expected that about 20,000 familities holding below 2.5 acres and Agricultural

labourers, would be assisted in each of these two projects. The financial assistance in each would be of the order of Rs. One Crore in the central sector during the fourth plan period.

Manufacture of Vaccine for Foot and Mouth Disease of Cattle at Antibiotic Production Institute, Mhow

1521. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have pointed out the necessity of producing injections for foot and mouth diseases of cattle and have also pointed out that Antibiotic Production Institute, Mhow is the most suitable place for this purpose ;

(b) whether an expert official of Food and Agricultural Department has also conducted a survey in this regard ; and

(c) if so, the steps taken so far to implement the said programme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) There is no communication from the Madhya Pradesh Government specifically pointing out the necessity of producing injections for foot-and-mouth disease of cattle and further pointing out that the Antibiotic Production Institute, Mhow is the most suitable place for this purpose. The question of stepping up the production of foot-and-mouth disease vaccine has been engaging the Government's attention for quite some time. The schemes for production of this vaccine are in the State Sector and a model scheme for this purpose was circulated to all the State Directors of Animal Husbandry Veterinary services in October, 1968. The Director of Veterinary services, Madhya Pradesh wrote to Animal Husbandry Commissioner in March, 1970 seeking approval to the setting up of a Foot-and-Mouth Disease production Centre at Biological Products Institute at Mhow Certain suggestions were made in the reply sent to the Director of Veterinary services, Madhya Pradesh wherein he was requested to re-examine the proposal and furnish his views.

(b) The services of an FAO expert were obtained to assist and advise on the operation of the foot-and-mouth disease vaccine production laboratory, and to train local counterparts, in vaccine production methods and techniques on the typing of the foot-and-mouth disease virus, in 1966. He recommended establishment of fully equipped and staffed foot-and-mouth disease units in various parts of the country. Mhow has been mentioned as one of the places where a nucleus of trained staff and working facilities for tissue culture work was found available and a Foot-and-Mouth Disease Unit could be established.

(c) The FAO experts' Report on Foot-and-Mouth Disease Control has given priority to the provision of necessary facilities to the existing foot-and-mouth disease unit at the Mukteswar laboratory including equipment, spares and more staff. The Government is actively persuing the suggestion.

अस्पताल और क्लब के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि में लाने के लिए उक्त अधिनियम का संशोधन

1522. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के मामले में, जिससे कि अस्पतालों और विभिन्न क्लबों के कर्मचारियों को इस अधिनियम की परिधि में लाया जा सके, कोई अन्तिम निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). अन्य सम्बन्धित वाद-विषयों के साथ, इस मामले पर, 23 और 24 जुलाई, 1970 को हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में विचार विमर्श हुआ था। आम विचार यह था कि, कुछ विशेष अन्य कर्मचारियों के साथ, कर्मचारियों के इस वर्ग को, या तो औद्योगिक विवाद अधिनियम या अन्य उपयुक्त विधान के अन्तर्गत उचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। स्थायी श्रम समिति में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में महान्यायवादी का परामर्श

1523. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में भारत के महान्यायवादी द्वारा दिये गये परामर्श पर अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को दी गई कानूनी राय के अनुसार, संसद तथा राज्य विधान सभाएं राज्य में स्थित चीनी प्रतिष्ठानों को अधिग्रहण करने हेतु कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। अतः उत्तर प्रदेश में चीनी प्रतिष्ठानों के अधिग्रहण के प्रश्न पर मूलतः राज्य सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है। भारत सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में देश में चीनी उद्योग के कार्यचालन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए चीनी उद्योग जांच आयोग नियुक्त किया है और सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही करेगी।

अमरीका और रूस में कृषि अनुसंधान के लिए अनुदान पाने वाली संस्थाएं

1524. **श्री शंकर राव माने** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका और रूस से कृषि अनुसन्धान के लिए अनुदान पाने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक देश से अब तक कुल कितना अनुदान मिल चुका है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) अमरीका सरकार से केवल पी० एल० 480 की धनराशि के अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान के लिए अनुदान प्राप्त होता है। रूस से ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। अब तक पी० एल० 480 की धनराशि से अनुसन्धान के लिए 78 संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) अब तक स्वीकृत की हुई कुल अनुसन्धान परियोजनाओं की संख्या 301 है, जिसका

कुल परिव्यय लगभग 9.65 करोड़ रुपये है। उपरोक्त (क) में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि कृषि अनुसन्धान के लिए रूस से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) परियोजना की अवधि के लिए अनुमानित लागत को पूरा करने के लिए पी० एल० 480 के अनुदान निर्धारित हुई कुल राशियों के लिए होते हैं। अनुदान की अवधि के लिए संस्थाओं को अदायगी छः माही आधार पर की जाती है। प्रथम अवधि की अनुमानित लागत को पूरा करने के लिए अनुदान के शुरू में एक प्रारम्भिक अग्रिम अदायगी की जाती है। आने वाले 6 महीनों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमानों सहित संस्था का व्यय की अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। इन रिपोर्टों के आधार पर और अदायगियों की अनुमति दी जाती हैं।

विवरण

सेंट जोन्स कालेज, आगरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, इन्स्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चर, आनन्द, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, केन्द्रीय काफी अनुसंधान संस्था, बालहोनूर, कामनवेल्थ इन्स्टिट्यूट आफ बाइलौजिकल कंट्रोल, बगलौर, इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर, कृषि-विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा, काटन टेकनौलोजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, बम्बई, बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान, बोस इंस्टिट्यूट, कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़, कृषि महाविद्यालय एवं कृषि संस्थान, कोयम्बतूर, गन्ना अधिजनन संस्थान, कोयम्बतूर, श्री अभिनाशीलिंगन होम साइन्स कालेज, कोयम्बतूर, साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था, कटक, वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, दी० पी० चैस्ट इन्स्टिट्यूट, दिल्ली, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली, नेशनल इंस्टिट्यूट आफ कम्यूनिकेबल डिजिजिज, दिल्ली, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, घोली, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, केन्द्रीय पशुधन अनुसन्धान एवं प्रजनन केन्द्र, हरिनघाटा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर, जे० एन० कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, उदयपुर विश्वविद्यालय (एस० के० एन० कृषि महाविद्यालय), जौबनेर, जोधपुर विश्व-विद्यालय, जोधपुर, कृषि महाविद्यालय, जूनागढ़, इन्डियन इन्स्टिट्यूट आफ तकनोलौजी, कानपुर, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र, कयानगुलम, इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ तकनोलौजी, खरगपुर, शिवाजी विश्व-विद्यालय, कोल्हापुर, केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्था, लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ, पंजाब कृषि विश्व-

विद्यालय, लुधियाना, ए० सी० तकनोलौजी महाविद्यालय, मद्रास, केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्था, मद्रास, लोयोला महाविद्यालय, मद्रास, मद्रास क्रिसियन महाविद्यालय, मद्रास, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास, उत्तर प्रदेश पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा, केन्द्रीय खाद्य तकनोलौजिकल अनुसन्धान संस्थान मैसूर, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, पटना विश्वविद्यालय, पटना, कृषि महाविद्यालय, पूना, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना, केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, शिमला, श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय (आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय), केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम, केरल विश्वविद्यालय, (कालीकट केन्द्र) मार इनवेनियस महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर, एग्रो इकनामिक रिसर्च सेन्टर फार दी स्टेट्स आफ गुजरात एण्ड राजस्थान, बल्लभ विद्यानगर, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी।

स्थानीय रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों से दिल्ली के संसद सदस्यों को वंचित रखना

1525. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संसद सदस्यों को रेडियो और टेलीविजन के दिल्ली स्टेशन के कार्यक्रमों में वार्ता देने अथवा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसरों से वंचित रखा गया है ;

(ख) पिछले बारह महीनों में रेडियो और टेलीविजन के दिल्ली स्टेशन के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले संसद सदस्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन संसद सदस्यों तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनको दिल्ली के अतिरिक्त आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों पर अवसर दिये गये थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

दूध के टोकन देने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के पास पड़े प्रार्थना-पत्र

1526. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1970 अथवा यदि कोई और अंतिम तिथि है उस तक दूध के टोकन प्राप्त करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना की प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्तियों के नाम हैं ;

(ख) प्रतिदिन कितने और अधिक दूध की आवश्यकता है ;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के पास इस समय में प्रतिदिन कितना दूध आता है ; और

(घ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के प्रतीक्षार्थियों को दूध देने के उद्देश्य से तुरन्त ही दूध की सप्लाई बढ़ाने का निश्चय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध सप्लाई करने के लिए 5-11-70 को प्रतीक्षा सूची में 43,731 प्रार्थना-पत्र थे।

(ख) प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5-11-70 को लगभग 50,000 लिटर दूध की प्रति दिन जरूरत हो सकती है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कुल अधिप्राप्ति 7-11-70 को 2,23,962 लिटर थी।

(घ) जी हां। योजना की केन्द्रीय डेरी में दूध सम्भालने की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है और सम्भावना है कि चालू शरद ऋतु में वर्तमान प्रतीक्षा सूची को धीरे-धीरे निपटा दिया जाएगा।

चीनी के मूल्य में कमी

1527. **श्री न० कु० सोंधी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गन्ने की सप्लाई अत्यधिक मात्रा में हुई है तथा उत्पादन में वृद्धि होने के कारण चीनी का मूल्य कम होने की सम्भावना है ; और

(ख) कृषकों को उत्पादन की लागत के अनुसार अधिकतम मूल्य उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जिससे उत्पादन के लिए उनके उत्साह में कमी न आये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। गन्ने के अखिल भारतीय पहले अनुमान के अनुसार 1970-71 में गन्ने के अन्तर्गत 1.5 प्रतिशत कम क्षेत्र है। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में फसल की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं बताई जाती है जितनी कि पिछले वर्ष थी। अत: गन्ने तथा चीनी का उत्पादन 1969-70 के उत्पादन से कम होने की संभावना है।

(ख) सरकार गन्ने की पैदावार लागत सहित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। 1970-71 के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 7.34 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर 6.6 पैसे ति क्विंटल अधिमूल्य की देने की व्यवस्था है।

सामुदायिक विकास परियोजनाओं के रख-रखाव पर किया जाने वाला व्यय

1528. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सामुदायिक विकास कार्यों के लिए वर्षवार व्यय की गई धनराशि कितनी-कितनी है ;

(ख) कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा यात्रा और दैनिक भत्तों पर पृथक-पृथक कितनी धन राशि व्यय की जाती है ;

(ग) क्या सामुदायिक विकास परियोजनाओं ने सन्तोषप्रद कार्य नहीं किया है और उनसे इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें समाप्त करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख). राज्य केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). जी नहीं । जून, 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जारी रहना चाहिए और उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए ।

Kangra Una Urban Co-operative Society, R. K. Puram, New Delhi

1529. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) when the Kangra Una Urban Co-operative Society in R. K. Puram, New Delhi was got registered and the number of its members at present ;

(b) the total amount of grant, aid and loans given by the Registrar, Cooperative Societies to it ;

(c) the amount of loan granted by this Society to each member with his name since January, 1970 and the number of applications still pending consideration for the grant of loans at present ;

(d) whether its member officials take the loans for themselves and the other members are not granted loans ; and

(e) if so, whether Government propose to investigate into the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagannath Pahadia) : (a) No society of this name has been registered by the Registrar, Cooperative Societies, Delhi.

(b) to (e). Do not arise.

संघ राज्य क्षेत्रों को अलाभप्रद जोत से लगान

1530, **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे किसानों को अलाभप्रद जोत से लगान समाप्त करने के लिए प्रस्तावों के ब्यौरे क्या है ; और

(ख) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब

शिन्दे) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में शुष्क तथा रेतीली भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना

1531. **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की शुष्क तथा रेतीली भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कोई अध्ययन दल नियुक्त किया है ; और

(ख) क्या इस दल ने इस उद्देश्य के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली की जानकारी हेतु विदेशों का दौरा किया है, यदि हां, तो इस दल ने किन-किन देशों का दौरा किया है और उनके द्वारा विदेशों में किये गये अध्ययन की पृष्ठभूमि में रेतीली भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). देश के रुक्ष और अर्ध-रुक्ष क्षेत्रों के लाभ के लिए उपयुक्त योजनायें तैयार करने और उनकी क्रियान्विति के प्रश्न पर भारत सरकार कुछ समय से सक्रिय रूप से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की सूखी और रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने कोई विशेष अध्ययन दल नियुक्त नहीं किया है।

2. परन्तु, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अनुमानत: 147.50 लाख रुपये की लागत से चार वर्षों के लिए शुष्क कृषि भूमि हेतु एक समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत अध्ययन में जल उपयोग, भूमि में संचित जल के दक्षतापूर्ण उपयोग, सूखे के अवरोध को बढ़ाना या विभिन्न किस्मों की फसलों को सूखे से बचाना और कम आर्द्रता वाली भूमि की अवस्थाओं के लिए उपयुक्त कृषि पद्धतियों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसमें भारत के विभिन्न कृषि-जलवायु तथा मृदा अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 मुख्य केन्द्र और 8 उप-केंद्र होंगे। इनके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत सूखी खेती में सम्बन्धित पौध क्रिया-विज्ञान विषयक मूल अध्ययनों के लिए एक विशेष केंद्र की व्यवस्था की गई है।

3. सूखी कृषि भूमि के एकीकृत विकास हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्विति के लिए एक योजना भी मंजूर की गई है। चौथी योजना अवधि के दौरान कुल 24 परियोजनायें होंगी, परन्तु 1970-71 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर राजस्थान और तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में 9 परियोजनायें शुरू की जा रही हैं। ये मार्गदर्शी परियोजनायें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्य या उप- अनुसंधान केन्द्रों के आस-पास स्थिति होंगी और प्रदर्शन-एवं-प्रशिक्षण परियोजनाओं के रूप में कार्य करेंगी।

4. जहां तक राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के रेगिस्तान क्षेत्रों का सम्बन्ध है, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, वनारोपण, चरागाह विकास आदि कार्यों के माध्यम से लम्बी अवधि के

आधार पर उनके विकास के लिए मार्गदर्शी परियोजनायें भी शुरू की जा रही हैं। नीति यह है कि सघन और भली-भांति निर्धारित क्षेत्रों में चुनिंदा क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार विशेष कार्य शुरू किये जायें। उन तीन राज्यों में 115.70 लाख रुपये की लागत की योजनायें मंजूर की गई हैं।

5. चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में 100.00 करोड़ रुपये की लागत से एक गैर-योजना स्कीम शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य दीर्घ-काल तक लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं की व्यवस्था करना और प्रायः सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के ग्रामीण श्रमिक को उचित मेहनताना देना है जिससे आगामी कुछ वर्षों में आपातकालीन अभाव कार्यों के लिए राहत न देनी पड़े। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित 12 राज्यों के 53 जिले चुने गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए 25.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

खाद्यान्नों का बफर स्टाक

1532. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अब तक कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास अक्तूबर, 1970 के अन्त में लगभग कुल 45 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का प्रत्यक्ष स्टाक था। इसमें से लगभग 30 लाख मीटरी टन स्टाक को बफर स्टाक समझा जा सकता है।

Enquiry into Theft and Destruction of Foodgrains of Food Corporation of India

1533. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains belonging to Food Corporation of India stolen as well as destroyed during the last one month ;

(b) the number of persons against whom action has been taken as well as the number of cases for which enquiry is being held ;

(c) the quantity of foodgrains lost or destroyed in transit during the last one year and

(d) the number of persons employed under the Food Corporation of India against whom an enquiry is being held and the allegations made against each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d). The information is being collected from the Food Corporation of India and will be laid on the Table of the Sabha.

पेट्रियट तथा लिंक के प्रेस कर्मचारियों की मांगें

1534. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री के० रमानी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि 'पेट्रियट' तथा 'लिंक' समाचार पत्र जो

दिल्ली से निकलते हैं उनके प्रेस कर्मचारी प्रबन्धकों से अपनी मांगों की स्वीकृति के लिए संघर्ष कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग का ब्यौरा क्या है और प्रबंधकों ने उसका क्या उत्तर दिया है ; और

(ग) मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्रमिकों का तक वर्ग अपनी ऐसी मांगों को मनवाने हेतु आग्रह करने के लिए संघर्ष करता रहा है जो बढ़े हुये दरों पर बोनस की अदायगी, कुछ श्रमिकों के विरुद्ध जारी किए गए छंटनी के नोटिस और निलम्बन के आदेशों की वापसी, श्रमिकों के बलीकरण और अनुचित श्रम व्यवहारों को हटाने और यूनियन के कार्यालय को पुनः स्थापन करने से संबंधित हैं। दिल्ली प्रशासन का श्रम विभाग जिनका इस मामले से सम्बन्ध है, इस बारे में अवगत हैं और पक्षों में मैत्रीपूर्ण समझौता कराने के लिए प्रयत्नशील हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिल्ली के लिए नए टेलीफोन कनेक्शन लगाने का लक्ष्य

1535. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन लगाये जायेंगे और क्या नियत लक्ष्य को प्राप्ति करने की संभावना है ;

(ख) यदि नहीं तो लक्ष्य की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं और इस कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रारम्भ में चौथी योजना के दौरान दिल्ली में 65,000 अतिरिक्त मुख्य टेलीफोन कनेक्शनों या 94,000 टेलीफोन सेटों की व्यवस्था करने का विचार था। ऊपर कहे गए लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना नहीं है। मौजूदा अनुमान यह है कि दिल्ली में सिर्फ लगभग 40,000 मुख्य टेलीफोन कनेक्शन या 60,000 टेलीफोन सेट ही लगेंगे।

(ख) प्रारम्भिक लक्ष्य इस बात पर आधारित था कि 53,400 अतिरिक्त टेलीफोनों की क्षमता का एक्सचेंज लगाया जायगा और भूमिगत केबल और दूसरे सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे।

परन्तु, एक्सचेंज के उपस्कर और केबलों की सप्लाई में कमियां आई हैं। अब ऐसी आशा है कि चौथी योजना के दौरान अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता की लगभग सिर्फ 35,000 लाइनें ही चालू की जाएगी। केबलों की सप्लाई में जो कमियां आई हैं, उन्हें केबलों का आयात कर पूरा कर लिया जाएगा। इससे एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता के उपयोग में सुधार लाया जा सकेगा। इस तरह इस सम्बन्ध में मुख्य रुकावट एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई की होगी।

एक्सचेंज उपस्कर के उत्पादन और सप्लाई में वृद्धि के लिए, सरकार टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर के निर्माण के लिए एक अतिरिक्त कारखाना लगाने पर विचार कर रही है। चौथी योजना में इसके लिए पहले कोई व्यवस्था न की गई थी।

पश्चिम बंगाल में भूमि की नई सीमा बन्दी पर योजना आयोग से परामर्श

1537. **श्री बे० कु० दास चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की भूमि सीमा बन्दी के बारे में मंत्री तथा योजना आयोग के बीच अक्तूबर, 1970 में कोई बातचीत हुई ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा के उपबन्धों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल विधान संबन्धी परामर्शदात्री समिति की 0 जून 1970 को हुई प्रथम बैठक में विचार किया गया था। विचार विमर्श के आधार पर इस प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल सरकार, योजना आयोग, गृह मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा चुका है। पश्चिम बंगाल विधान सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक में इस प्रस्ताव पर और आगे विचार किया जायेगा।

(ख) प्रस्तावित विधान की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) अधिकतम स्तर को कम करके 6 हैक्टार कर दिया गया है।

(2) अधिकतम सीमा एक परिवार की समस्त रेयतों के अधिकार में स्थित औसत भूमि पर भी लागू होगी। इस संदर्भ में 'परिवार' शब्द की परिभाषा में पति, पत्नी, नाबालिग पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियों को सम्मिलित किया गया है।

(3) परिवार के आकार के आधार पर भी उसमें छूट की व्यवस्था की गई है, जिसमें वयस्क पुत्र तथा मृत पुत्र की विधवा को सम्मिलित किया गया है, जिनके पास रैयत के रूप में कोई भूमि नहीं हो, किन्तु समग्र परिवार के लिए भी समस्त उच्चतम सीमा 10 एकड़ होगी।

(4) भूमि की उच्चतम सीमा से निगमों, संस्थाओं तथा केवल धार्मिक और दान आदि के उद्देश्य से स्थापित किये हुये न्यासों को मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। किन्तु सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह विशिष्ट मामलों में ऐसे निगमों, संस्थाओं अथवा न्यासों को अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने की अनुमति दे सकती है।

(5) फलोद्यान्नों की भूमि पर दी हुई भूमि की छूट समाप्त कर दी गई है। किन्तु जिन रैयतों के पास फलोधान है उनके लिए उच्चतम सीमा 2 हैक्टर अथवा उस सीमा तक बढ़ा दी गई है जिसमें फलोधान स्थित हो, किन्तु उनमें से जो भी कम

हो, (ताल मात्स्यकी के लिए कुछ अतिरिक्त छूट तथा पूर्ण छूट को रद्द करने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल गैर कृषि पट्टेदारी अधिनियम में यथासमय समुचित संशोधन द्वारा ही विचार किया जायेगा) ।

(6) 7 अगस्त, 1969 के उपरान्त किये गये हस्तान्तरणों को हस्तान्तरणकर्ता की अधिशेष भूमि के निर्धारण के लिए वैध नहीं समझा जायेगा । अधिनियम के लागू होने के उपरान्त यदि कोई हस्तान्तरण होता है तो सर्वप्रथम राज्य सरकार हस्तान्तरणकर्ता, और यदि आवश्यक हो तो हस्तान्तरी से संभावित सीमा तक भूमि को प्राप्त कर लेगी ।

(7) सरकार में निहित भूमि की प्रतिपूर्ति निर्धारित की जायेगी और पश्चिम बंगाल सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1953 में निहित सिद्धांतों के अनुसार अदायगी की जायेगी ।

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 में कुछ आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन भी किये गये हैं, जिससे कि बटाईदारों के सम्बन्ध में उपबन्धों को सशक्त बनाया जाये तथा रैयत स्वामित्व विलेखों से संस्थात्मक ऋणों को प्राप्त कर सकें और अनुसूचित जाति के रैयतों के हितों को और अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके ।

Withdrawal of Rationing in Bombay and Calcutta

1538. **Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :**

(a) whether the prices of wheat are lower than those at which Government had procured it at the time of crop in the markets of North India and if so. the reasons therefor ;

(b) whether the prices of wheat have gone down because of bumper crop of jowar, millet and maize ; and

(c) the reasons for which Government do not want to withdraw rationing in Bombay and Calcutta under these circumstances ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Prices of fair average quality wheat are above the procurement price in all parts of the country. However, in certain centres of Haryana, Rajasthan, Punjab and Uttar Pradesh, prices have fallen below the level of procurement price as the wheat currently being sold in these centres is of sub-standard variety, being pest infested and rain damaged. The subdued demand from the consuming States in view of good prospects of 1970-71 coarse kharif cereals is also partly responsible for the general easiness in wheat prices.

(c) The cities of Bombay and Calcutta are areas of very high purchasing power and any decision to withdraw statutory rationing from these areas will have to be taken keeping in view the market availability and the effect of such wtihdrawal on supplies and prices.

Ban on Export of Oil Cakes

1539. **Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :**

(a) whether the lakhs of tonnes of oil cakes are being exported even through 80 per cent of the cattle do not get proper balanced feed ; and

(b) if so, the action taken so far by the Agricultural Department in regard to impose a ban on the export of protein ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The majority of the cattle in the country do not get proper balanced feed because a large percentage of the cattle are uneconomical and non-descript and the farmers do not find it profitable to feed oilcakes/ balanced feed to the cattle. As such, the present exports of oil cakes have no adverse effect on the availability of balanced feed for the cattle.

(b) The export policy of oilcakes and other high protein feed ingredients is reviewed periodically with a view to see that their availability for the cattle feed is not adversely affected. At the same time, efforts are being made to supply good feed in the form of green fooder, silo, etc. which are a cheaper source of protein than the oilcakes.

Irregularity in Supply of Tractors by Agro-Industries Corporation U. P. to Farmers of Uttar Pradesh

1540. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether tractor have not so far been supplied to those farmers, who had got their names registered with the Agro-Industries Corporation, Uttar Pradesh in 1968 for the purchase of tractors ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The State Agro Industries Corporation has reported that about 4,500 applicants who had registered their names in 1968, have not been supplied tractors for want of adequate supplies. With a view to meeting the increased demand for tractors, a substantially large number of tractors is being imported during the current year. It will go a long way in liquidating the pending demands.

चरखी दादरी (हरियाणा) में टेलीफोन एक्सचेंज बनाना

1541. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आवश्यकता तथा भविष्य में विस्तार योजनाओं को ध्यान में रखते हुए चरखी, दादरी हरियाणा में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए किराये पर लिया हुआ वर्तमान भवन अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय चरखी दादरी में एक किराये की इमारत में 150 लाइनों का एक सी० बी० नानमल्टीपल किस्म का करचल एक्सचेंज काम कर रहा है । यह एक्सचेंज अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है और इसमें 48 नये कनेक्शनों की मांग बकाया है । इस मांग को पूरा करने के लिए इस एक्सचेंज में 100 लाइनों की और वद्धि करने का प्रस्ताव है । इसके लिए विभाग

किसी वैकल्पिक स्थान की खोज में है। अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल इसकी सक्रिय जांच कर रहे हैं।

वाणिज्यिक प्रसारणों हेतु आकाशवाणी केन्द्रों का चुनाव

1542. **श्री चेंगल राया नायडू** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्यिक प्रसारणों हेतु आकाशवाणी केन्द्र किस आधार पर चुने गये हैं?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : रेडियो पर विज्ञान समय की मांग का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न केन्द्रों द्वारा कवर किए गये क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। इन सर्वेक्षणों को करने के लिए निम्नलिलित बातों का विचार किया जाता है :—

(1) सम्बन्धित क्षेत्र की उपभोक्ता सूची ;

(2) केन्द्र द्वारा कवर किए गए प्रत्येक क्षेत्र में रेडियो लाइसेंसों की संख्या ;

(3) प्रदेश की मार्केट क्षमता ; तथा

(4) कवर किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र में अन्य विज्ञापन माध्यमों की उपलब्धि।

सितम्बर, 1970 में दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद तथा बंगलौर के मध्य ट्रंक लाइनों में खराबी

1543. **श्री अजमल खां** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद तथा बंगलौर के मध्य ट्रंक लाइनें खराब हो गई थीं ;

(ख) क्या कई महीनों तक लाइनें खराब रहने के बावजूद टेलीफोन केन्द्र ट्रंक काल बुक करते रहे जिससे सैंकड़ों ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ी थी ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 'टाइम्स आफ इंडिया' दिनांक 12 सितम्बर, 1970 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। दिल्ली-बम्बई के नये सहघुरीय मार्ग पर 6 सितम्बर, 1970 को गुजरात में भारी बाढ़ आने के कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई थी और इसका असर बम्बई, हैदराबाद, बंगलौर आदि के सामान्य संचार पर 6 सितम्बर, 1970 से 10 सितम्बर, 1970 तक और 11 सितम्बर, 1970 को कुछ घंटों के लिए रहा।

(ख) इस ट्रंक मार्ग पर जो लोग कालें बुक कराना चाहते थे, ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली उन्हें लाइन की गड़बड़ी की और इन स्थानों के लिए बुक कराई गई कालों में काफी बिलंब होने

की संभावना की सूचना दे रहा था। इस चेतावनी के बावजूद कितने ही उपभोक्ताओं ने अपनी कालें बुक कराने पर जोर डाला और नियमानुसार आपरेटरों को वे कालें बुक करानी पड़ी।

(ग) जी हां।

(घ) ऊपर के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों द्वारा अपने स्थानीय निर्मातओं से पम्पों की खरीद।

1544. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केवल अपने ही राज्य में निर्मित पम्पिंग सैटों को खरीदने की प्रथा शुरू कर दी है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राइमरी भूमि बंधक बैंकों को एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि वे अपने कृषक मजदूरों को केवल एग्रो-सबसीडीयरी लिमिटेड, जिसमें 51 प्रतिशत शैयर एग्रो-इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के पास हैं और शेष शेयर आंध्र प्रदेश आयल इंजिन तथा इल्केट्रिक मोटर पम्पसैट निर्माताओं के पास हैं, से आयल इंजिन तथा इल्केट्रिक पम्प सैटों की खरीद के लिये ऋण दे ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इन प्रवृतियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पोस्ट कार्डों को हवाई जहाजों द्वारा ले जाना स्थगित करने के परिणामस्वरूप जनता को असुविधा

1545. **वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोस्ट कार्डों को हवाई जहाजों द्वारा भेजने को रोकने की वांछनीयता विचार कर रही है जिससे दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होने की संभावना है ;

(ख) क्या उपरोक्त सुझाव उस विशेष समिति ने दिया था जिसने कुछ समय पूर्व इस प्रश्न पर विचार किया था, और हालांकि सरकार ने सिद्धांत रूप से इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था परन्तु जनता के विचारों को देखते हुए इसने इसे कार्यान्वित नहीं किया था ;

(ग) क्या डाक विभाग के वेतन बिल में हाल ही में की गई वृद्धि ने सरकार को अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार एक सिफ़ारिश की जांच कर रही है जिसमें पोस्टकार्डों को हवाई जहाजों से भेजने को रोकने के लिए कहा गया है ।

(ख) डाक-तार सर्कल-अध्यक्षों की बचत पर उप-समिति ने उपर्युक्त सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ग) तथा (घ). चूंकि अभी तक इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी का 10 अक्तूबर, 1970 को 7-15 म० पू० पर प्रसारित हुआ समाचार बुलेटिन

1546. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से 10 अक्तूबर, 1970 को 7-15 म० पू० पर तमिल में प्रसारित किये गये समाचार बुलेटिन में 9 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल के नेता के रूप में श्री त्रिभुवन नारायण सिंह के निर्वाचन के बारे में नहीं बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) समाचार को केवल 10 अक्तूबर के प्रात: 7-15 बजे के तामिल बुलेटिनों में ही नहीं अपितु, 9 अक्तूबर, 1970 के तमिल बुलेटिनों में भी प्रसारित किया गया था ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

Search for New Markets for Export of Sugar

1547. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have taken steps to ensure that the quantum of production of sugar does not fall this year ; and

(b) whether efforts are being made by Government to search for new markets in other countries for the export of sugar keeping in view the quantum of production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The production of sugar during 1970-71 season may be about 40 lakh tonnes as against 42.6 lakh tonnes during 1969-70. Such minor fluctuations in production in a large country like India are unavoidable.

(b) Under the International Sugar Agreement, 1968, our exports each year have to be limited to the quantity fixed by the International Sugar Council. In 1970 India's export entitlement is about 3.25 lakh tonnes. This quantity is being exported to U. K., U. S. A., Canada, Malaysia, Singapore, Aden, Ceylon, Saigon, Indonesia and Persian Gulf countries.

बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल में पटसन की खड़ी फसल को नुकसान

1548. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बाड़ के परिणामस्वरूप बंगाल राज्य में पटसन की खड़ी फसल को कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति की दृष्टि से क्या राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं के रूप में खाद्यान्नों की अधिक सहायता की मांग की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अनुमान लगाया गया है कि बाढ़ों से 3,675 एकड़ क्षेत्र को हानि हुई है। राज्य सरकार ने उत्पादन में 3,305 गाठों की कमी होने का अनुमान लगाया है।

(ख) राज्य सरकार ने हाल ही की बाढ़ों से होने वाली हानि को पूरा करने के लिये केन्द्र से खाद्यान्नों की सहायता में कोई विशेष वृद्धि करने के लिये नहीं कहा गया है। राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में दूसरी फसल उगाने का भरपूर प्रयत्न कर रही है तथा उन्हें आशा है कि उन क्षेत्रों में चावल और गेहूं पैदा करने से हानि को पूरा किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय पूल की कुल उपलब्धि और विभिन्न राज्यों की आवश्यकता के आधार पर अन्य कमी वाले राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल को भी खाद्यान्न सप्लाई जारी रखेगी।

Parallel Staff Unions in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

1549. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are two parallel workers unions in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ;

(b) if so, whether similar facilities are being provided to them by the Khadi Commission and the Khadi Bhawan ; and if not, the reasons therefor ; and

(c) whether Government would take suitable action against the officers concerned and safeguard the fundamental rights of the staff unions and that of the workers ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). According to information made available by the Delhi Administration, there are three unions functioning in the 'Bhawan'. One of them, *viz.*, the Khadi Gramodyog Bhawan Workers' Union has been recognised by the management. In terms of the relevant procedures, a recognised union enjoys certain facilities ; these are not available to unions which are not recognised ; no complaints on this score are reported to have been received from the un-recognised unions in this case.

कृषि में सिंचाई सुविधाओं के उपयोग में अन्तर के सम्बन्ध में राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस द्वारा प्रकाश डाला जाना

1550. **श्री राज देव सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस ने कृषि सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के संबंध में कुछ अन्तरों हर प्रकाश डाला है ;

(ख) राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस द्वारा निर्देशित अन्तरों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कांग्रेस की सिफारिशें पहले ही राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित एजेन्सियों को समुचित अनुवर्ती कार्यवाही के लिये परिचारित कर दी गई है ।

Loss to Crops of Central Mechanised farm, Suratgarh (Rajasthan) due to Neels (Rozes)

1551. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether he is aware that considerable loss is being caused to the crop of the Central Agricultural Mechanised Farm, Suratgarh (Rajasthan) due to abundance of 'Neels' (Rozes) there ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to save the crops from utter damage ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde). (a) It is a fact that blue bulls (Neel Gais) are found in Suratgarh area. Not much damage has been done by these to the crops this year.

(b) Neel Gais are driven away whenever these are seen in the farm area.

राज्यों द्वारा रोजगार में स्थानीय लोगों को वरीयता दिया जाना

1552. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस प्रकार की जबरदस्त मांग है कि 500 रुपये प्रति मास तक के वेतन वाले पदों के लिये स्थानीय लोगों को वरीयता दी जानी चाहिये ;

(ख) क्या राज्यों द्वारा इस संबंध में कोई औपचारिक मांग की गई है, यदि हां तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा मांग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि केन्द्रीय नियोजन कार्यालय को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलन के लिये सूचित की जाने वाली रिक्तियों की वेतन सीमा और बढ़ा कर रु० 500/- प्रति माह कर दी जाये । उड़ीसा राज्य सरकार ने यह सीमा रु० 600/- प्रति माह करने का सुझाव दिया है ।

इस सुझाव पर, जुलाई, 1969 में हुई नियोजन सेवाओं की केन्द्रीय समिति (जोकि एक त्रिदलीय संस्था है और जिसमें नियोजकों, कामगरों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, की छठी बैठक में विचार किया गया था लेकिन स्वीकृत नहीं किया गया ।

फिर भी सरकार ने जून, 1968 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक में की गई इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया कि जहां राज्य में रहने वाले योग्य कर्मचारी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, उन्हें नियुक्ति अवसरों का बड़ा भाग दिया जाये और नियोजकों से अनुरोध किया जाये कि वे नीति मान कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का यत्न करें। राष्ट्रीय एकता परिषद की इस सिफारिश की सूचना सरकारी एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों को दी जा चुकी है।

चौथी योजना के दौरान दिल्ली और राजस्थान के शहरों के बीच सीधी टेलीफोन लाइन

1553. **श्री रा० कृ० बिड़ला**: क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें चौथी योजना की अवधि में सीधी टेलीफोन लाइन द्वारा दिल्ली से मिला देने का प्रस्ताव है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह): जयपुर का दिल्ली के साथ सीधी डायलिंग के आधार पर 8-9-1964 से संबंध स्थापित है। राजस्थान में अन्य स्थानों का दिल्ली से सम्बन्ध स्थापित करने की सम्भाव्यता की जांच की जा रही है। फिर भी दिल्ली के साथ इनका पांचवीं योजना के दौरान ही सम्बन्ध स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

Installation of Telephone Connections in Ichapur, Burhampur East Nimad (M. P.)

1554. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) whether inspite of the fact that much of the work has been done for installing telephone lines in Ichapur village Burhampur Tehsil in East Nimad District, telephone connections have not been given so far;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) There is no scheme for providing Telephone facility at Ichapur village of Burhampur Tehsil in East Nimad District. A Telegraph office has, however, been opened already at Ichapur in March '70.

(b) The question does not arise.

(c) A proposal to provide Telephone facility at Ichapur will now be examined and approved if found justified in accordance with the existing policy of the Department on the subject.

Delay in Sanction of Telephone Connections in Itarsi, Madhya Pradesh

1555. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of Information and Boradcasting and Communications be pleased to state:

(a) whether there are complaints of sufficient delays in the sanction of new connections in the Itarsi Division of Madhya Pradesh;

(b) if so, the action taken by Government in this regard;

(c) whether Government propose to take action to ensure immediate sanction of telephone connections ; and

(d) if so, the date by which these actions are to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) No ; but a few connections remain to be given at Khandwa, Burhanpur, Betul and Itarsi owing to non-availability of cable pairs and capacity exchange.

(b) Necessary estimates have already been sanctioned and indents released.

(c) Telephone connections will be provided as soon as cable is received at Khandwa and Itarsi and exchange equipment at Burhanpur and at Betul.

(d) Waiting list at these stations will be wiped out within three months on receipt of equipment and cable. Steps are being taken to expedite the supply of these items.

Setting up of Sugar Mills in Madhya Pradesh

1556. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up new sugar Mills in Public Sector in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of the Districts in which the proposed mills would be set up ; and

(c) whether Government also propose to set up a mills in Betul District ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Telephone Facilities to Panchayat Centres in District of East Nimad (M. P.)

1557. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone facilities have not yet been provided to many Panchayat Centres in East Nimad District of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the number of such centres ; and

(c) the reasons for not providing telepnone facilities to these centres so far ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Out of 255 Panchayat centres in East Nimad District, Telephone service is available at 4 centres. For one more centre a proposal to provide telephone facility has been sanctioned. As such, Telephone facility is not at present available at 251 such stations.

(c) Panchayat Centres are not entitled to provisions of Telephone facility on less basis. Telephone facility can be provided at stations having Panchayat Centres if the scheme works out to be remunerative. In case of anticipated, loss, some interested party has to indemnify the Department against such anticipated loss.

तमिलनाडु में धान के लिए नियत मूल्य में कमी

1558. **श्री के० रमानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कुरुवई फसल के लिये नियत किये गये धान के न्यूनतम मूल्य में काफी कमी हुई है ;

(ख) क्या मूल्यों की कमी से छोटे उत्पादकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कुरुवई फसल के मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों से नीचे नहीं गिरे है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते । भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार द्वारा, अधिप्राप्ति मूल्यों पर पेश की गई सारी मात्राएं, अधिप्राप्त की जा रही है ।

बम्बई की सूती कपड़ा मिलों में हड़तालें

1559. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 में बोनस के प्रश्न पर बम्बई की सूती कपड़ा मिलों में हुई हड़तालों के सम्बंध में विस्तृत प्रतिवेदन उन्हें प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भविष्य में इस प्रकार की हड़तालों को रोकने के विचार से क्या सरकार कोई कदम उठायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

अधिक मात्रा में मछली पकड़ने के लिए कार्यवाही

1560. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मछली का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या सरकार को विशेषज्ञों द्वारा विश्व भर में प्रकट किये गये इन विचारों को पता है कि भारत मछली पकड़ने की मात्रा में कम से कम 5 गुना वृद्धि कर सकता है और इस प्रकार अपने देश के लोगों को अधिक मात्रा में प्रोटीन वाली खाद्य सामग्री दे सकता है ;

(ग) यदि हां, तो अधिक मात्रा में मछली पकड़ने के कार्यों में भारत के सामने क्या कठिनाई है ; और

(घ) बाधाओं को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1969 में पकड़ी गई मछलियों की कुल मात्रा 16.05 लाख मीटरी टन थी, गत पांच वर्षों का औसत 15 लाख मीटरी टन रही है ।

(ख) जी, हां । सरकार को मछली के संसाधनों की उस भारी सम्भाव्यता के बारे में जानकारी है जो विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार वर्तमान मछली उत्पादन से लगभग $3\frac{1}{2}$ से $5\frac{1}{2}$ गुना अधिक है ।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं से पहले समुद्री मछली पकड़ने का समस्त कार्य गैर-यंत्रीकृत जलपोतों द्वारा ही किया जा रहा था । मछली पकड़ने के जलयानों के लिए कोई बन्दरगाह की सुविधायें नहीं थी । यंत्रीकृत नौकाओं को चलाने के लिये प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध नहीं थे । संसाधन सर्वेक्षण नहीं किये गये थे । मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों में विशेषज्ञता की कमी थी और जलयान, इंजन तथा उपकरण देश में नहीं बनाये जाते थे । इन कठिनाइयों को सभी क्षेत्रों में विकास की क्रमवद्ध योजनाओं के माध्यम से दूर किया जा रहा है । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पहले ही शुरू किये गये विभिन्न विकासात्मक उपायों के फलस्वरूप जो मछली उत्पादन 1951 में केवल 7.5 लाख मीटरी टन था अब 16 लाख मीटरी टन से अधिक हो गया है ।

(घ) मात्स्यकी विकास के लिए उत्तरोत्तर योजनाओं में और अधिक व्यवस्था की गई है । प्रथम योजना में 2.78 करोड़ रुपये की व्यवस्था को दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में क्रमशः 9.06 करोड़ रुपये तथा 23.38 करोड़ रुपये तक वृद्धि की गई । चौथी योजना में मात्स्यकी विकास के लिए 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब तक जो मुख्य उपाय किये गये हैं वे ये हैं : बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत ढंग से मछली पकड़ना, कुछ बन्दरगाहों पर उतरने तथा लंगर डालने की सुविधाओं की व्यवस्था करना, गहरे समुद्र से संसाधनों का सर्वेक्षण और शैक्षणिक, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करना अन्तर्देशीय मात्स्यकी क्षेत्र में मछली के अंडों का उत्पादन तथा वितरण का आयोजन किया गया है, मछली फार्म तथा नर्सरियों की स्थापना की गई, बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन के लिए तालाबों तथा पोखरों का सुधार किया गया और प्रजनन तकनीकों तथा उत्पादन के उन्नत तरीकों को लागू किया गया ।

चौथी योजना के दौरान यंत्रीकरण कार्यक्रम जारी रखा जा रहा है । 20 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न केन्द्रों में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के प्रबन्ध किये जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार के सर्वेक्षण बेड़े में 24 जलयान और बढ़ाकर दूर-तट तथा गहरे समुद्र के संसाधनों के सर्वेक्षण को तीव्र किया जा रहा है । जलयानों की सीमित संख्या को आयात किया जा रहा है । जलयान देश में बनाए जा रहे हैं और देश में निर्मित जलयानों को राज सहायता देने के लिए एक

योजना लागू की गई है। अंतर्देशीय क्षेत्र में मछली के अंडों के उत्पादन, संधन मछली उत्पादन और जलशयों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

यद्यपि चौथी योजना में मात्स्यकी विकास के लिए की गई व्यवस्था पिछली योजना की अपेक्षा अधिक रही है, तथापि इस परिव्यय में वित्तीय संस्थाओं से बढ़ा कर पर्याप्त राशि उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है। मछली पकड़ने के उद्योग को प्रभावशाली ढंग से बढ़ाये जाने के कारण और तटीय तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले यंत्रीकृत जलयानों को प्रयोग में लाने के कारण इस उद्योग में अब बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा धन लगाया जा रहा है। इस उद्योग में अब लगाये जा रहे अतिरिक्त धन से विकास की प्रगति को तीव्र करने में सहायता मिलेगी।

बेरोजगार शिक्षित महिलायें

1561. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में पूर्वस्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक डिग्रीधारी महिलाओं की कुल संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से बेरोजगार महिलाओं की संख्या क्या है ; और

(ग) हमारे देश की इन शिक्षित महिलाओं को नौकरी देने की विभिन्न योजनाएं क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). (1) भारतीय जनगणना 1961 और (2) नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टरों में उपलब्ध जानकारी संलग्न दो विवरणों में दी गई है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्युयन, बिजली व सिंचाई परिवहन एवं संचार, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा शिक्षित महिलाओं समेत बेरोजगार लोगों के लिए अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने की सम्भावना है।

विवरण—1

सन् 1961 की जनगणना के आधार पर शैक्षणिक स्तर के अनुसार भारत में महिला संख्या

शैक्षणिक स्तर	कुल महिलाओं की आबादी		बेरोजगारों की संख्या	
	देहाती क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	देहाती क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
एक : अंडरग्रेजुएट	221,299*	886,642	23,339*	21,868
(1) मैट्रिक या हायर सैकेंडरी	—	826,615	—	20,009

(2) तकनीकी डिप्लोमा डिग्री के बराबर नहीं	—	11,070	—	431
(3) गैर-तकनीकी डिप्लोमा डिग्री के बराबर नहीं	—	48,957	—	1,428
दो : ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट—				
(अर्थात् तकनीक डिग्री के अलावा विश्व-विद्यालय की डिग्री या पोस्टग्रेजुएट डिग्रियां)	—	128,119	—	2,924
तीन : व्यावसायिक डिग्री रखने वाली—				
(अर्थात् तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा जो डिग्री या पोस्टग्रेजुएट डिग्रियों के बराबर हैं)	—	39,004	—	1,138
(1) इंजीनियरिंग	—	265	—	9
(2) औषधि	—	7,352	—	111
(3) कृषि	—	53	—	—
(4) पशुपालन व डेरी	—	17	—	—
(5) तकनीकी	—	60	—	—
(6) अध्यापन	—	25,386	—	578
(7) अन्य	—	5,871	—	440

नोट : उपर्युक्त आंकड़ों में "नेफा" के एक भाग की आबादी शामिल नहीं है जहां अखिल भारतीय जनगणना का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ था।

*देहाती क्षेत्रों में सभी स्तर की शैक्षणिक योग्यताओं को "मैट्रिक और उससे अधिक" माना गया है और इनसे सम्बंधित स्वतंत्र आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रतिशत बेरोजगारी से संबंधित ये आंकड़े केवल 15 वर्ष और इससे ज्यादा आयु वालों से संबंधित हैं।

साधन सूत्र (एक) : भारतीय जनगणना 1961, खण्ड एक भाग दो ग(एक) सामाजिक और सांस्कृतिक सारणी ग तीन-भाग ख और ग।

(दो) : भारतीय जनगणना 1961, खण्ड एक, भाग दो-ख(तीन) सामान्य आर्थिक सारणी ख-आठ भाग क जमा ख।

विवरण—2

शैक्षणिक स्तर के अनुसार नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज महिला उम्मीदवारों की संख्या जैसी कि 30 जून, 1970 को थी।

क्रम संख्या	शैक्षणिक स्तर		चालू रजिस्टर में दर्ज महिला उम्मीदवारों की संख्या जैसी कि 30 जून, 1970 को थी
1.	मैट्रिकुलेट		1,74,185
2.	हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण (इन्टरमीडिएट अण्डर ग्रेजुएट समेत		44,020
3.	ग्रेजुएट—कुल		36,113
	(एक) कला	17,829	
	(दो) विज्ञान	6,990	
	(तीन) वाणिज्य	488	
	(चार) इन्जीनियरिंग	118	
	(पांच) औषधि	542	
	(छः) पशु चिकित्सा	3	
	(सात) कृषि	30	
	(आठ) विधि	49	
	(नौ) शिक्षा	9,589	
	(दस) अन्य	475	
4.	पोस्ट ग्रेजुएट—कुल		6,493
	(एक) कला	3,300	
	(दो) विज्ञान	864	
	(तीन) वाणिज्य	33	
	(चार) इन्जीनियरिंग	4	
	(पांच) औषधि	50	
	(छः) पशु चिकित्सा	—	
	(सात) कृषि	10	
	(आठ) विधि	3	
	(नौ) शिक्षा	2,063	
	(दस) अन्य	166	
	कुल		2,60,811

नोट : नौकरी खोजने वाली शिक्षित महिला उम्मीदवारों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े छः माह के अन्तराल से प्रति वर्ष जून और दिसम्बर में एकत्र किये जाते हैं।

हैदराबाद तथा विजयवाड़ा के आकाशवाणी केन्द्रों के रेंज

1562. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद तथा विजयवाड़ा के आकाशवाणी केन्द्रों के क्या क्या रेंज हैं ;

(ख) क्या इन केन्द्रों को मध्यान्ह पूर्व तथा मध्यान्ह पश्चात् ठीक तरह सुनने के लिये आंध्र प्रदेश राज्य में भी नहीं लगाया जा सकता ; और

(ग) क्या हैदराबाद और विजयवाड़ा में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की स्थापना की जायेगी ताकि देश के विभिन्न भागों में दिन में सभी समय लोग इन केन्द्रों से प्रसारण सुन सकें ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) हैदराबाद का उच्च शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर उत्तर में लगभग 185 किलोमीटर की दूरी तक, पूर्व में 280 किलोमीटर तक, दक्षिण में 240 किलोमीटर तक तथा पश्चिम में आंध्र प्रदेश की सीमाओं से परे तक सेवा (दिन और रात) प्रदान करता है। विजयवाड़ा का मध्यम शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर उत्तर-पश्चिम में लगभग 110 किलोमीटर तक, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में 160 किलोमीटर तक सेवा प्रदान करता है। हैदराबाद का शार्ट वेव ट्रांसमीटर आन्ध्र प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य के लिये दिन और रात माध्यमिक सेवा प्रदान करता है।

(ख) इन केन्द्रों के कार्यक्रमों को आन्ध्र प्रदेश राज्य में संतोषजनक रूप से सुना जा सकता है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी केन्द्र, कडप्पा

1563. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, कडप्पा का आकाशवाणी केन्द्र केवल रिले केन्द्र है ;

(ख) क्या इसे पूर्ण रूप से प्रसारण केन्द्र बनाने के लिये सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रों को मूलरूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूरे केन्द्र में नहीं बदला जा रहा है, तथापि, स्थानीय रूप से कुछ मूल कार्यक्रम प्रसारित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

राजकोट स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रगति

1564. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट में आकाशवाणी का अधिक शक्ति वाला 'मीडियम वेव' का दूसरा ट्रांसमीटर स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इसके कब तक चालू होने की आशा है ;

(ग) यह केन्द्र कितनी दूर तक सुना जा सकेगा ; और

(घ) इस परियोजना पर कितना व्यय होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मुख्य ट्रांसमीटर उपकरण लगा दिया गया है तथा उसकी जांच की जानी है।

(ख) मार्च, 1971 तक।

(ग) अफगानिस्तान, ईरान, फारस की खाड़ी ईराक, पश्चिम पाकिस्तान तथा अरब के भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के भाग।

(घ) 227 लाख रुपये।

इस्पात कर्मचारियों के वेतन

1565. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करने के लिये हाल ही में एक समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ, श्रमिकों के निम्नतम वर्ग अर्थात् 'अकुशल' वर्ग के लिए 1-9-1970 से 240 रु० प्रति मास की न्यूनतम मजदूरी देने की व्यवस्था है। उक्त राशि में 200 रु० की मूल मजूरी और औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960—100) के सूचकांक 183 के आधार पर 40 रु० का मंहगाई भत्ता शामिल होगा।

चीनी के सम्बन्ध में द्वितीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

1566. **श्री पं० गोपालन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि लगभग सारे

केन्द्रीय श्रमिक संघों ने चीनी के सम्बन्ध में द्वितीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को एकमत से अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मदुरै के लिए प्रसारण केन्द्र

1567. **श्री नम्बियार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि मदुरै में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । फिलहाल इस मांग को मानना संभव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी का निर्यात मूल्य

1568. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 के दौरान चीनी किस मूल्य पर निर्यात की जायेगी ; और

(ख) चीनी के निर्यात से उसके आन्तरिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) चीनी का निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है। 1970 में विश्व भर की मंडियों और अधिमान्य मंडियों को किये गये निर्यात से जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार प्रति मीटरी टन अनुमानित प्राप्ति इस प्रकार है :

	जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार प्रति मीटरी टन अनुमानित प्राप्ति
1. विश्व भर की मंडियों से	696 रुपये
2. अधिमान्य मंडियों से	
(क) यू० एस० कोटा (यू० एस० ए०)	1115 रुपये
(ख) एन० पी० क्यू० (यू० के०)	855 रुपये

(ख) आंशिक विनियंत्रण की वर्तमान नीति के अनुसार उत्पादन का एक भाग मुख्यतः घरेलु उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए निश्चित मूल्यों पर अधिग्रहण किया जाता है और उसका दूसरा भाग कारखानों को खुले बाजार में बिक्री हेतु दिया जाता है लेकिन उसकी निर्मुक्ति का विनियमन सरकार करती है। लेवी चीनी के मूल्य टैरिफ कमीशन द्वारा अभिस्तावित अनुसूचियों और क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और इसलिए ये मूल्य चीनी के निर्यात से प्रभावित नहीं होंगे।

हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कानून

1569. **श्री न० रा० देवघरे : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कानून बनाने का विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं। ऐसे हथकरघा बुनकरों के काम की दिशायें जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में नियोजित है, उक्त अधिनियम के उपबन्धों द्वारा विनियमित होती हैं। अधिनियम का उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की व्यवस्था करना और उनके काम के घंटों को विनियमित करना है। इसी प्रकार, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 उन श्रमिकों के लिए, जो अन्तर्गत आते हैं, मन्जूरी की अदायगी, काम के घण्टे और सवेतन साप्ताहिक छुट्टी की मन्जूरी, विनियमित करता है। राज्य सरकारें हथकरघा उद्योग को इस अधिनियम की परिधि में ला सकते हैं। केरल और उड़ीसा की राज्य सरकारें पहले ही ऐसा कर चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के "युववाणी' कार्यक्रम के समान कार्यक्रम

1570. **श्री न० रा० देवघरे : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होने वाले "युववाणी" कार्यक्रम के समान एक कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Consultation with Members of Parliament while Fixing Sugarcane Prices

1572. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government proposes to consult Members of Parliament while fixing the prices of sugarcane;

(b) if so, the names of the Members consulted in this behalf so far; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) to (c). The minimum price of sugarcane is fixed after taking into account the recommendations of the State Governments Associations of sugar industry and sugarcane growers, Agricultural Prices Commission and other authorities concerned. There are discussions in the Parliament on the subject and the views expressed there are also available to Government. The minimum prices of sugarcane for 1970-71 has been fixed at Rs. 7.37 per quintal linked to a recovery of 9.4 per cent or below as in the preceding three years. However, the premium for recoveries higher than 9.4 per cent has been increased from 5.36 paise per quintal to 6.6 paise per quintal for every increase of 0.1 per cent in recovery.

Defects in Telephone System in North Bihar

1573. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether the telephone lines in North Bihar, particularly in Champaran District, are often found dead or their dial tones are generally found out of order;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the apparatus of the telephones installed in North Bihar is an old one and has ceased to work properly; and

(d) the measures being contemplated by Government to remedy the situation?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) No, Sir.

(b) Sometimes the telephone services are interrupted because:

(i) trunk lines are interrupted due to theft of copper wires and

(ii) frequent and prolonged failures in Electric Power supply.

(c) No, Sir. The apparatus is quite new.

(d) (i) Within the limited resources available, copper wires are being gradually replaced by aluminium (ACSR) wire which is not generally stolen.

(ii) Bihar State Electricity Board have been requested to provide stable supply of electric power.

(iii) Stand by batteries are provided in all exchanges.

पश्चिम बंगाल के मालिकों द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का जमा न करना

1574. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत आने

वाले कुल उन संस्थानों ने जिनको छूट नहीं दी गई है भविष्य निधि की देय राशि जमा नहीं करवाई है और 31 मार्च, 1970 को ऐसे संस्थानों पर भविष्य निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले भुगतान की 14.67 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ;

(ख) यदि हां, तो इन अनमुक्त संस्थानों ने कितने वर्षों से अपनी देय राशि जमा नहीं करवाई ; और इस राशि की वसूली के लिए सम्बन्धित विभाग ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध 31 मार्च, 1970 तक वसूली के मामले और विश्वासघात करने के आपराधिक मामले चलाये गये हैं ;

(घ) 31 मार्च, 1970 तक जिन संस्थानों को दण्ड दिया गया है उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में क्या दण्ड दिया गया है ; और

(ङ) सरकार इस बारे में और क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का संबंध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 195^ के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कि स्वायत्त संगठन है और इसका भारत सरकार से सीधा संबंध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (घ). 31-3-1970 को कुछ छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों की और भविष्य निधि अंशदानों की 14.69 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

जिन प्रतिष्ठानों ने 31-3-1970 को बकाया देय राशि जमा नहीं करायी थी, उनके नाम और वर्ष वार ब्यौरा तथा उनके विरुद्ध चलाये गये अभियोजन के मामले और वसूली का ब्यौरा और उनको दिये गये दण्ड का रूप, तत्काल उपलब्ध नहीं है। जिन प्रतिष्ठानों ने 31-3-1970 को अंशदानों और प्रशासनिक प्रभार की अदायगी नहीं की थी, उनकी संख्या क्रमशः 8,400 और 7,232 थी। एक विवरण संलग्न है, जिसमें छूट न प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठानों का कुछ ब्यौरा दिया गया है, जिन्होंने 31-3-70 को भविष्य निधि के अंशदानों की एक लाख और उससे अधिक रुपये की राशि जमा नहीं करायी थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4322A/70]

अधिकांश दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध संबन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से अभियोजना/वसूली कार्यवाही द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यायालयों में विश्वासघात के आपराधिक मामले भी चलाये गए हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का सम्बन्ध है, यह मामला संबन्धित राज्य सरकारों और केन्द्र के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। जहां तक ऐसे प्रतिष्ठानों का संबंध है जो परिसमापन की अवस्था में चले गये हैं, दावे परिसमापक के समक्ष अनिर्णित पड़े हैं। कुछ प्रतिष्ठानों ने राज्य सरकारों/कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ, तय हुई अदायगी की योजना के अनुसार बकाया राशि और वर्तमान देय राशि अदा करने के लिए समझौते कर लिये हैं।

(ङ) दोषी प्रतिष्ठानों के नियोजकों के लिए कड़े दण्डों की व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी

भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का विचार है। इस संबंध में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा अनधिकृत टेलीफोन लगाना और टेलीफोन की राशि का भुगतान न करना

1575. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र तथा राज्यों में ऐसे मंत्रियों और राजपत्रित अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध अनधिकृत रूप से टेलीफोन लगाने और काफी लम्बी अवधि तक टेलीफोन की राशि जमा न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) आज तक प्रत्येक केंद्रीय तथा राज्य मंत्री और राजपत्रित अधिकारी के नाम टेलीफोन बिलों की कुल कितनी धनराशि बकाया है जो वसूल नहीं की गई ; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अनधिकृत टेलीफोनों की शिकायतों के संबंध में जो भी जानकारी है, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

जहां तक लम्बे अर्से के टेलीफोन बिलों की अदायगी न करने के बारे में शिकायतों का संबंध है, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मन्त्रियों और राजपत्रित अधिकारियों को दिये गये टेलीफोन केन्द्रीय सरकार या संबंधित सरकारों के खाते होते हैं और इन टेलीफोनों के बिलों की अदायगी संबंधित सरकारें ही करती है, न कि वे मन्त्री या राजपत्रित अधिकारी। इसलिये मंत्रियों या राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ बिलों की अदायगी न करने के बारे में कोई शिकायत नहीं ।

(ख) जैसा कि पहले ही बताया गया है इस तरह से केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रियों या राजपत्रित अधिकारियों के नाम कोई रकम बकाया नहीं है। फिर भी, सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के विभागों के नाम 31 मार्च, 1970 तक जारी किये गये बकाया बिलों की रकम 1-7-1970 को 3.13 करोड़ रुपये थी।

(ग) जिस टेलीफोनों के बिलों की अदायगी नहीं की गई है, उनकी वसूली के लिए व्यक्तिगत संपर्क, पत्र-व्यवहार, स्मरण-पत्र और अन्त में उनके टेलीफोन कनेक्शन काट देने जैसी कार्रवाइयां की गई हैं ।

अपना टेलीफोन लगवाओ योजना और किराये के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नागपुर में पड़े लम्बित आवेदन-पत्र

1576. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपना टेलीफोन लगवाओ योजना और किराये के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नागपुर में कुल कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं ;

(ख) अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय से आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अपना टेलीफोन लगवाओ योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या— 11) 30-6-70 की स्थिति
किराये के आधार पर लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या— 235)

(ख) अधिक से अधिक अवधि 5 महीने
कम से कम अवधि 10 दिन

(ग) जहां-कहीं तकनीकी दृष्टि से संभाव्य है, टेलीफोन कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में केबिल युग्मों की कमी के कारण कनेक्शन देना तकनीकी दृष्टि से संभाव्य नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में नए केबिल बिछाने की व्यवस्था की जा रही है।

मैसूर राज्य के रायचूर जिले में कोप्पल में टेलीफोनों के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

1577. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के रायचूर जिले में कोप्पल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये बहुत अधिक संख्या में आवेदन पत्र वर्षों से लम्बित पड़े हैं और कोप्पल टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम भी वर्षों से रुका पड़ा है ;

(ख) क्या कोप्पल टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता बढ़ाने के लिये कोई निर्णय किया गया है ; यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां एक गैर तकनीकी व्यक्ति को विस्तार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था और उसको लम्बी छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यह विस्तार-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मौजूदा 100 लाइनों के एक्सचेंज के 200 लाइनों में विस्तार की मंजूरी मार्च, 1968 में दी गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) आशा है कि 1971-72 के मध्य तक विस्तार कार्य पूरा हो जायेगा और उपस्कर चालू कर दिया जायेगा।

एक्सपो-70, ओसाका में गए बाघ 'दिलीप' के वजन में वृद्धि

1578. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपो-70 ओसाका में गये दिल्ली के चिड़ियाघर के बाघ, 'दिलीप' का वजन 6 मास की अवधि में 40 किलो बढ़ गया है ;

(ख) क्या इससे यह सिद्ध होता है कि दिल्ली चिड़ियाघर में दुर्लभ पशुओं को अपर्याप्त खुराक दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां । 'दिलीप' बाघ के वजन में 35 किलोग्राम की वृद्धि हुई है ।

(ख) जी नहीं । दिल्ली चिड़ियाघर में सफेद बाघों सहित सभी जानवरों को पर्याप्त भोजन दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

फार्म परियोजनाओं के लिए जम्मू-कश्मीर तथा अन्य राज्यों को अनुदान

1579. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार को राज्य की योजना के अन्तर्गत विशिष्ट फार्म परियोजनाओं के लिए नियत धन राशि के अतिरिक्त 6 करोड़ रुपये की धन राशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन आधारों पर किया गया है और क्या ऐसे अनुदान अन्य राज्यों को भी दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं होते ।

मैसूर में कृषि योजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

1580. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए विश्व बैंक की सहायता से लगभग 84 करोड़ की लागत से कुछ योजनायें चालू करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या ये योजनायें स्वीकृत कर ली गई हैं और विश्व बैंक को भेज दी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई तथा विश्व बैंक को भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या जून, 1970 में मैसूर में आये विश्व बैंक के कृषि ऋण मिशन से कुछ संकेत मिले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). विश्व बैंक को परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आर० एस०-09 ट्रैक्टर बनाने के लिए मैसर्ज इंडिया एग्रो मशीन्स हैदराबाद को दिया गया लाइसेंस रद्द करना

1581. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारत में आर० एस०-09 ट्रैक्टर की असफलता के बारे में आम शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए, मैसर्ज इण्डिया एग्रो मशीन्सज हैदराबाद को ट्रैक्टर बनाने के लिए दिये गये लाइसेंस को रद्द करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : सर्वश्री इण्डियन एग्रो-मशीन्स, दिल्ली के लिये अभी तक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः इसके रद्द करने का प्रश्न ही नहीं होता।

लाइसेंसिंग समिति ने 9-6-69 को आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए सर्वश्री इण्डियन एग्रो मशीन्स की योजना अन्तिम रूप से स्वीकृत कर दी थी। इस अवधि के दौरान कारखाने को इंडस्ट्रीज (डी० तथा आर०) अधिनियम, 1951 के लाइसेंसिंग प्रावधानों से छूट दे दी गई थी। तत्पश्चात् जब कारखाना 19-2-70 को लाइसेंसिंग प्रावधानों के अन्तर्गत लिया गया, तो कम्पनी ने औद्योगिक लाइसेंस के लिये अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। क्योंकि उन के द्वारा निर्माण किये जाने वाले प्रस्तावित ट्रैक्टरों में एक निम्न प्रकार का इन्जन तथा कुछ अन्य परिवर्तन हैं और परिवर्तन युक्त आयातित ट्रैक्टरों को पसन्द नहीं किया गया और क्योंकि इस पहलू की आगे जांच पड़ताल की जा रही है अतः जांच पड़ताल के पूरे होने तक तथा ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी द्वारा दिये गये आशोधन सम्बन्धी सुझावों को ट्रैक्टरों में कार्यान्वित करने तक उनके अभ्यावेदन को विचाराधीन रख दिया गया है। फर्म का अभ्यावेदन औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय की लाइसेंसिंग समिति की 31-8-70 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

चीनी का स्टाक तथा चीनी उद्योग को दी जाने वाली ऋण सुविधायें

1582. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी बनाने का मौसम समाप्त होने के समय (सितम्बर, 1970) चीनी उद्योगों के पास चीनी का पिछला कितना स्टाक था तथा उसका मूल्य कितना था ;

(ख) अगले सीजन के अन्त तक इन मिलों के पास चीनी का कितना स्टाक हो जाने का अनुमान है ;

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों को नियमित रूप से भुगतान करने हेतु इस उद्योग ने केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से पर्याप्त ऋण सुविधायें देने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) 1969-70 मौसम (30 सितम्बर, 1970) के अंत में चीनी कारखानों के पास चीनी का इतिशेष स्टाक 20.83 लाख मीटरी टन था जिसका मूल्य, उत्पादन शुल्क के बिना, लगभग 260 करोड़ रुपये था ।

(ख) यह स्टाक वर्ष के उत्पादन, खपत और निर्यात पर निर्भर करेगा । इस समय कोई पक्का अनुमान देना कठिन है ।

(ग) इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार से ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया है ।

(घ) भारत के रिर्जव बैंक द्वारा इस संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किये जा चुके हैं ।

भारतीय खान प्रबन्धकों के संघ (इन्डियन माइन मैनेजर्स एसोसियेशन द्वारा ज्ञापन

1583. **श्री हेम बरुआ** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान प्रबन्धकों के संघ ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या कहा गया है ; और

(ग) भारतीय खान प्रबन्धकों के संघ की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	इन्डियन माइन्स मैनेजर्स एसोसियेशन के ज्ञापन में उठाये गये मुख्य बातें	की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	मालिकों, ऐजेन्टों तथा प्रबन्धकों के कर्त्तव्यों से संबन्धित खान अधिनियम 1952 की धारा 17 और 18 का संशोधन ।	खान अधिनियम को संशोधन करने के अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर भी कार्यवाही हो रही है ।

1	2	3
		निधि की वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सीमा क्षेत्र को बढ़ाना संभव प्रतीत नहीं होता ।
2.	कोयला खान श्रम कल्याण निधि के द्वारा चलाये गये अस्पतालों में प्रबंधकों तथा पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग का मुफ्त इलाज ।	
3.	ग्रेच्यूटी की मंजूरी	संबन्धित मंत्रालयों की सलाह से कोयला खानों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्यूटी योजना लागू करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।
4.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर ।	राष्ट्रीय श्रम आयोग, जिसने सिफारिश की है कि कर्मकारों को अधिनियम के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिये कोई वेतन सीमा नहीं होनी चाहिये, की सिफारिश के संदर्भ में मामला विचाराधीन है ।
5.	त्रिपक्षीय निकायों में प्रतिनिधित्व	भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थाई श्रम समिति तथा औद्योगिक समितियां जैसे त्रिपक्षीय निकायों में प्रतिनिधित्व केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों तथा त्रिपक्षीय अभिसमय से सीमित है । तथापि माइन मैनेजर्स एसोसियेशन को कोयले पर औद्योगिक समिति में प्रेक्षक के रूप में संघित किया गया है। कोयला खानों पर औद्योगिक समिति पर माइन मैनेजर्स को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान करने के प्रश्न पर नई दिल्ली में अप्रैल, 1960 में होने वाले 7वें अधिवेशन में विचार विमर्श हुआ । यह स्वीकार किया गया कि माइन मैनेजर्स के प्रतिनिधियों को जब आवश्यक समझा जाय विशेष आमंत्रितों, सलाहकारों तथा प्रेक्षकों के रूप में निमंत्रित करने की प्रथा पर्याप्त है और चालू रखी जानी चाहिये।

1	2	3
6.	देश में पूर्वी भाग में स्थित खानों में कानूनी व्यवस्था की पुनः स्थापना।	इस तरफ सम्बन्धित राज्य सरकारों का लगातार ध्यान है।
7.	बार बार उल्लंघन की हालत में अनिवार्य कारावास का उन्मूलन।	खान अधिनियम में केवल बार बार उल्लंघन के लिए अनिवार्य कारावास के दण्ड की व्यवस्था नहीं है।
8.	सेवा-अप्रुरक्षा	प्रबन्धकों तथा प्रशासनिक श्रेणी में नियुक्त व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के सीमा क्षेत्र में नहीं आते। प्रबन्ध अधिकारियों को 'श्रमिक' की परिभाषा की परिधि में लाने के लिये अधिनियम के संशोधन का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में सुझाव

1584. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवादों में किसी तीसरी पार्टी द्वारा हस्तक्षेप तथा संयंत्र की 10 प्रतिशत सदस्यता कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करने के प्रतिबन्ध को समाप्त करने का कोई सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि नई यूनियन शुरू करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम संख्या को बढ़ाकर प्लांट के नियमित कर्मचारियों का 10 प्रतिशत या 100, जो भी कम हो, किया जाना चाहिए बशर्ते कि न्यूनतम संख्या 7 हो। राष्ट्रीय आयोग द्वारा औद्योगिक विवादों में राज्य द्वारा योगदान के विशिष्ट संदर्भ में, तीसरी पार्टी द्वारा हस्तक्षेप के प्रति द्विपक्षीय आधार पर सामूहिक सौदाकारी के प्रश्न पर भी विचार किया गया। जबकि आयोग ने स्वीकार किया कि सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रिया के लिए अधिकाधिक गुंजाइश की व्यवस्था होनी चाहिए, उसने तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए, जहाँ आवश्यक है, कोई सुझाव नहीं दिया। स्थायी श्रम समिति ने भी, जिसने जुलाई, 1970 में आयोग की सिफारिशों पर विचार किया, औद्योगिक विवादों में तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप की पूर्ण समाप्ति की परिकल्पना नहीं की ; तथापि समिति ने पंजीकरण के लिए यूनियनों की न्यूनतम सदस्य संख्या के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश का समर्थन किया।

(ख) स्थाई श्रम समिति के विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय श्रम की सिफारिशों पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

Direct Dialling System in Madhya Pradesh

1585. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for introducing direct dialling telephone system between various cities in Madhya Pradesh and other cities ;

(b) if so, the names of these cities ; and

(c) the time by which the proposal will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Direct dialling facilities are proposed to be introduced from stations in list A to stations shown against them in list B below ;

A	B
1. Bhopal	1. Indore
2. Indore	1. Ahmedabad
	2. Belgaum
	3. Bhopal
	4. Bombay
	5. Nagpur
	6. Nasik
	7. Poona
	8. Surat
3. Jabalpur	1. Katni
4. Katni	1. Jabalpur

(c) The routes will be commissioned progressively from 1973 onwards.

भारतीय पत्रकारिता में विदेशी धन की भूमिका

1586. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री अजमल खां :**
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्रकारिता में विदेशी मुद्रा की भूमिका के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). भारतीय पत्रकारिता में विदेशी मुद्रा की भूमिका के बारे में हाल ही में एक व्यापक जांच की गई है ।

सरकार समस्या के समाधान के लिए एक कानून बनाने पर विचार कर रही है ।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए सूखी खेती की योजना

1587. **श्री देवराव पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना निश्चित सिंचाई के वर्षा पर निर्भर करने वाले उन क्षेत्रों में जहां निम्न आर्द्रता अवक्षेपण और मिट्टी गीली रहने के कारण लाभप्रद तौर पर पौधों की पूरी बढ़ोत्तरी नहीं हो पाती, सूखी खेती की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना में 24 प्रदर्शन-एवं प्रशिक्षण मार्गदर्शी परियोजनायें चालू करने का विचार है । ये परियोजनायें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 24 प्रमुख तथा उप-अनुसंधान केन्द्रों के आस पास स्थित होंगी । प्रारम्भ में 1970-71 की अवधि में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए 9 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं ।

सन् 1970-71 के दौरान प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत 2000 एकड़ क्षेत्र आयेगा जो 1973-74 में बढ़ाकर 8000 एकड़ तक पहुंच जायेगा ।

भौतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि संरक्षण भूमि विकास जुताई का सुधार भू-प्रबंध, जल प्रयोग की प्रणालियां । योगिक पदार्थों का प्रयोग (जिसमें कि पौध-पोषक भी सम्मिलित है) नई अल्पाविधि वाली फोटो-सघन किस्मों, बहुफसली फसलें बोना, पशुपालन कार्यक्रमों को लागू करना घास तथा चारे की फसलों का विकास भी सम्मिलित है ।

प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कार्यों, जिनमें आदान भी सम्मिलित हैं, के लिए ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है ।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चौथी योजना की अवधि में 200 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। सन् 1970-71 के लिए 2 करोड़ रु० की बजट व्यवस्था की गई है ।

Basis for Fixing Soyabeans Price

1588. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the basis on which Government have fixed the cost price of Soyabeans at Rs. 80 per quintal when the cost of other oil seeds is more than Rs. 150 per quintal ;

(b) whether Government propose to promote the production of Soyabeans ; and

(c) whether it is also a fact that the quantity of oil or protein available in one quintal of Soyabeans will cost more than Rs. 300 if it is purchased in the shape of other foodgrains and if so, the reasons for fixing Rs. 80 per quintal for Soyabeans ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The support price of soyabeans has been fixed at Rs. 85/- per quintal on the basis of its oil content.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

Telephone Connections Pending with Meerut Telephone Exchange

1589. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the situation in the Meerut Exchange has worsened to such an extent that it is not possible to provide even those telephone connections which have been approved by the Telephone Advisory Committee and even a temporary telephone connection required in an emergency cannot be provided ;

(b) the reasons for formulating a scheme for providing only 600 telephone connections whereas 1000 telephone connection could have been provided in the present circumstances ;

(c) whether it is also a fact that it would take 2 years to provide 1000 (600+400) telephone connections even if the scheme for extension of 400 telephone connections is sanctioned forthwith ; and

(d) if so, the reasons for not sanctioning 400 additional connections forthwith ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No. Sir. The Meerut Exchange has a nominal capacity of 3900 with a maximum connectible capacity of 3666. The number of connections working on 1st of November, 1970 was 3599. Thus about 67 additional connections can be provided to meet the temporary and important connections required urgently, till further expansion of the exchange. As far as connections approved by TAC are concerned, these have been provided in full in the past. A TAC meeting was held on 13-10-70. Connections approved by them are being provided except those not found feasible due to difficulties of cable pairs.

(b) The main reason for formulating an expansion by 600 lines (3900-4500) only is that the total production and supply exchange equipment has been extremely limited and it has not been possible to allot equipment to all the stations to meet their demands in full. The available equipment has had to be rationed strictly. In general, the average waiting period in the country exceeds four years. In case of Meerut this is even now less than 2 years. With the proposed expansion by 600 lines which is likely to be commissioned in 1973 it will be possible to meet all the pending demands at Meerut. At many stations like Calcutta, Bombay, Delhi, Ahmedabad, Kanpur etc., it has not been possible to work even to this target.

(c) and (d). Further expansion at Meerut will be considered in the light of availability of equipment and the needs of the country as a whole.

उर्वरक खपत और जमा स्टाक का निपटान

1590. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री घी० ना० देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत वर्ष के दौरान उर्वरक का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ और उसकी कितनी खपत हुई ;

(ख) कुल खपत में स्वदेशी उत्पादन की मात्रा कितनी थी और आयातित उर्वरक की मात्रा कितनी थी ;

(ग) उत्पादन तथा विपणन समितियों द्वारा 2 वर्षों से भी अधिक से अवधि से भारी मात्रा में स्वदेशी उर्वरक के कथित स्टाक जमा हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आयात करने से पूर्व जमा हुए स्टाक को काम में लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) देश में 1969-70 के दौरान उर्वरकों की वास्तविक खपत निम्न प्रकार रही है :—

	नाइट्रोजन एन	फास्फेट पी$_2$ ओ$_5$	पोटाश के$_2$ ओ
		(लाख मीटरी टन)	
उत्पादन	7.16	2.22	कुछ नहीं
खपत	13.98	4.35	1.76

(ख) समस्त पोटाश की खपत की पूर्ति आयात द्वारा की गई थी क्योंकि इस देश में इसके उत्पादन का कोई भी साधन नहीं है। 1969-70 के दौरान नाइट्रोजन (एन) तथा फास्फेट (पी$_2$ ओ$_5$) का घरेलू उत्पादन कुल खपत की हुई मात्रा का आधा था। शेष आधे भाग की पूर्ति आयातों द्वारा की गई थी।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि देसी उर्वरकों का उत्पादकों तथा विपणन समितियों के पास काफी भण्डार इकट्ठा हो गया है। परन्तु उर्वरक की कुछ मात्रायें ऐसी जरूर हैं जो न बिक सकने के कारण राज्य सरकारों के भण्डारों में पड़ी हुई हैं। ऐसा प्रमुखतः कृषि-ऋण की कमी अपर्याप्त-प्रोत्साहन कार्य तथा कुछ राज्यों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण हुआ।

(घ) उर्वरकों की मूल उपलब्ध मात्रा का निर्धारण करते समय देश में उपलब्ध सभी भण्डारों तथा देश में उर्वरकों के अनुमानित उत्पादन को भी ध्यान में रखा गया था। राज्यों की मांग तथा देसी उत्पादन एवं उर्वरकों के भंडारों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात किया गया था। आवश्यकता का वर्ष में दो बार निर्धारण किया जा सकता है जिससे कि आवश्यकता के अनुसार ही आयात की व्यवस्था की जा सके।

1970-71 में ट्रैक्टरों का आयात और उनका निर्माण

1591. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने तथा लगभग कितने मूल्यों के ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा;

(ख) किन देशों से ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा और सप्लाई करने वालों के साथ बिक्री के बाद की सेवाओं सम्बन्धी क्या प्रबन्ध किया गया ;

(ग) ट्रैक्टरों की अत्यधिक मांग को देखते हुए क्या देश में ट्रैक्टरों के निर्माण को तेज करने के लिए उनके मंत्रालय और औद्योगिक विकास मन्त्रालय के बीच बातचीत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया और यदि नहीं, तो इस महत्वपूर्ण मामले में समन्वित दृष्टिकोण के अभाव के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). सन् 1969-70 के लिए ट्रैक्टरों की मांग पूरी करने के लिए 35,000 ट्रैक्टर आयात करने का निर्णय किया गया है, इनमें से 28,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम तथा अन्य विदेशी सप्लायरों के बीच करार तय हो चुके है ।

देश का नाम	ट्रैक्टर का मेक	आयात होने वाले ट्रैक्टरों की संख्या	प्रति ट्रैक्टर मूल्य (लागत तथा भाड़ा सहित)
			(रुपयों में)
पूर्वी जर्मनी	आर० एस०-09	7000 U	9350 ...
चेकोस्लोवेकिया	जेटर-2011(एस०के०डी०)	2500	10007 ...
	जेटर-2011 (एस०के०डी०) चावल विशेष	1000	10957 ...
	जेटर-2011 चावल विशेष (पूरी तरह तैयार)	2500	11467 ...
	जेटर-5511 (पूरी तरह तैयार)	1000	17680 ...
रुमानिया	यू-650	3250	19650 ...
	यू-651	750	21750 ...
रूस	वाइलेरस	2500	13500 ...
पोलैंड	यू०आर०एस०यू०एस०-328 (पी०के०डी०)	3000	7100 ...
	यू०आर०एस०यू०ए०-335	2000	11800 ...
यूगोस्लाविया	आई०एम०टी०-555	650	15557 ...
यू० के०	फरोर्ड-3000	850	20610 ...
	इन्टरनेशनल-बी-276	1000	15291 ...
		28000	

U का आयात स्थगित कर दिया गया है ।

बाकी ट्रैक्टरों के लिए बातचीत जारी है। ट्रैक्टरों का प्रयोग करने वाले को विक्रय के बाद विदेशी सप्लायरों द्वारा मरम्मत आदि की सुविधा देने के लिए क्रय-करार में व्यवस्था कर दी गई है जिसके अन्तर्गत विदेशी सप्लायरों को गारन्टी की अवधि के दौरान अपने तकनीकी विशेषज्ञ भारत में रखने होंगे। जिन विभिन्न राज्य कृषि निगमों के माध्यम से ट्रैक्टरों का विक्रय किया जाना है उन्हें भी विशेष रूप से विक्रयोपरान्त मरम्मत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

(ग) जी हां।

(घ) ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए समय समय पर निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं :—

(1) क्योंकि ट्रैक्टर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित है अतः सरकार ट्रैक्टरों के चरणानुकूल निर्माण कार्यक्रम के लिए ट्रैक्टर विनिर्माताओं की कलपुर्जों तथा कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की मांग को पूरा करने में समर्थ रही है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धि की शर्तों के अनुसार उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए लोअर डिलीशन्स वाले पैरों का आयात करने की अनुमति है।

(2) सभी ट्रैक्टर विनिर्माताओं को अपनी लाइसेन्स क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त मशीनरी आदि के आयात का लाइसेंस द्वारा सहायता दी जाती है।

(3) मौजूदा विनिर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(4) ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए कई नई फैक्टरियां स्थापित करने की कई योजनायें तैयार की जा रही है।

कपास, तिलहन और गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम

1592. **श्री एस० आर दामानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक उपज देने वाली किस्मों अम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन राज्यों में तथा कितनी भूमि पर कपास, तिलहन तथा गन्ने की खेती की गई है ; और

(ख) यदि नहीं तो इन फसलों की ओर ध्यान न दिये जाने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कपास, तिलहन तथा गन्ने के सम्बन्ध में अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम की स्थिति निम्न प्रकार है :

कपास

गुजरात राज्य में संकर-4 के अन्तर्गत 1969-70 में 4,000 हैक्टार क्षेत्र था जो चालू

मौसम के दौरान बढ़कर 20,000 हैक्टार हो गया। इस संकर किस्म की उपयुक्तता की अन्य राज्यों में भी जांच की जा रही है।

तिलहन

वर्ष 1968-69 के दौरान अरन्डी की अल्प अवधि की दो अधिक उत्पादनशील किस्में, एक म्यूटेन्ट जिसे "अरुणा" तथा एक संकर किस्म जिसे "गुजरात अरण्डी संकर-3" (जी० सी० एच०—3) कहा जाता है, क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में विकसित की गई हैं। इन किस्मों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र निम्न प्रकार है:

	राज्य	किस्म	क्षेत्र (हैक्टार में)	
			(1969-70) (आवृत क्षेत्र)	1970-71 (लक्ष्य)
1.	आंध्र प्रदेश	अरुणा	6,000	21,000
2.	गुजरात	जी० सी० एच०-3	4,000	3,000
3.	मैसूर	अरुणा	1,391	4,000

गन्ना

देश में गन्ने के अन्तर्गत आने वाले प्रायः सारे क्षेत्र में गन्ने की स्वीकृत अधिक उत्पादनशील किस्में बोई गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समितियों की कार्यवाहियों का वितरण

159. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समितियों की कार्यवाहियो की तथाकथित रिपोर्ट प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा किन आधारों पर एकत्रित तथा वितिरित की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन कार्यवाही रिपोर्टों को गोपनीय रखे जाने का विचार था ;

(ग) उक्त समितियों की चर्चाओं में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों का किस सिद्धांत के अनुसार उल्लेख किया जाता है व उन्हें छोड़ दिया जाता है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत निर्देश है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) परामर्शदात्री समिति की प्रत्येक बैठक के बाद, यदि समिति या सम्बन्धित

मन्त्रालय द्वारा कोई अन्य निर्णय न किया जाए, तो मन्त्रालय से सम्बद्ध पत्र सूचना कार्यालय का विभागीय प्रचार अधिकारी, नंत्रालय के परामर्श से कार्यवाहियों पर प्रैस के लिए एक हैण्ड आउट जारी करता है या वह या विभागीय प्रचार अधिकारी इतर मन्त्रालय का प्रवक्ता प्रैस संवाददाताओं को मौखिक रूप से जानकारी देता है।

(ख) कार्यवाहियां प्रेस के लिये खुली नहीं होतीं।

(ग) जबकि व्यक्त किए गए विचारों का सार प्रेस के लिए दिया जाता है, इन विचारों को व्यक्त करने वाले सदस्यों के नामों का हैण्ड आउट या मौखिक रूप से दी जाने वाली जानकारी में उल्लेख नहीं किया जाता।

(घ) उपरोक्त परम्परा के अतिरिक्त अन्य कोई विशिष्ट मार्गदर्शक निर्देश नहीं है।

प्रेस परिषद में पत्रकारों का प्रतिनिधित्व

1594. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद के नवीन गठन में श्रमजीवी पत्रकारों के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं लिया गया है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रेस पषिद में नामजद किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और वे किसका प्रतिनिधित्व करती है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार नामांकन समिति ने नीचे दिये गये व्यक्तियों को भारतीय प्रेस परिषद, जो 1 अक्तूबर, 1970 को पुर्नगठित की गई थी, का सदस्य नामजद किया :

श्री जसटिस एन० राजगोपाल अय्यंगर—अध्यक्ष

1. श्री कुलदीप नायर 2. श्री आर० माधवन नय्यर 3. श्री टी० ए० सुभ्रमण्यम	श्रमजीवी पत्रकारों/सम्पादकों में से लिए गए सदस्य (अंग्रेजी समाचार पत्र) [धारा 4(3)(क)]।
4. श्री रतन लाल जोशी 5. श्री ए० के० जैन 6. श्री जंग बहादुर सिंह	श्रमजीवी पत्रकारों-सम्पादकों में से लिए गए सदस्य (भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र) [धारा 4(3)(क)]

7. श्री चन्द्रकांत एफ० शाह 8 श्री सेलिन चटर्जी 9. श्री एन० बी० लैले 10. श्री बी० के० जोशी 11. श्री सी० एल० सूरी 12. श्री आर० रंगराजन 13. श्री के० वी० रामकृष्णन्	सम्पादक इतर श्रमजीवी पत्रकारों में से लिए गए सदस्य [धारा 4 (3)(क)]
14. श्री जी० नरसिम्हन 15. श्री आर० जी० बरुआ 16. श्री दुर्गा दास 17. श्री एन० बी० परूरलेकर 18. श्री एन० तिवारी 19. श्री पी० आर० रामष्कृणन्	उन व्यक्तियों में से लिए गए सदस्य जिनके अपवे समाचार पत्र हैं या समाचार पत्रों के प्रबन्ध का काम करते हैं। [धारा 4(3)(ख)]।
20. श्री जी० जी० मीरचन्दानी	उन व्यक्तियों में से लिया गया सदस्य जो समाचार एजेन्सियों का प्रबन्ध करते हैं। [धारा 4(3)(ग)]।
21. श्री तापस मजुमदार 22. श्री सूरज प्रकाश गुप्त 23. श्री के० आर० श्रीनिवास अय्यंगर	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत की बार काऊंसिल तथा साहित्य अकादमी द्वारा क्रमशः नामजद किए गए सदस्य [धारा 4(3)(घ)]
24. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी 25. श्री अनन्त राव पाटिल 26. श्री गंगा शरण सिंह	लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा क्रमशः सोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों में से नामजद किए गए सदस्य। [धारा 4(3)(ङ)]।

इस प्रकार श्रमजीवी पत्रकारों को, प्रेस परिषद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, पुनर्गठित परिषद में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

बिहार में मधुबनी-दरभंगा में डाकखानों का खोला जाना

1595. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुबनी सब-डिवीजन (दरभंगा जिला बिहार) में जुलाई, 1970 के बाद से खोले गये डाकखानों की संख्या कितनी है और ये किस स्थान पर खोले गए हैं ;

(ख) डाकखाने खोले जाने के कितने मामले विचारधीन हैं और ये डाकखाने कहां खोले जाएंगे ; और

(ग) क्या महादेवमठ डाकखाने का दर्जा बढ़ाया गया है ; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जुलाई 1970 से अब तक बिहार के दरभंगा जिले के मधुबनी उपडिवीजन के श्यामसोघो-पुंडर में सिर्फ एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोला गया।

(ख) दरभंगा जिले के मधुबनी उपडिवीजन में चन्द्राडीह, बर्दपुर, हरिपुर, बकसीत, जयनगरबाढ, चूरी, बिहारपुर, सुन्दर विजागीत, भेतकी, बैलूरी, बलिया, हतकरिया, इनरवारा, बसाहा, चूनापटी, हसनेर, बगरहा, भहेर, बामन, नटिरबेला, निसोंनी, गंजाली, चनघरना, परसा बिजेन, बांकी, सिसांना, रहुआ संग्राम, सोखारावां, संभुआं, मिर्जापुर, छाछा, बेलाही, चेरापट्टी, पोनी, सुखबासी, बरसाम और हैदरपुर में डाकघर खोलने के छबीस प्रस्तावों की जांच पोस्टमास्टर जनरल, पटना कर रहे हैं। पोस्टमास्टर जनरल, पटना ने खजुरी में डाकघर खोलने के आदेश पहले ही तारीख 3 नवम्बर, 1970 को जारी कर दिये हैं। और आशा है कि यह शीघ्र ही खोल दिया जाएगा।

(ग) दरभंगा डिवीजन के प्रवर डाक अधीक्षक महादेव मठ अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागीय उपडाकघर बनाने के प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं।

कोयला-खान उद्योग के लिये उपदान योजना

1596. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तिम रूप से उस तिथि के बारे में निर्णय कर लिया है, जिस तिथि से कोयला खान उद्योग के लिये उपदान योजना वास्तविक रूप में लागू की जायेगी ; और

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि विलम्ब का लाभ, श्रमिकों के हितों के विरुद्ध मालिकों को ही प्राप्त है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). इस मामले में विधान बनाया जाना है और इस बारे में अभी सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों का परामर्श लेकर कार्यवाही की जा रही है। इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संसद सदस्यों को सुधरे किस्म के बीजों की सप्लाई

1597. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा संसद् सदस्यों को सुधरे किस्म के बीजों की सप्लाई सम्बन्धी विशेष प्रबन्ध करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां हैं जिनके कारण उक्त संसद सदस्य हमारे अन्य नागरिकों की तरह लाईन में खड़ा नहीं होना चाहते ;

(ग) यह विशेष सुविधा कब से दी जा रही है ; और

(घ) क्या उक्त सदस्यों के लिये यह जरूरी है कि इन बीजों के बीज जाने की मात्रा तथा गुण सम्बंधी परिणामों की सूचना देकर सरकार की सहायता करें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने सुधरी किस्म के उन बीजों की बिक्री हेतु जो संसद सदस्यों को अधिक सुविधा से मिल जाता है, 14-11-69 से कृषि भवन में एक काउन्टर खोला हुआ है।

(ख) इस काउन्टर पर केवल उन्हीं किस्मों के बीच बेचे जाते हैं जो जनता को दिये जाते हैं। उन बीजो के सम्बंध में, जो बाजार में सामान्य रूप से वितरित नहीं किये जा रहे हैं। संसद सदस्यों के साथ कोई विशेष रियायत नही की जाती ।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम का काउन्टर 14-11-69 को खोला गया था ।

(घ) जी, नहीं ।

Opening of a New Telephone Exchange at Chowkgaon, Kolaba, Maharashtra

1598. **Shri Baswant** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether the public of Chowkgaon, district Kolaba, Maharashtra, have made a demand for opening a new telephone exchange there ;

(b) whether the demand has been supported by the Postmaster General, Bombay ; and

(c) the time by which a new telephone exchange will be opend in Chowkgaon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. Demands for 14 telephone connections have been registered.

(b) The Postmaster General, Maharashtra Circle has approved a scheme for installation of a 25 lines small automatic exchange at Chowkgaon. A project has been sanctioned in September 1970.

(c) The Commissioning of this exchange will involve construction of a trunk telephone line of about 20 Kms. length between Chowkgaon and Khopoli. There is an acute shortage of line materials. At present it takes about 18 to 24 months for the collection of all the stores, actual installation and completion of such works. The exchange at Chowkgaon may thus be commissioned by end of 1971-72. Steps are being taken to expedite the installation to the extent possible.

छोटे किसानों को भूमि के विकास के लिए सहायता देने सम्बन्धी योजना

1599. **श्री बसवन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे किसानों को भूमि का विकास करने सम्बंधी कोई योजना बनाई गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि जमीन के समतल न होने के कारण पैदावार कम होती है ;

(ग) क्या छोटे किसानों की जमीन समतल करने, सिंचाई के लिए कुएं खोदने तथा नलकूप लगाने के लिये अनुदान देने सम्बंधी कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और वह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (घ). भूमि के विकास से उत्पादन की वृद्धि में सहायता मिलेगी । सारे देश के लिये छोटे कृषकों की भूमि के विकासार्थ कोई साधारण योजना नहीं है। फिर भी दो केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत कमजोर और उपान्त कृषकों की सहायता के लिये, ताकि उनके उत्पादन और आय में वृद्धि हो, शुरू की गई थी, में लघु सिंचाई भूमि समतलन आदि द्वारा भूमि विकास किया जाता है । कुएं और नलकूप लगाने के लिए और भूमि विकासार्थ छोटे कृषकों की सहायता हेतु इन दोनों केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वियन के लिये प्रत्येक चुनिन्दा परियोजना क्षेत्र के लिये विशिष्ट स्कीमें बनाई गई हैं ।

छोटे कृषकों की स्कीमों में अधिकांश मामलों में भूमि सुधार पर लागत की 25 प्रतिशत सीमा तक सरकारी सहायता का प्रबन्ध किया जाता है । उपान्त कृषकों की जिनकी वापस अदायगी की न्यून क्षमता है, सरकारी सहायता बढ़ा कर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक मंजूर की जाती है । फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये गये हैं कि कृषि उद्योग निगमें या अन्य सरकारी विभाग छोटे कृषकों के खेतों में साहाय्य दरों पर कष्टम सेवा आधारों पर समतलन और चूना मिलाने आदि जैसे भूमि विकास कार्य करें ।

देश में विभिन्न भागों में चौथी योजना की अवधि में छोटे कृषक स्कीमों के अधीन 46 छोटे कृषक विकास क्षेत्र परियोजनायें और 40 परियोजनायें उपान्त कृषक स्कीमें कार्यान्वित की जायेगी । छोटे कृषक विकास क्षेत्रों के अधीन प्रत्येक परियोजना में केन्द्रीय क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे और प्रत्येक उपान्त कृषक परियोजना के लिये 1 करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा । इस परिव्यय का मुख्य भाग लघु सिंचाई, भूमि समतलन, कष्टम सेवाओं आदि जैसे भूमि विकास स्कीमों के लिये प्रयोग किया जा रहा है ।

नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन

1600. **श्री रवि राय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अक्तूबर, 1970 को नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो देश में सहकारिता अभियान को तेज करने के लिए सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। यह सम्मेलन 23 व 24 अक्तूबर, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) सम्मेलन ने सहकारी समितियों द्वारा दिखाई गई महत्वपूर्ण प्रगति को नोट दिया और विविध उपायों पर विचार किया जिससे कि सहकारी समितियां कृषि विकास कार्यक्रमों और निवेशों के सम्भरण व कृषि उपज के विधायन, भण्डारण तथा विपणन हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भारी ऋण सहायता सुलभ कर सकें। मूल्यों के स्थिरीकरण में उपभोक्ता सहकारी समितियों के महत्व को देखते हुए इस बात पर बल दिया गया कि उन्हें सुदृढ़ तथा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सम्मेलन ने सहकारी ढांचे की वैज्ञानिक व्यवस्था करने, नीतियों एवं प्रक्रियाओं को सरल व कारगर बनाने, सहकारी समितियों की कार्य कुशलता में सुधार करने, सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में तेजी लाने वाले सहकारी समितियों का विकास एक सुगठित जन-आंदोलन के रूप में करने के लिए पहले से आरम्भ किए गये विभिन्न उपायों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के बारे में विशेष बल दिया। विशेष रूप से, सम्मेलन ने, सहकारी समितियों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आय तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सेवायें तथा सुविधायें सुलभ करने और देश के पूर्वी क्षेत्र तथा राजस्थान, जहां कि यह आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर है मैं सहकारी समितियों के कार्य-कलापों की गति तेज करने की ओर ध्यान संकेंद्रित किया।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

Shri Shiva Chandra Jha : I have given notice of a privilege motion against the All nIdia Radio...

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे विभाग को भेज रहा हूँ विभाग से जानकारी मिलते ही मैं उस पर विचार करूंगा और माननीय सदस्य को बना दूंगा।

अविलम्बनोय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिन्द महासागर में विदेशी अड्डे

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : श्रीमान्, मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय

लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"रूस, ब्रिटेन तथा अमरीका की सरकारों द्वारा हिन्द महासागर में अपने अड्डे बनाने के कथित प्रयास ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): हिन्द महासागर में बाहरी शक्तियों द्वारा सैनिक अड्डे स्थापित करने की खबरों पर सरकार को चिन्ता हुई है ।

2. इस समय जो सूचना सुलभ है उसके अनुसार हिन्द महासागर क्षेत्र में ब्रिटेन की सरकार को संचार और पड़ाव की कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं । हिन्द महासागर के ब्रिटिश क्षेत्र में कतिपय द्वीपों पर इसी तरह की सुविधायें उपलब्ध करने के लिए 1966 में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था । इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करने के विरुद्ध हमारे विचारों से दोनो सरकारों को अवगत करा दिया गया है और कई बार इस सदन में भी इन्हें अभिव्यक्त किया जा चुका है । हमारी सूचना के अनुसार हिन्द महासागर क्षेत्र में सोवियत संघ का कोई अड्डा नहीं है ।

3. हाल ही में, सितम्बर 1970 में लुसाका में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें हिन्द महासागर की स्थिति पर विचार किया गया था और निम्नलिखित घोषणा स्वीकार की गई थी :

"सभी राज्यों से आग्रह है कि वे हिन्द महासागर को एक ऐसा शांत क्षेत्र समझें, और तदनुरुप उसका सम्मान करें, जिसमें महान शक्तियों की प्रतिद्वन्द्वता और प्रतिस्पर्धा तथा इस तरह की प्रतिद्वन्द्वता और प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में कल्पित अड्डे भी न हो चाहे वे स्थल सेना के हों या नौसेना अथवा वायुसेना के ।"

4. भारत सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं और वह पूरी तरह इसका समर्थन करती है।

श्री श्रीचन्द गोयल : सिंगापुर से ब्रिटेन की सेना की वापसी के बाद अमरीका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ मिलकर हिन्द महासागर में अपने सैनिक अड्डे बनाने की कोशिश कर रहे हैं । जब इस पर 29 जुलाई, 1970 को पहली बार राज्य सभा में प्रश्न उठाया गया, तो माननीय वैदेशिक-कार्य मन्त्री ने कहा था कि हिन्द महासागर के तनाव की स्थिति पैदा करने नहीं दी जाएगी और हमारे हितों की रक्षा की जायेगी प्रधान मन्त्री ने लुसाका में भी यह निर्णय दोहराया था ।

परन्तु, वर्तमान स्थिति यह है कि दो बड़ी शक्तियों द्वारा इस प्रदेश में नौसैनिक अड्डा कायम करने की निरंतर कोशिश की जा रही है । अमरीका ब्रिटेन के साथ षडयन्त्र कर हीगो गार्सिक में सैनिक अड्डा बनाने में प्रयत्नशील है । वैसे ही सोवियत संघ पाकिस्तान की सहायता से करांची के समीप गौडर में सैनिक अड्डे स्थापित रहा है । ये अड्डे इस विस्तृत भू-भाग में तनाव पैदा करेंगे । वैदेशिक-कार्य मत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का भंग हो रहा है । भारत का 3,500 मील का समुद्र तट है और हमारी सुरक्षा और प्रतिरक्षा सम्बन्धी तमाम समस्यायें इस समुद्र तट की रक्षा से जुड़ी हुई है । अतः हमें अधिक सतर्क रहना पड़ेगा । दोनों बड़ी शक्तियां हिन्द महासागर के सम्पूर्ण सर्वेक्षण में लगी हुई हैं । रूस ने अफगानिस्तान से होकर बवेटा तक

एक सड़क बनाई है। आशंका यह की जाती है कि रूस इस सड़क को गौडर को अपने अड्डे से जोड़ देगा।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य हिन्द महासागर की बजाय संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं जो सगत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल हिन्द महासागर की बात करें।

श्री श्रीचन्द गोयल : रूस मारीशस में एक नौ सैनिक अड्डा बना रहा है। मारीशस ने भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के कारण रूस को अड्डा बनाने की सुविधायें दी हैं। यह बहुत गंभीर बात है।

इस स्थिति को देखते हुए मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सरकार ने हमारी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था में नौसेना पर अधिक बफा देगी? क्या मारीशस ने भारत के प्रधान मन्त्री के दबाव के कारण ही रूस को वे सुविधायें दी थीं? क्या पाकिस्तान ने रूस के साथ गौडर में सैनिक अड्डा बनाने सम्बन्धी कोई गुप्त समझौता किया है? क्या सरकार इन बड़ी शक्तियों को हिन्द महासागर में आने से रोकने के लिए कदम उठा रही हैं? क्या सरकार इन्डोनेशिया तथा मलयेशिया के साथ केन्द्रीय सतर्कता व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार करेगी? क्या सरकार घोषणा करेगी कि हमारी प्रादेशिक राज्य सीमा कहां तक है ताकि विदेशी जहाजों से इसे सुरक्षित रखा जा सके?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सबसे पहले मैं दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि मारीशस और रूस के बीच मछली पकड़ने सम्बन्धी जो समझौता हुआ। उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी मैत्रीपूर्ण देश पर कीचड़ उछालना उचित नहीं है। यह स्वतंत्र रूप से मारीशस और रूस के बीच आपसी हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। हमेशा उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस समझौते के सम्बन्ध में किसी भी अवसर पर भारत के साथ इन देशों में किसी ने भी बातचीत नहीं की थी। मारीशस ने हमसे कहा है कि ब्रिटेन के समाचार पत्रों में इस समझौते के सिलसिले में भारत का नाम अनुचित रूप से जोड़ दिया गया है। वास्तविक बात यह है कि हमने कहीं किसी को भी कोई सलाह नहीं दी है। यह कहना बहुत अनुचित है कि भारत के दबाव के कारण मारीशस ने ऐसा किया। हमारे मित्र देशों के बारे में इस प्रकार के अमैत्रीपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल का प्रथम प्रश्न यह था कि हमारी तमाम प्रतिरक्षा व्यवस्था में नौसेना को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि शेष दो अंग श्रम सेना और वायुसेना बराबर महत्व के हैं। अतः यह कहना कि नौसेना को अधिक महत्व देना चाहिए हमारी सैनिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन करने में असमर्थता को व्यक्त करना है। यह सच है कि हमारे समुद्रतट की, हमारे द्वीपसमूहों की और हमारे जहाजों की रक्षा के लिए नौसेना को सुशक्त बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम नौसैनिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करेंगे उससे

पर्याप्त सुरक्षा होगी। सदन में पहले ही कहा जा चुका है कि हमारा अगला महत्वपूर्ण कदम नौसेना को सुशक्त बनाने का है। नौसैनिक उपकरणों के निर्माण तथा विदेशों से आयात द्वारा नौसेना को सुशक्त बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्रीचन्द गोयल ने फिर रूस द्वारा गौड़र में सैनिक अड्डा बनाने के सम्बन्ध में पूछा। हमने इस सम्बन्ध में विस्तृत एवं गहन जांच की और इस बात की पुष्टीकरण नहीं हो सकता। हमारी जानकारी यह है कि सोवियत संघ से पाकिस्तान ने कुछ पत्तनों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त की है।

उन्होंने फिर पूछा कि सैनिक अड्डों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार का रुख क्या है। हम स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि हम इसके विरुद्ध हैं क्योंकि इससे बड़ी शक्तियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और हिन्द महासागर में तनाव बना रहेगा। हमारा प्रयत्न यह है कि इस क्षेत्र को शांति पूर्ण क्षेत्र बनाये रखा जाये। उनका अगला प्रश्न इन्डोनेशिया और मलयेशिया के कथित प्रस्तावों के सम्बन्ध में था। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इन्डोनेशिया या मलयेशिया द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

अन्त में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी जल सीमा की घोषणा करनी चाहिए। मेरे विचार से यह की गई है। हमारी जल सीमा तट से 12 मील है। पहली यह तीन मील थी।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मंत्री महोदय ने कहा कि हिन्द महासागर को शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाये रखना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि लुसाका में जो संकल्प पारित किया था, वे उससे सहमत हैं। क्या लुसाका के संकल्प का इन बड़ी शक्तियों पर कोई प्रभाव पड़ा है जो हिन्द महासागर में अपने सैनिक अड्डे बनाना चाहते हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : लुसाका के संकल्प पर जिन देशों ने हस्ताक्षर किया है उनमें से अधिकांश हिन्द महासागर क्षेत्र के देश हैं। अगर इन सारे देशों ने एकमत से यह निर्णय किया है कि बड़ी शक्तियों को सैनिक अड्डा बनाने का वे विरोध करते हैं, तो इससे एक बड़ा लाभ यह होता है कि ये देश इन शक्तियों को अड्डा बनाने की सुविधायें नहीं देंगे। जिन शक्तियों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, उनपर अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा बड़ी शक्तियों को सुविधा में न देने के लिए दबाव डाला जायेगा, साथ ही साथ हम बड़ी शक्तियों को इस प्रकार अड्डा बनाने के प्रयत्न से हटाने के लिए निरन्तर कोशिश करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The hon. Minister said that we wanted peace in this area. That is appreciable. But the fact is that there is a race going on among the super powers regarding the establishment of bases in the Indian Ocean, with the result that tension is mounting in these areas. According to any information, both America and Britain are trying to establish naval bases in this area now. The British Government has formed a special territory comprising of a group of islands, which are near to Martitius. Similarly, U. S. S. R. also secured port facilities in various places. Why the Minister did not mention U. S. S. R's activities in these places. He scenes to be a bit soft towards them. May I know how many super powers are involved in this race and which are all those places where they get some facilities ?

Keeping in view the fact that the situation in these areas may become explosive

some day, has the Government held talks with U. S. A, U. S. S. R. and Britain ? Has the Government sentuary protest note to these Governments. If so, what is the result ?

Thirdly has the Government any information of the appearance of warships of China in the Indian ocean ? What was this attention and what action the Government has taken in this regard.

May I know whether the Government has given thought to a joint operation with the neighbouring countries like Ceylon, Malayasia, Indonesia etc., or created international consensus or taken effective steps to Prevent these powers from entering the Indian Ocean ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा जानकारी के अनुसार दो महत्वपूर्ण स्थानों पर ब्रिटेन को अपने नौसैनिक जहाजों के लिए सुविधाएं सदा से प्राप्त रही हैं—अरब सागर में मसिराह और मालादीप द्वीवसमूह में जन । हमें यह भी जानकारी मिली है कि ये सुविधायें समय-समय पर अमरीका को भी मिलती रही हैं । इन दोनों देशों के अलावा कुछ अन्य देशों को भी ये सुविधायें मिलती रही है ।

हमें सैनिक अड्डे और असैनिक कार्यकलापों का अन्तर ध्यान में रखना चाहिए । सोवियत रूस या अन्य देशों को किसी अन्य देश से पत्तन सुविधायें या अन्य व्यापार की सुविधायें प्राप्त होती है । तो वे सामान्यतः कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध के अन्तर्गत आती हैं । इसके बारे में आपत्ति उठाने से कोई लाभ नहीं होगा । हमारी जानकारी के अनुसार, जैसा मैंने कहा, सोवियत रूस का हिन्द महासागर के क्षेत्र में कहीं भी कोई सैनिक या नौसेनिक अड्डा नहीं है ।

दूसरे प्रश्न कि क्या हमने ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ से बात की थी, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहूँगा कि इन देशों को हमने सैनिक अड्डे बनाने के सम्बन्ध में अपना तीव्र विरोध प्रकट किया है । उन्होंने आगे पूछा कि क्या चीन के युद्ध पोत हिन्द महासागर में आये थे। महासागरों में किसी भी देश का युद्ध पोत आ सकता है । अगर इससे किसी देश की प्रतिरक्षा समस्या बिगड़ जाती है, तो इसके विरुद्ध कार्यवाही करना उसका काम है । अपने हितों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है और इस मामले में मैंने पहले ही एक वक्तव्य दे दिया है ।

अन्तिम प्रश्न के सम्बंध में मैं कहूँगा कि श्रीलंका, इन्डोनेशिया आदि देशों ने इस सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए ही लुसाका में पारित किये गये संकल्प पर हस्ताक्षर किये थे मुझे पूरा विश्वास है कि संकल्प पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतः निभायेंगे । संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य स्थानों में हम संयुक्त तौर पर बड़ी शक्तियों पर दबाव डालने का प्रयत्न कर सकते हैं । मैं सदन में यह भी कहना चाहता हूँ कि लुसाका का संकल्प तथा अन्य दस्तावेज केन्नत कौंडा द्वारा औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिये गये । संयुक्त राष्ट्र संघ को दस्तावेजों के रूप में ये सदस्य राष्ट्रों को परिचालित किये गये हैं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मंत्री महोदय ने हिन्द महासागर में रूस की नौसेना की उपस्थिति के बारे में अपर्याप्त सूचना दी है। मुझे निश्चित रूप से विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि इस समय हिन्द महासागर में लगभग 20 युद्ध पोत लाल झंडा फहराते हुए चल रहे हैं । इसके अलावा इनकी सुरक्षा के लिए 6 से 10 तक समर्थक जहाज और 4 से 10 तक ऐसे जहाज हैं

जो वैज्ञानिक अनुसंधान पोत कहे जाते हैं। सारा देश जानता है कि रूस इन जहाजों का उपयोग किस प्रयोजन के लिए कर रहा है। ये जहाज गुप्तचर का काम करते हैं। इन सबके अलावा असंख्य पनडुब्बियाँ भी हिन्द महासागर में गश्त लगा रही है।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान सोकोटोरा में रूस द्वारा बनाये जा रहे सैनिक अड्डे की ओर आकर्षित करूंगा। यह द्वीप बम्बई से 1400 मील दूर है। इस द्वीप में रूस के जहाज निरंतर रूप से आते रहते हैं और 1200 से 1500 लोगों को वहां के प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों में लगाया गया है। मुझे सही पता है कि कब इन लोगों को वहां पहुँचाया गया था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने सोवियत संघ तथा अन्य सम्बद्ध देशों से विरोध प्रकट किया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या खास कदम उठाया है? क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री अपने सहयोगी प्रतिरक्षा मंत्री से कहेंगे कि वे देश को बतायें कि इस संबंध में सही स्थिति क्या है? सोवियत संघ के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार उनसे कहेगी कि इस क्षेत्र को शांति पूर्ण वातावरण और इसके हितों को ध्यान में रखते हुए यहां सैनिक अड्डा बनाना उचित नहीं है एवं यह भारत की स्वीकृत नीति के विरुद्ध है। इस नौसैनिक उपस्थिति के खतरे को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री स्वर्ण सिंह: माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने सोवियत संघ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पहले प्रश्न के उत्तर में कि क्या सोवियत संघ या हिन्द महासागर में कोई सैनिक अड्डा है, मैं कहूँगा कि नहीं। सोकोटोरा के बारे में जब पहली बार पश्चिमी समाचार पत्रों में समाचार आये, तो दक्षिण यमन के हमारे राजदूत ने वहां की सरकार से सम्पर्क स्थापित किया और सरकार ने स्पष्ट रूप से यह जबाव दिया कि इस समाचार में जरा भी सच्चाई नहीं हैं कि सोकोटोरा रूस को दिया जा रहा है। यमन के वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा कि यह केवल यहूदियों का झूठा प्रचार था। हिन्द महासागर में सोवियत रूस के जहाजों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उसके बारे में मैं कहूंगा कि जहाजों की संख्या के बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

मैंने पहले ही बनाया कि हिन्द महासागर के क्षेत्र में रूस के जहाज जिन में नौसैनिक और मछली पकड़ने वाले, तथा अनुसंधान कार्य करने वाले जहाज हैं मौजूद हैं। चूंकि वे जहाज चाहे वे रूस के हों, अमरीका के हों, या अन्य देशों के हों, महासागर में रहते हैं, अतः हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं।

परन्तु, हमने रूस, अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस से स्पष्टतः कह दिया है कि वे हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे बनाने का कार्य न करें। हम उन्हें इस प्रयत्न से हटाने का निरंतर प्रयत्न करेंगे।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी): हमें अपने सम्भावित शत्रुओं का पता लगाना पड़ेगा। मैं माननीय प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रियों से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अमरीका और ब्रिटेन जैसे लोकतंत्रीय देशों को अपने शत्रु मान रही है? क्या हम सोचते हैं कि ये लोकतंत्रात्मक देश हमारे देश पर आक्रमण करेंगे? ब्रिटेन हमेशा के लिए यहां से चला गया।

किसी भी कारण से यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि ब्रिटेन और अमरीका फिर से भारत पर कब्जा करेंगे। तो फिर आपको सही शत्रु को पहचानना पड़ेगा। मेरा दूसरा प्रश्न है।

चीन और पाकिस्तान हमारे शत्रु हैं और दोनों रूस से मिले हुए हैं। माननीय सदस्य श्री श्रीचन्द गोयल द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने इस बात से इन्कार किया कि रूस गौडर में नौसैनिक अड्डे बना रहा है लेकिन यह कहा कि रूस कुछ सहायता अवश्य कर सकता है।

विशाखापत्तनम की तरह गौडर में नौसैनिक अड्डा बनने से रूस के हिन्द महासागर में प्रवेश करने की सम्भावना है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या रूस के अतिरिक्त कोई अन्य देश का समुद्री जहाज विशाखापत्तनम में प्रवेश कर सकता है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यह नौसैनिक अड्डा एकमात्र रूस के क्षेत्राधिकार में है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इन तीन देशों के अतिरिक्त भारत का कोई और भी सम्भावित शत्रु है? क्या माननीय मंत्री यह अनुभव करते हैं कि स्वेज से अदन और हनोई तक की तट रेखा पर साम्यवाद का अभाव है? क्या माननीय मंत्री साम्यवाद को प्रजातंत्र का मुख्य शत्रु मानने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं, तो मैं कहूँगा कि सरकार तथ्यों से अवगत नहीं है। अतः माननीय मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि साम्यवादियों के गठबन्धन से देश को बचाने के लिए, तथा रूस द्वारा हिन्द-महासागर में नौसैनिक अड्डा बनाने के विरुद्ध मंत्री महोदय रक्षा के क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि साम्यवाद देश का शत्रु है या नहीं। माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु प्रायः अन्य लोगों द्वारा कही गई बातों का उद्धरण देते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने सम्भावित शत्रु की बात की, मेरे विचार में घोर शत्रु या सम्भावित शत्रु सम्भावित मित्र या सम्भावित शत्रु नाम की कोई चीज नहीं होती। साम्यवाद अथवा किसी अन्य दल से देश को खतरा होने का यहां प्रश्न नहीं उठता। जहां तक देश में आपसी मतभेदों का सम्बन्ध हैं, उन्हें हम चुनाव के दिनों में सुलझा सकते हैं। हम साम्यवादी सदस्यों के चुनाव-क्षेत्र में जाकर वहां की जनता को यह बता सकते हैं कि साम्यवाद से देश को खतरा है। जहां तक देश की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों का प्रश्न है, हमें सैद्धांतिक या राजनीतिक अर्थ निकालने में अपने को भ्रांति में नहीं डालना चाहिए। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि अमुक देश हमारा सम्भावित शत्रु या सम्भावित मित्र है। हमें हर समय सतर्क रहना है और जब भी किसी देश से हमें खतरा हो तो उसका सामना करने के लिए उचित कार्रवाई करनी है। माननीय सदस्य ने कहा कि विशाखापत्तनम में रूस देश के अतिरिक्त कोई समुद्री जहाज प्रवेश नहीं कर सकता। माननीय सदस्य का कहना सर्वथा गलत है। विशाखापत्तनम भारतीय पत्तन है और सिद्धांततः इसका प्रयोग असैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। विशाखापत्तनम में हर समय जापानी समुद्री जहाज, अन्य वाणिज्यिक समुद्री जहाज आते रहते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : माननीय सदस्य ने नौसैनिक समुद्री जहाजों के बारे में पूछा है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम कुछ सुविधायें उपलब्ध कर रहे हैं। जब ये पूरी हो जायगी तो वहां

किसी भी देश के समुद्री जहाज को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । रूस तथा पाकिस्तान से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौडर में इस समय कोई नौसैनिक अड्डा नहीं है । यदि माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई जानकारी है तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि यह चर्चा ऊंचे स्तर की रही है और कई गलत बातों का स्पष्टीकरण हो गया है । अब मैं माननीय प्रधानमन्त्री को उनके जन्म दिवस पर बधाई देता हूं।

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : बहुत बहुत धन्यवाद ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balram Pur) : Please arrange for some sweets also.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जन्मदिवस केक सभा-पटल पर रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा विचार है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं केक लाऊंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बागानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति तथा स्थायी श्रम समिति के अधिवेशनों के सम्बन्ध में पत्र

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : मैं श्री भागवत झा आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) बागानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 10 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में हुए 13वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4309/70]

(2) स्थायी श्रम समिति के 23 और 24 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में हुए 29वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4310/70]

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम तथा धान कूटन उद्योग (विनियमन) अधिनियम के बारे में पत्र

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल, के 31 मार्च, 1970 को

समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4311/70]

(2) धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 852 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 20 जून, 1970 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 553 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-4312/70]

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) डाक तथा तार, विनियोग लेखे इत्यादि संबंधी पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1970—भाग 6 की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4313/70]

(2) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, डाक व तार, 1970 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4314/70

(3) वर्ष 1968-69 के विनियोग लेखे, डाक व तार (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4315/70]

———

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

"कि राज्य-सभा 17 नवम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1961 को, जिसे राज्य-सभा ने 16 दिसम्बर, 1968 को पास किया था और जो 18 फरवरी, 1969 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था, वापिस लेने के लिए लोकसभा द्वारा अनुमति दिये जाने की लोकसभा की सिफारिश से सहमत हुई।"

———

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : ADJOURNMENT MOTION

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री के कथन के संबंध में दिये

गये स्थगन प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि रूस भारत-चीन सीमा के गलत नक्शे प्रकाशित नहीं करेगा परन्तु हाल ही में छपे रूसी विश्वकोष के दूसरे संस्करण में फिर गलत नक्शा छापा गया है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैंने मूल प्रस्ताव के बारे में एक संशोधन पेश किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने संशोधन पेश करने की अनुमति नहीं दी थी।

श्री प्र० के० देव : आप अनुमति देने से इन्कार कैसे कर सकते हैं ? राज्यपाल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और सरकार स्वयं दोष-मुक्त होना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसको सभा के कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री प्र० के० देव : **

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balram Pur) : We are going to discuss the matter of U. P. in which the opinion of the Attorney General, Shri Niren Day, will also be referred to. So, it is better if the copy of the opinion may also be circulated before discussion.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं पाकिस्तान को भारत द्वारा भेजी जा रही सहायता के बारे में कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति देने को तैयार नहीं हूं।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर दो मिनट पर म. प. पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at two minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए।
Shri K. N. Tiwary *in the Chair.*]

उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट को निपटाने में राज्यपाल के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: CONDUCT OF GOVERNOR OF U. P. IN RECENT CONSTITUTIONAL CRISIS

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Before Lunch Shri Vajpayee raised the

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

question that the Copy of the opinion of Attorney-General may be distributed among the Members. But Mr. Spearker adjourned the Lok Sabha without taking any decision.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balram Pur) : The report of Governor has been placed on the Table of the House. In the report opinion of the Attorney General has also been referred to. To my Knowledge, the opinion of Attorney-General cannot be claimed as a secret document and, therefore, the copy of the opinion may also be laid on the Table of the House.

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : Governor should have acted in accordance with the view expressed by the Advocate General. But he did not consult him. Therefore, a copy of the opinion of Attorney-General should be laid on the Table of the House so that we can thinkover the propriety of the opinion.

Shri Rabi Ray (Puri) : I also want that the copy of a letter, which the Attorney-General wrote the Governor should be laid on the Table of the House.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The copy of the opinion of the Advocate General, Shri Kanhaiya Lal Misra, may also be laid on the Table besides that of the Attorney General.

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : महान्यायवादी की राय को सदन के पटल पर रखने की परिपाटी नहीं है। राज्यपाल के प्रतिवेदन में महान्यायवादी की राय प्रश्नोत्तर के रूप में दी गई है। माननीय सदस्य ने नियम संख्या 368 का हवाला दिया है पर यह नियम इस मामले में लागू नहीं होता। यदि कोई माननीय सदस्य या माननीय मंत्री अपने वक्तव्य में किसी प्रलेख का हवाला दें, तो उस प्रलेख को सभा-पटल पर रखना पड़ता है। राय को सभा-पटल पर रखने की परिपाटी नहीं है। अतः इसे सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता। (व्यवधान)

श्री शिव नारायण (बस्ती) : यह एक गम्भीर मामला है। अतः सदन को तथ्य से अवगत कराना मेरा कर्त्तव्य है। जब तक राय को सभा-पटल पर नहीं रखा जाता, आगे कार्रवाही कैसे की जा सकती है ?

Mr. Chairman : Shri Goyal, Shri Vajpayee and Dr. Ram Subhag Singh raised a point and the law Minister replied that there was no practice of laying the opinion of Attorney-General on the Table of the House. Therefore, I do not feel any necessity of laying the copy of the opinion on the Table of the House.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, I rise on a point of order. You have given a ruling that the opinion of Attorney General will not be placed on the Table of the House. But you know that Attorney General can come to this House and sit, although he is not allowed to vote. I feel that as long as this debate goes on, he should remain present here so that in case there is any doubt, the hon. Members can get it clarified on the spot.

Mr. Chairman : There is no point of order. The Government is fully competent to answer any point which is likely to be raised in this connection. Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Chairman, Sir, I welcome your decision. But before anything wrong is recorded, I would like to remind you that the opinions of the

Attorney General and the Advocate General were placed on the Table of the House in connection with nationalisation of Sugar Mills. At that time it was not objected to by the Ministry on the basis of convention. That means, whatever is in favour of Government will be placed on the Table of the House and whatever is in favour of tne opposition will not be placed before the House even if it is demanded by the entire House.

Mr. Chairman : Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Ram Subhag Singh : अब मंत्री महोदय परिपाटी का आश्रय ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब में उन्होंने क्या किया, जो पंजाब में किया वह हरियाणा में नहीं किया गया, उस समय इनकी परिपाटी कहां थी ? उस समय महान्यायवादी से परामर्श क्यों नहीं लिया गया ? राय सभा के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिये ताकि हमें मालूम हो सके कि सच्चाई क्या है ?

Mr. Chairman : Hon. Member should take his seat Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman, Sir, I beg to move :

> "that this House records its disapproval of the conduct of the Governor of Uttar Pradesh in handling the recent constitutional crisis in that State and recommends that the Governor be recalled forthwith."

Moving this motion, I would like to say that during the last 20 years, our constitution has been violated on several occasions, but never had that violation been so serious as is recent case of Uttar Pradesh. That is why the whole country and all leading papers, expect National Herald and Patriot, have condemned it. Now, what has happend in Uttar Pradesh, has raise some questions before the country. Should the question whether any Chief Minister commanded majority should be decided on the floor of the House of legislature or in Raj Bhavan ? Then there is the question whether the States will be governed by the elected representatives or the people or they will be ruled according to the Centre's directions through the Covernors ? At the same time we will have to decided whether in a democracy the Constitution will be supreme or the decision of the party in power and the Prime Minister ?

Mr. Chairman, Sir, now our country is entering the era of coalition Governments. Such Governments are functioning in several States. In such circumstances, if the Central authority is misused to topple the State Governments, then what will be the future of democracy in India ? It is a vital question which the Parliament will have to decide today. During the political crisis of Uttar Pradesh four top offices *i.e.*, the Prime Minister, the Governor, the Attorney General and the President, have been misused. The Prime Minister is sitting there and first of all I would like to say a few things which relate to her. So far as the recent political crisis of Uttar Pradesh is concerned, the decision to topple the State Government was not taken when the Governor wrote a letter to Shri Charan Singh but when he Prime Minister was leaving for Delhi from Amansi aerodrome. It was then that she gave a hint to the Press representatives that President's rule was likely to be imposed in Uttar Pradesh. What the Governor did later was all in pursuance of that decision. On the other hand, at the same time, there appeared a statement by Congress Secretary of U. P. that after the success of New Congress in Kerala, several applications from U. P. M. L. A's were pouring in his office for the membership of New Congress. He further said that those applications were being scrutinized and he would make a gift of such Members to the Prime Minister when he would visit that place. In this connection, they approached several Members and made coruteous offers. Shri Bansh Narayan Shukla, a B. K. D. M. L. A. was offered rupees one lack if he could defect to New Congress alongwith four other Members... (*Interruptions*).

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : It is a white lie.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Chairman, Sir, one month has passed since this news was published. If it was wrong, it should have been challenged in the court.

श्रीमती इंदिरा गांधी : इस का खण्डन पहले ही किया जा चुका है।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Chairman, Sir, I would not like to go into the details of a statement by Mr. Tiwari published in 'Pioneer', dated 16th October, 1970 and the incident of an M. L. A. of Muzaffar Nagar. But I must say one thing that the plan to topple the U. P. Government was finalised on 24th October when the Prime Minister visited that place after cancelling her other engagements. But when she came to know that Shri Charan Singh has demanded the resignations of some Congress Ministers, the first thing she did was that she sent Shri Kamlapati Tripathi to Lucknow by a service helicopter. She followed him in a second helicopter. The very first thing which I would like to know is whether a service helicopter can be used for a State Congress Committee President, if so, whether its hiring charges were laid ?

Smt. Indira Gandhi : Neither any helicopter was used for me nor for any body else.

Shri Prakash Vir Shastri : The second thing that I would like to say is that the office of the Governor has been misused. It will go down in history how the Governor of U. P., Shri Gopalla Reddy, acted with a view to bring down the constitutional machinery. The rule of the Governor began when Shri Charan Singh asked the Governor to releive some of his cabinet Ministers of their portfolios as they were not stepping down voluntarily. The Governor transferred the portfolios of the New Congress Ministers to the Chief Minister but did not releive them of their posts. Sir, when the New Congress had withdrawn its support, may I know how and why those Ministers were allowed to continue by the Governor ?

The Governor sought for the report of the Advocate General. But, perhaps it did not suit his wishes. Then he sought a report from the Attorney General. Sir. I would like to raise a legal point here. When once the Assembly is summoned, the Governor can not intervene in it. The U. P. Assembly was to meet within 3 days but on 2nd October, the democracy was murdered at the instance of the Governor.

Sir, you will recollect that in the recent conference of Speakers of State Assemblies, it was unanimously decided that it would be decided on the floor of the House whether a Chief Minister had got majority or not. But in this connection, there Governor have taken three different decisions. When Jan Sangh withdrew its support from Shri Prakash Singh Badal's Ministry, the Governor asked him to show his majority on the floor of the House. In West Bengal, when the Chief Minister was reluctant to call the Assembly, the Governor was compelled to dismiss the Chief Minister. Shri Reddy is the third such Governor. The main thing in U. P. crisis was that Shri Charan Singh was prepared to face the Assembly. But it is very strange that he was not given an opportunity to do so although he was prepared to call the Assembly within 24 hours. Such lasty action on the part of the Governor only showed that he was acting as a tool of the party in power at the Centre. Therefore, I want to stress that, it is necessary that no one connected with the party in power at the Centre should be appointed as a Governor.

The Governor of U. P. has given different decisions on different occasions. When the Government headed by Shri C. B. Gupta lost its majority, the Governor wrote to Shri Charan Singh, quoting the decision of Speakers Conference, "The question whether the Chief Minister has lost the confidence of the Assembly, shall at all times be tested in the Assembly." Now, why in case of Shri Charan Singh the Governor took a different stand. Here, I wolud like to know, what is the duty of the Governor? He is the representative of

the President to safeguard the constitution. But if he fails to do so, what is the use of maintaining the office of Governor whose annual expenditure is more than six lacks ?

As regards the advice given by the Attorney General, it has been condemned by all the leading legal experts of the country. Men like Sarvashi Palkhiwala, Chagla, Setalvad, and N. C. Chatterjee have expressed themselves against this advice. That is why, we want that the Attorney General should be called before tbis House during this discussion itself and we should be given a chance to question him as to on what basis he had given that advice.

Then there is the question about the role of the President. It is strange that the President proceeded on a long foreign tour without transferring the powers of the President to the Vice-President. It is all the more astonishing that when the resignation of the Vice-Chancellor of Delhi University Shri K. N. Raj was sent to the President, when he was in Russia, he wrote that he would decide the matter on his return to India after ascertaining the full facts but when the case of Uttar Pradesh was sent, the President signed it at once without satisfying himself about the situations there, although under the Constitution he was requested to do so. This provision of the constitution was exercised by our late President, Shri Rajinder Prashad when he did not except the recommendations of the Cabinet to impose President's rule in Kerala. He sent it for reconsiderations. Recently, it has been stated by the retired Chief Justice of the Supreme Court Shri Subarao that President should have satisfied himself before taking the decision. But, I am pained of State that the President decided the issue while sitting on a foreign soil. But it is a fact that orders for bringing down the U. P. Government came from Russia (*Interruption*).

Secondly, the President realised his mistake and therefore when the Governor went to see him he told him to instal popular Government in U. P., we congratulate him for this decision.

I would also point out the part played by A. I. R. in the whole episode. We know the parts played by it is bringing down the Governments of Gujarat, Orissa, Mysore. During this episode also it has played a similar role. I may point out that if such a role of A. I. R. continues there would be agitation against it.

I may make certain suggestions in this regard. Reports of Speaker's Conference Governor's Conference and that of A. R. C. may he given legal shape so that those are not contravened. Bill against Defections may be cleared during this session. Broadcasts from AIR may also not encourage such tendencies. Some healthy conventions may be established against pulling down of State Governments by Central Government. President may not take such important decisions while abroad. Office of the Attorney General may not be so down graded. Yesman of the Ruling party may not be appointed Governors. Decision of the Governor of U. P. may not be approved and he may be called back from that State.

I may point out to the members sitting on treasury benches that once these steps were adorned by Sardar Patel, Pandit Nehru, Raja ji, Pant and Shri Rajendra Prasad. I would request Shri Jagjivan Ram, who is surviver of that age that today our constitution and democracy are at cross-roads and in these circumstances country expects him to play certain role.

With there words, I present my motion and request the House to adopt it by rising above party affiliations.

Mr. Speaker : Business Advisory Committee has decided that this matter may be disposed of today. Therefore we may have to sit a little more. Members may also not take more time than actually allotted to them.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में उत्पन्न हुये संवैधानिक संकट को निपटाने में राज्यपाल के व्यवहार का निरनुमोदन करती है और यह सिफारिश करती है कि राज्यपाल को तुरन्त वापस बुलाया जाये ।"

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री का मैं पूर्णतया समर्थन करत हूँ ।

यह अत्यन्त दुःख की बात है कि गवर्नर की सहायता से भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र की हत्या का प्रयास किया । पद धारण करते समय गवर्नर एक विशेष शपथ लेता है । परन्तु उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने भारत सरकार के अनुदेश पर उस शपथ के अनुकूल चलने का कोई प्रयास नहीं किया ।

केन्द्र की ओर से कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने श्री चरन सिंह की प्रजातंत्र सरकार की हत्या करने का प्रयास किया परन्तु उत्तर प्रदेश के लोगों ने व वहां के विधायकों ने उस हत्या के प्रयास की ही हत्या कर दी ।

जिस गवर्नर ने फ़रवरी 1970 में कांग्रेस के मौखिक आश्वासन पर श्री चरन सिंह को मुख्य मंत्री स्वीकार किया उसी गवर्नर ने पाँच दलों के लिखित आश्वासन को स्वीकार नहीं किया और उन्हें त्याग पत्र देने को कहा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा भाक्रांद सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के अभिप्राय की बात लिखने पर यह घटनाक्रम प्रारंभ हुआ । परन्तु उसी समय इन सभी दलों ने गवर्नर को लिखित आश्वासन दिया । इस पर गवर्नर उसी प्रकार कार्यवाही कर सकते थे जिस प्रकार उन्होंने फरवरी में की परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

दिल्ली से प्राप्त हुये अनुदेशों के अनुसार उन्होंने यह विषय महान्यायवादी को निर्दिष्ट कर दिया । पूर्णतया बहुमत की सरकार होते हुये गवर्नर का ऐसा करना गलत था ।

श्री चरण सिंह ने गवर्नर को पत्र लिखा कि महान्यायादी की रिपोर्ट की प्रति उन्हें दी जाये परन्तु राज्यपाल ने संविधान के विरुद्ध जा कर मुख्य मंत्री की बात स्वीकार नहीं की ।

संविधान की धारा 356 के अनुसार राष्ट्रपति को भी मंत्रिमण्डल से परामर्श नहीं करना चाहिए । उन्हें अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिये था ।

इस संसद की स्थिति के संदर्भ में हम देखें । प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं था किसी दल के भी लिखित या मौखिक रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया था परन्तु फिर भी राष्ट्रपति ने उन्हें त्यागपत्र देने को नहीं कहा । परन्तु उसी राष्ट्रपति ने गवर्नर के गलत परामर्श के अनुसार अध्यादेश पर हस्ताक्षर किये संसद में अपने द्वारा स्थापित परम्परा के अनुसार ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कार्यवाही करनी चाहिये थी परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

पंजाब की सरकार की भी यही स्थिति थी, परन्तु वहाँ पर इसी भारत सरकार ने अप्रजा-

तन्त्रात्मक और असंवैधानिक रुख अपनाया और त्यागपत्र देने के लिये सरकार को नहीं कहा। क्या यह सब दो तरफा बातें नहीं।

संसद के सत्र के बुलाये जाने के समय से राष्ट्रपति भी उस सत्र का भाग बन जाता है और उस समय एवं सत्र के वास्तविक रूप से प्रारम्भ होने के बीच संसद या विधान सभा के अधिकारों से अतिरिक्त कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। बहुमत वाली सरकार की सलाह के अनुसार विधान सभा का सत्र बुलाया जा चुका था। सत्र के प्रारम्भ होने से केवल 96 घंटे पूर्व राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी अध्यादेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं। विशेषरूप से इस अवस्था में तो यह बिलकुल भी उचित नहीं जब कि श्री चरणसिंह 24 घंटे के भीतर सत्र बुलाने के लिए तैयार थे। (अन्तर्बाधाएं) राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुये गवर्नरों के सम्मेलन में यह निश्चय हुआ था कि बहुमत के प्रश्न का निर्णय सदन में होना चाहिये। प्रशासन सुधार आयोग की भी निश्चित रूप से यही सिफारिश थी। सभा अध्यक्षों के सम्मेलन में भी यही निर्णय हुआ था। इन तीनों निर्णयों का भारत सरकार ने उलल्घंन किया। उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र की हत्या करने के लिए यह सब हुआ।

श्री टी० एन० सिंह को नेता चुन लिये जाने के पश्चात भी यह प्रयास चलते रहे। अंत में परिस्थितियों से वाध्य होकर उन्हें निमन्त्रित करना पड़ा।

में श्री चरण सिंह की प्रशंसा करना चाहता हूं क्योंकि केवल उन्हीं के प्रयत्नों से केन्द्र की सरकार के यह प्रयास विफल हुए। (अन्तर्बाधाएं)

इस प्रस्ताव में एक मांग की गई है। इसका समर्थन करने के साथ ही साथ हम भारत सरकार की निन्दा करना चाहेंगे।

मेरी मांग है कि दलीय व्यक्तियों को गवर्नर के रूप में नियुक्त न किया जाये। गवर्नर के मार्ग-दर्शन के लिए सिद्धान्त होने चाहियें और गवर्नरों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिये न कि केन्द्र की सरकार या गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा, जो कि दलमत संस्थाए हैं।

मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि भारत सरकार का नाम भी इसमें जोड़ा जाय।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : संविधान में गवर्नरों के पद बनाये जाने का अपना महत्व है। इसके पीछे वास्तविक बात यह थी कि वास्तविक सत्ता विधान मंडलों में हो। 1967 वर्ष तक एक दल के बहुमत के कारण कोई कठिनाई नहीं हुई परन्तु 1967 के चुनावों ने स्थिति कोबदला। इसके परिणामस्वरू गवर्नर का पद साकार बन गया। पिछले कुछ समय में इस प्रकार के कई उदाहरण सामने आये हैं जिनमें गवर्नर के कार्यों की आलोचना की गई है। प्रजातंत्र में यह स्वाभाविक भी है।

इंगलैंड और अमरीका में तथा हमारे देश में विवेक के समुचित प्रयोग की वैधता नियत की गई है और यह भी सच है कि विवेक के उपयोग के संबंध में दो मत होंगे ही।

नवम्बर 1969 में श्री चरण सिंह ने जब इस आधार पर श्री चन्द्र भानु गुप्त की सरकार के बर्खास्त किए जाने की मांग की कि उस सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं तो गवर्नर ने उस मांग को तुरन्त स्वीकार नहीं किया। उस समय भी गवर्नर के आशयों के प्रति आशंका प्रकट की गई। उसी प्रकार की परिस्थियों में जब उन्होंने श्री चरण सिंह से त्यागपत्र की मांग की तो कहा गया कि वह सीमाओं के भीतर कार्य नहीं कर रहे। राजनैतिक रूप से यह उचित हो सकता है परन्तु तर्क के रूप में इस में कोई बल नहीं। जिस प्रकार के मत श्री चरण सिंह ने गवर्नर के समक्ष व्यक्त किये वही मत महान्यायवादी ने इन परिस्थितियों में गवर्नर के समक्ष व्यक्त किये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हम गवर्नर के आचरण पर विचार-विमर्श कर रहे हैं न कि श्री चरण सिंह के आचरण पर।

श्री अ० कु० सेन : अपने आप को भूत की घटनाओं से बिल्कुल अलग करके नहीं चला जा सकता।

पंजाब तथा बिहार की घटनाओं का हवाला दिया गया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की घटनाओं में तुलना करने पर हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि दोनों परिस्थितियां समान न थीं। मंत्रिमण्डल के बहुसंख्यक मंत्रियों को त्याग-पत्र देने को कहा गया। उनके द्वारा ऐसा न करने पर गवर्नर को कहा गया कि वह उन्हें बर्खास्त करें। पंजाब की परिस्थितियां इससे भिन्न थीं।

गवर्नर को मंत्रि परिषद के परामर्श से कार्य करना होता है परन्तु जब मन्त्रि परिषद नहीं रही तो वे कैसे कार्य करेंगे? गवर्नर को अपना उत्तरदायित्व तो निभाना था। उत्तर प्रदेश के मंत्रि परिषद के बिखर जाने से गवर्नर के लिये कार्य करना मुश्किल हो गया। यही सारी समस्या है। उन्होंने महान्यायवादी की सलाह ली। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब से मेरी प्रार्थना है कि चर्चा में इस प्रकार अन्तर्बाधाएं नहीं होनी चाहियें।

श्री अ० कु० सेन : डा० गोपालन रेड्डी ने जब श्री चन्द्रभानु गुप्त को पदच्युत नहीं किया था तो उस समय उन्हें सिन्डीकेट का समर्थक कहा गया और अब उन्हीं डा० गोपाल रेड्डी को पक्षपाती कहा जा रहा है। हम अपने आप को उन परिस्थितियों में रख कर सोचें। उन्होंने सरकार के सब से बड़े कानूनी अधिकारी की सलाह ली और तब कार्यवाही की। (**अन्तर्बाधाएं**) इस सम्बन्ध में मुझे याद है कि इस कार्यवाही के सम्बन्ध में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के बारे में भी मतभेद था। यदि इस कार्यवाही पर बाद में भी मतभेद हो सकता है तो यह समझा जा सकता है कि उस पारिस्थिति का केवल एक ही हल नहीं था।

उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में सब से बड़ा अन्तर यह था कि किसी ने भी आगे बढ़ कर बहुमत का दावा नहीं किया। डा० गोपाल रेड्डी द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट यदि हम पढ़े तो प्रतीत होगा कि उस बारे में निश्चय करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया।

आप सब को याद होगा कि राजस्थान के सम्बन्ध में यह विवाद उत्पन्न हुआ था तो इस प्रसंग पर काफी विचार विमर्श हुआ था और उस समय यह पाया गया था कि गवर्नर केवल उसी

सदस्य की राय मानने को बाध्य हैं जिस को सदन का बहुमत प्राप्त हो। मध्य प्रदेश विधान सभा भंग करने सम्बन्धी श्री डी० पी० मिश्रा की मांग के समय भी यही बात हुई।

श्री पीलू मोदी : यह बात सब को स्वीकार करनी होगी कि विवेक के उपयोग के प्रश्न पर हर बार मतभेद होता है, परन्तु हर बार श्रीमती इन्दिरा गांधी का मत ही अभिभावी होता है।

श्री अ० कु० सेन : इसमें कोई शक नहीं कि प्रधान मंत्री का मत ही अभिभावी होगा।

श्री पीलू मोदी : यही तो हम कह रहे हैं।

श्री अ० कु० सेन : यह बात निश्चित है कि गवर्नर केवल उसी की बात मानने को बाध्य है जिस के साथ बहुमत हो। इसी कारण से श्री चन्द्रभानु गुप्त एवं श्री चरण सिंह द्वारा दी गई मन्त्रणाएं गवर्नर द्वारा स्वीकार नहीं की गई। जब उन्हें विश्वास हो गया कि श्री टी० एन० सिंह को बहुमत प्राप्त है तत्काल उन्होंने उन्हें आमन्त्रित किया। (अन्तर्बाधाएं) संविधान बनाते समय यह पारिस्थितियां ध्यान में नहीं आई थी। बंगाल के गवर्नर ने जब बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया तो इस प्रकार की पारिस्थितियाँ देश में पहली बार उत्पन्न हुई। यदि गवर्नर की कार्यवाही अनुचित होती तो मैं उसकी निन्दा करने में सर्वप्रथम होता। श्री चरण सिंह और श्री टी० एन० सिंह का हम सब सम्मान करते हैं परन्तु संवैधानिक पारिस्थितियों में व्यक्तियों का महत्व नहीं होता। हमें यह देखना चाहिये कि गवर्नर को किन पारिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार उनका सामना किया और यदि उनका कार्य योग्यता और उनकी बुद्धि के अनुसार किया गया तो निन्दा अपेक्षित नहीं। इस प्रकार के विचारों के अनुसार हमें प्रतीत होता है कि गवर्नर का कार्य उपयुक्त था और वे हमारे समर्थन के हकदार हैं।

श्री जी० मा० कृपालानी (गुना) : इस देश के बड़े बड़े विधि नेताओं और विधिज्ञों ने इस बात की पुष्टि की है कि गवर्नर की कार्यवाही निन्दनीय है। परन्तु वस्तुतः इस प्रकार की कार्यवाही करने वाला गवर्नर कांग्रेस के इतिहास में नई बात नहीं है।

यह इतिहास सन् 1952 से मद्रास राज्य से प्रारम्भ होता है। विधान सभा में कांग्रेस का बहुमत न होते हुए भी इस दल के नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया। अतः गवर्नर के कार्य में कांग्रेस का हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है। कई इस प्रकार के गवर्नर हुए हैं जिन्होंने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया और भारत सरकार के इशारे पर वे नाचे। राजस्थान के गवर्नर श्री सम्पूर्णानंद एवं केरल के गवर्नर श्री ए० पी० जैन इस प्रकार के उदाहरण हैं जिन्होंने राज्यों में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए सहायता दी।

जिस प्रकार श्री सेन ने संवैधानिक स्थिति की बात की है मैं उस प्रकार बात नहीं करता क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि एक चतुर विधिज्ञ गलत बात को भी इस ढंग से प्रस्तुत कर सकता है कि वह ठीक प्रतीत हो।

भूतकाल में सभी गवर्नरों ने अपने मुख बंद ही रखे हैं। उन्होंने अपनी कार्यवाही को उचित

ठहराने के संबंध में कभी प्रयत्न नहीं किये। परन्तु यह गवर्नर कभी कानपुर और कभी देहरादून से वक्तव्य दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक दल की सरकार और संयुक्त सरकार में अंतर है। परन्तु वस्तुतः संविधान के अनुसार तो दोनों में कोई अन्तर नहीं। दोनों की एक ही स्थिति है।

हमारी सरकार एक दल की सरकार कही जाती रही है परन्तु क्या वास्तव में कांग्रेस दल में एकता रही। नहीं, यह दल हमेशा दो गुटों का सांझा दल रहा। आज भी हमारी सरकार एक दल की सरकार कही जाती है यद्यपि यह अल्प-मत सरकार है और इसे अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है।

यह गवर्नर महोदय समझते हैं कि वे इस प्रकार के न्यायधीश है जिन्हें किसी गवाही की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार तो भगवान कार्य करता है। बिना किसी गवाही आदि के वह निर्णय लेता है। परन्तु हमने तो भगवान को गवर्नर के रूप में नियुक्त नहीं किया कि उसे भी किसी दलील व किसी गवाही की आवश्यकता न पड़े। वह अपने अन्तर्मन की आवाज से निर्णय करते हैं। परन्तु दूसरी ओर यदि हम देखें तो हमें मालूम होता है कि यह निर्णय उनका अपना न था। (अन्तर्बाधाएं) गवर्नर महोदय ने किसी को कहा बताया जाता है कि उनपर बहुत प्रभाव डाला गया। निजी बातचीत के दौरान गवर्नर ने यह कहा तो हम समझ सकते हैं कि वह प्रभाव क्या था। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अब तक किसी भी राजनैतिक घटना पर इतना राष्ट्रव्यापी हंगामा नहीं हुआ जितना कि उत्तर प्रदेश की हाल की घटना पर हुआ। पहली बार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की सार्वजनिक मांग उठी और पहली बार ही राष्ट्रपति ने विदेशी भूमि पर बैठे हुए अध्यादेश जारी किया।

किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर इन घटनाओं पर दुखः होता है। इस से न केवल प्रजातन्त्र के विकास में बाधा पड़ी है अपितु देश में प्रजातन्त्र के विकास के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

उत्तर प्रदेश की कहानी सत्ता की लालसा की कहानी है, संविधान के तोड़फोड़ का षडयंत्र है और संसदीय प्रजातंत्र में विघ्न डालने का प्रयास है और प्रधान मंत्री-एवं गृह-कार्य मंत्री तथा गवर्नर इन प्रयत्नों के मुख्य प्रेरक हैं। प्रधान मंत्री एवं उनके सहयोगियों को देश इतिहास दफनाने वालों के रूप में याद रखेगा।

एकदलीय अल्पमत सरकार के मुखिया के रूप में श्री चरण सिंह ने शपथ ग्रहण की। बाद में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल उनके साथ मिला व संयुक्त सरकार बनी। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल द्वारा अपना समर्थन वापस लेने पर यथा पूर्व स्थिति बन गई। यदि अल्पमत में होने के कारण श्री चरण सिंह की बर्खास्तगी अपेक्षित थी तो केन्द्र की सरकार भी तो अल्पमत दल की सरकार है और पंजाब की अकाली सरकार भी तो अल्पमत सरकार है। परन्तु इसका उत्तर यह था कि उनका शक्ति परीक्षण विधान सभा में हुआ था।

श्री चरण सिंह ने न केवल विधान सभा का अधिवेशन बुला लिया था अपितु वह इसे

और शीघ्र बुलाने को भी तत्पर थे। परन्तु गवर्नर ने 96 घंटे की भी प्रतीक्षा न की और मंत्रि-मंडल को बर्खास्त करने का निर्णय लिया।

पश्चिम बंगाल और यहां की घटनाओं में बहुत अंतर है। श्री चरण सिंह विधान सभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार थे जबकि श्री अजय मुखर्जी नियत तिथि से पूर्व सत्र बुलाने को तैयार न थे।

प्रधान मंत्री एवं गवर्नर ने अध्यक्षों के सम्मेलन तथा गवर्नरों के सम्मेलन में की गई सर्वसम्मत सिफारिश की जानबूझकर अवहेलना की है। कलकत्ता उच्च न्यायलय के निर्णय पर विचार करने के पश्चात् प्रशासन सुधार आयोग ने भी इस संबंध में अपने निष्कर्ष दिये हैं और कहा है कि बहुमत या मंत्रिपरिषद् में विश्वास का निर्णय विधान सभा में होना चाहिये।

इसी प्रकार के विचार वर्तमान विधि मंत्री ने भूतकाल में व्यक्त किये थे। उन विचारों के संदर्भ में वे महान्यायवादी के निर्णय को परखें और बतायें कि यह भिन्नता क्यों है?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ (अन्तर्बाधाएं)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम विधि मन्त्री को सुनना चाहेंगे।

श्री हनुमन्तय्या : मैं इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा में भाग लेकर स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री रविराय (पुरी) : क्या आप के अभी भी पहले के ही विचार हैं? (अन्तर्बाधाएं)

श्री हनुमन्तय्या : इस प्रकार आप ठीक स्थिति को नहीं जान पायेंगे। मैंने अपना विचार बदला नहीं है परन्तु इन्होंने मेरा मत पूरी रिपोर्ट के बिना उद्धृत किया है। और फिर मेरी सिफारिशों को यदि सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इस प्रकार की सभी समस्याएं हल हो जायेंगी। इस प्रकार उद्देश्यों का लांछन लगाना माननीय सदस्य की लग्न के अनुरूप नहीं क्योंकि यह भाषण उनके लिए किसी अन्य ने लिखा है।

श्री प्र० के देव : मुझे इस आरोप पर बहुत आपत्ति है। सभापति महोदय मेरी रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है।

सभापति महोदय : श्री हनुमन्तय्या यह आप का वैयक्तिक स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री पीलू मोदी : मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्य द्वारा उनके प्रति दिखाई गई शिष्टता का दुरुपयोग किया है।

श्री प्र० के० देव : गवर्नर पर मैं कर्तव्य-विमुखता और प्रधान मन्त्री पर दोषपूर्ण ख़ामोशी का आरोप लगाता हूँ। पटना में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन से सर्वश्री कृष्ण चन्द्र पंत और चन्द्रजीत यादव की लखनऊ की हवाई यात्रा का क्या औचित्य है? कितनी अजीब बात है कि राष्ट्रपति व गवर्नर के इस प्रकार के कार्य हमेशा सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के हित में ही रहते हैं।

उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने महा न्यायाधिवक्ता का परामर्श लिया परन्तु उस परामर्श के अनुकूल न होने पर उन्होंने महान्यायवादी का परामर्श प्राप्त किया। जहां तक राज्य के प्रशासन का संबंध है संविधान के अनुसार महान्यायवादी की कोई स्थिति नहीं है। उनका यह कानूनी न होकर राजनैतिक सलाह मात्र है। एक बहुमत वाले दल के मुख्य मन्त्री और संयुक्त सरकार के मुख्य मन्त्री की स्थिति में अन्तर की बात उनकी अपनी उपज है और संविधान के विरुद्ध है।

इस अवसर पर बिना विभाग राज्य मंत्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी द्वारा उड़ीसा सरकार को गिराने के लिए किए गये प्रयासों का उल्लेख भी सदन के सन्मुख करना चाहूंगा। राजकीय मेहमानों के रूप में पाक्षिक रूप में उड़ीसा जाना और विधान सभा के सदस्यों को अपने प्रभाव में लाने के प्रयास उड़ीसा में किसी से छिपे नहीं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबन्धी गवर्नर की सिफारिश अनुचित थी एवं राजनैतिक कारणों से की गई थी। विभिन्न मंत्रियों की बर्खास्तगी संबन्धी मुख्य मंत्री की मंत्रणा को न मानना गवर्नर की एक अन्य बड़ी गल्ती थी। उस मांग के समय श्री कमलापति त्रिपाठी ने अपना सहयोग वापस नहीं लिया था अतः श्री चरण सिंह बहुमत में थे। मंत्रि परिषद का पुनर्गठन करना मुख्य मन्त्री का विशेषाधिकार है और गवर्नर इसे मानने के लिए बाध्य है।

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को इस बात के प्रति सन्तुष्ट करना होता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता। यह सन्तोष गवर्नर की रिपोर्ट व अन्य तरीकों से हो सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति ने बिना किसी अन्य बात पर विचार किए विदेशी भूमि पर होते हुये भी अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा करने के लिए स्थिति का अध्ययन करना चाहिए था। उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। शायद जब तक वह स्वदेश वापस आते तब तक स्थिति स्पष्ट हो गई होती परन्तु प्रधान मन्त्री ऐसा नहीं चाहती थीं।

राष्ट्रपति की इस कार्रवाई की लगभग सभी कानूनी एवं संवैधानिक विशेषज्ञों तथा कम्यूनिस्ट दल को छोड़कर अन्य सभी राजनैतिक दलों द्वारा भर्तसना हुई है।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और यह भी कहता हूँ कि इस मामले में हम केवल गवर्नर को ही बलि का बकरा न बनाएं। केन्द्र सरकार को हम इससे छोड़ रहे हैं। मेरा यह मत है कि यह सब कुछ देश में प्रजातन्त्र को समाप्त करने के लिए किया गया है।

श्री रा० कृ० सिन्हा (फैजाबाद) : जब तक यह संविधान है और उसके अनुसार गवर्नर को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं उनका उपयोग तो होगा ही। मैं एक तथ्य की ओर संकेत करता हूं। जब गवर्नर कहता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए तो ये सज्जन गवर्नर के दोष देखने लग जाते हैं और जब गवर्नर द्वारा श्री टी० एन० सिंह को मुख्य मन्त्री चुन लिया जाता है तो यह उसकी प्रशंसा करते हैं।

गवर्नर के सम्बन्ध में कई बातें कही गई जिनका उल्लेख बहुत शर्मनाक था।

यदि हम विपक्षी दलों की कहानी की सत्यता पर विचार करें तो पता लगता है कि इन दलों ने मंत्रियों को मंत्रि परिषद् से हटाने के लिए तो गवर्नर को लिखा पर इन्होंने श्री चरण

सिंह को अपना संयुक्त नेता कभी नहीं चुना। इसी बीच श्री कमलापति त्रिपाठी ने बहुमत का दावा किया। विपक्षी दल के नेता के रूप में श्री गिरधारी लाल ने भी वक्तव्य दिया कि सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए। भाक्रांद के श्री जयराम वर्मा का भी वक्तव्य था कि वे संयुक्त सरकार के विरुद्ध हैं।

श्री चरण सिंह ने अपने एक महासचिव को बर्खास्त करने के लिए पत्र लिखा था क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश में संसदीय प्रजातंत्र के पक्ष में साहसपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया था। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की चुनौतियां थीं। इसके साथ ही भला यह कहां तक न्यायसंगत है कि पांच राष्ट्रीय दल एक स्थान पर बैठ कर श्री त्रिभुवन नारायण सिंह के नामांकन पर अपनी रबड़ को मोहर लगा दें, और इसी रबड़ की मोहर को सरकार तथा संविधान की स्वीकृति मान लिया जाये। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह मंत्रिमंडल का इतिहास क्या था? चरण सिंह ने एक अध्यादेश द्वारा विद्यार्थी संघों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। वह चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के वचन से भी पीछे हट गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को भी ठुकरा दिया। श्री चरण सिंह के एक भूतपूर्व गृह उप मंत्री को "सी" क्लास जेल में भेजा गया। एक बार श्री चरण सिंह ने कांग्रेस की नीतियों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के निर्णयों को उचित ठहराया। परन्तु फिर भी हुआ क्या? राज्य सभा में उन्होंने प्रिवी पर्स विधेयक के विरुद्ध मत दिया। इन्हीं बातों के आधार पर तो श्री चरण सिंह के मंत्रिमंडल का पतन हुआ।

इसके साथ ही पंजाब में जनसंघ द्वारा संयुक्त सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के सन्दर्भ का भी उल्लेख किया गया है। मैं इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर दूं कि जनसंघ द्वारा समर्थन वापिस लिए जाने के बाद कोई भी विरोधी नेता यह कहते हुये सामने नहीं आये कि वह सरकार बनाने के लिए तैयार है। अतः उत्तर प्रदेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई, पंजाब का मामला उसके साथ कोई मेल नहीं खाता।

भारत का लोकतन्त्र अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है। अतः यह अनिवार्य नहीं है कि एक राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप जो निर्णय लिया गया है, वही निर्णय गणित के सूत्र के रूप में किसी अन्य राज्य में भी लिया जाये। क्या आपको विश्व के इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण मिल सकता है जहां कि मुख्य मंत्री ने अपने ही मंत्रियों की निंदा की हो? आज संसदीय लोकतन्त्र खतरे में है। श्री चरण सिंह 5 या 6 दिन तक मुख्य मन्त्री बने रह कर कांग्रेस तथा जनसंघ को अपनी ओर गांठना चाहते थे जिनका कि केवल एक-सूत्रीय कार्यक्रम इन्दिरा की सरकार को गिराना है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Chairman, Sir, it is a co-incidence that democracy was murdered in Uttar Pradesh on 2nd October, the birthday of Mahatma Gandhi and it is being post-mortemed today the birthday of Smt. Indira Gandhi. I have deliberately used the word post-mortem, because ultimately the dream of establishing a ruling party Government in U. P. has been shattered by the triumph of a combination of national and democratic parties. We will have to strengthen ourselves. The Prime Minister's own State became a waterloo for her.

The Governor of U. P., Dr. Gopala Reddy, has propounded a new theory

which is dangerous. He has drawn a distinction between the Chief Minister of a one-party Government and the Chief Minister of a multiparty Government. No such distinction has been recognised by our Constitution. According to our Constitution, it is the prerogative of the Chief Minister, so long as he continued in his office, to recommend the appointment of somebody as a Minister in his cabinet or to recommend the removal of a Minister from his cabinet. The question whether a Chief Minister enjoyed the majority support or not, has got no relevancy in this matter. The Governor of U. P. has tried to re-write the constitution by differentiating between the Chief Minister of one-party Government and the Chief Minister of a multi-party Government.

Mr. Chairman, Sir, what would have been the position if Dr. Ram Subhag Singh, Shri Punacha and Shri Jaisukh Lal Hathi refused to resign at the time of division of the Congress, had the President asked Shrimati Gandhi to resign because her was a minority Government? No President would have done like that. In this connection, I would like to quote Dr. Ambedkar : "No person shall be retained as a member of the Cabinet if the Prime Minister says that he shall be dismissed". The position of the Chief Minister is the same as that of the Prime Minister. So even if the ruling Congress had withdrawn its support to the Charan Singh Ministry, the Ministers belonging to it should have resigned voluntarily. But they did not resign. Even then they were asked to do so by the Chief Minister. It is a political immorality, which is a great sluer on the face of the ruling Congress.

The Congress party withdraw its support on the 24th September. At that time, the Governor did not ask Shri Charan Singh to resign. He took no action on 25th and 26th instant. On 27th instant the Governor divested certain Ministers of their portfolios on the advice of the Chief Minister. If the Governor could accept the advice of recognising Shri Charan Singh as Chief Minister with majority support, why he did not accept his advice to dismiss the Ministers ?

The Report of the Governor dated 29th is also self-contradictory. On page 4 of the report it is stated that "till the writing of this Report, none of the political parties has given any specific indication that it will support any new Government headed by Shri Charan Singh". Similarly, on page 5 of the Report the Governor said that "On the 26th September, Shri Madho Prasad Tripathy, leader of the Jan Sangh Legislature Party and Shri Girdhari Lal leader of the Congress Organisation Legislature Party wrote to me extending their support to the present Government headed by Shri Charan Singh."

Mr. Chairman, Sir, when Shri Charan Singh formed the Government in the first instance, he did so as the leader of one party. It was later on that the ruling Congress extended its support to him. After the withdrawal of support by ruling Congress, other political parties extended their support to Shri Charan Singh. But the Governor did not have the patience to allow the majority to be tested on the floor of the Assembly which was to meet shortly.

Mr. Chairman, sir, the Governors have acted differently in different States in similar circumstances. If the Governors make use of their discretionary powers in an arbitrary manner and act as stooges of the Centre and violate the Constitution, our federal structure will be in danger. Now the time has come when we will have to function with multi-party Governments. In such circumstances, our democracy will function only if Governors acted impartially.

Mr. Chairman, Sir, it is all the more surprising that after the receipt of Governor's report, the President did not try to satisfy himself about the situation by hearing the other side. Shri Charan Singh and other leaders of the opposition parties sent telegrams to the President. In this connection, I would like to repeat Dr. Ambedkar's views as quoted by Shri Dev, "I hope the President who is endowed with this power will take proper precautions before actually suspending the administration of the Province". But the President signed

the ordinance while sitting on a foreign soil. Governor has put forward the plan that Shri Charan Singh did not have the majority after the withdrawal support by the Congress. Is it that Shri Tirpathi was in a position to form the Government at that time ? The Governor recommended suspension of the Assembly simply to enable the ruling Congress to purchase the support of more Members. It is highly regrettable that Governor became a party to the conspiracy of the Prime Minister to instal Shri Kamlapati Tripathi as the Chief Minister of U. P. such actions of the Prime Minister, speak of her dictatorial tendencies. Unfortunately, the Prime Mininster is not present in the House. When the congress party did not abide by her wishes in the matter of the office of the President, she divided the Congress Party. When Privy Purses Bill was turned down by Rajya Sabha, she got it excuted by an executive order. Similarly, when she failed to instal Shri Kamlapati Tripathi as Chief Minister of U. P., she got the Constitution violated, she got the office of the Governor misused and got the U. P. Assembly dismissed. These all are clear indications of her dictatorial tendencies.

Mr. Chairman. Sir, it is high time that the powers of the Governors are defined in categorical terms. Statutory guidelines should be provided for them. The procedure for the appointment of Governors should also be reviewed and a new procedure evolved.

Lastly, I would like to add that the Attorney General Shri Niren Dey has not acted in accordance with dignity of his high office by giving a partial advice in this matter. He should be asked to resign his post. If he fails to do that, the Government should remove him from his office. With these words, we support the motion and I am sure, the House will accept it.

श्री सन्त बख्श सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महान्यायवादी की राय की जो अभी अभी निन्दा की है, वह उचित नहीं है। उसकी निन्दा करते समय वह यह भूल गये कि महान्यायवादी ने जो राय व्यक्त की वह वही थी जिसकी कि पंजाब जनसंघ ने वहां के राजनीतिक संकट के समय उनसे अपेक्षा की थी। महान्यायवादी की राय दो स्पष्ट प्रश्नों के बारे में पूछी गई थी। प्रथम प्रश्न यह था कि क्या मुख्यमन्त्री मन्त्रियों को बर्खास्त कर सकता है और दूसरा यह था कि क्या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर मुख्यमन्त्री अपने पद पर बना रह सकता है। श्री वाजपेयी और श्री चरण सिंह का विचार है कि मन्त्रियों को हटाया जा सकता है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने जेनिंग्स का उद्धरण प्रस्तुत किया है। परन्तु मैं इस सभा की और श्री बाजपेयी जी को यह स्पष्ट कर दूं कि विश्व के इतिहास में कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को न मिलेगा जबकि एक भी मन्त्री को हटाया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में होता यह है कि पहले मुख्यमन्त्री स्वयं त्यागपत्र दे दे और पुनः अपने मंत्रिमंडल का गठन करे परन्तु श्री चरण सिंह तो ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के खर्च के बारे में कहा है किन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस रिपोर्ट का वह हवाला दे रहे हैं वह इस राज्यपाल से संबंधित नहीं है और फिर उस मुख्य मंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने 27 मन्त्रियों को बिना काम के बनाए रखा और जनता का पैसा उन पर खर्च होता रहा।

उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या थी ? विधान सभा बुलाई गई किन्तु उसके लिए कोई कार्यसूची नहीं थी। उसमें संसोपा के अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना था, वह नहीं हुआ। उस समय संसोपा के केन्द्रीय नेताओं ने श्री चरण सिंह की सरकार को जनता विरोधी कहा था आज भले ही संसोपा राज्यपाल के व्यवहार के निरनुमोदन में कितना बढ़ चढ़ कर समर्थन दे।

होना यह था कि श्री चरण सिंह पहले इस्तीफा देते और उसके बाद सरकार बनाने का दावा करते, जिसका परीक्षण विधान सभा में किया जाता ।

दो अन्य बातों को भी बार-बार दोहराया जा रहा हैं । प्रशासनिक सुधार आयोग की राज्य स्तर के प्रशासन पर अध्ययन दल की रिपोर्ट है, जिसके सदस्य श्री चरण सिंह भी थे, उसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि यदि किसी मुख्यमंत्री को अपने बहुमत में संदेह हो और वह इसका निर्णय न तो विधान सभा में करना चाहता हो और न ही पद छोड़ने को तैयार हो, तो राज्यपाल के पास उसे हटाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ।

अतः यदि कहीं पाप था तो वह हमारे नहीं, उन लोगों के हृदयों में था जो गद्दी से चिपके रहना चाहते थे । उत्तर प्रदेश में संकट प्रधानमंत्री के कारण नहीं बल्कि श्री चरण सिंह के उस कार्य के कारण उत्पन्न हुआ जिसके अनुसार वह अपने अधिकांश साथियों को हटाना चाहते थे । राज्यपाल ने उनकी बात न मानकर ठीक ही किया ।

यदि आज कोई भी ऐसा उदाहरण सामने ला सकते हैं जहां कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी ऐसे मंत्री को जिसने इस्तीफा देने से इन्कार किया हो, हटाने में सफल हुआ हो तो मैं महाधिवक्ता को भी गलत कहने का साहस रखता हूं । यदि आप कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सके जहां कि किसी मुख्यमंत्री को जो न केवल विधान सभा में बल्कि अपने मंत्रिमंडल में भी विश्वास खो चुका हो, सरकार चलाते रहने दिया गया हो, तो हम अपने को गलत मानने को तैयार हैं ।

खेद इस बात का है कि इस चीखने चिल्लाने और शोर शराबे में मेरे दल को हानि उठानी पड़ी है । श्री चरण सिंह के अप्रजातान्त्रिक कार्य से मेरे राज्य की जनता को कष्ट उठाना पड़ा है । यह प्रस्ताव विचार करने के योग्य नहीं है ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के व्यवहार की आलोचन करते हुए सदन में और उससे बाहर मेरे माननीय मित्रों ने जोरदार शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए हैं ।

इस बारे में मैं इन माननीय मित्रों के सभी विचारों से सहमत हूँ किन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की हत्या का यह पहला मामला नहीं है । मैं कांग्रेस विरोधी सदस्यों से यह पूछना चाहता हूँ कि जब वे संयुक्त कांग्रेस में थे और जब ऐसी कुरीतियां हुआ करती थीं तब वे क्या कर रहे थे ? वे वस्तुतः ऐसी कुरीतियों में उनका साथ दे रहे थे ।

श्री मोरार जी देसाई ने उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की कार्यवाही को गलत ठहराया है । डा० रामसुभग ने कहा है कि यह षड़यंत्र नई दिल्ली में रचा गया । मैं उनसे सहमत हूँ किंतु पश्चिम बंगाल का किस्सा अभी उन्हें भूला नहीं होगा जबकि श्रीमती गांधी वहां की सरकार को हटाना नहीं चाहती थी और श्री मोरारजी देसाई ने हटाने के लिये उन पर जोर डाला और वे मान गईं ।

मेरी भाषा में एक कहावत है कि सांप के छिपे हुए अंग केवल दूसरे सांप को ही दिखाई देते हैं । बेईमानी के इन क्रियाकलापों से वे भली भांति परिचित हैं । मैं इनसे अनुरोध

करता हूं कि वे जनता को बताये कि ऐसे षड़यंत्र किस प्रकार रचे जाते हैं और कैसे राज्यपालों पर जोर डाला जाता है। वे श्रीमती इंदिरा गांधी से क्षमा मांगने के लिये कहते हैं, किन्तु जनता उन से यह कहती है कि वे अपने पापों के लिए क्षमा मांगें।

हम राज्यपाल को विधानमंडल की उपेक्षा के लिए दोषी ठहराते हैं। उन्होंने संसद् और विधानमण्डलों के अध्यक्षों के 1968 में हुए सम्मेलन के संकल्प तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की स्पष्ट सिफारिशों आदि की बुरी तरह से अवहेलना की है। राज्यपाल की भूमिका पर इस विवाद का मुख्य प्रश्न कई बातों से सम्बन्धित है अर्थात् क्या राज्यपाल, मुख्यमन्त्री की 14 मंत्रियों को हटाने की सलाह को मानने से इन्कार कर सकता है और क्या वह, संयुक्त सरकार के दूसरे दल द्वारा समर्थन वापिस लिये जाने पर मुख्यमन्त्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। डा० गोपाल रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन मामलों के संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री को एक दलीय मुख्य मंत्री के समान दर्जा नहीं दिया जा सकता।

यह सिद्धांत कुछ विभिन्न है। संविधान में कहीं भी दलीय सरकार का उल्लेख नहीं है। संविधान तो राष्ट्रपति, उसके द्वारा नियुक्त प्रधान मन्त्री और मन्त्रिमंडल तथा इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल, उसके द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को मान्यता देता है।

तकनीकी दृष्टि से संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल साधारण से साधारण व्यक्ति को भी प्रधान मन्त्री अथवा मुख्य मन्त्री नियुक्त कर सकते हैं। किन्तु ऐसी स्थिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को संसद् या विधान सभा का विश्वास प्राप्त करना होता है। अतः विधान सभा की बैठक से केवल एक सौ घण्टे पहले राज्यपाल का मुख्य मन्त्री को इस्तीफा देने के लिए कहना और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना उसे औचित्य का दोषी ठहराता है। प्रधान मन्त्री को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक वह अनुच्छेद 164(2) का पालन करता है। राज्यपाल बिना मुख्य मन्त्री की सलाह के किसी अन्य मन्त्री को भी नियुक्त नहीं कर सकता। अतः यदि मुख्य मन्त्री किसी मन्त्री को हटाने के लिए कहता है तो राज्यपाल को उसे मानना चाहिए। डा० गोपाल रेड्डी ने कहा है कि मुख्य मन्त्री इन मन्त्रियों को राजनैतिक मतभेद के कारण हटाना चाहते थे किन्तु उनका ऐसा कहना संविधान से संगत नहीं है क्योंकि कुछ समय पहले प्रधान मन्त्री ने अपने कुछ साथियों को राजनैतिक मतभेद के कारण ही मन्त्रिमण्डल से हटाया था।

महोदय, लगभग सभी दलों ने यह माना है कि उत्तर प्रदेश में संविधान की अवहेलना हुई है, किन्तु उन्होंने यह भी माना है कि स्थिति में सुधार लाया गया है तथा गलत कदम को वापिस ले लिया गया है। अतः अब हमें इस समस्या पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए किस-किस प्रकार विभिन्न राज्यों में विधान मण्डलों को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है।

मैं इसके लिए केवल कुछ व्यक्तियों को दोष नहीं देता। पिछले 20 वर्षों में हमारे नेता हमें कुछ ठोस परम्परायें तथा प्रथायें देने में असफल रहे हैं। हमें ऐसे संविधान की आवश्यकता है जिसे अपनी इच्छा से तोड़ा-मरोड़ा न जा सके। अतः हमें संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। हमें राज्यपालों से संबन्धित खण्डों और

अनुच्छेद 356 में, जिसके अधीन राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, संशोधन करना जाहिए।

एक अन्य विधि यह भी अपनाई जा सकती है कि राज्यपालों के लिए, उनके कर्त्तव्यों के पालन के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जायें। 2 मई, 1970 को हुई गोष्ठी में श्री हनुमन्तैया ने इस विचाराधारा का समर्थन किया था। अब वह विधि-मन्त्री हैं, उन्हें इसे क्रियान्वित करना चाहिए। वस्तुतः डा० अम्बेदकर ने इस प्रकार के कुछ उपबन्धों को संविधान में रखना भी चाहा था। उस समय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए निष्पक्ष व्यक्तियों की परिषद् बनाने का भी एक अन्य विचार किया गया था। क्या प्रतिष्ठित वकीलों, भूतपूर्व न्यायधीशों आदि की ऐसी कोई परिषद् बनाना सम्भव नहीं है ?

जहां तक संविधान में संशोधन करने का प्रश्न है, हाल ही में हमारे दल के अध्यक्ष श्री करुणानिधि ने और कार्यकारी समिति ने घोषित किया है कि संविधान में संशोधन के लिए हम एक विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं।

संविधान में धारा 356 ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के पदचिन्हों पर चलने के लिए तथा लोकप्रिय सरकारों को दबाने के लिए रखी गई है। पिछले 20 वर्षों में इस धारा का 21 बार प्रयोग किया गया है और प्रत्येक बार इसका प्रयोग विभिन्न मानदण्डों के अनुसार और कांग्रेस सरकार को बनाए रखने के लिए हुआ है।

श्री नाथ पाई और डा० राम सुभग सिंह ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जिसके अधीन राज्यपालों की नियुक्ति के लिये संसद की स्वीकृति लेनी होगी, किन्तु कठिनाई इसके बाद भी दूर नहीं होती अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यदि राज्यपाल रिपोर्ट नहीं भेजता तो राष्ट्रपति स्वयं अपना शासन किसी राज्य में लागू कर सकता है। अतः इस सब को रोकने के लिए हमें अनुच्छेद 356 में परन्तुक की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित किया जा सके।

जहां तक विचारार्थ प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसके दो भाग हैं। पहला भाग राज्यपाल के व्यवहार का निरनुमोदन करता है, हम इस भाग से सहमत हैं। दूसरे भाग में राज्यपाल की वापिसी के लिए कहा गया है, किन्तु जब तक इस विषय में वर्तमान प्रणाली के दोषों को समाप्त नहीं किया जाता, कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। अतः हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते।

श्री रा० द्वो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : विरोधी दलों द्वारा अधिकांश वक्तव्य विवेक के स्थान पर भावावेश में दिये गये हैं। प्रस्तुत प्रस्ताव केवल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भर्त्सना करने के लिए रखा गया है और इस सम्बन्ध में पूरी स्थिति पर विचार करने पर आप अनुभव करेंगे कि संविधान के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर हम राज्यपाल को दोषी नहीं ठहरा सकते। यह ठीक है कि आजकल संयुक्त सरकार का युग है किन्तु जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, यहां प्रश्न किसी दल के बहुमत अथवा अल्पमत में होने का नहीं है बल्कि मंत्रिमंडल में विभाजन का है। मंत्रिमंडल यहां तक विभक्त हो गया था कि मुख्य मंत्री को राज्यपाल से अधिकांश

मंत्रियों को हटाने के लिए कहना पड़ा । जहां तक किसी मंत्री को हटाने का प्रश्न है यह शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है उसका विभाग बदला जा सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने सरकार अथवा मंत्रिमंडल का उल्लेख किया है मोरिसन ने संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल के कार्य करने के ढंग पर भली-भांति विचार किया है और कहा है कि यदि मंत्रिमंडल में विभाजन हो जाता है तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है। अतः जब भी मंत्रिमंडल में विभाजन हो गया तो राज्यपाल ने मुख्य मंत्री से कहा कि वह या तो इस्तीफा दे दें या फिर से सरकार बनायें । मुख्य मंत्री नई सरकार बना सकते थे।

परम्परा यही है कि यदि कोई मंत्री इस्तीफा देने से इन्कार करता है तो मुख्यमंत्री पूरे मंत्रीमंडल का इस्तीफा देकर नई सरकार बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अन्तर्गत हमने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है ।

राज्यपाल को राज्य का प्रमुख तथा केन्द्र का प्रतिनिधि होने के नाते कुछ कार्य करने पड़ते हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि वह किसी राज्य में गणतंत्रीय पद्धति की रक्षा करे । ऐसी स्थिति में राज्पाल को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ती है । यह व्यवस्था लगभग सभी संघीय संविधानों में की गई है ।

अमरीका में सरकार के गणतंत्रीय स्वरूप को बनाये रखने का कर्त्तव्य केन्द्रीय सरकार का है । अतः राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्य करना होता है । प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के मुख्य प्राधिकारी के नाते या केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के नाते राज्यपाल को इस प्रकार कार्य करने का अधिकार है । यहां कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करके अच्छा नहीं किया । कई सदस्यों ने राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाने तक की कोशिश की । उस समय की परिस्थिति ऐसी थी जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को इस प्रकार करना पड़ा ।

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ क्योंकि राज्यपाल ने संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं किया । उन्होंने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्य किया है ।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Shri Atal Bihari Vajpayee said that on October 2, the Constitution was murdered in U. P. But, I would say that the down fall of Charan Singh Government on October 2, was a matter of pride for the progressive people in India. Here, my hon. friends in their speeches said that democracy became a casualty in U. P. politics. I would like to remind them that Shri Charan Singh was never a democrat by conviction. During his tenure he issued several ordinances which were against the spirit of democracy. He made a complete reshuffle in the administration with the sole aim of setting free the political murders who belong to his party, virtually the law and order situation in U.P. deteriorated completely. He changed the Jail manual and issued an order cancelling all the super classes which were accorded

to prisoners even at the time of British rule. About ten thousand people were put behind the bars who took party in land agitiation. In short there was no constitutional Government in U. P. The Governor ought to have dismissed his Government much earlier. Here some of the hon. Members criticised the action of the U. P. Governor. Even those Parties which he claimed to be his supporters did not agree to his becoming the Chief Minister. Virtually there was no cabinet. Therefor the Governor asked him to resign first and prove his majority, and then he would be ready to enable the Government to be formed. But Charan Singh wanted to continue as the Chief Minister. With the down fall of his Ministry opportunism and favouritism came to an end. The defeat of Charan Singh is the defeat of reactionaries. We do not like those in the opposition who plead for the continuance of Privy purses and the privileges of ex-rulers. The entire people of India will discard these people who are pursuing anti-people policies. Can these Princes Claim moral support in the country. The Congress (O) says that they are against privy purses, but they object to the manner in which the Bill was introduced ? But what is that manner in which they seek to introduce the Bill ? The whole country knows that they are committing self-deception by putting forward such arguments. We are standing for a right cause. We will support even the attacks on the big landlords. We support all the progressive movements. We will fight for that.

Our party has repeatedly said that the post of Governor should be abolished. Shri Prakash Vir Shastri alleged that the Government is incurring heavy expenditure on the Governor of U. P. Is the Government not spending too much on Dharma Vira ? What was the expenditure incurred by Shri Charan Singh ? Today he is finding fault with expenditure on Government of U. P. Even today we say that the post of Governor should be abolished. But what is the likely expenditure to be incurred on the 53 Ministers of U. P. ? It may be difficult to recognise all the Ministers even if the Assembly may continue for ten long years. This unholly alliance will break soon. Therefore, I request that general election should be held in U. P. There is no Government there now. The demand of recalling the Governor of U. P. is meant for concealing their grave blunders committed against the people. Therefore, I want that general election be held in U. P. and the institution of Governorship be abolished through out country.

Shri Satya Narain Singh (Varanasi) : Toppling of the Charan Singh Ministry was a deadly attack on democracy and democratic conventions. The people throughout the country raised their voice against this. If we look back to the incidents of the last few years, we can clearly understand that it was the Party of Shrimati Indira Gandhi which made a mockery of the democracy by interpreting the constitution to suit their convenience. They are subvesting the constitution and at the same time they swear in the name of democracy. I would like to ask Shrimati Indiraji and her supporters one question. When they joined hands with Shri Charan Singh to form the Ministry, was he a reactionary ? They raised anti-Gupta slogan and installed Shri Charan Singh. When he did not support their anti-democratic moves, they branded him a fascist.

When Shri Charan Singh declared that Assembly would be convened on 6th October and the trial of strength would take place there, couldn't they have waited for some three or four days ? They are swearing in the name of democracy and shouting from the house tops that democracy would be safeguarded at any cost. But they did not have the courage to face the verdict of the people. These people have really no right to rule this country. The same thing happened in West Bengal, Punjab and Haryana. They indulged in manoeuvres and come forward with peculiar arguments to continue in power from time to time. Now the people are becoming more and more conscious of their manoeuvres and therefore it won't cut any ice with the people anymore.

The crisis in U. P. was not an isolated situation. It was the result of deep economical political and social crisis. The people are no more prepared to tolerate the worn-out

administration. They want it to be rejuvenated. In order to remain in power these people played several nasty tricks and the democratic principles were thrown to the winds. Shri Pandey said that they would support all progressive movements. But their Governments are suppressing the agitators with an iron hand. The police and C. R. P. are perpetrating atrocities on the people.

It is still fresh in our memory as to what happened in Kerala. When the Chief Minister advised the Governor to dissolve the Assembly, was it not his duty to enquire whether any other party was in the position to form a Government ? But he was directed not to do that. These things clearly indicate that this Government makes use of the office of Governors and the President to suit their convenience. The developments in U. P. lead us to the conclusions that the Central Government is inflicting heavy blow on the limited autonomy of the States. If this dictatorship is allowed to continue, there is no future for democracy in the country.

History teaches us that those who have pursued anti-people policies, met with undesirable end. They will also meet with the fate of Hitler. The people with ultimately safeguard their rights, and these people will be thrown to the dust-bin of history.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने अपने भाषण में उन सभी बातों की चर्चा की है, जिनकी मुझे आशा थी। माननीय सदस्य का सम्बन्ध मार्क्सवादी दल से है जो दल हिंसा में विश्वास रखता है। मैं माननीय सदस्य को इसके लिए बधाई देती हूँ।

उनके दल द्वारा हाल में केरल में विरोधी बातों का अनुभव करने के बाद यह प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही है (व्यवधान)

आज जो समस्या है वह किसी राज्यपाल के व्यक्तिगत नाम से उत्पन्न कोई समस्या नहीं है। इस ज्वलन्त प्रश्न ने गत तीन वर्षों से सभा में पर्याप्त विवाद उत्पन्न कर दिया है, जिससे मैं समझती हूँ, सही प्रकार की आलोचना उत्पन्न हुई है।

दो वर्ष पूर्व मार्च, 1969 में राज्यपाल की भूमिका और कार्यों के सम्बन्ध में मैंने एक संकल्प सभा में पेश किया था, जिसके द्वारा राज्यपाल के आचरण को व्यवस्थित करने के लिए मागदर्शक सिद्धांतों की परिभाषा करने और उसका निर्माण करने संबंधी एक सांविधानिक संशोधन पर विचार करने के लिए एक 30 सदस्यीय समिति के गठन का प्रयास किया गया था। यह एक विचित्र बात है कि जो दल उत्तर प्रदेश में अस्थिरता के लिए उत्तरदायी था और जिसके कृत्यों से यह सारी अशान्ति फैली। वही दल आज यह तर्क दे रहा है कि राज्यपाल ही इस सारे संकट के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 1967 में श्री चरण सिंह ने स्वयं श्री चन्द्रभानु गुप्ता को मुख्य मन्त्री बनाने की बात कही थी परन्तु 36 घंटों के पश्चात् श्री चरण सिंह ने कुछ और ही निर्णय किया। इस दल ने दल बदलने का कार्य किया और स्वयं को भारतीय क्रांति दल के नाम से पुकारता है। यह न तो भारतीय ही है क्योंकि 17 बार दल बदली की है और न ही क्रांति है क्योंकि उसके पीछे कोई सिद्धान्त नहीं है। यह घिनौनी राजनीति है।

यह दल अर्थात् भाक्रांद राज्यपाल को वापस बुलाये जाने के संकल्प पर जोर दे रहा है। यदि इस दल का कोई राजनीतिक सिद्धांत होता तो वह ऐसी बात न करता।

वर्ष 1958 में केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपालों के "विवेक" के बारे में प्रश्न उठाये गये थे । किसी भी राज्यपाल ने अपने विवेक का प्रयोग किया हो, उसकी कोई बात नहीं है । मामला सदन के सामने लाया गया है । संसद एक ऐसी संस्था है जो लोगों की राय बता देता है चाहे वे किसी भी दल से सम्बद्ध क्यों न हो ।

राज्यपाल अपने विवेक का कहां प्रयोग कर सकता है, इस बात के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे बहुमत वाले दल का अनुमोदन मिले अथवा न मिले और ऐसी स्थिति में राज्यपाल के विवेक के अधिकार हमेशा संदिग्ध रहते हैं । हमारी राजनीति कुछ लोगों के लिए दल बदलने की राजनीति है सुविधा की राजनीति है । आज किस नीति का अनुसरण हो रहा है, उसे हम जानते हैं । जो माननीय मित्र वहां बैठे हैं, वे लोगों द्वारा चुने हुये हैं और उन्होंने जनता के समक्ष कई प्रतिज्ञायें की थीं जिन्हें आज उन्होंने तोड़ दिया है । वे अपने आप को विरोधी कह रहे हैं । सही बात तो यह है कि वे वापस जनता के पास जाते । यहां से पद त्याग करते फिर वहां से वापस चुनकर आते ।

पहले हम दल-बदलने के बारे में वार्ता करते थे । आज तो एक या दो दल बदलू नहीं है ; वे उस तरफ बैठे हैं । किस पर आरोप लगाया जाये ? इन परिस्थितियों में क्या राज्यपाल से अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा जा सकता है ? उनका विवेकाधिकार असीम है । संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जिसमें शब्द 'विवेक' को सीमित अथवा परिभाषित किया गया हो । यदि उनके विवेक की सीमा नहीं है, तो उसका यह अर्थ हुआ कि राज्यपाल के द्वारा किए गए कार्य को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है । अतः इन परिस्थितियों में यह सब कुछ राज्यपाल की समझदारी पर निर्भर करता है और ठीक अथवा गलत के बारे में निर्णय करने के लिए उन्हें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिये ।

वर्ष 1938 में बंगाल में जब मुस्लिम लीग और कृषक मजदूर दो दल थे तो उस समय राज्यपाल ने श्री फजुल हक से इस्तीफा देने को कहा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया ।

फ्रांस में भी ऐसा हुआ । राष्ट्रपति दि-गाल के समय जब मिली-जुली सरकार असफल हो गई तो प्रधान मन्त्री ने त्याग-पत्र दे दिया और नया मंत्रिमंडल गठित किया गया ।

मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि इसी प्रकार की बात उत्तर प्रदेश में हुई । अधिक समय की ही बात नहीं है, वर्ष 1968 में जब श्री चन्द्रभानु गुप्ता मंत्रिमंडल के मुखिया थे और उनके विधेयक के एक खंड को समर्थन प्राप्त नहीं हो सका तो उन्होंने स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे दिया और सरकार को जाना पड़ा । परन्तु उसी उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । यह पहला मामला है जब श्री चरण सिंह के द्वारा इस परम्परा का उल्लंघन हुआ जब उन्होंने स्वेच्छा से त्याग-पत्र नहीं दिया । दूसरी बात यह हुई कि जब उन्हें राज्यपाल द्वारा कहा गया, तब भी उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया ।

तब क्या हुआ ? कांग्रेस (सत्तारूढ़) के नेता ने अपने मंत्रियों से सरकार का समर्थन न करने को कहा और राज्यपाल से निवेदन किया कि मिली-जुली सरकार नहीं है अतः उसे भंग

कर दिया जाना चाहिए। जब दलों का सहयोग नहीं रहता तो मिली-जुली सरकार कैसे रह सकती है ?

इसी बीच विरोधी दल के नेता श्री गिरधारी लाल ने भी राज्यपाल से कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में हैं साथ ही भाक्रांद के 1 । सदस्यों ने दल बदल लिया। उस राज्य में स्थिरता नहीं थी। उन परिस्थितियों में अपनी समझ और अपने विवेक के अनुसार राज्यपाल ने महान्यायवादी और महाधिवक्ता से परामर्श किया और उनकी राय के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, और वह उन्होंने उठाया।

इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों से राज्यपाल को स्वयं को दूर रखना चाहिए। श्री चरण सिंह ने कहा कि वह बहुमत प्राप्त कर सकेंगे तथा उन्होंने कहा कि वह 30 तारीख को सभा की बैठक बुलाने के लिए तैयार हैं परन्तु बैठक की तिथि निश्चित की जा चुकी थी और उस तिथि को मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बिना बदला नहीं जा सकता था। मंत्रि-परिषद उस वक्त था ही नहीं क्योंकि कुछ मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया था। तारीख बदलने के लिए मंत्रि परिषद कैसे पुनर्गठित किया जा सकता था ?

इन परिस्थितियों में राज्यपाल के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। जो कुछ उन्होंने किया वह श्री त्रिपाठी को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया। उन्होंने परिवर्तनशील स्थिति के कारण न तो उन्हें और न अन्य लोगों को सरकार बनाने के लिए बुलाया।

जब हम चाहते हैं कि अधिक प्रगति हो और निर्धनता के उन्मूलन के लिए उसी दिशा में कार्य किया जाय तो सरकार को भी कुछ निश्चित निर्णय करने चाहिए ताकि लोग उस दिशा में कार्य कर सकें। जब तक सरकार हमारी राजनीतिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, तब तक इस सभा के सदस्यों को समय के अनुसार कार्यकरना चाहिए और इस ढंग से उन्हें कार्य करना चाहिए जिससे दल-बदल की प्रथा रुक जाये और ऐसी परिस्थितियां न पैदा हों कि राज्यपालों को अपने विवेक अधिकार का, जो उन्हें प्राप्त है, उपयोग करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती हूँ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : It would not be an exageration if the President, the Prime Minister and the Governor of Uttar Pradesh Shri Gopal Reddi are held responsible for the debate which is being held today.

It will be better if the debate is held within a certain limit because this is not the question of anybody being a progressive or a reactionary. It has become a criterion in this country that those who take the side of Indira Gandhi are termed as progressive and those who oppose her are called reactionaries. That is why the SSP attaches more importance to the programme which can be beneficial to the Nation rather than taking interest in such useless debates.

There are three aspects of this matter : first constitutional ; the second moral and the third, the report of the Governor. If all these three aspects are kept in view, it would be ovious that adjournment of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh was a condemnable action and that is no less a danger to the democracy in the country.

There is an Advocate-General in the State to give advice to the Governor but the Governor of U. P. did not seek advice of the Advocate General. He sought advice of the Attorney-General.

There are different ruling parties in the Centre and States. The Attorney-General has to give his advice to the Centre. When the advice of the Attorney-General is sought by a Governor, it is clear that there is something wrong.

Shri Kamlapati Tripathi had neither constitutional nor moral right to request repeatedly to get the Charan Singh Ministry dismissed, because he had himself urged Shri Charan Singh to call the meeting of the Assembly on the 6th October and the date was fixed accordingly.

Shri Jagjiwan Ram, a Union Cabinet Minister, was repeatedly pressing for election of Shri Kamlapati Tripathi as the Chief Minister. He gave this statement publicity which must be condemned and such statements can prove perrilous to the democracy. It shows that the Centre had a hand in the conspiracy in this matter.

In his report the Governor said, "differences between the Congress (R) and the B. K. D. became noticeable on the promulgation of the Preventive Detention Ordinance and the Uttar Pradesh Universities (Amendment) Ordinance". It indicates that the Governor of Uttar Pradesh is not only the representative of the Centre but the representative of the Congress (R) too.

The whole country is aware of the fact that no condition was laid down at the time of forming a coalition between Shri Charan Singh and the Congress (R). The Governor, in his report, has tried to show something to the effect that Shri Charan Singh had taken some reactionary steps which might have not been agreed to by the Congress (R). But the fact is that the Cabinet had unanimously decided to promulgate Ordinances regarding Preventive Detention and the Students.

When we called on the Governor, he assured us that a decision would be taken on the basis of the report submitted to him by the Secretary of the Legislative Assembly but instead of looking into the matter he suspended the Assembly while the Chief Minister was in a position to form a Government. The Legislative Assembly was suspended in order to purchase the support of members for enabling the Congress (R) to form a Government. But unfortunately Shri Kamalapati Tripathi could not be elected as Chief Minister. (*Interruptions*). Today there is the question of survival of democracy. The people of the country are suspicious about the future of democracy. They do not know whether democracy would be saved or not because the Governor of U. P. has not discharged the responsibility of his office and the Centre itself was involved in the episode. But it is a matter of satisfaction that the Opposition Parties eminent lawyers and other people of the country compelled the Governor to made the injustice done in U. P.

श्री नाथपाई (राजापुर) : आज यह पहला अवसर है जबकि वर्तमान विधि मंत्री की बजाय भूतपूर्व मंत्री को सरकार की ओर से वाद-विवाद में भाग लेने के लिए कहा गया है।

उत्तर प्रदेश के इस कांड ने हमारे देश की लोकतांत्रिक भावनाओं को बहुत गम्भीर रूप से ठेस पहुंचाई हैं। भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने इस संबंध में लिखा है कि यदि आज श्री रफी अहमद किदवई और पंतजी जीवित होते तो उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में इस मामले को लेकर पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन आरम्भ करते।

इस विषय में यह चौथा संकल्प इस सभा में प्रस्तुत किया गया है। 15 नवम्बर, 1967 को मैंने इस सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया था जबकि कलकत्ता में प्रथम बार ऐसी घटना घटी थी।

तत्पश्चात् मैंने बिहार में हुई घटनाओं को लेकर एक संकल्प प्रस्तुत किया और गत वर्ष हरियाणा में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया। परन्तु हमारा अनुभव है कि इन सब कार्यों के बाद भी हम जहां थे वहीं पर हैं।

श्री सम्पूर्णानंद ने पहली बार राजस्थान में बहुमत को अल्पमत में परिणत करने का कार्य किया था। श्री सम्पूर्णानंद को उस समय के सत्तारूढ़ दल को प्रसन्न करना पड़ा था। मेरा भारतीय साम्यवादी दल से विरोध है। जब मैंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाने के संबंध में संकल्प प्रस्तुत किया तो उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की और मेरा समर्थन किया। संविधान के उपबंधों को हम भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से लागू नहीं कर सकते हैं। इस दोष को दूर किया जाना चाहिए। जहां तक हो सके, मुख्य मंत्री जब विधान सभा का निर्णय मानने को तैयार हों तो राज्यपाल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्यपालों के क्या कार्य हैं और संविधान में विधान मण्डलों का क्या स्थान रखा गया है?

संविधान के प्रत्येक वाक्य में लोकतन्त्र के गुण गाये गये हैं। प्रायः देखा गया है कि सरकार उसकी अपेक्षा करती हुई ही दिखाई देती है। बाबू सम्पूर्णानन्द द्वारा बहुमत को अल्पमत में परिणत करने का जो कार्य आरम्भ किया हुआ था, वहीं हमने पश्चिम बंगाल में देखा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यह समझते थे कि यह विधान सभा नहीं है, अपितु राज्यपाल का महल है, जहां सरकार के भाग्य का निर्णय होता है। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि एक नये ढंग से भारत के संविधान की व्याख्या की गई है। डा० गोपाल रेड्डी को इस बात के लिए सदैव याद रखा जायेगा। आखिर बात क्या थीं? यदि एक दल की सरकार बनी हुई है और सत्तारूढ़ कांग्रेस उस सरकार का समर्थन करती है तो सरकार सांवैधानिक है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से, जिन्हें केवल सत्तारूढ़ कांग्रेस ही जानती है, जब सत्तारूढ़ कांग्रेस अपना समर्थन वापिस ले लेती है तो सांवैधानिक संकट उठ खड़ा होता है: इसका अभिप्राय यह हैं कि कोई सरकार सांवैधानिक है अथवा नहीं, इसका अर्थ एक विशेष दल का समर्थन मिलने के साथ जोड़ दिया गया। डा० गोपाल रेड्डी द्वारा संविधान को एक बड़ा भयानक रूप से दिया गया और उसकी विचित्र व्याख्या की गई है।

उत्तर प्रदेश में जो संकट आया वह नया नहीं था। वहां सन्देह उत्पन्न हो गया कि विधान सभा में किस को बहुमत का समर्थन प्राप्त है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से यहां सम्बन्ध नहीं है। मेरा सम्बन्ध संविधान से है। संविधान की प्रति दिन व्याख्या की जाती है। ऐसे संकट के लिये, जिसका उत्तर प्रदेश सामना कर रहा था, पहले से ही कई मार्गदर्शक, सिद्धांत उपस्थित थे। इन मार्गदर्शक सिद्धातों, जो सभा में बनाये जाते हैं और जिन्हें संविधान के निर्माताओं ने हमें देने का प्रयास किया है, के अतिरिक्त गत वर्षों के अनुभव भी थे और अध्यक्ष-सम्मेलन की सिफारिश भी हमारे सामने थी। उन्होंने सिफारिश की थी "कि किसी मुख्य मन्त्री के प्रति विधान सभा का विश्वास समाप्त हो गया है, इस प्रश्न का निर्णय हर समय विधान सभा में किया जाएगा।" इसके अतिरिक्त गत वर्ष जो राज्यपालों का सम्मेलन हुआ उसमें भी उन्होंने यही निर्णय किया था।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार आयोग है जिसने सिफारिश की थी कि ऐसे मामलों में सभा में निर्णय किया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जो बातें हैं वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुख्य मन्त्री ने एक दलीय सरकार बनाई। तत्पश्चात् दूसरे दल ने अपना समर्थन दिया। जब उस दल ने अपना समर्थन वापिस ले लिया तो वही स्थिति हो गई जो कांग्रेस (सत्तारूढ़) दल द्वारा समर्थन दिये जाने से पहले थी। यदि वह इस दल के समर्थन के बिना सरकार बना सकते थे तो क्या इस समर्थन के वापिस लिये जाने के बाद वह निरंतर रूप से मुख्य मन्त्री नहीं बने रह सकते थे ?

श्री चरण सिंह से, जो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, यह आशा थी कि वह स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे देंगे। किन्तु यदि उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया तो राज्यपाल को उनको हटाने का कोई अधिकार नहीं था और विधान सभा को निलम्बित करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं था, विशेषकर जबकि तत्कालीन मुख्य मंत्री अपने हटाये जाने के दिन से एक सप्ताह के अन्दर विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए तैयार थे। 6 तारीख का दिन राज्यपाल से परामर्श करके निश्चित किया गया था।

पहले तो यह भय था कि मुख्य मन्त्री विधान सभा नहीं बुला रहे थे। परन्तु यह मुख्य मन्त्री तो विधान सभा बुलाने को तैयार थे। क्या आसमान गिर जाता यदि उनको विधान सभा का सामना करने दिया जाता ?

मुझे यह तो मालूम नहीं है कि श्री चरण सिंह को कितनी हानि हुई, परन्तु इस बात से हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में कई भारतीयों के विश्वास को चोट पहुँची है।

हम राज्यपालों के विवेक के बारे में विचार करें। वर्ष 1967 के पश्चात् जो घटनायें भारत में घटीं हैं उनकी डा० अम्बेडकर ने पहले ही व्यक्त की थी। डा० अम्बेडकर ने आशा व्यक्त की थी कि संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा दी गई विवेक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।

राज्यपालों के विवेक के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में भी अनुच्छेद 164 पर पर्याप्त बहस हो चुकी है...(**व्यवधान**)...मैं यह कह रहा था कि राज्यपाल का विशेषाधिकार बहुत सीमित है। कुछ मामलों को छोड़ कर राज्यपाल को विशेषाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश में उठाये गये कदमों का हम विरोध नहीं करेंगे तो भविष्य में भी हमें हानि होती रहेगी।

उत्तर प्रदेश कांड से संविधान में दिये गये तीन महत्वपूर्ण पदों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। पहले राष्ट्रपति पद की उच्च प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश भारत का सब से बड़ा राज्य है। इस राज्य की विधान सभा निलम्बित की जाती है। यह एक साधारण निर्णय नहीं है। कोई भी निर्णय या तो महत्वपूर्ण होता है या नगण्य होता है। यदि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था तो भारत के राष्ट्रपति महोदय को अपना दौरा कुछ कम करके शीघ्र निर्णय लेने के लिए दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था। यदि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं था तो इस मामले में अध्यादेश पर उन्हें हस्ताक्षर नहीं करने चाहिएं थे।

किसी भी अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पूर्व राष्ट्रपति को उसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

कुछ समय के लिए दलगत दृष्टिकोण को छोड़कर हम इस बात पर विचार करें कि क्या इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिये थी। इस प्रकार की कार्रवाईयों से राष्ट्रपति के पद का सम्मान घटता है। यदि उच्चतम स्तर पर भी इस प्रकार की गलतियां होती रहीं तो निम्न स्तरों पर गलतियों की क्या अवस्था होगी। मेरा यह विचार इस पद के प्रति किसी अनादर का द्योतक नहीं है।

इस कार्रवाई से महान्यायवादी के पद का सम्मान भी प्रभावित हुआ है। मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि महान्यायवादी को यहां बुलाकर उनसे पुछताछ की जाय। परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया। महान्यायवादी की स्थिति विधि मन्त्री के समान नहीं है। वह भारतीय गणराज्य के मुख्य विधि अधिकारी हैं। संविधान की भावना के अनुकूल सलाह देना उनका कर्तव्य है, परन्तु हमें इस प्रकार की सलाह नहीं मिल रही।

इस सबसे गवर्नर के पद के सम्मान को कोई अधिक क्षति नहीं हुई है। इस का कारण यह है कि उस पद से संबंधित मूल भावों को कभी भी कार्यान्वित किया गया है। इस पद में निहित मूल भाव राज्य की जनता तथा केन्द्रीय सरकार के बीच एक सम्बन्ध स्थापित करना था। एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र के रूप में यह पद बनाया गया था परन्तु इस पद पर भूतकाल में की गई नियुक्तियों से इस पद का मान घटा है क्योंकि इस पद पर बदनाम, पराजित और उदासीन लोगों को रखा गया जिससे उन्होंने मानकों को बनाये नहीं रखा।

इससे पद का न केवल मान ही घटा है अपितु अन्य महत्वपूर्ण परिणाम भी हुये हैं। लोगों के चुने हुये प्रतिनिधियों की सलाह मानना निश्चित सा सिद्धांत था। परन्तु उत्तर प्रदेश में इसको तोडा गया है।

उत्तर प्रदेश की घटना से संविधान की संघीय व्यवस्था पर चोट हुई है। मेरा मत यह है कि यह सब के लिये चुनौती है और हमें दलगत विचारों से ऊपर उठ कर अपने कर्तव्य निभाने हैं। (अन्तर्बाधाएं)

मेरे विचार से मंत्रिमंडल के सामुहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को उत्तर प्रदेश की घटना से चोट पहुँची है। कुछ लोग मिलकर प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री के विरुद्ध राष्ट्रपति या गवर्नर के पास जा कर उसके त्यागपत्र की मांग कर सकते हैं। आज यही कुछ हो रहा है।

इस स्थिति के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। गवर्नर के नामजद किये जाने के पश्चात् उसकी नियुक्ति का अभिपुष्टिकरण एक सुझाव है।

कुछ ऐसे भी मुख्य मंत्री हो सकते हैं जो बहुमत की असंदिग्धता की स्थिति में विधान सभा का सत्र न बुलाये इस तिथि के संबंध में मेरा सुझाव है कि यदि संसद् या विधान सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य सत्र बुलाने के लिये अध्यक्ष से लिखित रूप से मांग करें तो एक पक्ष के भीतर सत्र बुलाया जाना चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद 356 में भी संशोधन होना चाहिये। संविधान में यह उपलब्ध होना चाहिये कि मुख्य मंत्री के बहुमत का निर्णय गवर्नर द्वारा न किया जाकर विधान सभा द्वारा किया जाय।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथन (वन्डीवाश) : आज के मुख्य अपराधी श्री गोपाल रेड्डी हैं। (**अन्तर्बाधायें**) कभी कभी कुछ अच्छे कार्य अप्रिय रूप से भी किये जाते हैं जिनके परिणाम अच्छे निकलते हैं। आज जो गवर्नर ने किया है वह अपने रूप में अप्रिय हो सकता है, परंतु इसका परिणाम जो निकला है वह अच्छा हो सकता है अतः लोगों को गवर्नर का आभार मानना चाहिये।

राष्ट्रपति की कार्यवाही की भी निंदा की गई है. परन्तु प्रस्ताव की विषय-सीमा से बाहर होने के कारण मैं उस की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु इतना अवश्य है कि यदि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये कोई पत्र भेजा जाये तो इसका अर्थ है कि उस सम्बन्ध में पहले विचार-विमर्श हो चुका है। इसमें केवल इस बात को छोड़ कर कि राष्ट्रपति देश से बाहर थे अन्य कुछ बात ऐसी प्रतीत नहीं होती कि उन्होंने इस विषय पर विचार न किया हो। राष्ट्रपति को मंत्री मंडल का निर्णय मानना होता है। यदि राष्ट्रपति उन निर्णय पर मतभेद लेकर चले तो देश में अधिक भ्रान्तियां उत्पन्न हो जायेगी।

संसद की सहमति या अनुमति के साथ गवर्नर को नियुक्त करने का प्रस्ताव तो बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है। परन्तु यह अधिकार हमें सरकार के पास ही रहने देना चाहिये अन्यथा उसके अनुचित कार्यों पर हम टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair ***in the Chair***]

गवर्नर पर पक्षपाती होने का दोष है। यदि वह पक्षपाती होते तो उन्होंने श्री धर्मवीर की तरह तत्काल मुख्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया होता। तब श्री प्रकाश के उदाहरण पर चल कर विधान सभा में सब से बडे अकेले दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया होता। वस्तुस्थिति क्या थी इस पर हम विचार करें। विभिन्न दलों द्वारा विभिन्न बातें कही गई। दलों की स्थिति बहुत अनिश्चित थी। अतः गवर्नर दुविधा में थे। सत्तारूढ कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने पर भी चरण सिंह द्वारा त्यागपत्र देने से इन्कार करने पर यह स्थिति बनी। समर्थन वापस लेने पर कांग्रेस को मंत्रियों को भी वापस बुलाना चाहिए था और बहुमत के न रहने पर श्री चरण सिंह को भी त्यागपत्र देना चाहिये था। ऐसा न करके उन्होंने उस समय तक के अपने विरोधियों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। उस अवस्था में तो राज्य की राजनीति में और दुरुहता आई होती।

गवर्नर का कार्य अप्रिय अवश्य प्रतीत होता है परन्तु यह उचित निर्णय था बाद की घटनाओं से भी उसकी उचितता सिद्ध होती है। उनके स्थान पर किसी अन्य को नेता चुना गया है। परिस्थितियों को देखते हुए वह इस निश्चय पर पहुंचे कि सरकार को संविधान के अनुरूप चलना संभव नहीं।

केवल एक बात कही जा सकती है कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने निर्णय लिया उनमें इस से भिन्न निर्णय भी हो सकता था। आप उस पर कदाशयता का आरोप नहीं लगा सकते। यदि कोई कदाशयता नहीं और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने निर्णय लिया है तो उनके आचरण के निरनुमोदन का कोई लाभ नहीं।

अतः जहां यह कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं कि गवर्नर ने जो कुछ भी किया वह पूर्णतया नियमानुसार था वहां मैं उनके आचरण का निरनुमोदन भी नहीं कर सकता। राज्यपाल जिस परिस्थिति में आ गये थे उस में उन्होंने जो उचित समझा, किया। जैसा कि दूसरे मित्रों ने भी कहा है कुछ दिन पश्चात स्थिति सुधर गई थी। आज हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं जो हमारे लिये उचित नहीं है।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I congratulate the Prime Minister for the role she has played. She tries to assume the role of Queen Victoria but that role may be befitting the President House not this place. Our President is like jahangir and the Prime Minister reigning supreme like Noorjhan. They are misusing powers vested in their hand and acting in contravention of constitutional provisions. Happenings in Uttar Pradesh bear a testimony to the fact. They did everything right or wrong to grab power in Uttar Pradesh but they did not succeed.

The Governor in the country cannot be blamed since they are acting at the beek and call of the Government. They are puppets in the hands of the Government.

Everbody whosoever he may be should listen to the voice of conscience and vote according to it. All of use are to prove that the country is by far the most important and Supreme. Smt. Indira may assume the role of Victoria, Hitler or of Stalin but she can't be considered great than the nation itself. When it is taken for granted that the nation is supreme, all of us should pay due regards to this ideal and oppose whosoever goes against the Constitution. All the members should favour the motion boldly and maintain the degnity of the nation.

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : हमारे देश में संसदीय लोकतंत्रात्मक पद्धति ब्रिटिश ढंग की है। ब्रिटेन में अब भी ऐसे संवैधानिक मामलों पर वाद-विवाद होते हैं जैसे मामले पर हम आज यहां वाद-विवाद कर रहे हैं। 1957 में जब श्री मैकमिलन प्रधान मंत्री बने तथा 1963 में जब श्री एलस डगलस होम प्रधान मंत्री बने वहां क्राउन कीकार्यवाही की आलोचना हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम अपने देश की संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में अपने ढंग की प्रथायें तथा परम्परायें लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि जब किसी विषय पर मतभेद उत्पन्न हो तो उस स्थिति का सामना किया जा सके।

इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि संविधान के बहुत से पहलु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संवैधानिक परम्परायें ही संसदीय लोकतंत्र का आधार हैं। उत्तर प्रदेश में जिस स्थिति का सामना राज्यपाल को करना पड़ा वह नई परिस्थिति थी। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई, दूसरी परिस्थितियों में इस प्रकार के समान तत्व ही थे परन्तु पूर्णतया इसी प्रकार की कोई दूसरी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अतः उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न मामले सामने आये हैं, उनसे संबंधित संवैधानिक जटिलताओं पर शांतिपूर्वक विचार करना और अधिक आवश्यक हो गया है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन समस्याओं पर विचार करना चाहिये।

किसी ने भी राज्यपाल या सरकार के हाल ही में संयुक्त विधायक दल को सरकार बनाने या श्री टी० एन० सिंह को इस राज्य का मुख्य मंत्री बनाने सम्बन्धी निर्णय पर आपत्ति नहीं की है।

यह अरोप लगाया गया है कि श्री उमाशंकर दीक्षित ने लखनऊ में पैसा बांटा है। श्री दीक्षित ने प्रेस में एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने इस बात का खंडन किया है। यदि आपका विश्वास है कि उन्होंने ऐसा किया है और एक बार उन्होंने इन्कार कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया तो आपको उनके शब्दों पर विश्वास करना चाहिये।

यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने श्री त्रिपाठी को हेलीकाप्टर द्वारा भेजा था। यह सत्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि केरल के मामले में डा० राजेन्द्र प्रसाद के सरकार से मतभेद थे। मैंने इस तथ्य के बारे में जांच की है और पता चला है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा तत्कालीन सरकार के मध्य केरल के मामले में कोई मतभेद नहीं था। सबसे अधिक दुःख मुझे यह सुनकर हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मामले में निर्णय सोवियत सरकार क कहने के अनुसार किया गया है। इस प्रकार की बात से राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस स्तर तक नीचे न गिरें। मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री जैसे सम्मानित व्यक्ति से ऐसी बात की आशा नहीं करता। वाद-विवाद के दौरान अपने उत्तर में वह स्वयं उसे वापस लेंगे।

उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है राज्यपाल के प्रतिवेदन में वह सब कुछ उपलब्ध है और यह प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया गया है। कई सदस्यों ने इस विषय में पहले कहा है मैं इस विषय में कुछ अन्य कहने की आवश्यकता नहीं समझता, परन्तु कुछ तथ्यों के बारे में मुझे कुछ बताना है क्योंकि कुछ सदस्यों ने इन तथ्यों की बात उठाई है। यह कहा गया है कि फरवरी, 1970 में जब राज्यपाल ने श्री चरण सिंह से सरकार बनाने के लिए कहा तो कांग्रेस (सत्तारूढ़) ने उनके दल का समर्थन नहीं किया। यह सच नहीं है क्योंकि वहां भाक्रांद के 94 तथा कांग्रेस सत्तारूढ़ के 136 सदस्य थे। इनके सम्मिलित हुये बिना राज्यपाल के लिये श्री चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए कहना संभव नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसपर कुछ भ्रांति हुई प्रतीत होती है।

यह सच है कि आरम्भ में मंत्री परिषद में भाक्रांद के मंत्री ही थे परन्तु कुछ समय पश्चात कांग्रेस भी मंत्री परिषद में शामिल हो गई। सितम्बर 1970 में भाक्रांद के 20 सदस्य तथा कांग्रेस के 26 सदस्य थे। संयुक्त सरकार में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अधिक थी। 24 सितम्बर, 1970 को श्री चरण सिंह ने 13 कांग्रेसी मंत्रियों तथा एक भाक्रांद उपमंत्री को तत्काल अपने त्यागपत्र देने के लिए कहा। इस पर श्री कमलापति त्रिपाठी ने राज्यपाल को लिखा कि मेरे दल ने संयुक्त सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और श्री चरण सिंह का बहुमत समाप्त हो गया है इसलिए उनको अपना त्यागपत्र दे देना चाहिये। कुछ सदस्यों ने एक पत्र की बात उठाई है जो कांग्रेस (पुरानी), जनसंघ तथा संसोपा ने राज्यपाल को लिखा था जिसका तात्पर्य यह था कि सरकार बनाने के मामले में दल श्री चरणसिंह का समर्थन करते हैं। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में केवल यह कहा है कि वे दल मंत्रियों के हटाये जाने के मामले में श्री चरणसिंह की कार्यवाही समर्थन करते हैं। मंत्रियों के हटाने में इन दलों ने मुख्यमंत्री का समर्थन किया था नई सरकार बनाने के लिये इन दलों ने चौ० चरणसिंह को अपना समर्थन नहीं दिया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नई सरकार का तो प्रश्न ही नहीं था ।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : यदि ऐसी बात होती तो आज चरण सिंह मुख्य मंत्री होते न कि श्री टी० एन० सिंह ।

श्री राम सुभग सिंह : श्री चरण सिंह ने अपना सम्मान रखते हुए मुख्य मंत्री पद स्वयं छोड़ दिया । श्री चरण सिंह उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो आश्वासन इन पांचों दलों ने दिया था उससे भी बड़ा आश्वासन श्री कमलापति त्रिपाठी ने चरण सिंह को दिया था । श्री चरण सिंह अब मुख्य मंत्री नहीं हैं । क्या हमने जोर डाला था कि आप चरण सिंह के स्थान पर श्री टी० एन० सिंह को मुख्य मंत्री बनायें । आप श्री चरण सिंह को मुख्य मन्त्री बना सकते थे ।...(व्यवधान)

श्री जी० भा० कृपालानी : चलती हुई सरकार को समर्थन देना एक बात है परन्तु जब सरकार को समाप्त कर दिया जाता है तो एक नई स्थिति पैदा हो जाती है और इस स्थिति पर विचार करना होता है । मुझे खेद है कि श्री पन्त मामले को भ्रान्तिपूर्ण बना रहे हैं । ये दल उस समय चल रही सरकार को समर्थन दे रहे थे, ऐसा इन्होंने केवल इस लिये किया कि वे राज्यपाल को बीच में लाने के इच्छुक नहीं थे । जब राज्यपाल बीच में आये तो एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं केवल इतना मानने को तैयार हूँ कि यदि राज्यपाल उचित ढंग से कार्य न करते तो श्री चरण सिंह को मुख्य मन्त्री बने रहने का लाभ प्राप्त हो जाता । मैं केवल इतना ही मान सकता हूँ कि इससे अधिक नहीं...(व्यवधान)

संयुक्त सरकार के जिसमें कांग्रेस (सत्तारूढ़) मुख्य भागीदार थी, भंग हो जाने पर राज्यपाल के दिमाग में यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि क्या मुख्य मंत्री के रूप में श्री चरण सिंह का बने रहना संवैधानिक है और क्या राज्यपाल उसकी यह सलाह स्वीकार करने को बाध्य है कि अनेक संख्या में मन्त्रियों को हटा दिया जाय । उन्होंने महान्यायवादी की राय प्राप्त करने का निर्णय किया । महान्यायवादी ने स्पष्ट बताया कि संयुक्त सरकार के भंग होने के बाद श्री चरण सिंह को संयुक्त सरकार के एक मुख्य मन्त्री के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनकी सलाह का अब और अधिक समय तक राज्यपाल पर अब बन्धनकारी प्रभाव नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, on a point of order, sir, see rule 368. The full text of the opinion of the Attorney General should be placed on the Table of the House. Rule 368 reads that "If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table". I want your ruling, Sir.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह उद्धरण राज्यपाल के प्रतिवेदन में है, जिसे सदन के पटल पर रखा जा चुका है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी आपने कहा था कि यह महान्यायवादी के प्रतिवेदन से उद्धृत है, अब आप कहते हैं कि यह राज्यपाल के प्रतिवेदन से है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महान्यायवादी के प्रतिवेदन से उद्धरण देते हैं तब आपकी बात उठ सकती है परन्तु मंत्री कहते हैं कि उन्होंने राज्यपाल के प्रतिवेदन से उद्धरण दिया है (व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : यदि उन्होंने इसे राज्यपाल के प्रतिवेदन से उद्धृत किया है और यह अंश राज्यपाल के प्रतिवेदन में महान्यायवादी के प्रतिवेदन से लिया गया है तो भी यह सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। राज्यपाल के प्रतिवेदन से सम्बन्धित जो भी दस्तावेज हों सभी सभा पटल पर रखे जाने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनने दीजिये कि मन्त्री महोदय क्या कहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have raised this point. If the Minister was in possession of Governor's report then it was not necessary for Shri Jagannath Rao to hand it over to the Minister.

Shri K. C. Pant : It is with me.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You were having the report of Attorney General and not of the Governor. You were reading out of the report of Attorney General when I did raise the issue then the report of the Governor was given to you.

Shri K. C. Pant : It is wrong.

श्री बलराज मधोक : सभी सदस्यों ने इसे देखा है। यह समस्त सदन के साथ धोखा है।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म, शर्म।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : यह स्पष्ट रूप से बताया जाय कि श्री जगन्नाथ राव ने श्री पंत को कागज दिया है और श्री पंत किस कागज से उद्धरण दे रहे थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि महान्यायवादी का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया जायेगा तो क्या आसमान टूट जायगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आप इससे मुझसे लेकर पढ़ सकते हैं। अब आप कृपया शांत होकर मेरी बात सुनिये।

20 सितम्बर को राज्यपाल ने श्री चरण सिंह से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी वैकल्पित सरकार का बनाया जाना भी सम्भव नहीं है और इस स्थिति में 29 सितम्बर को उनके पास राष्ट्रपति को यह बताने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहा कि राज्य में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत एक उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश की। विधान सभा भंग नहीं की गई। इसका कारण यह था कि राज्यपाल को यह चिंता थी कि यदि किसी वैकल्पिक सरकार बनाने की गुंजाइश हो तो वैकल्पिक सरकार शीघ्र ही बनाई जाय।

9 अक्तूबर को कांग्रेस (पुरानी) जनसंघ, संसोपा, भाक्रांद और स्वतन्त्र दलों ने राज्यपाल

लिया गया है, लेकिन उन्हें 18 अक्तूबर को बुलाया गया । उसके बाद क्या हुआ ? क्या वह सरकार बनाने में सफल हुए । ? जी हां, आंशिक रूप से । उन्होंने और दो अन्य सदस्यों ने 18 अक्तूबर को शपथ ग्रहण की । 15 दिनों के बाद, 4 नवम्बर को दो अन्य मंत्री शामिल हो गये । एक सप्ताह पश्चात् 45 मंत्री और शामिल हो गये और आज 53 मंत्री हैं । अभी तक उनको विभाग नहीं बांटे गये हैं । और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का कार्य बिना विभागों के चल रहा है । इस बात पर जोर डाला गया है कि विधान सभा शीघ्र बुलाई जाये । अब संविद को सत्ता प्राप्त है । वे विधान सभा कब बुला रहे हैं ? संविद दिसम्बर के अंत में विधान सभा बुलाना चाहता है क्योंकि जनवरी के प्रारम्भ में 6 मास समाप्त हो जायेंगे और यह अवधि संविधान के अनुसार अपेक्षित हैं...(व्यवधान)...अंत में मैं आशा करता हूँ कि सदन राज्यपाल के व्यवहार का निरनुमोदन करने सम्बंधी चर्चाधीन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा । हमें यह आशा करनी चाहिए कि राज्यपाल ने जो कुछ किया उससे संसदीय प्रजातंत्र की सही प्रणाली के विकास में सहायता मिल सकेगी ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The hon. Prime Minister should have replied to the debate. But I do not know why she kept herself aloof. The Statement made by the hon. Minister is not all consistent. He made a reference to the convening of the Assembly. He must know that it has already been decided to convene the Assembly on 7th December.

The hon. Minister says that the Government have pursued British Parliamentary convention. It is a fact that the party which enjoys majority forms the Government. But may I know from him that when New Congress withdrew its support and the Jana Sangh, the old Congress and the Swatantra Party extended their support, in that situation did Shri Gopala Reddi ask Shri Charan Singh whether he was in position to form a Government ? If not, what were the reasons ..*(Interruptions)*.

The hon. Minister just now stated that at the time of extending support by the Jana Sangh and the old congress, it was mentioned by them that they were extending their support to form a new Government but the fact is not like that. I have got the copy of a letter which Jan Sangh Party wrote on 26th December. It was clearly stated in the letter :

> "The Government formed under the leadership of the present constitutional Chief Minister of U. P.. Shri Charan Singh, have got our support".

Similarly the contents of the letter written by the Old Congress Party are as following :

> "We beg to inform you that we hereby extend our support to Shri Charan Singh's Government".

May I ask him whether these parties were extending their support to form a new Government ? May I know from him whether the British Parliamentary convention is not like this : if any Prime Minister does not give any information to the Minister for his dismissal and the news comes in the press that he has been dismissed from the cabinet, then it is regarded as his resignation ? If such is the convention, why it was not followed ? When the Chief Minister wrote to the Governor to remove certain Ministers why did he not remove them ? The hon. Minister denies that in the matter of Kerala, Dr. Rajendra Prasad did not accept the opinion of the cabinet. But to my knowledge, in the first insance, it was not accepted but when Shri Nehru went to him with the opinion of the cabinet, he accepted it and President's Rule was promulgated there. Similar is the case in regard to Hindu Code Bill. May I request him not to make wrong statement.

Representatives of ten parties have expressed their views on this motion and out of them eight parties have extended their support to it. Only C. P. I. and the Ruling Congress did not extent their support.

I hope the hon. Minister would refer to the decision taken by the Speaker's Conference Governor's Conference and the Administrative Reform Commission. Their decision was altogether similar. But it was not implemented. Government deputed Shri Asoke Sen, the biggest Advocate of the Supreme Court on their behalf. He said that in a letter Shri Charan Singh had written to the Governor of U. P. he had said Shri Chander Bhanu Gupta might be dismissed from the Chief Ministership because he had lost the majority. But actually it was a wrong attempt made by Shri Sen, because he had not read the full contents of the letter. Actually, Shri Charan Singh had written to the Governor that if Shri Chander Bhan Gupta was not able to face the Assembly, he might be dismissed from the Chief Ministership. May I ask him whether Shri Charan Singh was not prepared to face the Assembly ? The meeting of Assembly was going to be held on 6th October. But even then Shri Charan Singh said that Assembly could be convened within 24 hours. This clearly indicates that he was prepared to face the Assembly.

My hon. Friend Shri Sant Bux Singh, in his speech, stated that there was no instance where any Minister was dismissed. I request him to go through the political history of India. He must now that in U. P., Shri Algu Rai Shastri, in Haryana, Shri Rao Birendra Singh and in Punjab Shri Shri Ram were dismissed.

Shri Bhandare told that when party of Shri Tripathi withdrew its support, the Governor asked Shri Charan Singh to tender resignation because he was doubtful about his majority. May I ask him whether there is any instance when any judge has taken any decision which is based on apprehention ? But the Governor asked Shri Charan Singh to tender resignation simply because he was doubtful about his majority. Shri Bhandare also said that Shri Charan Singh was asked to face the Assembly. I challenge him. If he has got any facts, he may produce them before the House, otherwise he should withdraw his words.

My hon. Friend Shri Vishwa Nathan told that the President was bound to accept the opinion of the cabinet. As far as my knowledge goes, President is not bound to accept the opinion of the cabinet. He can act according to his discretion.

In view of the fact that the Constitution has been subverted in U. P. I would request the Members of the Ruling Party to become vigilant. There are certain Member in their cabinet who were communists before 1967. Today they are bent upon subverting the Constitution, tomorrow they might attempt to subvert them.

I request the House to extend their support to the Motion.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट को निपटाने में राज्यपाल के व्यवहार का निरनुमोदन करती है और यह सिफारिश करती है कि राज्यपाल को तुरंत वापस बुलाया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में	**98**	**विपक्ष में**	**208**
Ayes	**98**	**Noes**	**208**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

पूर्वी पाकिस्तान में आये तूफान से पीड़ित लोगों को सरकार की सहायता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. GOVERNMENT CONTRIBUTION FOR RELIEF OF EAST PAKISTAN CYCLONE VICTIMS

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सभापति महोदय, मैंने पूर्वी पाकिस्तान में आये तूफान से पीड़ित लोगों की सहायतार्थ 5 लाख रुपये की भारतीय सहायता की घोषणा की थी। मैंने यह भी कहा था कि यह प्रारंभिक और सांकेतिक अंशदान है। समाचारपत्रों से पता चला है कि विनाश उससे कहीं ज्यादा हुआ है जितना सोचा गया था।

पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की विपत्ति के समय मैत्री तथा चिंता व्यक्त करते हुये भारत सरकार ने राहत कार्य के लिए दी जा रही सहायता को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने का निश्चय किया है। इस धन-राशि का उपयोग मुख्य रूप से चावल, चीनी, औषधियां, शिशु बेबी आहार, कपड़े तथा कोयले आदि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए किया जाएगा। सरकार ने एक्सरे की व्यवस्था वाले 50 विस्तर के दो चलते-फिरते अस्पतालों तथा अन्य सुविधायें देने का भी निश्चय किया है। हम जलयान तथा आवश्यक संख्या में जहाज चालक भी उपलब्ध करेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 20 नवम्बर, 1970/29 कार्तिक, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 20, 1970/Kartika 29, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.